खण्ड-425, अंक-6
सोमवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1920
(13 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
विधान भवन के सामने धरने पर बैठे डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के एक कर्मचारी की मृत्यु होने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (जारी) ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–27
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	27
आगरा महानगर के नालों की सफाई एवं नालों की निकली हुई शिल्ट को बाहर फेंके जाने की व्यवस्था करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	28
आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा मझारी के पास विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	28
जनपद हरदोई के मुल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परौली एवं ग्राम बाज के मध्य सई नदी पर पुल का निर्माण कराने एवं माधौगंज से ग्राम परौली वाया कुरसठ तक डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
मेरठ महानगर की राशन की दुकानों को उनके कार्य क्षेत्र में रखने एवं व्यवस्था में सुधार के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत सैमरी नाले पर बन रहे पुल में पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य के पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद फतेहपुर के ब्लाक बिजयीपुर में अवर अभियन्ता जल निगम द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
लाक्षागृह बरनावां (बागपत) को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	31
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	31
विधान सभा के सामने धरने पर बैठे डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूर की हुई मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	32–53
उ० प्र० विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के खण्ड 5 की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द साहित्य से पूर्व शब्द और चिन्ह विधि रखे जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय की नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	53

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–2 आवास विकास, अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	53–105
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	105
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	105–127
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	128
मध्य गंगा नहर में दिनांक 29 जून, 1998 को बिना पूर्व सूचना के 4000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जनपद मेरठ व गाजियाबाद के गांवों में हुई भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	129
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा कतिपय वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाये जाने से सम्बन्धित श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य ...	130
श्री केदारनाथ जी के मन्दिर से चोरी गये स्वर्ण कलश तथा त्रिकोण की बरामदगी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री राजेश अग्रवाल, आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	131–132
नत्थियां	133–134

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 1998

(तेरहवीं विधान सभा)

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा	यशवंत, श्री	आजमगढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	राजेन्द्र सिह, श्री	देहरादून
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
जगदीश सिंह राणा,श्री	सहारनपुर	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी	विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज	वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर	शिव शंकर, श्री	बांदा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
पीटर फैन्थम	नाम-निर्देशित सदस्य	श्रीराम, श्री	मऊ
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
बेचन राम, श्री	गोरखपुर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	सहारनपुर
मंजू, श्रीमती	बलिया	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

विधान भवन के सामने धरने पर बैठे डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के एक कर्मचारी की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (जारी)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर–व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सरकार के कुकृत्यों से एक मजदूर जो विधान सभा के सामने धरने पर बैठा था, की मृत्यु हो गयी है। दस मजदूर मृत्यु की स्थिति में हैं।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्नकाल चलने दें। जब शून्य प्रहर आयेगा तब अपनी बात कहिए। मेरा अनुरोध है कि कृपया बैठ जाएं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह प्रश्नकाल का अपना महत्व है। लेकिन आज तक धरने पर बैठे किसी अनशनकारी की विधान सभा के सामने मृत्यु नहीं हुई है। यह एक नई घटना हुई है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवाई जाए। इससे मैं समझता हूं कि विपक्ष के व सत्ता पक्ष के विधायकों को भी संतोष मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप जो बात कह रहे हैं उसका महत्व अपनी जगह है लेकिन प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्नकाल हमारा है। यह महत्वपूर्ण है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा के समक्ष उत्तर प्रदेश के सरकारी निगम में कार्यरत एक श्रमिक जिसको 10 माह से वेतन नहीं मिला था उसने भूख से दम तोड़ दिया। सरकार कह रही है कि समझौता हो गया लेकिन मजदूरों का आन्दोलन अभी जारी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद आपको सुन लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। हजारों श्रमिक अभी भी बैठे हुए हैं। श्री राम नक्षत्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन मजदूरों की औरतें बच्चे भूखे यहां बैठे हैं। मिल चलाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे आपकी बात सुनने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन प्रश्नकाल हो जाने दें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इसी विधान सभा के सामने किसी की धरना देते मृत्यु हो जाए इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता। विधान भवन के सामने हजारों मजदूर अपने परिवार सहित धरने पर बैठे हैं। सरकार ने इस पर मानवीय आधार पर विचार नहीं किया है। आपसे निवेदन है कि इस पर नियम 311 के अन्तर्गत तुरन्त चर्चा करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल हो जाने दें। उसमें जो सवा घंटा होता है उसमें सरकार को सूचना एकत्र करने का समय मिल जाएगा। प्रश्नकाल के बाद एक-दो मिनट का और काम है उसके बाद आपको सुन लेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्नकाल होने दीजिये।

आपकी बात सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्नकाल होने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है बावजूद इसके जिस तरह की घटना हुई है...

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस प्रश्न को पहले भी उठाया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष–

यदि पहले उठाया जा चुका है तो दोबारा कैसे उठेगा ?

(श्री अम्बिका चौधरी और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–मद संख्या–1

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अब मुझे मजबूरी में प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ेगा।

मैं 12.20 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधायकों की गरिमा बनाये रखने के लिए जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों को कड़े निर्देश

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों को विधायकों की गरिमा बनाये रखने के लिये प्रोटोकाल का पालन करवाने के लिये कड़े निर्देश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सांसदों/विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार का पालन किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं । अन्तिम बार शासनादेश संख्या–1011/सत्रह–सं०–1–98–66सं०/84, दिनांक 30 अप्रैल, 1998 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ,उत्तर प्रदेश को शिष्टाचार संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार ने प्रदेश की आर्थिक विपन्नता से निपटने के लिए 740 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने एवं उक्त बाजार ऋण को खर्च करने की सरकार से जानकारी

**2–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री समरपाल सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिक विपन्नता से निपटने के लिये 740 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लिया है ? यदि हां, तो उक्त बाजार ऋण को खर्च करने हेतु सरकार का कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं । बाजार ऋण मुख्यतः राज्य के विकास कार्यों हेतु लिया जाता है । इस वर्ष बाजार से लिये गये ऋण को 12.15 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण 2008 के नाम से अधिसूचित भी किया गया है ।

रिजर्व बैंक से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 20 अप्रैल, 1998 को 500 करोड़ रुपये का बाजार ऋण जारी किया था । बाजार ऋण की यह राशि बाद में रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाकर 748.74 करोड़ रुपये कर दी गई ।

राज्य सरकार द्वारा यह ऋण सम्पूर्ण प्रदेश के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के लाभार्थ विशिष्टतः विद्युत, कृषि, सिंचाई और उद्योगों से संबंधित विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिये लिया गया है ।

तारांकित प्रश्न

पिछली सरकार द्वारा परिवहन विभाग में फर्जी तरीके से की गयी नियुक्तियों का विवरण

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछली सरकार के कार्यकाल में परिवहन विभाग में फर्जी तरीके से नियुक्तियां किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस प्रकार से कनिष्ठ लिपिक/सहायक रोकड़िया एवं चपरासी/चौकीदार/दफ्तरी के पदों पर तदर्थ/अस्थायी रूप से संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की गयी नियुक्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	संभाग का नाम	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	मेरठ	14	—
2	गाजियाबाद	14	17
3	मुरादाबाद	16	10

क्र०सं०	संभाग का नाम	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
4	देहरादून	15	08
5	आगरा	08	06
6	कानपुर	11	04
7	लखनऊ	05	—
8	फैजाबाद	08	05
9	वाराणसी	18	15
		109	65

उपर्युक्त नियुक्तियां समाप्त की जा चुकी हैं।

श्रीदेवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी मैनपुरी में दिनांक 4-4-96 को संगीत सम्मेलन में हुये लाठी चार्ज की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी मैनपुरी में दिनांक 4-4-96 को संगीत सम्मेलन में हुये लाठी चार्ज में अधिवक्ता श्री अनुराग दुबे व प्रदीप तथा दो अन्य बालकों की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी जांच शासन द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो क्या शासन को जांच आख्या प्राप्त हो गई है ? उसमें इस सामूहिक हत्याकाण्ड में कौन दोषी पाया गया ? उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त संगीत सम्मेलन के पंडाल के बाहर पीछे की ओर एकत्र भीड़ जो पंडाल के अन्दर घुसने का प्रयास कर रही थी को नियंत्रित करने के लिये पुलिस द्वारा भीड़ को पीछे हटाये जाने पर हुई भगदड़ में पीछे बह रही ईसन नदी में डूबकर श्री प्रेम प्रकाश पाण्डे अनुराग दुबे उर्फ प्रदीप दुबे तथा नौशाद की मृत्यु हो जाने की घटना की जांच आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सौंपी गई थी।

जी हां।

उक्त घटना के लिये श्री विमल कुमार बाजपेयी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री बी० पी० अवस्थी, क्षेत्राधिकारी, नगर एवं श्री आर० बी० सिंह उप निरीक्षक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया एवं तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी तथा परगना अधिकारी श्री प्रेम शंकर शर्मा को भी अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन न करने का दोषी पाया गया।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 1-1-1996 से संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर सचिवालय कर्मियों को विशेष वेतन एवं भत्तों की दरों में वृद्धि के आदेश निर्गत करने की मांग

*3–श्री राम पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-1996 से संशोधित/पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर सचिवालय कर्मियों को सचिवालय विशेष वेतन एवं विशेष भत्तों की दरों में वृद्धि कर दी गई

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक सचिवालय विशेष वेतन एवं विशेष भत्तों की दरों में वृद्धि के आदेश निर्गत करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शासकीय संकल्प संख्या प० मा० नि०–225/दस–97–5 (एम)/97, दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 द्वारा श्री जे० एल० बजाज की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित की गयी है । उक्त समिति के विचार क्षेत्र में राज्य कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों एवं सुविधाओं का बिन्दु भी संदर्भित है । इसके अधीन सचिवालय कर्मियों को सचिवालय विशेष वेतन तथा विशेष भत्तों की दरों में वृद्धि का प्रकरण भी विचाराधीन है ।

वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर शासन द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा और तद्नुसार आदेश जारी किए जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महामायानगर में अपराध रोकने हेतु जिप्सी पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की मांग

*4–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामाया नगर में अपराध रोकने हेतु 6-1-98 को प्रश्नकर्ता का पत्र उनको प्राप्त हुआ, जिसमें महामायानगर में सिकन्दराराऊ, जी० टी० रोड जिले की सीमाओं पर जिप्सी पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की गयी थी ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र सीधे पुलिस महानिदेशक को भेजा गया, उन्होंने अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया । पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन में अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्टाम्प शुल्क तथा मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त राजस्व में से निर्धारित प्रतिशत राशि मेरठ नगर निगम सहित प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों को देने की व्यवस्था करने की मांग

*5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि स्टाम्प शुल्क तथा मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त राजस्व की निर्धारित प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को देने का प्राविधान पूर्णरूपेण लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेरठ नगर निगम सहित प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों का राजस्व का भाग दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं । स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व से निर्धारित प्रतिशत राशि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट और युनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलटीज एक्ट के प्राविधानों के तहत उन नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों को जिन्होंने अचल सम्पत्तियों के अन्तर्गत के सिलसिले में नियमावली बनाकर प्रवृत्त कर रखी है के द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था है । मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त राजस्व की कोई निर्धारित राशि स्थानीय निकायों को देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20 डिसमिल से कम जमीन के क्रय को आवासीय रेट से मुक्ति दिलाने की सरकार से मांग

*6–श्री राजधारी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 डिसमिल से कम जमीन के क्रय को आवासीय रेट से मुक्ति दिलाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या यह सही है कि 20 डिसमिल से कम रकबे की जमीन जो भूमि गड्ढा, टीला, नदी के तट की जमीन या जिस पर खेती हो रही है, पर आवासीय रेट लगने से क्रेता को अधिक शुल्क देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में स्टैम्प नियमावली में आवासीय भूमि की परिभाषा को सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं । आवासीय भूमि के विक्रय के मामलों में भूमि का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश, स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 5 (क) के तहत नियमानुसार करके स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता है । इसमें किसी प्रकार की मजबूरी का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्राविधान स्वतः स्पष्ट हैं ।

*7—श्री समर पाल सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराने हेतु प्रदेश के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की मांग

*8–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सरकार ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान हेतु निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रदेश के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो वेतन वितरण की व्यवस्था का क्या प्रारूप होगा ? क्या सरकार प्रदेश के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने का नियम लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक बढ़ गया है, इससे प्रत्येक माह बहुत अधिक (लाखों रुपये में) धनराशि लौनी पड़ती है । सुरक्षा एवं गबन रोकने के दृष्टिकोण से प्रत्येक विभाग को यह अधिकार दिये गये हैं कि कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन बैंक क माध्यम से वितरित कराए जायं ।

विभागों को यह भी अधिकार दिये गये हैं, कि यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन वितरण वे कैश में ही कराना चाहते हैं तो नकद भुगतान करा सकते हैं ।

प्रायः अधिकांश विभागाध्यक्ष तथा कुछ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष के पास कम्प्यूटर उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी कम्प्यूटर उपलब्ध हैं ।

प्रदेश के 63 जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र जो भारत सरकार का विभाग है स्थापित है । इनका मुख्य कार्य जिले में स्थित सभी विभागों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में सहायता प्रदान करना है । जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन विभागों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं है उनके वेतन बिल का कम्प्यूटराइजेशन जिले में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में स्थापित कम्प्यूटर पर कराया जाय। इसके अतिरिक्त विभागों को कोई कठिनाई न हो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्राइवेट संस्थाओं से भी कम्प्यूटराइज्ड बिल बनवाएं जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु (150 कर्मचारियों से कम संख्या वाले) कार्यालयों को 300 रु० तथा (150 से अधिक संख्या कर्मचारियों वाले) कार्यालयों को 500/–रु० तक एक माह में व्यय किये जाने हेतु अधिकृत भी कर दिया गया है । इसे कार्यालय व्यय की मद से भुगतान किया जा सकता है ।

जी हां, शासनादेश जारी किये जा चुके हैं । शनैः शनैः प्रदेश के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटराइजेशन लागू किया जा रहा है । इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

जनपद बलिया के थाना उभांव अन्तर्गत अब तक हुई हत्याओं की जांच सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा पूरी करने की जानकारी

*9–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के उभांव थाना अन्तर्गत 1996 से अब तक हुई किन-किन हत्याओं की जांच सरकार सी०बी०, सी० आई० डी० से करा रही है ? क्या यह सही है कि उभांव थाना क्षेत्र के बिल्थरा रोड के ड्राइवर महातम यादव की हत्या के जांचकर्ता अधिकारी भुक्तभोगी परिवार या गवाहों से बयान न लेकर मामले को लम्बित कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद–बलिया के थाना–उभांव के अन्तर्गत वर्ष 1996 से अब तक हुई हत्याओं में से मात्र एक हत्या की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है जो कि महातम यादव की हत्या के अभियोग में पंजीकृत अपराध सं० 150/97 अन्तर्गत धारा 147/302/307/120 बी/701 भा० द० वि० से संबंधित है ।

जी नहीं । अब तक का विवेचना में वादिनी श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी महातम यादव एवं प्रथम सूचना के गवाह सर्वश्री गिरजा यादव, राम यादव एवं रामनगीना यादव का बयान लिया जा चुका है ।

जांच निष्पक्षता से एवं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद सोनभद्र का दक्षिणांचल (औद्योगिक क्षेत्र सिंहरोली) सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने की सरकार से मांग

*11–श्री विजय सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र का दक्षिणांचल (औद्योगिक क्षेत्र-सिंहरौली) सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है ? यदि हां, तो प्रदूषण के रोकथाम हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ? क्या उक्त क्षेत्र में प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कितना प्रदूषण व्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता .

जी हां ।

क्षेत्र में समय-समय पर जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण की जांच कराई जाती रही है । जांच के अनुसार वातावरण में प्रदूषण निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में स्थापित महादेव माया एग्रो फर्टीलाइजर व अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं व गन्दे पानी से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम

*12–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में स्थापित फैक्ट्री माया एग्रो महादेव फर्टिलाइजर व अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से सामान्य वातावरण प्रभावित हो रहा है तथा गन्दे पानी से उपजाऊ जमीन ऊसर हो रही है ? यदि हां,तो क्या पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जांच करा कर इसकी रोकथाम की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में थानाध्यक्ष, कोतवाली प्रभारी, चौकी इन्चार्ज तथा क्षेत्राधिकारी की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग का आरक्षण समाप्त करने की जानकारी

13–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हाल ही में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग में थानाध्यक्षों, कोतवाली प्रभारी, चौकी इंचार्ज तथा क्षेत्राधिकारी की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों और उसका क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं .

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997-98 में किसानों का आलू सहकारी शीतगृहों में रखने से बड़े पैमाने पर हुई क्षति एवं किसानों को मुआवजा शीघ्र दिलाने की मांग

*14–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 में किसानों का जो आलू सहकारी शीतगृहों में रखा गया था, बड़े पैमाने पर सड़ गया था ? यदि हां,तो क्या आज तक किसानों को कोई मुआवजा

नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के इस मुआवजे को शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां।

जी हां।

वर्ष 1997 में पन्द्रह सहकारी शीतगृहों में आलू क्षतिग्रस्त हुआ, इनमें से चार सहकारी शीतगृहों ने भण्डारित आलू का बीमा, बीमा कम्पनियों से कराया था। बीमा कम्पनियों से क्लेम का भुगतान प्राप्त होने पर ही मुआवजे का भुगतान किया जा सकेगा . अवशेष शीतगृह जो उ० प्र० सहकारी शीतगृह आलू प्रतिकर निधि नियमावली, 1992 के अन्तर्गत आच्छादित है, के क्षतिग्रस्त आलू के मुआवजे, का भुगतान उक्त नियमावली की शर्तों की पूर्ति होने पर किया जा सकेगा।

औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर में स्थित एग्रो पेपर मिल के गन्दे पानी की निकासी के फलस्वरूप गोमती नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने की कार्यवाही

*15–श्री रामदेव आचार्य–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर में स्थित एग्रो पेपर मिल के गन्दे पानी की निकासी हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? क्या यह सही है कि मिल का गन्दा पानी क्षेत्र के बीस कि०मी० लम्बे कादू नाला ड्रेन में छोड़ा जा रहा है जिससे क्षेत्र में भयानक दुर्गन्ध के साथ बीमारी फैलने की आशंका है ? क्या इस नाले का गन्दा पानी गोमती नदी के जल को भी प्रदूषित कर रहा है ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बच्चा पाठक–

मेसर्स एग्रो पेपर मिल्स लि० व मेसर्स एग्रो फाइवर लि०, जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र, सुल्तानपुर में स्थित उक्त दोनों उद्योगों से जनित प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एक संयुक्त उत्प्रवाह संयंत्र स्थापित किया गया है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह कठौरा नाले में निस्तारित किया जाता है, जो कादू नाले में मिलता है।

उपर्युक्त उद्योगों का गन्दा पानी शुद्धिकरण के पश्चात् कादू नाले में छोड़ा जा रहा है जिससे क्षेत्र में भयानक दुर्गन्ध व बीमारी फैलने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

उ० प्र० में स्टाम्प शुल्क की फीस में हुई वृद्धि को जनहित में रोकने की मांग

*16–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में स्टाम्प शुल्क की फीस जनपदों में बढ़ाई जा रही है जिससे क्षेत्रीय जनता को जमीन की खरीद पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस वृद्धि को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेकड़ा वि० स० क्षेत्र जनपद बागपत व गाजियाबाद के रिहायशी क्षेत्रों में ईंट भट्ठे से फैलने वाला प्रदूषण

*17–श्री रूप चौधरी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र, जनपद बागपत व गाजियाबाद के रिहायशी क्षेत्रों में तथा उनके समीप ईट भट्ठे लगे हैं ? क्या यह सही है कि इनसे फैलने वाले प्रदूषण से इस क्षेत्र के निवासियो को दमा, टी० बी० जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार भट्ठा मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पूर्व में सभी ईंट भट्ठों को समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने हेतु दिसम्बर, 1997 तक का समय प्रदान किया गया था तद्नुसार उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठों को समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने हेतु नोटिस जारी किये गये । ईंट भट्ठों द्वारा इस संबंध में कुछ कठिनाइयों का वर्णन करते हुये अतिरिक्त समय दिये जाने की मांग की गयी । भारत सरकार द्वारा इस पर विचार करते हुये इन्हें पुनः जून 1999 तक पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने का समय प्रदान किया गया है ।

जून, 1999 की समय सीमा के अन्दर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित न करने वाले भट्ठों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पुलिस विभाग में उपाधीक्षक के रिक्त पद एवं उन रिक्त पदों को सरकार द्वारा भरे जाने की जानकारी

*18–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पुलिस विभाग में उपाधीक्षक के कुल कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक के कुल 134 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों को इसी चयन वर्ष में भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

*19–श्री सीताराम निसाद–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य परिवहन निगम पर बकाया यात्री कर एवं उसको वसूल करने की कार्यवाही

*20–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम पर यात्री कर बकाया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या उ० प्र० मोटर गाड़ी यात्री कर अधिनियम, 1962 व उसके अन्तर्गत बनी नियमावली का पालन करते हुये सरकार द्वारा निगम पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने उक्त बकाया यात्री कर वसूलने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर 31 मार्च, 1998 को 149.35 करोड़ रुपया यात्रीकर बकाया था।

परीक्षणोपरान्त उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतारांकित प्रश्न

अवध सहकारी बैंक लि० लखनऊ में हुए करोड़ों रुपयों के गबन एवं अपव्यय के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की मांग

1–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि०, लखनऊ में हुए करोड़ों रुपयों के गबन तथा अपव्यय के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिभार सुनिश्चित करने जाने हेतु उप निबन्धक "सहकारिता" विभाग लखनऊ मण्डल द्वारा अधिनियम, 1965 की धारा 68(1) के अन्तर्गत विस्तृत जांच कराकर दिनांक 13-8-96 को प्राप्त आख्या के आधार पर कारण बताओ नोटिस/आरोप-पत्र जारी किये गये थे ? यदि हां, तो बैंक के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये ? क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों के सहकारिता अधिनियम, 1965 की धारा 68(2), 68(3) के अन्तर्गत अधिभार सुनिश्चित करने एवं अनर्ह करने की कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब का कारण क्या है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

बैंक की प्रबन्ध समिति ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्यों एवं बैंक के अन्य 19 कर्मचारियों को नोटिस जारी की गयी। 2 कर्मचारियों के विरुद्ध अधिभार आदेश पारित किये गये तथा शेष के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 68(2) की कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सुनवाई करके निर्णय लिया जाना है।

अवध सहकारी बैंक लि०, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ में 92.97 लाख रुपये के गबन/घोटाले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि०, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ में रुपये 92.79 लाख के गबन/घोटाले की पुलिस प्राथमिकी जिला सहायक निबन्धक सहकारिता विभाग, लखनऊ द्वारा थाना अमीनाबाद, लखनऊ में मु०अ०सं०–168/97, दिनांक 22-8-97 को भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त समस्त प्रकरण अपराध अनुसन्धान विभाग की विशेष अनुसन्धान शाखा "सहकारिता" लखनऊ क्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो गबन/घोटाले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में विलम्ब का क्या कारण है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता लखनऊ द्वारा विवेचना की जा रही है ।

विवेचना प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता के विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्र कर पाने में समय लगने के कारण ।

अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि० मऊ के अध्यक्ष श्री जगरनाथ शर्मा द्वारा अपनी पत्नी को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक ऋण देने के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

3–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि० मऊ के अध्यक्ष श्री जगरनाथ शर्मा के विरुद्ध सहायक निबन्धक मऊ द्वारा एक जांच आख्या दिनांक 8-8-96 को दी गयी जिसमें श्री जगरनाथ शर्मा द्वारा नियम विरुद्ध अपनी फर्म अमरकोल कम्पनी अपनी पत्नी की फर्म जनता आटो मोबाइल एवं एग्रीकल्चर मऊ के नाम रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड से अधिक ऋण देने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति करने व श्री पतरु राय को प्रबन्ध कमेटी से फर्जी कार्यवाही करके अवैध ढंग से निष्कासित करने का आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार श्री जगरनाथ शर्मा को दण्डित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–69 के अधीन जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, मऊ ने प्रबन्ध कमेटी को त्रुटि सुधार के निर्देश दिये थे, परन्तु प्रबन्ध कमेटी द्वारा लगातार चूक करते रहने के कारण उसे निलम्बित कर दिया गया है । उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1995 में 85 उप निरीक्षकों को जी० आर० पी० से सिविल पुलिस में स्थानान्तरित करने एवं शेष उप निरीक्षकों को जी० आर० पी० से कार्य मुक्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

4–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में 85 उप निरीक्षकों को जी० आर० पी० से सिविल पुलिस में स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो सभी उप निरीक्षकों को सिविल पुलिस में कार्य मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार अवशेष उप निरीक्षकों को जी० आर० पी० से कार्य मुक्त कब तक करा देगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । 85 उपनिरीक्षक के स्थान पर 77 उपनिरीक्षक जी० आर० पी० से ना० पु० जनपद–पुलिस में स्थानान्तरित किये गये हैं ।

जी नहीं ।

अवशेष उपनिरीक्षकों के प्रतिस्थानी उपलब्ध होते ही कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

लखनऊ निवासी श्रीमती ममता पुत्री मनोहर लाल नि० एफ 3349 राजाजीपुरम् ने अपने पति श्री दिनेश कुमार नि०–बी–24951/ए० बी० ब्लाक इन्दिरा नगर के विरुद्ध लिखाई गई दहेज उत्पीड़न के मामलो में व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की मांग

5–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दहेज पीड़ित वादी श्रीमती ममता पुत्री श्री मनोहर लाल नि०–एफ–3349 राजाजीपुरम्, लखनऊ के दहेज प्रकरण के अन्तर्गत लखनऊ महिला सेलमें मु० अ० संख्या–145/94,धारा 498ए/323/506 आई० पी० सी०, दिनांक 3-9-94 को दहेज अधिनियम के अन्तर्गत महिला पुलिस थाना लखनऊ में अपने पति दिनेश कुमार पुत्र सरजूदीन व अन्य निवासीगण बी–2495/ए बी ब्लाक इन्दिरा नगर, लखनऊ के विरुद्ध दर्ज करवाया था जिसकी जांच एस० आई० भोली सिंह चौहान को दी गयी थी, परन्तु चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्रीमती ममता पुत्री श्री मनोहर लाल की लिखित सूचना के आधार पर दिनेश कुमार, राजेश, श्रीमती रामवती, सरजूदीन, नीलम निवासीगण म०नं० बी–2495 ए इन्दिरानगर जनपद लखनऊ में मु०अ०सं० 145/94 धारा 498ए/323/506 भा०दं०वि० व 3/4 दहेज अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक, भोली सिंह चौहान द्वारा की गयी । उक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार ने दिनांक 13-7-95 को अदालत में आत्मसमर्पण किया तथा दिनांक 13-7-95 को ही न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया । शेष अन्य अभियुक्तों द्वारा दिनांक 29-6-95 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा दिनांक 29-6-95 को ही जमानत पर रिहा हो गये । विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्तत सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 38/95 दिनांक 19-8-95 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभी अभियुक्तगण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर रिहा हो चुके हैं तथा विवेचक द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो कि विचाराधीन न्यायालय है । अतः सम्प्रति पुलिस कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

जिला उन्नाव थाना कोतवाली सफीपुर में दि० 2-2-95 को दो पक्षों के बीच गोली कांड में जांच की मांग

6–श्री उदयराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पीखी, थाना कोतवाली सफीपुर, जिला उन्नाव में दिनांक 2-2-1995 को दो पक्षों में गोली चली जिसमें दोनों पक्षों का एक-एक व्यक्ति मर गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कुर्बान अली की लाइसेंसी बन्दूक पुलिस द्वारा जमा करा ली गयी और दूसरे पक्ष के अभियुक्त के भाई बदरुद्दीन के नाम उक्त घटना के बाद नया बन्दूक लाइसेंस पुलिस की संस्तुति के बाद जारी किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी नहीं, अभियुक्त कुर्बान अली की लाइसेंसी बन्दूक डी० बी० बी० एल गन पुलिस द्वारा नहीं अपितु स्वयं कुर्बान अली द्वारा विश्वनाथ ओम एण्ड सन्स की शस्त्र की दुकान, उन्नाव में दिनांक 12-9-96 को जमा की गई और दूसरे पक्ष के अभियुक्त फखरूद्दीन के सगे छोटे भाई बदरूद्दीन पुत्र सिराजउद्दीन को पुलिस की संस्तुति पर जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 23-6-97 को एस०बी०बी०एल० गन का लाइसेंस जारी किया गया। बदरुद्दीन संदर्भित घटना में अभियुक्त नहीं था।

संदर्भित घटना के पंजीकृत मुकदमों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाराबंकी, थाना मवई में अन्तर्गत श्री हरनाम सिंह की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

7–श्री रामदेव आचार्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद स्थित थाना मवई के अन्दर मुकदमा अपराध संख्या–139/96, धारा 147/148/307/323/324/336/आई०पी०सी०, दिनांक 6-11-96 समय 10 बजे श्री हरनाम सिंह की हत्या हुई थी ? यदि हां, तो नामजद अभियुक्तों में से किन-किन की गिरफ्तारी की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री हरनाम सिंह पुत्र रक्खा सिंह झगड़ालू एवं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने दिनांक : 6-11-96 को गुरूद्वारा के समीप स्थित एक मस्जिद में घुसकर कुरान शरीफ पुस्तक फाड़ने लगा जिससे जनसमुदाय ने लाठी, डण्डा, चाकू ईट पत्थर मारकर उसे घायल कर दिया। घायल हरनाम सिंह को चौकीदार एवं ग्रामीणों की मदद से थाना–मवई लाया गया। थाना-मवई में मु० पंजीकृत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मवई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार किया गया। तदुपरान्त जिला अस्पताल बाराबंकी में दाखिल किया गया जहां पर दिनांक 7-11-96 को उसकी मृत्यु हो गयी।

नामजद ग्यारह अभियुक्तों में से (1) खालिक प्रधान (2) अफजाल (3) नन्हे (4) सतगुरू (5) भगौती (6) कालिया उर्फ कालका प्रसाद (7) रामरूप (8) नन्हकू उर्फ सहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तथा शेष 3 नामजद अभियुक्त (1) तारिक ठाकुर (2) मसूद ठाकुर तथा (3) इश्तियाक मियां की नामजदगी गलत पाई गई।

जनपद–फैजाबाद–थाना–पटरंगा में हुई डकैती, हत्या व चोरी आदि घटनाओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

8–श्री सीताराम निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पटरंगा, जनपद फैजाबाद में माह अप्रैल, 1998 से 10 मई, 1998 तक कुल कितनी डकैती, हत्या, राहजनी, तारकटिंग, अपहरण, चोरी के अपराध दर्ज किये गये हैं ? क्या यह सही है कि पुलिस की उदासीनता के कारण इन घटनाओं में कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना-पटरंगा जनपद–फैजाबाद में माह अप्रैल, 1998 से 10 मई, 1998 तक की अवधि में निम्न अपराध पंजीकृत किये गये हैं :–

1–डकैती–शून्य

2–हत्या–शून्य

3–राहजनी–1

4–तारकटिंग–शून्य

5–अपहरण–शून्य

6–चोरी/नकबजनी–1

जी नहीं। पुलिस द्वारा नियमानुसार दर्ज उपरोक्त मुकदमों में तत्परता से कार्यवाही की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर से लखीमपुर वाया लगुचा तक रोडवेज बस पुनः चलाए जाने की जानकारी

9–डा० कौशल किशोर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लहरपुर, जनपद सीतापुर से लखीमपुर मुख्यालय वाया लगुचा तक रोडवेज द्वारा बीस वर्षों से चलाई जा रही रोडवेज बस बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस को पुनः चलाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

पुनः सेवा चलाया जाना अपेक्षित नहीं है।

10–श्री महाराज सिंह यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

थाना–मथुरा के मुल्जिमों को छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक का दि० 22-1-98 को प्रमुख सचिव गृह गोपन को प्रेषित पत्र पर की कार्यवाही की जानकारी

11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म०अ०सं०–563/97 धारा 498ए, 304बी, 328 आई० पी० सी० थाना मथुरा के द्वारा मुल्जिमों को छोड़ दिये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/7371/मथुरा/98, दिनांक 22-1-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

उक्त अभियोग (1) शिव कुमारी पत्नी रामदास (2) रामदास पुत्र लल्लू (3) रामबाबू पुत्र रामदास (4) कुमारी गायत्री पुत्री रामदास निवासीगण खार वाली बाखर जनरलगंज के विरुद्ध मु०अ०सं०–363/97 धारा 498ए, 304 बी, 328 भा० दं० वि० थाना कोतवाली पर पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त रामदास श्री रामबाबू की 14-10-97 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना एवं गवाहन के मुताबिक व स्कूल के प्रमाण-पत्र के आधार पर कु० गायत्री का नामजदगी गलत पायी तथा नाबालिक होना पाया गया। विवेचना पूर्ण कर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 13-11-97 को प्रेषित किया गया।

जनपद-महामाया नगर के थाना सादाबाद के शैडो श्री राकेश कुमार तिरोती को तत्काल बर्खास्त करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शैडो राकेश कुमार तिरोती, थाना सादाबाद, जनपद महामायानगर के विरुद्ध कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/7372/मथुरा/98, दिनांक 22-1-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र पुलिस महानिदेशक को दिनांक 19-2-98 को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

जनपद–मथुरा, थाना बरसाना के कैदी भोजी पुत्र नन्नू निवासी भजेड़ा की रिहाई हेतु प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को प्रेषित विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री अजय कुमार पोइया-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैदी भोजी पुत्र नन्नू निवासी भजेड़ा, थाना बरसाना, जनपद मथुरा की रिहाई हेतु विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/7374/मथुरा/98, दिनांक 22-1-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व मुक्ति अस्वीकार कर दी गई है।

जनपद मऊ के मर्यादपुर बस स्टेशन की भूमि एवं भवन के किराए का भुगतान एवं चेक पोस्ट चालू किये जाने के संबंध में जानकारी

14–श्री अफजाल अहमद–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊ जनपद के मर्यादपुर में वर्ष 1962 में स्थापित रोडवेज बस स्टेशन को वर्ष 1980 में बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो मकान व जमीन के मालिक का किराया

का कितना भुगतान किया गया है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि मर्यादपुर में किस अधिकारी के आदेश से चेक पोस्ट चालू किया गया है ? उसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । मर्यादपुर स्टेशन कभी बन्द नहीं किया गया । वहां पर भूमि एवं भवन दोनों की निगम के हैं । अतः किराये भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

कोई चेक पोस्ट चालू नहीं की गई है ।

जनपद–बुलन्दशहर के ग्राम–ग्वारौली की श्रीमती कलावती पत्नी मोहन सिंह के प्रार्थना-पत्र दि० 21-11-97 के साथ संलग्न श्री हरपाल स० वि० स० के पत्र पर कार्यवाही की मांग

15–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती कलावती पत्नी मोहन सिंह ग्राम ग्वारौली थाना अरनियां, जनपद बुलन्दशहर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-11-97 को संलग्न करते हुए श्री हरिपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री हरिपाल सिंह सदस्य, विधान सभा का प्रमुख गृह सचिव उ० प्र० शासन लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 23-6-98 के साथ संलग्न श्रीमती कलावती पत्नी मोहन सिंह ग्राम ग्वारौली थाना अरनियां जनपद बुलन्दशहर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-11-97 हस्ताक्षर रहित प्राप्त हुआ है ।

प्रार्थना-पत्र वाद वापसी के संबंध में हैं जो न्याय विभाग में व्यवहृत होता है । गृह विभाग द्वारा प्रार्थना-पत्र न्याय विभाग को संदर्भित किये जाने पर न्याय विभाग द्वारा वाद वापसी के संबंध में जिलाधिकारी बुलन्दशहर से उनकी आख्या/संस्तुति प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बुलन्दशहर थाना–अरनियां, ग्रा० ग्वारौली के साठ वर्षीय वृद्ध मोहन सिंह व उनके पुत्र मुकेश व दारा सिंह सहित ग्यारह लोगों पर फर्जी डकैती का मुकदमा दर्ज किया जाना

16–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर थाना अरनियां के अन्तर्गत ग्वारौली के साठ वर्षीय वृद्ध मोहन सिंह व उनके पुत्र मुकेश व दारा सिंह सहित ग्यारह लोगों पर थाना अरनियां ने फर्जी डकैती का मुकदमा कायम किया था, जिसके संदर्भ में विधायक श्री उमाशंकर यादव के प्रार्थना-पत्र पर मा० मुख्य मंत्री द्वारा सी० बी०, सी० आई० डी० की जांच का आदेश वर्ष 1995 में दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अपराध शाखा की [illegible] जांच एवं उपलब्ध साक्ष्य तत्कालीन थानाध्यक्ष हाकिम सिंह, उपनिरीक्षक काजी अब्दुल हक आरक्षीगण [illegible]सिंह, परवेज खां, तथा जसवीर सिंह दोषी पाये गये । अपराध शाखा की विवेचना के मध्य ही दिनांक 10-1-95 को श्रीमती कलावती द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर के न्यायालय में दिये गये प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द० प्र० सं० पर न्यायालय के आदेश से दिनांक 7-7-97 को तत्कालीन थानाध्यक्ष अरनियां हाकिम सिंह, उपनिरीक्षक काजी अब्दुल हक

आरक्षीगण कमल सिंह, परवेज खां, जसवीर हरेन्द्र, श्रीमती मिथलेश तथा वीरेन्द्र उपना छोटे के विरुद्ध अपराध संख्या शून्य पर धारा 147/148/149/323/307/504/506/395/397/452 भा० द० वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ । एक ही प्रकरण व एक ही घटनास्थल, दिनांक व समय में घटित घटना का अलग से अभियोग पंजीकृत कराये जाने का विधिक औचित्य न पाये जाने पर उक्त अभियोग को अभियोग संख्या पर लाकर अपराध शाखा नियमित द्वारा विवेचना प्रचलित है ।

जनपद बुलन्दशहर, ग्राम ग्वारौली की निवासिनी कलावती देवी पत्नी मोहन सिंह के पुत्र मुकेश को गोली लगने व उसके द्वारा लिखाये गये मुकदमें पर कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी

17–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर ग्राम ग्वारौली थाना अरनियां की निवासिनी कलावती देवी पत्नी मोहन सिंह द्वारा थाना अरनियां के थानेदार हाकिम सिंह व पुलिस के अन्य कान्स्टेबिलों द्वारा दिनांक 23-12-94 को कलावती के घर घुस कर मारपीट, लूट व गाली गलौज व जान से मारने की नीयत से उसके लड़के मुकेश को गोली मार दी थी, जो गंभीर रूप से घायल हुआ ? जिसका मुकदमा धारा 147/148/149/323/307/504/506/395/397/452 आई० पी० सी० में दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्रीमती कलावती द्वारा दिनांक 10-1-95 को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना-पत्र से संबंधित वाद संख्या मिसनीलियस 165/95 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 2-2-95 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को प्रकरण की जांच कराकर अभियोग पंजीकृत करने एवं योग्य अधिकारी से विवेचना कराने के निर्देश दिये गये । इस आदेश के क्रियान्वयन पर तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री हाकिम सिंह ने सत्र न्यायाधीस बुलन्दशहर के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया जिसके कारण अभियोग पंजीकृत नहीं हो सका । इस स्थगन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा खारिज कर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 7-7-97 को थाना अरनियां पर अभियोग अपराध संख्या शून्य पर धारा 147/148/149/323/307/504/506/395/397/452 भा० द० वि० थानाध्यक्ष अरनियां हाकिम सिंह आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । वर्तमान में इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं जि० पदाधिकारियों को दी गयी निःशुल्क गनर सुविधा अन्य दलों के पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कराने की मांग

18–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किन-किन प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों को, जो सांसद व विधायक नहीं हैं सुरक्षा हेतु गनर और शैडो निःशुल्क दिया गया है ? क्या सरकार मान्यता प्राप्त सभी दलों के पदाधिकारियों को भी इस प्रकार की निःशुल्क सुरक्षा सुविधा देने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए उनके जीवनमय के संबंध में जनपदीय पुलिस की आख्या एवं आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों का आंकलन करने के पश्चात् ही निःशुल्क सुरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है। अन्य समस्त प्रकरणों में प्रचलित शासनादेश के अन्तर्गत कार्यवाही होती है।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 133-134 पर]

जनपद सीतापुर थाना–महोली में दर्ज हुए दि० 24-8-96 के मुकदमें में दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन देने की मांग

19–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली महोली में दिनांक 24-8-96 को मु० अ० सं० 248/96 धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 आई० पी० सी० दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तों द्वारा मृतक के भाई के विरुद्ध दिनांक 26-8-96 को स्पेशल रिपोर्ट मु० अ० सं० 248 ए/96 धारा 395/397 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज किया है ? जिसमें मृतक के भाई छोटे लाल व महिपाल सिंह प्रधान बड़ागांव व अन्य को पुलिस द्वारा नामजद किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी और दोषी पाये जाने पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण रवीन्द्र पुत्र जुगुल किशोर, हरी पुत्र राम दयाल एवं संजय पुत्र रमेश चन्द्र को दिनांक 27-8-96 को तथा वीरेन्द्र पुत्र जुगुल किशोर को दिनांक 28-8-96 को बन्दी बनाया गया। अभियुक्तगण राजीव पुत्र जुगुल किशोर जीतेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र जुगुल किशोर एवं सुरेन्द्र पुत्र राम दयाल ने दिनांक 27-8-96 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18-9-96 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां। प्रश्नगत मुकदमा अभियुक्तों द्वारा नहीं वरन दिलीप कुमार पुत्र दिनेश चन्द्र द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जो कि मु० अ० सं० 248/96 में अभियुक्त नहीं था।

जी नहीं। पुलिस द्वारा नामांकन नहीं किया गया है।

जी नहीं। प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा निष्पक्षतापूर्वक सम्पादित की जा चुकी है। आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण रमेश उर्फ राकेश, राम विलास, देवन, टीकाराम, छोटेलाल, सुरेश, मिश्री, लोचन तथा महिपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अशोक सिंह श्याम लाल तथा राम लाल द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र सं० 175 न्यायालय प्रेषित किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। सम्प्रति सी० आई० डी० जांच का औचित्य नहीं है।

प्रकरण में समस्त कार्यवाही निष्पक्षतापूर्वक सम्पादित की जा चुकी है एवं आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

सहकारिता विभाग में प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों के सचिवों की प्रोन्नतियों के संबंध में जानकारी

20–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारिता विभाग में प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों के सचिवों का सेवा कैडर 1976 में बनाया गया था और शासन द्वारा स्वीकृत 16 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा निरीक्षक वर्ग–2 में स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो अब तक पैक्स सचिवों को निरीक्षक वर्ग–2 में प्रोन्नति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो प्रोन्नतियां न करने का क्या कारण है ? उनकी प्रोन्नतियां कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नगत कोटा स्वीकृत करने हेतु उ० प्र० अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली, 1979 में संशोधन आवश्यक है, जो अभी नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–गौतमबुद्ध नगर थाना जहांगीराबाद की श्रीमती राजबाला पत्नी स्व० भूप सिंह के प्रार्थना-पत्र पर सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने के संबंध में जानकारी

21–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जहांगीरपुर, जनपद गौतमबुद्ध नगर में दर्ज मुकदमा अपराध सं०–53/1994 धारा 302, 201 आई० पी० सी० की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० से कराने हेतु श्रीमती राजबाला पत्नी स्व० भूप सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-5-98 क्षेत्रीय विधायक श्री होराम सिंह की संस्तुति सहित रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मुकदमें की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मु० अप०सं० 53/1994 का अनावरण हो चुका है । विवेचना हेतु कोई बिन्दु शेष न होने के कारण सी० बी० सी० आई० डी० को विवेचना सुपुर्द किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रदेश में माह जनवरी, 1998 से मई, 98 तक पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22–डॉ० राम सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1998 से मई, 1998 तक पुलिस हिरासत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? यह संख्या गत वर्ष इसी अवधि में इस प्रकार की हुई मृत्यु से कितनी अधिक है और इस में बढ़ोत्तरी होने के क्या कारण हैं ? सरकार इसके लिये जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

आलोच्य अवधि में पुलिस हिरासत में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

विगत वर्ष की आलोच्य अवधि में पुलिस हिरासत में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । अतः कथित अवधि में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है ।

आलोच्य अवधि में पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटनाओं की जांच प्रचलित है तथा जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 12 पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया जा चुका है ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम दोहरी घाट डिपो पर तैनात क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नजायज चेक पोस्ट बनाने व धन वसूली की शिकायत

23–श्री अफजाल अहमद–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि राज्य सड़क परिवहन निगम के दोहरीघाट डिपो पर तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने नाजायज धन वसूली के उद्देश्य से मर्यादपुर में नाजायज चेक पोस्ट बना रखा है जिससे रोडवेज की आय प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मथुरा थाना कोतवाली मथुरा के कतिपय मुल्जिमों के विरुद्ध दि० 22-1-98 को प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिये पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के थाना कोतवाली मथुरा में अपराध कागजी होकर मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/7375/मथुरा/98, दिनांक 22-1-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कार्यवाही प्रचलित है ।

जनपद–मथुरा थाना जमुनापार के थानाध्यक्ष एवं सब-इन्सपेक्टर के भ्रष्टाचार के संबंध में विधायक कोष्टक द्वारा दि० 31-1-98 को महानिदेशक, पुलिस को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के पुलिस थाना जमुनापार के थानाध्यक्ष एवं सब-इन्सपेक्टर के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–5/7477/मथुरा/98, दिनांक 31-1-98 महानिदेशक, पुलिस के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर पुलिस अधीक्षक, मथुरा से जांच कराई गई । उक्त जांच के आधार पर घटित घटना के संबंध में प्राथमिकी अंकित न किये जाने के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी स्तर पर जांच लम्बित है ।

कानपुर नगर में बन्धना चेक पोस्ट कम रोडवेज बस स्टाप पर मेल बसें रोके जाने हेतु आदेश देने की मांग

26–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि कानपुरनगर में वन्धना चेक पोस्ट कम रोडवेज बस स्टाप पर लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर डिपो की मेल बसें नहीं रुकती हैं, जिससे जनता को परिवहन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चेक पोस्ट पर मेल बसें रोके जाने के आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सभी साधारण बस सेवाएं बन्धना पर रुकती हैं, जिससे जनता को परिवहन सेवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। केवल एक्सप्रेस बस, जिसकी संख्या केवल एक है, नहीं रुकती है।

जी नहीं।

साधारण बसों से जनता को परिवहन सुविधा भली-भांति उपलब्ध है।

19 अप्रैल, 1997 में गठित भारत नेपाल सीमा पुलिस में विध्वंसात्मक गतिविधियों से मुकाबला करने हेतु सैनिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

27—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि 19 अप्रैल, 1997 में गठित भारत नेपाल सीमा पुलिस में विध्वंसात्मक गतिविधियों से मुकाबला करने हेतु पूर्व सैनिकों को नियोजित किये जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या मध्य कमान मुख्यालय में ले० जनरल एस० एस० सांगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सिविल मिलेट्री ताल-मेल सम्मेलन में मुख्य मंत्री जी ने उक्त घोषणा पुनः की थी ? यदि हां, तो वर्तमान में ग्यारह हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती में भारत-नेपाल सीमा पुलिस के लिये कितने पद रिक्त हैं उन पर कितने पूर्व सैनिक नियुक्त किये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कानपुर की पुलिस चौकी बन्धना के श्री उदय नारायण शुक्ल निवासी बम्हनियान की इमारत के किराए के संबंध में जानकारी

28–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की पुलिस चौकी वन्धना श्री उदय नारायण शुक्ल पुत्र श्री शिव बालक राम शुक्ल निवासी बम्हनियान की इमारत में स्थापित है ? इन्हें विगत पांच वर्षों से किराया नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मकान मालिक ने उक्त भवन को खाली कराये जाने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

शासन द्वारा प्रकरण में स्थिति स्पष्ट कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को दे दिए गये हैं।

जिला एटा के थाना अमांपुर में दि० 26-5-98 को पंजीकृत हुए अपराध से सम्बन्धित अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में जानकारी

29–श्री नेतराम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिले के थाना अमांपुर में दिनांक 26-5-98 को अ०सं०–104/98 धारा 364 ए भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक किस-किस अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ? कौन-कौन अपराधी ऐसे हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है ? उन अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वास्तविक घटना फरीदाबाद (हरियाणा) में घटित होने के कारण संदिग्ध अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य एवं पूछताछ की कार्यवाही/विवेचना अभी प्रचलित है ।

30–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 29-6-98 को अता०प्र०सं०–6 द्वारा उत्तरित]

31–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 29-6-98 को अता०प्र०सं०–6 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर के उतरौला में गैण्डासबुजुर्ग सादुल्ला नगर के विकास कार्यों के लिए स्वीकृति धनराशि का विवरण

32–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी विभाग, उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह लि० (पैक्स पेड) को वित्तीय वर्ष 1997-98 में किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी है ? क्या सरकार स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत धनराशि की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये निम्न स्तरीय कार्यों की स्थलीय जांच टेक्नीकल आडिट सेल से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में गैण्डासबुजुर्ग सादुल्लानगर मार्ग से मगई बनकटिया होते हुये मितवरिया तक मिट्टी/पुलिया के लिये रु० 4.99 लाख की धनराशि पैक्सफेड गोण्डा को प्राप्त हुई ।

स्वीकृत कार्य एवं इस हेतु स्वीकृत धनराशि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ।

जी नहीं, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रारम्भिक जांच में कार्य अपूर्ण पाया गया तथा कार्य में कुछ कमियां पाई गई । मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं । अतएव इस समय किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद–बलरामपुर के तहसील उतरौला में निम्नस्तरीय मार्ग निर्माण की जांच आख्या पटल पर रखने की मांग

33–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-5-98 और 15-5-98 के बीच में उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन और शीतगृह लि० (पैक्स पैड) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा जनपद बलरामपुर के तहसील

उतरौला में निम्न स्तरीय मार्ग निर्माण की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच आख्या सदन के पटल पर रखते हुए मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने पर इसमें पाये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रबन्ध निदेशक द्वारा उतरौला बाजार में तहसील चौराहा से आसाम रोड तक एक कि०मी० लम्बी निर्माणाधीन सड़क के कार्य का निरीक्षण किया गया था ।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वयं कोई जांच नहीं की गयी थी, अतएव यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री भारत सिंह रावत–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य मंत्री सुरक्षा में नियुक्त अंगरक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता एवं सम्मिलित निरीक्षक एवं आरक्षियों की संख्या की जानकारी

35–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सुरक्षा में नियुक्त अंगरक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने अंगरक्षकों को ? क्या सरकार बतायेगी कि अंगरक्षक संवर्ग में कुल कितने अंगरक्षक हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि अंगरक्षक संवर्ग के जिन अंगरक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

29 अंगरक्षकों को ।

अंगरक्षक संवर्ग में 153 अंगरक्षक के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 6 निरीक्षक, 25 उप निरीक्षक 23 मुख्य आरक्षी एवं 99 आरक्षी सम्मिलित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–जौनपुर के मा० विधायक श्री बांकेलाल सोनकर के धान बीज आपूर्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री अफजाल अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विधायक श्री बांके लाल सोनकर ने जौनपुर में धान बीज आपूर्ति हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-98 आपको मिला ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जौनपुर में धान बीज आपूर्ति के संबंध में माननीय विधायक श्री बांके लाल सोनकर का पत्र दिनांक 6-4-98 प्राप्त हुआ है, परन्तु इस संबंध में माननीय विधायक श्री अफजाल अहमद का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

माननीय विधायक श्री बांके लाल सोनकर के पत्र दिनांक 6-4-98 में उल्लिखित मिहरावा, मानीकला, कुहियां, मनेछा और जैगहां समितियों को महसूरी धान बीज की आपूर्ति करा दी गई है। खलीलपुर जपटापुर एवं जमदहां समितियों की ऋण सीमा अवरुद्ध होने के कारण इन्हें धान बीज की आपूर्ति नहीं कराई जा सकी। सोंगर नाम,की समिति जनपद में कार्यरत नहीं है। मालवीय धान बीज विभाग को आवंटित न होने के कारण उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकी।

जहां तक उर्वरकों की आपूर्ति का प्रश्न है, जनपद में माह जून में डी०ए०पी० प्राप्त हुई है जिसकी आपूर्ति अर्ह समितियों को कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–हरदोई के मोहल्ला सरायथोक में स्थित भवन के अवैध निर्माण करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के मोहल्ला सरायथोक (प०) में स्थित भवन संख्या 342/1, 342/2 तथा 342/3 के रद्द मानचित्रों पर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोकने हेतु दिनांक 17-9-97 को कोतवाल, सदर को प्राधिकारी विनियमित सेल/एस०डी०एम० सदर ने पत्र भेजा था तथा प्लास्टर तक रोकने को निर्देशित किया था ? यदि हां, तो उसके पश्चात् दिनांक 21-2-98 तथा 6-4-98 को क्या अवैध रूप से स्लेप डालने व अन्य निर्माण कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो प्राधिकारी विनियमितसेल/एस०डी०एम० सदर हरदोई के आदेशों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गोण्डा के थाना परसपुर के पूरे तिवारी में गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जे का उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण की जानकारी

38–श्री मेजर जगत पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज थाना परसपुर ग्राम सभा पूरे तिवारी में गरीबों की भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के लिये प्रमुख सचिव, गृह का पत्र संख्या 3459 नवम्बर, 1995 को जिलाधिकारी, गोण्डा एवं दिनांक 2-9-96 पत्र सं० 133063 डी०आई०जी० फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में जिला अधिकारी गोण्डा ने यह अवगत कराया है कि यह प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के दूसरे सोमवार के अता० प्र० सं०–67 में मृतक की पत्नी सुश्री रूमालिया की सहायता विषयक आवेदन पर सावधानी बरतने के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के करने की मांग

39–श्री राजीव कुमार सिंह–

विधान सभा के वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के दूसरे सोमवार के अता०प्र०सं० 67 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दावा किस न्यायालय में है ? उसका वाद संख्या और

पेश करने की तिथि क्या है ? क्या मृतक परिवार को सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक की पत्नी सुश्री रुमालिया का आवेदन तहसील को समय से भेजा गया ? यदि हां, तो प्रेषण का क्रमांक/दिनांक क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त लापरवाही के लिये दोषी को क्या दण्ड देने की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सहायता कब तक प्राप्त करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में सब रजिस्ट्रार के आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती किये जाने के विरुद्ध जांच

40–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० लोक सेवा आयोग की त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले राजपत्रित पदों पर किसी विभागाध्यक्ष को स्वेच्छा से भर्ती/नियुक्ति का प्राधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या शासन को यह जानकारी है कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग की त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के भर्ती किये जाने वाले सब रजिस्ट्रार के आरक्षित (सीधी भर्ती के लिये) पदों के विरुद्ध विभागीय कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति पूर्व महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा कर दी गयी है ? जबकि उ० प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 23 अधिकारी छः हफ्ते के मानक प्रशिक्षण के पश्चात् प्रतीक्षारत हैं ? क्या उक्त सम्पूर्ण प्रकरण के लिये दोषी अधिकारी के खिलाफ शासन कठोर कार्यवाही तथा विभागाध्यक्षों के अधिकारों की समीक्षा करके उन्हें लोकहित में सीमित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावांछित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फूल चन्द्र यादव द्वारा गृह सचिव कार्यालय में अपने पद का दुरुपयोग करने के संबंध में श्री रामचन्द्र मौर्य सदस्य विधान सभा का दिनांक 24-3-98 के शिकायती पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र मौर्य, सदस्य, विधान सभा का कोई शिकायती पत्र दिनांक 24-3-98 फूल चन्द्र यादव द्वारा गृह सचिव कार्यालय में होमगार्ड के पद पर कार्यरत होने के फलस्वरूप अपने पद प्रभाग का दुरुपयोग करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होम गार्डस राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

इस प्रकार का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

पूरे प्रदेश में इस वर्ष आईपी०एस० तथा पी०पी०एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं विभिन्न स्थानों पर की गयी नियुक्तियों का विवरण

42–श्री अम्मार रिजवी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस वर्ष आई० पी० एस० तथा पी० पी० एस० के कितने अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया ? इसमें से कितने अधिकारियों का स्थानान्तरण नीति के अनुससार किया गया ? क्या यह सही है कि विभिन्न स्थानों में जिनकी नियुक्तियां की गयी उन्हें एक साल में वहां से पुनः स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1998 में अब तक 206 आई०पी०एस० तथा 389 पी०पी०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। उक्त स्थानातरण अधिकारियों की उच्च वेतनमान में प्रोन्नतियों, प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा जनहित में किये गये हैं। उक्त स्थानान्तरण में कतिपय ऐसे अधिकारी भी सम्मिलित है जिन्हें एक साल में वहां से पुनः स्थानान्तरित किया गया। ऐसा जनहित में किया गया है।

श्री राजकुमार सिंह निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान उ० प्र० के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

43–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक,सतर्कता अधिष्ठान, उ० प्र० को सम्बोधित श्री राजकुमार सिंह, प्रवक्ता (भौतिकी) राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के सम्बन्ध में स्पीड पोस्ट से भेजा गया श्री के० के० श्रीवास्तव, मण्डलीय मंत्री उ० प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ फैजाबाद श्री देवीपाटन मण्डल का पत्र दिनांक 27-4-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के बिन्दु क्या हैं ? बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है ? उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

शिकायत कर्ता श्री के० के० श्रीवास्तव ने अपने उक्त पत्र में श्री सिंह के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट परीक्षा (1998) में केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नकल अध्यादेश की धज्जियां उड़ाने सम्बन्धी दैनिक समाचार पत्र (स्वतंत्र भारत) में दिांक 13-4-98 को प्रकाशित समाचार की कतरन अवलोकनार्थ प्रेषित करते हुए इसे श्री सिंह के विरुद्ध पूर्व शिकायतों की जांच में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त शिकायती पत्र श्री राजकुमार सिंह के विरुद्ध पूर्व आदेशित जांच में सम्मिलित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन को, दिनांक 27-6-98 को अभिदिष्ट कर दिया गया है।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, सीमेन्ट कारपोरेशन में जो भयानक स्थिति पैदा हो गयी है। .....

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। अपना स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्य सदन के वैल में आ गये)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 जुलाई, 1998 को सदन के ज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। पहली सूचना डा० राम बाबू हरित की, दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव, तीसरी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र, चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, पांचवीं सूचना श्री महेन्द्र पाल निषाद, छठवीं सूचना श्री मुरलीधर और सातवीं सूचना श्री समर पाल सिंह की है। शेष श्री अजय कुमार पोइया, श्री राम नरेश यादव, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री बाबू लाल, श्री राजेन्द्र यादव, श्री भारत सिंह रावत, श्री कैलाश यादव, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री तेजभान सिंह, श्री श्रीराम पाल, श्री जोखू लाल यादव, और श्री राम औतार शाक्य की सूचनाएं अस्वीकृत की गई।

(घोर व्यवधान)

(डा० धर्मज्ञ मिश्र रिपोर्टर्स टेबुल पर चढ़ गये। कई सदस्य नारे लगाते रहे)

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी ।)

आगरा महानगर के नालों की सफाई एवं नालों से निकली हुई शिल्ट को बाहर फेके जाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, आगरा महानगर में लभग 200 मलिन बस्तियां हैं जिसमें अधिकाधिक संख्या आगरा पश्चिमी क्षेत्र की हैं । ज्यादातर गरीब श्रेणी के लोग नालों के किनारे बसे हुये हैं । इन लोगों के मकान कच्चे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाते हैं । आगरा में नालों की सफाई नियमित रूप से न होने के कारण 8–8, 10–10 फिट गहरे नाले शिल्ट की तह से भर गये हैं । बरसात में पानी का बहान न होने से नाले के आस-पास के क्षेत्रों में गंदा पानी भर कर जम जाता है । उदाहरण स्वरूप जोशियान में यह नाला जगदीशपुरा होते हुए पुलस छिंगा मोदी से रेलवे क्रासिंग सिन्धी कालोनी, नगला पुरा से होकर जा रहा है लेकिन इस नाले की सफाई विगत 20 वर्षों से न होने के कारण बरसात में यहां पर काफी मात्रा में पानी भर जाता है जिससे गरीब लोगों के कच्चे घर टूट कर गिर जाते हैं । बाद में दुर्गन्ध, कीचड़ व गंदगी के कारण मच्छर/मक्खी आदि से भयानक प्रकोप से बीमारी फैलती रहती है । यहां पर अतिशीघ्र महामारी रोकने हेतु नाले की सफाई कराने की अति आवश्यकता है तथा नाले से निकली हुई शाल्ट को बाहर फेंकने हेतु नाले के किनारे एक 10 फिट रोड बनाने की अति आवश्यकता है ।

अतः आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस नाले की सफाई कराने व मलवे को निकाल कर अन्यत्र फेंकने हेतु नाले के किनारे एक डामर रोड बनाकर समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें ।]

आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा मंझारी के पास विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुए यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मंझारी बाजार के आस पास के लगभग 50 गांव ऐसे हैं जहां विद्युत बोल्टेज बहुत ही कम है क्योंकि वहां बीस कि०मी० के अन्तर्गत कोई भी सब-स्टेशन नहीं है । पुरानी बिजली की लाइने है प्रायः अत्यधिक विद्युत भार के कारण लाइनें क्षतिग्रस्त रहती हैं । सोफीपुर विद्युत सब स्टेशन उक्त स्थान से लगभग 20 कि०मी० एवं फूलकर विद्युत सब स्टेशन लगभग 25 कि०मी० है। दूरी अत्यधिक होने के कारण प्रायः विद्युत अवरोध हुआ करता है जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता रहता है । मंझारी बजार के पास नया विद्युत सब-स्टेशन के बन जाने से उस क्षेत्र के पचासों गांव विद्युत की समस्या के उबर सकेंगे तथा पिछड़ी एवं गरीब जनता भी अपनी कृषि कार्य एवं दैनिक कार्य सुचारु रूप से चला सकेंगे ।

अतः मा० अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि आजमगढ़ विधान सभा में मंझारी बाजार के पास एक विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परौली एवं ग्राम बाण के मध्य सई नदी पर पुल का निर्माण कराने एवं माधोगंज से ग्राम परौली वाया कुरसठ तक डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम परौली एवं ग्राम बाण के मध्य सई नदी पर पुल का निर्माण एवं माधोगंज से ग्राम परौली वाया कुरसठ तक डामरीकरण कराते हुए रोड के निर्माण की मांग शासन प्रशासन से वर्ष 1989 से करता चला आ रहा हूं परन्तु अभी तक न तो पुल का निर्माण हुआ और न ही सड़क ही बन सकी है उक्त परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय विभाग विकास जन आन्दोलन समता द्वारा चलाया जा रहा है तथा पुल निर्माण स्थल पर 18 फरवरी, 1996 से क्षेत्रीय जनता द्वारा क्रमिक अनशन भी चलाया जा रहा है । यह आन्दोलन उग्र रूप धारण कर रहा है तथा क्षेत्र की जनता में क्षोभ व आक्रोश भी बढ़ रहा है । क्षेत्रीय प्रधानों एवं नगर पंचायत कुरसठ की अध्यक्षता तथा श्री जगदीश त्यागी व उनका पूरा परिवार 15 अगस्त को आत्मदाह करने का संकल्प भी कर लिया है । सई नदी पर परौली एवं बाढ़ के मध्य पुल निर्माण हेतु तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के पत्र सं०–4974/90 दिनांक 16-6-90 एवं लो०नि०वि० बिलग्राम, जनपद हरदोई का पत्र सं०–40/लो०नि०वि० भी मुझे प्राप्त हुआ था तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड दो हरदोई द्वारा पत्रांक 357/सी–1/6 जून, 1997 के अनुसार प्रारम्भिक आगणन 197/- लाख का बनाकर मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र को भेजा गया था ।

अभी इस संबंध में मैंने विधान सभा में नियम 51 के माध्यम से तथा नियम 65 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं । मा० लोक निर्माण मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि शीघ्र ही पुल का शिलान्यास करूंगा परन्तु अभी तक पुल व सड़क का निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकी है न ही अभी वित्तीय स्वीकृति ही प्राप्त हुई है तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करा दी जाय जिससे पुल सड़क का निर्माण प्रारम्भ हो जाय ।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है पुल के न बनने से जनजीवन को खतरा उत्पन्न है इसलिये सदन के संज्ञान में पुनः लाना अति आवश्यक है । सदन की समस्त कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं । जिसे पुल व सड़क का निर्माण हो सके ।]

मेरठ महानगर की राशन की दुकानों को उनके कार्य क्षेत्र में रखने एवं व्यवस्था में सुधार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[महोदय, मेरठ महानगर में लगभग 40 प्रतिशत राशन की दुकानें अपने कार्य क्षेत्र से लगभग 1 से 2 कि०मी० दूर पर स्थित है, सामान्य गरीब उपभोक्ता परिवारों की महिलाओं तथा बच्चों को गम्भीर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है । इसकी आड़ में दुकानदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । आम गरीब उपभोक्ता को निर्धारित मात्रा में, चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल नहीं मिल पा रहा है ।

बहुत से क्षेत्रों में राशन की दुकानें नहीं हैं, निलम्बित चल रही हैं निरस्त हो गई हैं । नई दुकानों के आवंटन का कार्य कुछ भ्रष्ट राशन दुकानदारों के षड़यंत्र से एक व्यक्ति न्यायालय स्थगनादेश लेकर अवरुद्ध कर दी है, मेरठ के आपूर्ति विभाग ने अभी तक स्थगनादेश को समाप्त कराने की प्रभावी कार्यवाही नहीं की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं राशन दुकानों को उनके कार्य क्षेत्र में ही स्थापित करने, नई दुकानें के आवंटन की कार्यवाही संबंधी स्थगनादेश को समाप्त कराकर आवंटन करने तथा शेष रिक्त सूची दुकानों का विज्ञापन आदि की नियमानुसार प्रक्रिया कर प्रार्थना-पत्र लेकर आवंटन की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत सैमरी नाले पर बन रहे पुल में पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य के पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र पाल निषाद–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जनपद बांदा विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत बांदा फतेहपुर मार्ग में सैमरी नाले पर बन रहे पुल में पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य पूरा न होने से आवागमन पूर्णतः ठप्प हो गया है विभागीय अधिकारियों द्वारा अस्थाई पहुंच मार्ग के निर्माण में भारी अनियमिततायें की गयीं बारहमासी लेबर से काम कराया गया तथा फर्जी मास्टर रोल बनाकर पैसा निकाल लिया मेरी शिकायत पर जांच जिला विकास अधिकारी, बांदा को दी गयी जो दोषी अधिकारियों से मिल गया है क्षेत्रीय प्रधानों को दबाकर मास्टर रोल सत्यापित करा रहा है। पुल का निर्माण पूरा होने से पहले ही उक्त अस्थाई पहुंच मार्ग के टूट जाने से मार्ग 7 दिन मार्ग अवरुद्ध हो गया है हजारों यात्री तिन्दवारी से बांदा पैदल जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ट्रक बसों का 7 दिन से जाम लगा है जिससे जनता में आक्रोश तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर सभी कार्यों को रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद फतेहपुर के ब्लाक विजयीपुर में अवर अभियन्ता जल निगम द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर–

[महोदय, मैं आपकी कृपा पूर्ण अनुमति से शासन का ध्यान 262 किशुनपुर विधान सभा जनपद फतेहपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। ब्लाक विजयीपुर में हैण्डपम्प इण्डिया मार्का स्थापित करने हेतु जल निगम का जे० ई० तैनात किया गया है जो लगभग 4 वर्षों से सेवारत है। जो क्षेत्रीय जनता से हैण्डपम्प लगाने के नाम से 2 हजार से लेकर 5 हजार तक रुपये अवैध रूप से वसूल करता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थल चयन करने के बाद भी चयनित स्थान में न स्थापित कर जिससे रुपये पाता है उसी के मकान के सामने हैण्डपम्प स्थापित कर देता है। जिलाधिकारी, फतेहपुर के हस्तक्षेप के बाद भी उक्त अवर अभियन्ता मनमानी कर रहा है। विजयीपुर ब्लाक से स्थानान्तरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कर दिया गया है लेकिन आज की तारीख में वर्कचार्ज नहीं छोड़ा है।

अस्तु मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि वर्ष 1997-98 के साथ-साथ विजयीपुर ब्लाक में पूरे सेवा काल की जांच उच्च स्तरीय टी० ए० सी० द्वारा कराने का कष्ट करें। जिससे जनता की गाढ़ी कमाई की धनराशि चोरी होने से बचाया जा सके एवं अवर अभियन्ता फारूक नसीर तथा साथ में सम्मिलित दलालों के नाजायज कृत्यों का पर्दाफाश हो सके एवं दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा सके।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाक्षागृह, बरनावां, (बागपत) को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री समर पाल सिंह–

[महोदय, बागपत जनपद में बरनावां में महाभारत कालीन लाक्षागृह के अवशेष अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं । कहा जाता है महाभारत काल में इसी लक्षागृह में कौरवों ने पाण्डवों को जलाने का प्रयास किया था । धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का यह स्थान सरकार एवं प्रशासन की उपेक्षा के कारण दण्डनीय स्थिति में है । जब कि यहां पर वर्ष भर में लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं ।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लाक्षागृह, बरनावां (बागपत) को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13-7-98 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई । डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की आय-व्ययक की कतिपय अनुदान की मांगों के बारे में "विवाद नहीं होगा" का उल्लेख किये जाने के बारे में है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–188 में यह उल्लेख है कि अनुदान की मांगें ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेंगी जैसा कि सदन के नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें । अब तक प्रचलित परम्परा के अनुसार कतिपय अनुदान की मांगों पर विवाद नहीं होता है । मेरे विचार से उक्त परम्परा का निर्वाह किया जाना चाहिए । दूसरी सूचना श्री राम ललित चौधरी की विभिन्न संगठनों द्वारा हड़ताल की पर्याप्त सूचना दिये जाने के बावजूद सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने के बारे में है । इसको सुना नहीं जायेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13-7-98 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है । (व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । इस तरह से व्यवधान है तो मैं सदन की कार्यवाही 12.45 तक के लिये स्थगित करता हूं । उसके बाद भी व्यवधान होता है मैं आगे की कार्यवाही एजेन्डे के हिसाब से शुरू कर दूंगा ।

तत्पश्चात् 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है ।

1.00 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

(1 बजकर 30 पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रार्थना की थी मैंने नियम 311 में नोटिस दे रखी है, उसके लोक महत्व को देखते हुए उस पर चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मद संख्या–7 ले लिया था लेकिन उसकी पहली सूचना प्रारम्भ नहीं हुई थी ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम 311 में जो विषय उठाया गया है कदाचित उससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी ग्राह्यता के बारे में एक-एक दल के माननीय सदस्य को सुन लेता हूं उसके पश्चात् सरकार का उत्तर आ जायेगा आपसे अनुरोध है कि शांतिपूर्वक ढंग से उसे सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर सदस्य संख्या के आधार पर थोड़ी संख्या बढ़वा दें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, यह तो चर्चा हो जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सत्य प्रकाश सोनकर जी से सम्बन्धित है पहले इन्हें सुन लें । इनके जिले का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

अम्बिका जी, पहले आप प्रारम्भ करें अगर आवश्यकता महसूस होगी तो सोनकर जी को सुन लेंगे।

विधान भवन के सामने धरने पर बैठे डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के एक कर्मचारी की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 9 जुलाई से सीमेन्ट कारपोरेशन के चुर्क, डाला और चुनार सीमेन्ट फैक्ट्रियों के मजदूर विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं । मान्यवर, हजारों की संख्या में यह मजदूर धरने पर बैठने के लिये बाध्य हैं क्योंकि उनको विगत 10 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी और इन 10 महीनों में मजदूरों की हालत यह हो गयी थी कि जिसके घर में जो कुछ था वह बेंचकर समाप्त हो गया और खाने के बिना यह मजदूर और उनके परिवार के लोग मरने लगे । दवाई के बिना उनके आश्रित और उनके परिवार के लोगों में उनकी मां, पिता और परिवार के दूसरे सदस्य मरने लगे । इन मजदूरों के परिवारों की कुछ सदस्यों की संख्या जोड़ी जाए जो भूख से मरे हैं तो वह सैकड़ों में होगी यह मजदूर लगातार अपनी मांग को रखते चले आ रहे थे अन्ततः यह मजदूर 9 तारीख से धरने पर बैठे 9 तारीख की शाम को स्थिति गम्भीर हो गयी थी और यह संवेदनहीन सरकार उस दिन तैयारी में थी उनको लाठियों और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गोलियों से हटा दिया जाए ऐसी स्थिति में मान्यवर, मजबूरी में जब यह स्थिति आयी तो इस सदन में 9 तारीख की शाम को नियम 311 में यह सवाल उठाते हुए इस बात को रखा गया था और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि मजदूरों की सुरक्षा की जायेगी तो यह आलम हुआ कि भूख के बिना मर गये और पानी के बिना मरने का इन्तजाम कर दिया पिछले दिनों वहां से टैंकर आपने हटवा दिया भागवत नाम का मजदूर चुनार फैक्ट्री में था उसकी मृत्यु हो गयी और 10–12 लोग अस्पताल ले जाये गये और सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर थे उनकी हालत गम्भीर हो गयी उनकी मांग है कि उनको 10 महीने की तनख्वाह दे दी जाए और फैक्ट्री को न बन्द किया जाए और उसके चलने का इंतजाम किया जाए। मान्यवर, जब लोग पीड़ित होते हैं, कठिनाई में होते हैं तो धरना देने के लिये चले जाते हैं लेकिन यह पहला अवसर है जब धरना देने वाले की मृत्यु सरकार की उदासीनता, क्रूरता के कारण हो गयी है यह पहली स्थिति है जिससे पूरा प्रदेश सन्न रह गया है और बहुत गम्भीर स्थिति है। मैं मांग करता हूं कि जिस कर्मचारी की कल यहां मृत्यु हुई है और एक मजदूर का पुत्र विवेक जो आन्दोलन में आ रहा था की राबर्ट्सगंज के पास ट्रेन से कटकर मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपये का सरकार मुआवजा दे और उनके 10 महीने के वेतन का तत्काल भुगतान किया जाय तथा समस्त मिलों का चलना सुनिश्चित किया जाय, सरकार इन्हें कार्यशील पूंजी दे। इस लोक महत्व के प्रश्न पर इसकी अविलम्बनीयता को देखते हुए, सभी नियमों को निलम्बित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं आपका ध्यान डाला, चुर्क, चुनार फैक्टरियों के कर्मचारियों में जो व्यापक असंतोष है, वेतन न मिलने से और जो इन फैक्टरियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है उस परिपेक्ष्य में आकृष्ट करना चाहता हूं। आज 10 महीने से वहां के कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे हैं, फलस्वरूप उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना, दवा आदि सभी अव्यवस्थित हो चुका है, यह लोग भुखमरी और मरने की कगार पर हैं, अपनी रोजी-रोटी के खतरे को देखते हुए यह लोग विधान सभा के सामने धरने पर थे। हजारों मजदूर 4 दिन से डेरा डाले रहे, उसकी परिणति एक मजदूर की शहादत से कल देखने को मिली। यदि समय रहते कुछ कारगर कदम सरकार ने उठाये होते तो वह मजदूर शहादत को प्राप्त न हुआ होता। मान्यवर, कल मैं अस्पताल में गया था, वहां एक दर्जन मजदूर मृत्यु-शैय्या पर पड़े थे, उन लोगों को भी सरकार की उपेक्षा के कारण अस्पताल में जाना पड़ा। मान्यवर, आज उन लोगों के साथ केवल 10 महीने का वेतन न मिलने का मामला ही नहीं है, बल्कि डाला, चुर्क, चुनार फैक्टरियों में जो हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी का खतरा इसलिये पैदा हो गया है, क्योंकि वह सभी कारखाने बीमार घोषित किये जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मजदूर 15–20 साल काम कर चुके हैं, अब उसके सामने रोजी-रोटी का खतरा आ गया तो उसके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई कैसे चलेगी, परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण कैसे होगा यह मामला और भी गम्भीर है। इन कारखानों की इस स्थिति के लिये मजदूर दोषी नहीं हैं, बल्कि इसके लिये वहां का प्रबन्धतंत्र दोषी है, जिसके भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर समय-समय पर सरकार द्वारा अंकुश लगाया गया होता, निगरानी रखी जाती तो शायद आज बीमार घोषित होने की स्थिति इन कारखानों की नहीं आती। मान्यवर, इसी परिपेक्ष्य में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन कारखानों की बीमार और जर्जर होने की स्थिति क्यों आई ? हमेशा-हमेशा से यह जो निगम हैं, वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं, जो निदेशक मण्डल था, जो उनके अधिकारी थे, उन गलत नीतियों के कारण उनकी अक्षमता के कारण यह निगम अपनी क्षमता को कभी प्राप्त नहीं कर पाये, जिससे आज भी वह अपने प्रोडक्शन को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। सरकार को चाहिए था कि जो लोग दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करती, लेकिन इस सरकार ने उल्टे मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषयान्तर हो रहा है । यह चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज हजारों मजदूर रोटी के लिये मोहताज हो रहे हैं । सरकार की आंख के सामने मजदूर धरना पर बैठे हैं, उनके पास बच्चों की फीस देने के लिये पैसे नहीं हैं, उनका जीवन अंधकार में हो गया है, यह कैसे चलेगा, सरकार को इस पर सोचना है । डाला, चुर्क और चुनार फैक्टरियां जब चलेंगी तभी होगा । सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि यह मामला हाई कोर्ट में है, यह भी सरकार की लापरवाही है । अगर समय-समय पर कदम उठाये गये होते तो यह न होता । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इन हजारों मजदूरों के लिये कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाये जिससे कारखाने को चलाने की व्यवस्था हो और मजदूरों का भविष्य अंधकारमय होने से बचायें ।

श्री राम नरेश यादव–*

मान्यवर, डाला, चुर्क और चुनार के मजदूर यहां पर संघर्षरत हैं, यह एक दिन का मामला नहीं है, 10 महीनों से यह चल रहा है । विवश होकर उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है । पहली बार विधान सभा के सामने सारे मजदूर और उनके परिवार के लोग और छोटे-छोटे बच्चे धरना दे रहे हैं । मांग उनकी यह है कि इन फैक्टरियों को चलाया जाय और जो वेतन बकाया है वह दिया जाये, जब उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनकी स्थिति क्या होगी, यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । अगर वह इस रास्ते का न अख्तियार करते, तो दूसरा रास्ता उनके लिये क्या हो सकता था, इस जनतंत्र में दूसरा उपाय उनके लिये क्या हो सकता था ? सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी है और आज तक उनके मामले की सुनवाई करने को तैयार नहीं है । समाचार पत्रों में यह बात आयी कि समझौता हो गया है, लेकिन आज मैं सुबह उनके पास गया था तो पता चला कि वह धरने पर हैं, धरना तोड़ा नहीं है । इससे महत्वपूर्ण और कोई सवाल नहीं हो सकता है । यह जो स्थिति आयी है, बहुत गम्भीर प्रश्न है । इस मामले पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार का नैतिक रूप से दायित्व है कि मजदूरों की समस्या का समाधान करें ऐसे समय में जब एक मजदूर की मृत्यु हो गयी हो और कई लोग अस्पताल में पड़े हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने निवेदन है कि यह कार्य-स्थगन का मामला है इस पर चर्चा करायें, मजदूरों को दस महीने से उनका वेतन नहीं मिला, उनके वेतन देने की व्यवस्था की जाए । जो मरे हैं और जो घायल हैं उनकी उचित व्यवस्था की जाएं । यह केवल मजदूरों का मामला नहीं है यह मानवता के खिलाफ भी है । वह मजदूर जिसको दस महीने से मजदूरी न मिली हो वह कैसे अपने बच्चों को खिलायेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ायेगा ? यह तात्कालिक भी है और लोक महत्व का भी है इस पर चर्चा करायें ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस महीने की 12 तारीख को यहां विधान सभा के सामने एक मजदूर ने दम तोड़ दिया और आजादी के बाद पहली बार विधान सभा के सामने जब सत्र चल रहा हो उसमें एक आदमी दम तोड़ दे यह सरकार अपने को संवेदनशील होने का दम भरती है । पारदर्शी अपने को बताती है । लेकिन बड़ी तकलीफ होती जब उन मजदूरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है और इनके कान में जूं नहीं रेंगता । करीब 3000 मजदूर डाला सीमेंट फैक्टरी के 1500 चुर्क के और 1000 चुनार के लगभग 6-7 हजार मजदूर यहां पर धरना दे रहे थे । उनकी मांग सिर्फ यह थी कि हमें जहां वह नौकरी कर रहे हैं जो सरकारी फैक्टरी है वह वेतन दे । यह उनकी सिर्फ मांग थी । थोड़े दिन पहले महंगाई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है इस महंगाई के दौर में दस महीने यदि किसी को वेतन नहीं मिले और वह कैसे जिंदा रहे यह सोचने की बात है । एक मजदूर भागवत का इन्तकाल हो गया । आपने आज तक सुना नहीं होगा कि इस तरह धरना देते समय भूख से दम तोड़ दे और एक अहमद शाह नाम का आदमी बेहोश पड़ा है और अस्पताल में मौत से जूझ रहा है । कई लोग परेशान हैं । भूख से तड़प रहे हैं और यह सरकार कहती है कि यह फैक्टरी सिक हो चुकी है । अगर सिक हो गयी है तो इसके लिये जिम्मेदार सरकार है । सरकार को सोचना चाहिए था कि इसकी उचित व्यवस्था करें, जब 9 तारीख को बात हो रही थी उस वक्त सोचना चाहिए था यह पारदर्शी होने की बात करते हैं । जो बात उन्होंने उसके मरने के बाद की वह शायद पहले कर देते तो उसकी मौत न होती । मजदूर अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे हैं और सरकार उनको रोटी देने को तैयार नहीं है उनका कमाया हुआ वेतन देने को तैयार नहीं है इसलिए इस सारे प्रकरण पर चर्चा करायी जाए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मेरे पूर्व वक्ता मा० सदस्यों ने बात कही ,

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

इस प्रकरण की ग्राह्यता पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, श्रीमन्, यह प्रकरण लोक महत्व का है, तात्कालिक है और ज्वलंत है इस पर चर्चा आवश्यक है । श्रीमन्, आप अवगत होंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में और विशेषकर मजदूर आन्दोलन के इतिहास में यह पहली अपने ढंग की घटना है जिसमें मजदूरों का जमावड़ा इस प्रजातंत्र के पवित्र मंदिर विधान सभा के समाने हुआ हो और एक मजदूर ने पुलिस डंडों से नहीं दम तोड़ा हो बल्कि महात्मा गांधी के दिखाये हुए रास्ते पर उपवास करते हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर मजदूर का निधन हो गया । जिसका विश्वास गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर हो । धरना पर बैठे मजदूरों का विश्वास था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहेंगे तो शायद सरकार का पाषाण हृदय पिघलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और श्रीमन्, यह पहली घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुई है जब मजदूर भागवत ने भूख से अपना दम तोड़ दिया । विवेकानन्द चौबे नाम के श्रमिक ने राबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन पर अपना दम तोड़ दिया जब वह 9 तारीख के धरने में भाग लेने के लिये आ रहा था । अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो 9 तारीख से धरने पर डाला, चुर्क, चुनार के तकरीबन 55 सौ कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, अगर संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों में उसकी आस्था होती तो पहले ही दिन सरकार द्वारा समझौता वार्ता की गयी होती या दूसरे दिन की गई होती लेकिन सरकार के कान तब खड़े हुए जब भागवत की मृत्यु हो गई । हर हाथ को काम हर खेत को पानी यह नारा भाजपा का है यह सरकार हर हाथ को काम तो नहीं दे रही है लेकिन साढ़े पांच हजार लोगों के हाथ जो हथोड़े से बंधे हुए हैं उनके हाथों को हथौड़ा से वंचित करके उनको भुखमरी में धकेलने का काम कर रही है ।

उत्तर प्रदेश की सरकार यह प्रचारित कर रही है कि मजदूर संगठनों से समझौता हो गया है लेकिन आज भी हजारों मजदूर धरने पर हैं । वह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस समझौता को प्रचारित कर रही है वह कर्मचारियों को मान्य नहीं है । मान्यवर, हम लोग स्वयं गये थे कर्मचारियों ने हमसे कहा कि उनका जीविकोपार्जन डाला, चुर्क, चुनार कारखानों से होता है इन औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने से उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ रही है इन औद्योगिक इकाइयों पुनर्जीवित करने की मांग उनके चार्टर आफ डिमांड की पहली मांग है लेकिन सरकार ने जो उनका दस महीने का वेतन बाकी है केवल साढ़े चार माह का वेतन देने की बात कही जा रही है सरकार कहती है कि जो भागवत मर गया उसके परिवार को हमने सहायता दे दी । मेरा निवेदन है कि जब कोई सरकार

के अधिकार से फैक्टरी बन्द होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की होती है सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती इस मामले में सरकार निर्ममता का परिचय दे रही है। मैं एक शेर अर्ज करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा–

"वह मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए।"

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता पर आपने अनुमति दी, मान्यवर, आप इस सदन को नियमों और परम्पराओं से चलाते हैं और आज यह विषय जो आपके समक्ष उपस्थित है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमों की ग्राह्यता के अनुसार जो बिन्दु होते हैं यह उसके अन्तर्गत समीचीन है। नियम 311 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की अनुमति आप तब देते हैं जब वह विषय अविलम्बनीय हो और लोक महत्व का हो। भागवत श्रमिक की मौत इसी विधान सभा के समक्ष हुई, लोक महत्व की इसलिए है कि केवल एक भागवत की मृत्यु नहीं हुई बल्कि डाला, चुर्क, चुनार के 55 सौ श्रमिकों के परिवार आज भी विधान सभा के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की फरियाद कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों की तनख्वाह उनको नहीं मिली है सरकार ने साढ़े चार महीने की तनख्वाह देने की बात कही है और भागवत के परिवार को एक लाख रुपया देने की बात कही है। आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के समक्ष हजारों मजदूरों का जमावड़ा इस बात का गवाह है कि वह समझौते से संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि वह साढ़े चार महीने का वेतन ले करके जायेंगे तो पिछले 10 महीने से अपने बाजारों में उधार लेकर अपनी जीविका चलायी है, वह साढ़े चार महीने का वेतन उधार देने में ही चला जायेगा। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और लोक महत्व का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। अविलम्बनीयता यह है कि किसी की कोई निजी फैक्ट्री नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक निगम है, उपक्रम है, इसलिए इस सरकार की जबावदेही और जिम्मेदारी इनके प्रति है। आज एक श्रमिक उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने मर जाये, यह बहुत ही गम्भीर बात है। विपक्ष के साथियों ने अभी कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है, मैं अगर यह मान लूं कि यह संवेदनशील होंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक सवालिया निशान लग गया है, एक श्रमिक भूख के नाते मौत के आगोश में चला गया क्योंकि वह 4 दिन से धरने पर था, उसने भोजन नहीं किया था।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय भागवत श्रमिक की आंखें बन्द हुई अगर उसके पहले सरकार की आंखें खुल गयी होती तो वह नहीं मरता। इसके पहले भी अनेक श्रमिकों की मौत हुई है, विवेकानन्द चौबे जो अपने पिता के साथ रार्बट्सगंज रेलवे स्टेशन पर आ रहा था उसकी मौत हो गयी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपने उत्तर में चाहे जो कहें कि हमने साढ़े चार महीने का वेतन दे दिया, मिल चलाने का दायित्व सरकार का है। मैं आपसे कृपापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप चर्चा मंजूर करें अगर आप चर्चा मंजूर नहीं करेंगे तो इसे कैसे सुनिश्चित कर पायेंगे ?अगर सरकार कहती है कि बी०एफ०आई०आर० में है या सिक डिक्लेयर कर दिया है तो सरकार इसका नोटीफिकेशन कर दें, उनका जो पी०एफ० का पैसा जमा है, जो उनके अवशेष देय हैं, जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं जिनको डेढ़ साल से भुगतान नहीं हो रहा है, 1995 से जो भविष्य निधि की कटौती हो रही है, उसका पैसा नहीं जमा हो रहा है, यह जिम्मेदारियां तो अधिकारियों की है। उसकी जांच होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश के डाला, चुर्क और चुनार के कर्मचारियों का करोड़ों रुपया कहां गया है। जो घाटा इनमें है उसे घाटे के कारणों की जबावदेही निर्धारित करिये। आपके 54 उपक्रम हैं वह अधिकारियों के सैरगाह बनकर रह गये हैं। ...

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इन उपक्रमों में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है और उस निगम के प्रबन्धतंत्र के लिए आई०ए०एस० पोस्ट किये जाते हैं, तब वह यह सोचते है कि हम तो डैपुटेशन पर आये हैं और वह वहां ओवर स्टाफिंग करके चले जाते हैं,जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसी-ऐसी वस्तुयें खरीद लीं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उसकी खरीददारी करके चले आये । अधिकारियों की कोई लाईबेल्टी फिक्स नहीं की गयी । मान्यवर, यह घटना पहली बार नहीं हुई है । पहले भी कल्याण सिंह के समय में नैपाली नाम के एक श्रमिक की मृत्यु हुई थी । मान्यवर, इस सरकार ने 10 महीने के वेतन के स्थान पर 4 महीने का वेतन देना तब स्वीकार किया जो जब वह रात में मृत श्रमिक की लाश को लेकर आन्दोलन करने जा रहे थे उनका कहना था कि लाश तब तक नहीं उठेगी जब तक श्रमिकों के भुगतान की घोषणा नहीं हो जाती और श्रमिकों को वेतन नहीं दे दिया जाता । माननीय अध्यक्ष जी, आज इन फैक्ट्रियों को चलाने के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से जबाव आना चाहिए इसलिए इसपर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री अरबिन्द कुमार जैन)–

श्री पाल साहब 24 घंटे मुख्य मंत्री रहे आपने क्या किया ?

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब बैठ जाएं । हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

माननीय अध्यक्ष महोदय,पिछली 9 जुलाई से डाला, चुर्क चुनार के लगभग 8 हजार मजदूर विधान सभा के सामने धरने पर बैठें हैं जहां से माननीय मुख्य मंत्री जी की लाल बत्ती वाली गाड़ी गुजरती रही है । कभी-कभी आप भी उधर से जाते रहे । लगातार सदन चल रहा है हर माननीय सदस्य भी जाते रहें होंगे । 9 तारीख से कल तक रोज लगातार पानी बरस रहा है और दोपहर में कड़ी धूप भी होती रही है। जितने श्रमिक अपने पूरे परिवार के साथ धरने पर वहां बैठे हुए हैं एक भी सरकारी प्रतिनिधि वहां नहीं गया । भगवत वर्मा की मृत्यु, जो चुनार का रहने वाला था तथा परचेज आफिस में चपरासी था, कल न हुई होती तो हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का नारा देने वाली सरकार की निगाह उस तरफ न जाती । इनकी मांग क्या थी नौ महीने से जो फैक्ट्री बन्द है,सरकार पूंजी देकर उसको चलाए । उनका जो 9 महीने का वेतन बकाया है उसका भुगतान किया जाए । आज के तीन महीने पहले जब हम लोग क्षेत्रों में जाते थे तो सारे मजदूर हम लोगों को घेरकर यह कहते थे कि हम लोगों का पैसा खत्म हो चुका है । हम लोगों के घर में जो टीवी थे जो 4–4, 5–5 हजार रुपये के थे उनको एक-एक हजार रुपए में बेचा जा रहा है । जिससे यहां के लोगों की रोजी रोटी चल रही है । उनकी औरतों के जो आभूषण थे जो 10 हजार रुपये के थे वह दो हजार रुपयों में बेचे जा रहे है । जितने सामान थे । सब बिक चुके हैं। आज वह मजबूर होकर धरना दे रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविलम्बीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाए । और मैं मांग करता हूं कि एक माननीय सदस्यों की टीम जाकर डाला, चुर्क, चुनार में यह देखें कि यह फैक्ट्रियां क्यों घाटे में चल रही है ? यह अधिकारियों की चारागाह बन चुकी हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, डाला, चुर्क, चुनार के मजदूर धरने पर बैठे थे, मात्र उनकी मांग थी कि 10 महीने का उनका बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। फैक्ट्री का न बन्द किया जाए। इसी के तहत संघर्ष करते हुए अन्याय के खिलाफ एक श्रमिक ने सरकार के सामने दम तोड़ दिया। यदि सरकार के द्वारा दो दिन पहले वार्ता के लिए सार्थक पहल की जाती तो यह हादसा न हुआ होता। उसके समर्थन में मा० सदस्य श्री राम नक्षत्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। एक तरफ सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है दूसरी तरफ जो निगम हैं उनको बन्द करके श्रमिकों को बेरोजगार कर रही है, और उनको भुखमरी के कगार पर खड़ा करना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोकर इस पर चर्चा कराई जाए।

(कुंवर रेवती रमण सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर तथा उदय राज यादव जी के अपने स्थान पर खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना है कि माननीय सदस्य को भी एक मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उन सभी को बुलवाने के लिये मैं बाध्य नहीं हूं। यदि कुंवर रेवती रमण सिंह जी को अपनी बात नहीं कहनी है तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवाता हूं।

(श्री उदयराज यादव जी सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं बाध्य नहीं हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, मैं उन सभी को बुलवाऊं आपके नेता बोल चुके हैं और क्षेत्रीय विधायक बोल चुके हैं।

(श्री उदयराज यादव जी अपने स्थान पर वापस चले गये)

(श्री राम स्वरूप जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले कुंवर रेवती रमण सिंह जी अपनी बात समाप्त कर लें फिर मैं आपको बुलवा लेता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सरकार ने कई कीर्तिमान बनाये हैं। कल भी इसने एक कीर्तिमान बनाया। पहली बार इतनी तादाद में श्रमिक संगठन और कारखाने के श्रमिक अपने बाल–बच्चों सहित पांच दिन से यहां पर धरने में बैठे रहे परन्तु इस संवेदनहीन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। जो समझौता इन्होंने कल किया यदि वहीं पहले कर लिया होता तो यह घटनायें नहीं घटती। मान्यवर, जब यह सरकार आई है तब से सिलसिलेवार पहले से स्थापित कारखाने बन्द हो रहे हैं।यह केवल डाला और चुर्क का ही सवाल नहीं है नैनी की त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मेजा की कताई मिल बन्द हुई। आज मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। नये कारखाने लगाने के बजाय जो पुराने कारखाने स्थापित हैं, उन्हें बन्द करने का काम यह सरकार कर रही है, जिस कारण मजदूर भूख से मरने के लिए बाध्य हो गया है। यह एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शर्मनाक घटना है और निन्दनीय भी । यह शर्म की बात है कि विधान सभा के गेट के सामने एक श्रमिक भूख से मर गया । आज भी तमाम श्रमिक भूख से बेहोश होकर अस्पतालों में पड़े हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उस कारखाने को चलायें और अगर अकिंचित किन्हीं कारणों से न चला सकें तो इन श्रमिकों की तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करके कहीं न कहीं इन्हें नौकरी देने का काम करना चाहिए । मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर चर्चा कराने की कृपा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले बात सुन लीजिये । मैं सिर्फ रामस्वरूप जी, समर पाल जी और उदयराज जी को ही सुनूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर,एक बात और है कि हमारे एक विधायक भी उनके साथ भूख हड़ताल पर हैं । उनकी हड़ताल खत्म करा दें ।

* श्री रामस्वरूप सिंह–

मान्यवर, एक मजदूर की मौत धरना स्थल पर विधान सभा के सामने हुई है । 9 जून को माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक समझौता हुआ था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि फैक्ट्री के मजदूरों को जितने दिनों का वेतन बकाया है उसका भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन 9 जुलाई तक वह भुगतान नहीं हुआ तब मजदूर धरने के लिये चल दिये । जिस दिन धरना देने के लिये चले थे एक मजदूर के बेटे की मृत्यु हो गयी थी किसी दुर्घटना में । कई मजदूरों के पत्नी व बच्चों की मृत्यु दवाइयों के अभाव में व पौष्टिक आहार न मिलने के कारण 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन यह सब प्रकाश में नहीं आया है इसलिये किसी को ज्ञात नहीं है । एक मजदूर जिसकी मृत्यु विधान सभा के सामने हुई वह प्रकाश में आई और आपको दिखाई दे रहा है । प्रदेश में और देश में मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है । तमाम फैक्ट्रीज बन्द करके उनको लावारिस हालत में छोड़ दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि निजीकरण की नीति को बदले । सरकार उस फैक्ट्री को चलाये और 9 महीने का वेतन उनको शीघ्र दिया जाय । साढ़े चार महीने का वेतन दिये जाने का समझौता हुआ है वह एक हफ्ते में और बाकी साढ़े चार महीने का भी इसी माह में भुगतान करे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इस पर आप पूरे सदन में चर्चा करायें और इसे गम्भीरता से लिया जाय । सरकार को आदेशित करें कि समझौते के अनुरूप कार्यवाही करें और इस पर ध्यान दे ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस लोक महत्व के प्रश्न पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया । यह अति लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक है और नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्य है । लोक महत्व का इसलिये है कि हजारों मजदूरों के जीवन से जुड़ा है, तात्कालिक इसलिये है कि कल मजदूर की मृत्यु हो गयी और अभी भी हड़ताल पर हैं । इस सदन के सम्मानित सदस्य भी भूख हड़ताल पर हैं । 9 तारीख को इन मजदूरों ने धरना देना शुरू किया था और इस सदन के विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने इस समस्या पर चिन्ता व्यक्त की और कहा था कि यह मामला गम्भीर है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । आपकी पीठ से अधिष्ठाता महोदय बैठे थे उन्होंने कहा था कि इसे सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उठाइये फिर इसे नियम 311 के अन्तर्गत उठाया गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम लोगों के कहने का उद्देश्य था कि यह मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। मान्यवर, मजदूर कोई सैर सपाटा करने नहीं आया। 10 महीने का वेतन नहीं मिला है। पेट की आग इन्हें लखनऊ लेकर आयी है। भूखे प्यासे अभावग्रस्त हैं। आपने चारों तरफ पुलिस लगवा दी, यातायात की दिशा बदल दी, वहां पर तनाव का माहौल बन गया है और कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिये हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा सरकार सचेष्ट है और उसके संज्ञान में है। श्रमिकों की समस्याओं और उनके हित के लिये सरकार कुछ करेगी। क्या रक्षा करेगी। 9 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 10 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 11 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 12 को भूख से श्रमिक मरने लगे, तो सरकार चेती। उनका वेतन बाकी है। आप साढ़े चार महीने का दे रहे हैं। आप कहते हैं वह फैक्ट्री चलने योग्य नहीं है, तो आप उनका हिसाब कर दें। जो श्रमिक 20–30 साल से काम कर रहे हैं वह अब कहां जायेंगे। उन मजदूरों को कौन समायोजित करेगा। कहा यह जाता है कि फैक्ट्री सिक हो गयी। यह कैसे हुआ। अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है। इसलिए सब दिवालिया हो रहे हैं। मान्यवर, रामनक्षत्र जी सदन के माननीय सदस्य हैं। वह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। इस विषय पर आप सद्रन की सारी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायें।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, डाला, चुर्क, चुनार सीमेण्ट फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उनके बारे में आपने एक बात कही। धरने पर थे या भूख हड़ताल पर थे। तमाम जानकारी बताना चाहूंगा। मजदूर जब चले तो सौ-सौ रुपया उनको दिया गया। 100 रुपया लेकर 5500 मजदूर यहां आये। 1-2 दिन में पैसा खतम हो गया। धरने में पैसा खतम हो गया। वह लोग भूखे हैं। जब पैसा नहीं है तो भूखे रहकर धरना दे रहे हैं। भूख के कारण एक मजदूर की मौत हो गयी। मजदूरों के पास कुछ भी पैसा नहीं है। वह चार दिन से भूखे हैं। आज स्थिति बहुत गम्भीर है। कल एक आदमी खतम हुआ था, अगर सरकार ने अविलम्ब इस मामले में आश्वासन नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया तो उनकी स्थिति और गम्भीर हो जायेगी। उन श्रमिकों के पास वापस लौटने का भी पैसा नहीं है। मजदूरों को फैक्ट्री चलाकर ज्यों का त्यों रखा जाय। यह तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आपकी ओर से कोई स्पष्ट निर्देश हो जाय कि फैक्ट्री चलायी जायेगी। मजदूरों को बेकार नहीं रखा जायेगा। यह सरकार जो अपने को संवेदनशील और पारदर्शी कहती है उस पर हमें भरोसा नहीं है। हमें आपसे अपेक्षा है आप इसमें सरकार को निर्देशित कर दें।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, आपने इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, डाला, चुर्क, चुनार सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर पिछली 9 तारीख से विधान सभा के ठीक सामने हजरतगंज और रायल होटल के बीच धरना दे रहे हैं। इसमें सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आवागमन में कठिनाई थी। सारे मंत्रियों को उधर से निकलना रहता था लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया। बकाया देने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भागवत नाम के श्रमिक की मृत्यु हो गयी। मैं वहां 6 घंटे बैठा रहा।

मैंने देखा लखनऊ शहर में विधान सभा के सामने एक मजदूर की मृत्यु हो गयी लेकिन एक भी प्रतिनिधि सरकार का घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आपने सुना होगा, आप जानकारी कर सकते हैं। सरकार का एक भी मंत्री मानवता के नाते भी वहां नहीं गया और न ही यह जानने का प्रयास किया कि उस श्रमिक की मृत्यु किन कारणों से हुई ? तमाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी अभी कह रहे थे, भूख से मृत्यु हुई है। यह अलग बात है कि परसों रात विधायकों ने श्रमिकों के खाने की व्यवस्था अपने पास से कराई। सरकार ने 3-4 दिन में कोई व्यवस्था तक नहीं कराई। लोग प्यास से मरे जा रहे हैं। तमाम श्रमिक भुखमरी के कगार पर हैं। खनिज विकास निगम के लोग 25 दिन से धरना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री उदय राज यादव–

कुबेर टाइम्स ने लिखा है कि खनिज विकास निगम के 9 कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी है और पांच-छः लोग पागल हो चुके हैं। तो इससे अधिक लोक महत्व का सवाल नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश के मजदूरों को खाना, पानी नहीं मिल रहा है और उनका शोषण हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि उस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। अब आपकी बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री उदय राज यादव–

[x x x]

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[x* x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अक्टूबर, 97 से इन श्रमिकों को पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था। उसी मांग को लेकर यह लखनऊ में आये और इन्होंने धरना दिया। मान्यवर, यह कहा गया कि जब यह धरने पर बैठे थे तो सरकार ने इसके साथ वार्ता क्यों नहीं की। तो मान्यवर, मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि हर स्तर पर वार्ता की गयी। मुख्य मंत्री स्तर पर भी वार्ता हुई जिसका जिक्र अभी इसी समय एक सदस्य ने किया था। मुख्य सचिव स्तर पर भी वार्ता हुई और सचिव, औद्योगिक विकास के स्तर पर भी वार्ता हुई। मान्यवर, तीन दिनों तक वार्ता चलती रही अभी वार्ता का सिलसिला जारी था कि इसी बीच एक श्रमिक की मृत्यु हो गयी। मान्यवर, स्थिति क्या है ? मान्यवर, 1992 में बी० आई० एफ० आर० द्वारा इन सारी इकाइयों को सिक इकाइयों घोषित कर दिया। जब यह सिक इकाईयां-घोषित होती है तो उसमें पैकेज नहीं होता है तो सारी संस्थाएं चाहे वह सरकारी ही क्यों न हों वह चल नहीं सकती हैं। फिर भी चलाने का प्रयास किया गया। मान्यवर, ए० आई० एफ० आर० में गये, 98 में रिजेक्ट हो गयी। बी० आई० एफ० आर० का निर्णय यह आ गया 2-7-98 को इसको बाइन्ड-अप कर दिया जाय फिर उच्च न्यायालय में गये वहां पर अभी बाइन्ड-अप की कार्यवाही लम्बित है। मान्यवर, प्रदेश स्तर पर कोई भी कार्यवाही अधूरी नहीं है। इस स्तर पर हम चला भी नहीं सकते हैं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का ड

वास्तविकता यह है कि भले ही उच्च न्यायालय में यह कार्यवाही लम्बित पड़ी है लेकिन फैक्टरीज को बन्द नहीं किया गया और जब बन्द नहीं किया गया तो श्रमिकों को पारिश्रमिक मिलना चाहिए था इसलिये प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि भले ही बी० आई० एफ० आर० ने निर्णय दे दिया हो, हाईकोर्ट में यह मामला लम्बित पड़ा हो लेकिन श्रमिकों के हितों को देखते हुए उनके सामने जो भुखमरी का प्रश्न खड़ा है, यह किया कि पिछले दिनों का पारिश्रमिक जो अवशेष पड़ा है उसका भुगतान करा दिया जाय और हमने साढ़े चार महीने का वेतन का भुगतान कराने का निर्णय दे दिया है बाकी के अदा करने की कार्यवाही चलेगी । मान्यवर, इस समय 600 करोड़ रुपये की देनदारी इस निगम के ऊपर है श्रमिकों का जो वेतन या पारिश्रमिक बकाया है वह 20 करोड़, भविष्य निधि का 7 करोड़, ग्रेच्युटी व वेतन से की गयी विभिन्न कटौतियों के रूप में 5 करोड़ रुपये, यह सबका सब मामला मान्यवर, अभी है इसमें वार्ता करके भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा । ऐसी स्थिति में साढ़े चार महीने के लिये कल ही आदेश दिये गये हैं कि आज से 13 तारीख से भुगतान शुरू कर दिया जाए ।

सारे नियमों का सरलीकरण कर दिया गया फाइनेन्शियल रूल्स को निलम्बित करके कहा गया कि श्रमिकों का मामला है कर दें । मान्यवर, यह संवेदनशीलता सरकार की थी, सरकार के ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, केवल श्रमिकों के हित में सरकार ने इतना पैसा देने का निर्णय लिया । हम वहां पर क्यों नहीं गये, आप गये । श्रमिकों की बात जब होती है तो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए । राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये धरने का उपयोग करना चाहिए था ? क्या उस मंच का उपयोग करना चाहिए था ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सरकार की बात को शान्तिपूर्वक सुन लें ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

सरकार के इस रुख के खिलाफ हम लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उस समझौते पर हस्ताक्षर हैं उन श्रमिक नेताओं को जो धरने पर थे । अगर इन राजनीतिक दलों के प्रति श्रमिकों का विश्वास नहीं है.....

श्री अध्यक्ष–

ऐसा व्यवहार है, देखकर बड़ा दुख होता है । रोज हंगामा–रोज हंगामा । मुझे सोचना पड़ेगा कि विरोधी दल की बातों पर कितना विश्वास करूं ?

विधान सभा की गरिमा का ध्यान रखिये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह जो संसदीय कार्य मंत्री की भाषा है, वह ठीक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों के साथ समझौता हुआ उस पर श्रमिकों के नेता वह एक दल के नहीं भिन्न-भिन्न दलों से जुड़े हुए हैं । उनके नाम मेरे पास हैं–सुभाषिनी अली, अनुसुइया शर्मा, अशोक कुमार गोयल और इसके अलावा हिन्द मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, इंटक, एटक इन सभी नेताओं के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने सारी बातों को स्वीकार किया कि साढ़े चार माह का पारिश्रमिक दे दिया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जो समझौता हुआ है, उसको पढ़कर सुना दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दिनांक 12-7-98 तक समस्त मजदूरों/कर्मचारियों का जो भी पारिश्रमिक देय है उसके भुगतान हेतु सिद्धान्ततः सहमति है । तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए साढ़े चार माह के सभी कर्मचारियों के बकाये पारिश्रमिक का भुगतान दिनांक 13-7-98 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा । शेष पारिश्रमिक बकाये का भुगतान शीघ्र किया जायेगा । मृतक भागवत पुत्र श्री अवध नरायन सिंह के आश्रितों को नियमानुसार देय के अतिरिक्त एक लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि दी जायेगी । बताया गया कि श्री अम्बिका चौबे,जो निगम कर्मचारी है, के पुत्र श्री विवेक की मृत्यु धरने में आते समय ट्रेन दुर्घटना में हो गयी । इसकी पुष्टि जिला मैजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा होने पर उनके आश्रितों को उचित आर्थिक सहायता हेतु शासन को संदर्भित किया जाएगा । अन्य मुद्दों पर शासन से वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में जारी रहेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस समझौते में कहीं भी कारखाने को चलाने की बात नहीं कही गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कारखाने को चलाने की बात इसमें नहीं कही गयी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं ।

मान्यवर, यह भी बताना आवश्यक है कि यह समझौता किसके बीच हुआ ? हमारे प्रशासन के अधिकारी जिसमें हमारे उद्योग विभाग के सचिव, विशेष सचिव और जिलाधिकारी उनकी उपस्थिति में यह समझौता हुआ और जिनके नाम मैंने बताये हैं श्रमिक संगठनों के, उनके हस्ताक्षर हैं । माननीय जगदम्बिका पाल जी ने प्रश्न उठाया है कि कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि फैक्ट्री को चलाया जायेगा। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कानूनी स्थिति है, उसका परीक्षण कर लें । स्थिति यह है कि यह बाइन्डिंग अप में चला गया है और हमारी इच्छा के विरुद्ध चला गया । जब बी० आई० एफ० आर० में मामला गया तो इसे सिक घोषित कर दिया गया तो शासन उसके विरुद्ध अपील में गया वह अपील अस्वीकार हो गयी । मान्यवर, मेरी बात सुन लें । अब यह मामला हाई कोर्ट में चला गया है । उसका कानूनी संवैधानिक अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है कि सरकार उसको चला सके । (व्यवधान)

मान्यवर, यह हमने श्रमिकों के हित में दिया है और भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनका पैसा बकाया है। माननीय उच्च न्यायालय के तय करने बाद उसको बेचने के बाद जो धन उपलब्ध होता है उससे शेष वेतन मिलेगा और वित्तीय संस्थाओं को पैसा दिया जायेगा । प्रदेश सरकार इस स्थिति में नहीं है । अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बात जरूर कहूंगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने आपत्ति जताई और हम पर आरोप लगाये । संविधान के अन्तर्गत हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, फिर भी मानवीय आधार पर श्रमिकों के हित के लिये हमने भुगतान करना स्वीकार किया । आखिर इसको निजी क्षेत्र में बेचने का षड़यंत्र किसने किया, 1991 में हम लोगों ने इसको वापस लिया, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, हमने तो इतना कुछ किया और आप कह रहे हो कि सरकार हत्यारी है, आप हमसे जवाब-तलब करते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मजदूरों की भुखमरी पर अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेंकिये। आओ मिलजुल कर कोशिश करें कि प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे होगा ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो मजदूर संगठनों के साथ समझौता हुआ है, उसमें यह बिन्दु भी है कि अन्य बातों पर विचार-विमर्श जारी रहेगा, माननीय मंत्री जी ने इस बात को अभी बताया तो है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उन मजदूरों के समायोजन की बात तो आनी ही चाहिए, उसको भी नहीं बता रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ऐसे बहुत से मौके आये हैं, जब मिलें बंद हुई हैं जैसे एग्रो बन्द हुआ, चलचित्र निगम बंद हुआ, हार्टिको बन्द हुआ, उनके कर्मचारियों को अन्य जगह समायोजित किया गया। कल इन कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा, आखिर जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी, तो कैसे काम चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन तमाम रिक्त पद इस समय हैं, जब नई नियुक्तियां की जायें तो उनको समायोजित कर लिया जाय, इसमें सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप लोग बैठें, आपकी बात आ गई है।

श्री राम नरेश यादव–

जब फैक्ट्री बाइन्ड अप हो गई, अब तक का यह इतिहास रहा है कि यदि कोई फैक्ट्री वाइन्ड अप हुई है तो उसके जो कर्मचारी थे, सरकार ने उनको समायोजित करने का काम हमेशा किया है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में मौन हैं। इन कर्मचारियों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

मा० स्वामी प्रसाद मौर्य, जगदम्बिका पाल और राम नरेश यादव जी ने जो बात कही है, उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने तो समझौता पढ़ा था उसको लगता है, इन लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। जो आखिरी पैरा है, उस आखिरी पैरा में इस बिन्दु का उल्लेख किया है कि बाकी जितनी भी समस्यायें हैं, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा० मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए था कि इन मजदूरों को कैसे समायोजित करेंगे ? वह नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो अनेक बिन्दुओं पर वार्ता होनी शेष है। उन्हीं में इस पर विचार हो जायेगा। अब आगे की कार्यवाही चलने दें। आप मंत्री जी को बाध्य तो नहीं कर सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ऐसी स्थिति में जब कारखाना नहीं चलेगा तो हजारों-हजारों मजदूर कहां जायेंगे ? यह गोलमाल की बात कर रहे हैं। आप निर्देश दें कि ये स्पष्ट बतायें।

श्री हुकुम सिंह–

कभी-कभी स्मरण शक्ति साथ नहीं देती है और इस समय इनकी स्मरण शक्ति साथ नहीं दे रही है। मौर्या जी पिछली सरकार में मंत्री थे और आपके समक्ष यह प्रकरण आया था कि इनको बेंच दिया

जाये और निजी क्षेत्र में दे दिया जाये, तब आपके दिल में दर्द नहीं हुआ था कि मजदूरों का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का उत्तर आ गया है अब आप समाप्त करें कार्यवाही चलने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अपनी कार्यवाही पर लीपापोती करने के लिये इस तरह से कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कार्यवाही को चलने दें।

श्री कौकब हमीद–

आप उनका समायोजन करेंगे या नहीं करेंगे इसका उत्तर तो दिला दें?

श्री अध्यक्ष–

मा० मंत्री जी ने बता दिया है कि अभी कुछ बिन्दुओं पर वार्ता होना बाकी है उसी में यह तय हो जायेगा, अब आप इसको समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

किसी भी विभाग में अगर छंटनी होती है तो उनको यह सरकार समायोजित नहीं करती है। अभी डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, लेकिन उनका पालन यह सरकार नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम नरेश यादव–

मैं सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम नरेश यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं सरकार की हठधर्मिता और स्पष्ट आश्वासन न देने के कारण सदन का त्याग करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय मंत्री जी ने मजदूरों के समायोजन और कारखानों के चलाने के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। इसलिए हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना रामचन्द्र यादव की है, वह नहीं हैं।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप सभी सदस्यों को नियंत्रित करते हैं अगर सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं तो आप अनुमति नहीं देते हैं। एक माननीय सदस्य खड़े हुए थे तो डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी ने डांडकर उनको बैठने के लिये कहा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, डांटा नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने एक निर्णय लिया था सभी सम्मानित नेताओं के परामर्श से समय के बारे में और उस पर सदन ने अनुमोदन भी कर दिया और वह नेताओं का निर्णय नहीं रहा बल्कि पूरे सदन का निर्णय हो गया। कितने बजे तक इस प्रकार चर्चा चलेगी। आज के एजेण्डा को आप देखें, दो महत्वपूर्ण बजट हैं और एक चर्चा लगी हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

यह तीन बजे तक हो जायेगा। वरन् वह चर्चा स्वमेव स्थगित हो जायेगी।

श्री कैलाश–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयों और चौकीदारों की तनख्वाह पिछली सरकार ने बढ़ाई थी, उस बढ़ी हुई 100 रु० को इस सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। बढ़ी हुई दर पर दाइयों और चौकीदारों को वेतन नहीं मिल रहा है जिससे वह बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। काम तो उनसे बराबर लिया जाता है लेकिन बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। हमारा अनुरोध है कि सरकार चौकीदारों और दाइयों को बढ़ा हुआ वेतन दे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कैलाश को सुनने के उपरान्त यह नियम 56 में नहीं आता है इसे मैं अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना श्री राम प्यारे सिंह की है। जो जनपद–आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में आकाशीय विद्युत से 6 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में।

श्री राम प्यारे–

माननीय अध्यक्ष जी, 10 तारीख को एक बजकर पन्द्रह मिनट पर जनपद आजमगढ़ में कई थानों में आकाशीय विद्युत गिरने से 6 आदमियों की मृत्यु हो गई तथा दर्जनों लोग घायल हो गये जिसके कारण पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है। इस समय जब किसान रोपाई का काम करता है। वह भय के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मात्र सरकार ने 50–50 हजार रुपये देने की बात कही है। एक महिला जो मर गई है उसको 25 हजार देने की बात कही है और जो घायल हैं उनको एक-एक हजार या पांच-पांच सौ रूपये देने की बात कही है। जो घायल हुये हैं या जो मरे हैं वह सब नौजवान हैं जिनका इलाज दिसरिया या सदर अस्पताल में हो रहा है। घायलों में राम सिंह हैं जिनका पूरा बदन जल चुका है। 50 हजार रुपये लगाकर इलाज किया जाय तो वह ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं मांग करता हूं कि मृतकों के परिवारों को 5–5 लाख रुपया और जो घायल हैं उनको एक-एक लाख रुपया दिया जाय। जिनकी मृत्यु हुई वह जैसा मैंने बताया कि वह 45 से 25 वर्ष के हैं जैसे सहबल्ली यादव 45 वर्ष, दीनानाथ यादव 35 वर्ष, श्रीकान्त यादव 35 वर्ष, ग्राम महाबी सिंहवारा थाना–महराजगंज, तथा श्री चन्द्र भान सिंह ग्राम–करावियां, श्रीमती मनोती उम्र 25 वर्ष ग्राम फतेहपुर बरोही।

यह फतेहपुर के रहने वाले हैं लल्लन यादव यह लंगड़पुर के रहने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई।

श्री राम प्यारे–

मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको पांच-पांच लाख रुपये, जो घायल हुये हैं उनको एक-एक लाख रुपया दिया जाय। आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम प्यारे की सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं परन्तु जो मृतक हैं, शासन उनको आर्थिक सहायता देने पर विचार करे।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, पांच लोग मरें हैं इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपके क्षेत्र का मामला था तो आपने सूचना क्यों नहीं दी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिन 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को दो लाख पचहत्तर हजार रुपये की अनुग्रह धनराशि का वितरण कर दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में दाखिल है उनको आठ हजार रुपया प्रति व्यक्ति दिया गया है।

श्री वसीम अहमद–

मृतकों को पचास हजार रुपये और घायलों को एक हजार रुपये से पांच सौ रुपये तक दिये गये हैं।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मृतकों को पचास हजार रुपये से कम दिये गये हैं। अगर 6 आदमी मरे हैं तो 3,00,000 रुपये होने चाहिए मंत्री जी का कहना है कि मृतकों को 275,000 दिये गये हैं।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मृतकों को 50-50 हजार रुपये जो सहायता दी गई है वह बहुत कम है मेरा अनुरोध है कि कम से कम 1 लाख रुपये दिये जायं। संसदीय कार्य मंत्री इसमें उदारता दिखायें।

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, मैं किशनपुर विधान सभा, जनपद फतेहपुर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा खेसाही बुजुर्ग के बैंक मैनेजर तथा ब्लाक के कर्मचारियों व अधिकारियों तथा क्षेत्रीय दलालों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के नाम फर्जी लोन निकाल लिये गये हैं। 5 लाख 33 हजार रुपया निकाल लिया गया है और लाभार्थियों को पांच-पांच सौ रुपये वितरित किये गये हैं सारा धन हड़प लिया गया है। जो सबसिडी मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है जिससे उनका हक मारा गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

* संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य विधान सभा ने नियम 56 के अन्तर्गत शासन का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए सदन में चर्चा कराये जाने की अनुमति मांगी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री मुरलीधर और माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी को ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल बढ़ा है, कब किस कोने पर किस प्रकार का हादसा हो जाय इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जबकि यहां की गुप्तचर एजेन्सियां इस बात के लिए आगाह कर रही हैं कि बिहार की तर्ज कर उत्तर प्रदेश में भी विधायकों पर किसी भी समय सदन की कार्यवाही के दौरान, सदन छूटने के पहले और सदन छूटने के बाद हमला हो सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से विपक्ष के माननीय विधायकों की सुरक्षा को गैर जिम्मेदाराना ढंग से यह सरकार ले रही है वह ठीक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कानून को धता बताने वाले अराजक तत्व और गुण्डे उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार एन० एस० ए० में बन्द कर रखा है। उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। पहले उन्हें पेशी के लिए कचेहरी ले लाया जाता था तो बन्द गाड़ी में और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ले जाते थे लेकिन इन दिनों उन्हें खुली गाड़ी में ले जाया जाता है, कल 14 तारीख को उनकी पेशी है, उनके घरवालों को टेलीफोन पर धमकियां मिल रही हैं कि जिस तरीके से बिहार में हादसे हुए हैं वैसी दुर्घटना मुख्त अंसारी के साथ हो सकती है। माननीय अधिष्ठाता जी इस बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमेशा हादसा हो जाने के बाद सरकार संवेदनशील हो जाती है इसलिए समय के रहते इस ओर सरकार ध्यान दे और ऐसे वक्त पर सुरक्षा में ढील नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां के अराजक तत्व कभी भी भयंकर काण्ड कर सकते हैं। मान्यवर, इसी परिपेक्ष्य में हमारे दूसरे सम्मानित विधायक फूल बाबू जिनको केवल राजनीतिक रंजिश से किसी अधिकारी से तू-तू, मैं-मैं हो जाने के नाते एन० एस० ए० में पीलीभीत जिला कारागार में डाल दिया गया है और उनको भी जब भी पेशी के लिए ले जाते हैं तो खुली जीप में लाया जाता है। तो जिस प्रकार की राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता चल रही है और अराजकतत्व हावी हैं इससे उनकी जान को खतरा है। इसी प्रकार राम अचल राजभर जी ने 26 मार्च, 1998 को नियम 311 के तहत इसी सदन में अपनी सुरक्षा के मामले को उठाते हुए सुरक्षा की गुहार की थी उनके संबंध में पीठ की तरफ से निदेश दिया गया था कि उनके लिए एक अतिरिक्त गनर की व्यवस्था तत्काल की जाए। अब इस सरकार की तरफ से एक चिट्ठी गई है जिसमें यह कहा गया है कि आपकी सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त गनर की व्यवस्था की गई है जिसमें आपको 25 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना है। यह विधायकों की सुरक्षा का मामला है।

अगर कोई विधायक अतिरिक्त 25 प्रतिशत धनराशि देकर उसको गनर मिलेगा तो इससे बेहतर होगा कि वह अपनी कुर्बानी दे दे। पैसा खर्च करके जनसेवा का कार्य करना कहां तक उचित है ? इसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ उनको दो रायफल धारी मिले थे उनको वापस करने की बात भी है । तो दो रायफलधारी पुलिसकर्मियों को वापस कर व 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था करके तब एक गनर मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार का ढीला-ढाला रवैया है । इसी परिपेक्ष्य में यहांपर श्री आर० के० चौधरी जी बैठे हुए हैं । इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी । उनको सरकार के द्वारा एक लाइन की चिट्ठी लिखकर एक आधे घंटे के अन्दर उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली है । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री आर० के० चौधरी अपनी बात रख लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सदन के सम्मानित सदस्यों की सुरक्षा का मामला है । इसमें लीपा पोती हुई तो कल ऐसा हो सकता है कि शोक सभा मनाई जाए । मैं समझता हूं कि यह सदस्यों के सम्मान के साथ एक मजाक होगा । राम अचल राजभर की आर्थिक स्थिति दयनीय है । उनकी मां कैंसर से मर गई थी । उनकी पत्नी भी बीमारी में मर गई है ।

इस गम्भीर प्रकरण पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप निर्देश दें कि जो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है उसमें भेदभाव न बरते और बिना राजनैतिक भेदभाव के, राजनैतिक विद्वेष के सभी माननीय सदस्यों की बराबर हिफाजत करे । मुख्तार अंसारी को अगर आप सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनको खुली जीप में कचेहरी में लाने के बजाय उनकी सुनवाई जेल में ही करने की व्यवस्था की जाए । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संबंध में सरकार को निर्देश दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं । इस सूचना पर जिनके हस्ताक्षर हैं उन्हीं को बोलने की अनुमति दी जाएगी ।

*श्री आर० के० चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, गुप्तचर रिपोर्ट है जैसे की बिहार में विधायकों पर हमला हुआ और तमाम विधायकों की जान चली गई । आतंक फैलाने के लिये बड़े पैमाने पर घटनायें हुई हैं । उत्तर प्रदेश में भी जान-माल का खतरा है । चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के, आज उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता है । बहुजन समाज पार्टी के विधायक घूम-घूम कर अपनी पार्टी का काम कर रहे है परन्तु उन्हें बराबर चिट्ठियां मिल रही हैं कि उन्हें कभी भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है । श्री अनीस खां आज एन० एस० ए० में पीलीभीत में बन्द हैं । उन्हें पुलिस कस्टेडी में जाना चाहिये परन्तु नाम मात्र की पुलिस उनके साथ भेजी जाती है । श्री मुख्तार अंसारी विधायक हैं और इस समय जेल में हैं । जब भी उन्हें कचहरी लाया जाता है तो जितनी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं होती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । खुली जीप में उन्हें लाया जाता है । उनके आगे-पीछे कुछ संदिग्ध लोग घूमते रहते हैं । श्री राम अचल राजभर जी अम्बेडकर नगर में कार्य करते हैं । रात्रि और दिन में उन्हें आने-जाने में बड़ी दिक्कत है । उनको जो धमकी भरी चिट्ठियां आयी थीं उन्हें मैंने खुद पढ़ा है । बहुत बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ राम अचल राजभर जी दो बार चुनकर इस विधान सभा में आये हैं । वह सदन में इस संबंध में गोहार भी लगा चुके हैं । मान्यवर, जहां तक मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात है शासन द्वारा मुझे बाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी परन्तु एक पत्र के माध्यम से उसे वापस ले लिया गया है । पत्र में लिखा है... श्री आर० के० चौधरी, विधायक ब० स० पा० (भूतपूर्व मंत्री) को वर्तमान में...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य इस प्रकार चिट्टी नहीं पढ़ी जाती, पहले आपको इसकी प्रति पीठ को भेजनी चाहिए ।

श्री आर० के० चौधरी–

बतौर विधायक के लिए अनुमन्य सुरक्षा ही प्रदत्त की जाय । शासन द्वारा उन्हें पूर्व स्वीकृत "वाई" श्रेणी की विशेष सुरक्षा व्यवस्थायें निरस्त कर दी गई है अतः उन्हें वापस कर लिया जाय तथा अनुपालन से अवगत करायें ।

उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के इशारे पर गृह विभाग के यह आदेश है । मैं खुद असुरक्षित हूं । सदन का कोई भी सदस्य हो उसकी सुरक्षा की जाय । यह लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सभी विधायकों की सुरक्षा हेतु अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर समीक्षा होती है, यह एक सतत् प्रक्रिया है । समीक्षा रिपोर्ट जो आती है उसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है । जहां तक राजभर जी को गनर दिये जाने का सवाल है, 16-5-98 को शासन द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय पर एक गनर उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश किये गये हैं परन्तु जब तक वह नहीं चाहते तब तक जनपद स्तर से उनके लिये दो सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की जाये । जब भी प्रकरण सामने आता है उस पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो हमारे पास है एक देकर एक ले लेंगे तो वह अतिरिक्त की परिधि में कहां आता है ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने कहा है कि दो आरक्षी उनके साथ लगे रहेंगे । हटाने की बात कहां है ? आप उनका उत्तर तो सुनें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या हर जगह दो प्रकार की चिट्ठी जाती है और दो तरह की बात होती है ? यहां पर कुछ कहते हैं वहां पर कुछ ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है सदन में सामने आपने उसे सुन लिया । अब आपकी बात हो चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत रूप से कई बार मिले हैं। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आपको मैंने अनुमति नहीं दी है। आपकी बात न मैं सुन रहा हूं न अंकित की जा रही है। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल वही सदस्य जिनके हस्ताक्षर हैं अगर कुछ कहें तो ठीक है।

श्री श्रीराम पाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जायं। श्री आर० के० चौधरी और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री लालमणि प्रसाद की है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप हमारी बात को गंभीरता से सुनें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 25 प्रतिशत हमारे विधायकगण कहां से देंगे ? अगर जन सेवा करने वाले विधायक 25 प्रतिशत देंगे तो..

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, संभवतः जो मैं पढ़ रहा था आपने सुनने का प्रयास नहीं किया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 25 प्रतिशत नहीं देना चाहते हैं तो जब तक अतिरिक्त गनर को यह स्वीकार करें। क्योंकि यह 25 प्रतिशत वाला है। प्रशासन में जिले को हिदायत दे दी गई है कि 25 प्रतिशत न दे पाने तक दो आरक्षी देकर इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया एक गनर का प्राविधान किया गया है। एक गनर से ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो 25 परसेन्ट देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट

[x x x]

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यादव जी की कोई बात नहीं लिखी जाएगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 16-5-98 को दो आरक्षी लगा दिए गये हैं । यह निर्देश दे दिये गये हैं शासन से स्वीकृत अतिरिक्त गनर की सुविधा प्राप्त करने तक अथवा उनके जीवन भय को देखते हुए दो सशक्त आरक्षी की व्यवस्था की गई है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं 16-5-98 से 19-8-98 तक 25 परसेन्ट पर सुविधा प्रदान की गई है । उक्त धनराशि आप द्वारा जमा कर दी गई है या नहीं इसकी सूचना दें । आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के दो आरक्षी लगा दिए गये हैं ।

(व्यवधान)

उनको अविलम्ब वापस करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, अगर आप सदस्य के रूप में होते और 25 परसेन्ट देने पर आपको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती तो क्या यह उचित था ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, इसको सुन लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर मंत्री न होते यह मामला आपका होता और आपसे 25 परसेन्ट लेकर सुविधा उपलब्ध कराई जाती तो क्या यह उचित था ? जिसकी मां पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में कैंसर की मरीज होकर मर गई, जिसकी पत्नी पैसे के अभाव में मर गई, इलाज के अभाव में मर गई उससे उम्मीद की जाए कि वह 25 परसेन्ट दे, यह कैसी संवेदनशील सरकार है ? आप 25 परसेन्ट की बात को हटा दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकरण में आप फिर विचार कर लें । अगली सूचना श्री दीपक कुमार, श्री उदयराज यादव की सूचना जो जनपद उन्नाव की तहसील उन्नाव के दर्जनों गांवों में फैक्ट्रियों के विषैले प्रदूषित जलभराव से हजारों बीघे जमीन जलमग्न रहने तथा मनुष्यों के लुंज-पुंज होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार संवेदनशील नहीं है कोई कार्यवाही यह नहीं करना चाहती ...

(बहुजन समाजपार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप समझते हैं कि ऐसे ही चलेगा तो चलायें । आठवीं सूचना श्री बाबू लाल की जनपद आगरा में नगर प्रमुख के कैम्प कार्यालय पर शान्तिपूर्वक धरनारत आगरा महापालिका एवं जल संस्थान कर्मचारियों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नौंवी सूचना श्री रामे ललित चौधरी की प्रदेश के पूर्वांचल में भीषण वर्षा से बस्ती, सिद्धार्थनगर व गोरखपुर जिलों के किसानों की फसलों को हुई क्षति एवं जनजीवन के अस्त-व्यस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर व लालजी वर्मा की जनपद–अम्बेडकर नगर में कथित रूप से ब०स०पा० कार्यकर्ताओं की निरन्तर हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । जिन माननीय सदस्यों की सूचना निरस्त की गयीं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :–श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री सत्यप्रकाश सोनकर, श्री भोनू, श्री विजय सिंह, श्री मानिक चन्द्र यादव, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री अम्बिका चौधरी । नियम–311 में प्राप्त सूचनाएं जो अस्वीकार की गयीं, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामनरेश यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री समरपाल सिंह, श्री राम नक्षत्र, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अम्बिका चौधरी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री उदयराज यादव, श्री राजेन्द्र यादव, श्री पीतम राम, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री रामललित चौधरी, श्री लालमणि प्रसाद, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री श्रीराम पाल, श्री राम सिंह सैनी ।

(विपक्ष के कई सदस्य फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा ।)

उ० प्र० विधान परिषद् में अधिवक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद–177 के खण्ड 5 की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द साहित्य से पूर्व शब्द और चिन्ह विधि रखे जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय की नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि आज समय कम है इसलिए इसको स्थगित किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०–2 आवास विभाग, अनुदान सं०–37 नगर विकास विभाग

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,02,56,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,39,79,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष कुमार जी कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जायें । लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन इस तरह से नहीं । माननीय मंत्री जी कृपया अपने विचार रखें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करें तब मैं अपनी बात कह पाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस नहीं जा रहे हैं इसलिए मैं सदन को पौने चार बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की सुरक्षा के विषय में आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । बजट की दोनों मदें प्रस्तुत हो चुकी हैं ।

मेरा अनुरोध है कि आप मौर्या जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में इसके ऊपर विस्तृत वार्ता कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

मान्यवर, यह सदन नियमों के अनुसार चलता है और नियमों के आधार पर इस बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं । अभी जब विपक्ष की एक पार्टी के लोग वेल में आ गये थे तो माननीय टण्डन जी ने आपके आदेशानुसार बजट प्रस्तुत कर दिया, माननीय टण्डन जी लम्बी बीमारी के बाद सदन में आये हैं वह बोलने की स्थिति में नहीं थे आपने कटौती के लिए बुला लिया कि अम्बरीष जी अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

मैंने माननीय मंत्री जी को अपने विचार रखने के लिए अनुमति दे दी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप कार्यवाही उठाकर देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा, आप बैठें ।

*श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष है कि अभी सारे भारत के आवास मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और उत्तर प्रदेश में आवास के क्षेत्र में जो आमूल–चूल परिवर्तन किए गये हैं, उन नीतियों के बारे में शायद उत्तर प्रदेश इस समय भारत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है आवास के क्षेत्र में, यह हमारी राय नहीं थी जो देश भर के आवास मंत्री आये हुए थे, भारत सरकार के आवास मंत्री हैं यह उनकी राय थी । कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे जो मान्यवर, शायद बहुत दिनों बाद यहां की आवासीय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ । मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है कि जहां पर आजादी की आधी शताब्दी बीतने के बाद, आज हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, कई लोगों को हम एक छत भी नहीं दे सके । नाले-नाली पर किसी तरह से वे अपना जीवन गुजर-बसर करने के लिए मजबूर हैं । हमने 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये रोज पर मकान देने की योजना शुरू की है इसी की सारे भारत में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है । मान्यवर, आज इसके पहले उत्तर प्रदेश को आवासीय क्षेत्र में आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ रहा था आज जो हमारी आश्रय योजना है इसके लिए कम ब्याज के ऊपर धन उपलब्ध होने की संभावना है और जितना धन इसमें दिया जा सकता है उतने धन की कमी नहीं है, यह बड़ी उपलब्धि है ।

मान्यवर, जब इस समय भारत सरकार का जो राष्ट्रीय एजेण्डा है उसके प्रति हमारी सरकार ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम सबको आवास उपलब्ध करायेंगे । यह एक अवधारणा है । इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि अगर 11 लाख लोगों को मकान की जरूरत हैं तो हम 11 लाख मकान बना देंगे । उससे सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी वह किसी एक वर्ग के लिए हो सकता है उस वर्ग के लोग जितने खरीदार होंगे उनकी उतनी आवश्यकता नहीं होगी, वह सम्पत्तियां अनिस्तारित पड़ी रहेगी । सबके लिए उनकी क्षमता के अनुसार मकान ।

तो अभी तक मान्यवर, यहां पर तीन प्रकार के मकानों की श्रेणी थी जो अब तक आवास नीति में भी उच्च आय वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए तो उच्च आय वर्ग की कोई सीमा नहीं, उनकी चिन्ता करने की आवश्यकता भी नहीं है, वह खुद कर सकते हैं लेकिन मध्यम आय वर्ग के लिए चिन्ता का विषय होगा कि आज उनके लिए 5-6 लाख का मकान लेना मुमकिन नहीं है । बहुत से ऐसे लोग हैं जो मध्यम आय वर्ग में आते हैं लेकिन वह लोग 5-6 लाख का मकान नहीं ले सकते हैं तो एक नई योजना शुरू की गयी भाऊ राव देवरस के नाम पर उनकी स्मृति में भाऊराव देवरस आवास योजना शुरू की है जिसमें डेढ़ लाख से ढाई लाख तक में, जितने में 5-6 लाख का मकान मिलता है उतने ही में मकान देने जा रहे हैं । जो निश्चित कीमत पर, निश्चित समय में मिलेगा । यह पहली उपलब्धि होगी ।

आज हमने मकान बुक कराया, मान लीजिए वह 3 लाख का है तो पता नहीं जब वह मिलेगा तो उसकी कीमत 5-6 लाख की होगी तो हमने पहली बार किया है कि उतने ही मकान बुक किये जायेंगे जितने हम बना रहे हैं या वह स्वयं वित्त पोषित होगा या वह ऐसी स्थिति में है कि धन उतना उपलब्ध

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं करा सकता है तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था वहीं पर होगी और वहीं उनको मकान का आवंटन हो जायेगा और तैयार होने पर निश्चित समय में उनको मकान मिल जायेगा और उसी कीमत पर मिलेगा जिस पर बुक किया जायेगा तो यह पहली बार हिन्दुस्तान में हो रहा है तो इस साल के लिए मान्यवर, हमने डेढ़ लाख मकानों का लक्ष्य रखा है । पहली बार हम सहकारिता के क्षेत्र में स्थापना करने जा रहे हैं । 70,000 मकान आश्रय योजना के सहकारी क्षेत्र के मद से बनाये जायेंगे । यहां का आवास संघ बहुत दिनों से कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं था कहीं कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देती थी, किसी को पता नहीं था कि कितनी धनराशि है । मान्यवर, डेढ़ लाख यह मकान और 3 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, इस प्रकार से साढ़े 4 लाख मकान देने वाला यह उत्तर प्रदेश राज्य होगा । जो मकान बनाये जा रहे हैं यह कल्पना नहीं है, हकीकत है । आज दूसरे राज्य के लोग यहां पर देखने आ रहे हैं कि कैसे 5 रुपये में मकान मिल रहा है इसमें एक विशेष बात यह भी है कि इसमें कोई सरकार के ऊपर भार डालकर या कोई सब्सिडी की राशि नहीं दी जा रही । विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जो इधर-उधर हो जाता था उसकी बरबादी को रोककर सबको एक जगह लाकर एक विकास की दिशा दी है । मैं अपेक्षा करता हूं कि उन गरीबों को मकान दिलाने में सहयोग करें । लखनऊ में मान्यवर, राजधानी है, सड़कों के किनारे बसे हुए लोग हैं ।

शायद यह भी अपनी तरह का पहली बार उत्तर प्रदेश में कानून पास हुआ है, जब सरकारी जमीन पर कब्जा करने को संज्ञेय अपराध बनाया गया है । जो भू–माफिया हैं, बड़ी-बड़ी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं और गरीब आदमी दर-दर घूम रहे हैं । अब इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर दो साल की सजा तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना होगा । आज मुझे यह कहते हुये बड़ा संतोष हो रहा है कि इसके लिये नौकरशाही को भी उत्तरदायी ठहराया गया है क्योंकि जिन लोगों के ऊपर सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, यदि वह इसकी रक्षा न करें और भू–माफियाओं के साथ मिलकर कब्जा कराते हैं तथा गरीब लोगों का शोषण कराते हैं,उनके भी जेल जाने की व्यवस्था इस कानून में बनी है । आवास के क्षेत्र में हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है ।

मान्यवर, जैसे किसी का एक छोटा सा मकान है, पुरानी बस्ती में है, पूर्वज बनवाकर छोड़ गये, यदि वह उसमें मरम्मत कराना चाहता है, प्लास्टर कराना चाहता था तो उसका शोषण होता था और भ्रष्टाचार के कारण उसके सामने बड़ी दिक्कत आती थी और उसका पैसा तमाम बीच के लोग लूटकर ले जाते थे इसलिये हमने नक्शा पास करने की योजना को सरल कर दिया है । आवासीय मकान के लिये अब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं रहेगी । किसी मकान के अन्दर परिवर्तन करने हेतु नक्शे की जरूरत नहीं होगी । यदि 300 मी० तक का भूखण्ड है तो उसके लिये किसी मान्यता प्राप्त आर्कीटेक्ट से नक्शा बनवाकर यदि उसे दाखिल कर दें और उसके लिये निर्धारित धनराशि जमा कर दी जायेगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी, इस प्रकार भ्रष्टाचार का एक स्रोत बन्द हो गया । अब केवल जो भी नक्शे की प्रक्रिया रहेगी, वह ग्रुप हाऊसिंग वाले जो बड़े-बड़े मकान बनाते हैं, उनके लिये तथा जो कामर्शियल काम्प्लेक्स बना रहे हैं, होगी । आप लोगों को जो साहित्य मिला होगा, उसमें एक पुस्तिका आवास विकास परिषद् की तरफ से छपवाकर दी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भूखण्डों के नक्शे बने हैं, उनमें से आवंटी कोई भी माडल चुन सकता है, अब उसके लिये उसे नक्शा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी । वह अब यह बता देगा कि उसने अमुक प्रकार का नक्शे का माडल स्वीकार किया है, अब हम इसी प्रकार सारी प्रक्रिया को सरल करते चले जायेंगे जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो ।

आज सभी विकास प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दिवालिया हो गई है । आवास विकास परिषद् इतना कर्जदार है, जिसको कहीं से ऋण मिलना बन्द हो गया था । आज यह संस्थायें, अपवाद को छोड़कर ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि अपनी किश्तों को समय से दे रहे हैं और आज उन्हें अपनी नई

अपनी नई योजनायें शुरू करने हेतु संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अभी तक उनके लिये जो दरवाजे बन्द थे, वह अब खुल गये । मान्यवर, आवास और नगर विकास एक दूसरे के पूरक हैं । अगर सड़कों के किनारे झोपड़ियां होंगी, नालों के ऊपर होगी, तो निश्चित रूप से पर्यावरण बिगड़ेगा और बीमारियां फैलेगीं । स्वास्थ्य की स्थिति खराब होगी । शहरों को साफ करने के लिये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है । तीन प्रकार के कचरे हैं, लखनऊ एशिया का एक ऐसा सौभाग्यशाली शहर है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है और इसकी अवस्थापना सुविधाओं के लिये किसी ने कुछ सोचा नहीं, कोई विशेष धन व्यय नहीं किया गया और तो और इसे आज तक राजधानी का दर्जा तक नहीं मिला ।

मान्यवर, उ० प्र० की इतनी विशाल जनसंख्या है और उसको देखते हुए यह कदम उठाना होगा कि कल आने वाली सन्तान को अगर रोजगार न मिल पाये कम से कम खुली हवा तो मिल सके, प्रदूषण मुक्त वातावरण तो मिल सके ।

मान्यवर, तीन प्रकार के कचड़े होते हैं । ये हर जगह हैं । बड़ी-बड़ी योजनाएं इसके लिए बनायी गयी हैं, बड़े-बड़े शहरों में वर्गीकल्चर की योजना लागू करना चाहते हैं । मान्यवर, एक तो रोज निस्तारित किया गया कूड़ा, अब तक उसके डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं है । पहली बार यह योजना शुरू की गयी है । कहीं-कहीं पर यह आंशिक रूप से शुरू हो गयी है इस तरह की व्यवस्था शुरु की जा रही है जिसमें कूड़े में केमिकल डालकर कचरे को खाद में बदल देता है वह बहुत ही रिच मन्योर होती है । घरों से कूड़ा ले जाते हैं और खाद बनाने का काम करते हैं । दूसरी प्रकार की योजना जो है वो यह है कि कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र लगाने की योजना बना डाली है । वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की सहायता से यह योजना बना डाली है । बिजली बनाने के कारखाने लगाये जायेंगे ।

तीसरी योजना यह है, लखनऊ राजधानी है । 70 प्रतिशत लोगों को सीवर की सुविधा नहीं उपलब्ध है अब हमने इसकी भी योजना शुरू कर दी है । मैं आमंत्रण देना चाहता हूं और सदस्य अपने यहां इसको लागू करें, जहां पर 20-20 साल से मैला उठाने का साधन नहीं था लोग एक कुण्ड में डाल जाते थे । तमाम तरह के कुण्ड आपने देखें होंगे लेकिन मैले के कुण्ड नहीं देखे होंगे । उनसे घातक बीमारियां फैल रही हैं, तमाम तरह के रोग फैल रहे हैं । वातावरण विषाक्त हो रहा है । अगर कीटाणु फैलेंगे तो क्या होगा ? इसके लिए बायो गैसे प्लाण्ट लगाये जा रहे हैं । उनमें सारा मल चला जायेगा और बिजली बनेगी और पानी की सप्लाई उसी से होगी । यह योजना शुरू की गयी है । वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से यह काम शुरू किया जा रहा है । तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं । मुझे प्रसन्नता होती है कि सारे भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए सूडा नाम की संस्था को बेस्ट अवार्ड मिला है, पहले इस संस्था को कोई जानता भी नहीं था ।

एक-एक योजना को लें तो देखेंगे कि शहरों के अन्दर पशुपालक की डेरियां चला करती हैं, बस्तियों के अन्दर चलती हैं । एक समय था जब यह कारोबार खुले मैदान में होता था और जानवरों का जो गोबर होता था उनसे कण्डे बना लिए जाते थे लेकिन आज वह गोबर बाहर नहीं जा रहा है बल्कि सीवर में जा रहा है । जिससे वह चोक हो जाता है । गोमती नदी के पल्युशन का सबसे बड़ा कारण यह है । एक माडल बनाकर भेजा गया है कि हर जगह दुग्ध ग्राम बसाये जायेंगे, लखनऊ में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है ।

हम उन्हें सस्ती जमीन दे रहे हैं वहां पर पानी, चारे आदि की व्यवस्था कर रहे है ताकि सभी आवश्यक सामग्री वहीं पर मिल जाये । पशु-चिकित्सालय, बच्चों के स्कूल तथा कम्युनिटी सेन्टर बनेंगे जहां पर सार्वजनिक कार्य हो सके । बिजली, पानी की व्यवस्था वहां पर होगी तो गोबर जो वहां होता है उसका वहीं पर डिस्पोजल करने के लिए बिजली बनायी जायेगी जिससे बिजली-पानी मिल सकेगा । इसी से स्ट्रीट लाइट भी मिल जायेगी । तो इस तरह से आत्मनिर्भर बस्तियां अलग-अलग लोगों के लिए बसायी

जा रही हैं यह अभिनव कल्पना है। यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। सारे देश में इन बातों की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में इतनी नहीं जितनी दूसरे प्रदेशों में चर्चा है कई प्रदेशों के माननीय मुख्य मंत्री ने हमें आमंत्रित किया कि बतायें कि पांच रुपये–दस रुपये में मकान कैसे मिल सकते हैं ? जो गंदगी मनुष्यों के लिए कष्ट कारी बन गयी थी उसकी सफाई के लिए आप क्या कर रहे हैं हमें भी बतायें ?

पेयजल की समस्या की बात है गर्मियो में यह बात उठी थी पानी की कमी है उसे हम स्वीकार करते हैं इसे हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुधार की दिशा में हम जा रहे हैं। बुन्देलखण्ड मण्डल की अभी बैठक हुई। मैं कह सकता हूं कि एक आधा साल बाद यह स्थिति नहीं होगी। आगामी 30 वर्षों में विशेष रूप से झांसी में पानी की कमी नहीं रहेगी। इतनी जल सम्पदा वहां पर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करेंगे उसका स्टोरेज होगा। अगले साल माननीय सदस्यों का सहयोग रहेगा तो वहां पर जब यह योजना पूरी हो जायेगी तो बुन्देलखण्ड में पानी की कठिनाई बहुत कम हो जायेगी विशेषकर झांसी में पानी इफरात होगी और 30 साल तक कोई नये जलाशय बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। गांवों को पाइप लाइन से जोड़ रहे है। मई–जून में हैंण्डपम्पों की रिबोरिंग तथा नये हैण्डपम्प लगाये गये। आज मुझे खुशी है बावजूद कठिनाइयों के जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उससे अधिक हैण्डपम्प लगाये हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि समीक्षा बैठकों में मुख्य मंत्री जी ने सारे कलेक्टरों से सूचना ली, कहां-कहां यह हैण्डपम्प लगे हैं, कितना कार्य हुआ, तो सभी ने स्वीकार किया, यह कार्य सन्तोषजनक हुआ है। हमारे पास संसाधन नहीं है यह हमें स्वीकार करना होगा लेकिन सीमित साधन होते हुए भी उनका सदुपयोग हमने किया है। यही कारण है कि हम पेयजल में सुधार कर पाये हैं। मैं समझता हूं कि मेरे साथी जो विभाग में कार्य कर रहे है वह अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता के धन की बरबादी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मान्यवर, डेढ़ सौ से अधिक चेयरमैन है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आये हैं।

मेरा किसी से परिचय नहीं है न कोई रागद्वेष है। मा० सदस्यों ने वहां के जनप्रतिनिधियों ने हमें सूचना दी कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर हमने कार्यवाही की। कई पर हमने जांच बिठाई है कई के वित्तीय अधिकार छीने गये हैं। कुछ लोगों को हटाया गया है। तीसरे चरण में हम अध्ययन कर रहे हैं। नौकरशाहों पर हम शिकंजा कस रहे हैं लेकिन जो निर्वाचित लोग है उनके साथ मिलकर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की यह प्रथम पाठशालाएं हैं। यहां से ही भ्रष्ट होकर निकलेंगे और संसद में पहुंचेंगे तो क्या कर डालेंगे, देश की क्या स्थिति होगी ? इसलिए इस पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। इसमें सभी मा० सदस्यों की और दलों की यही भावना होगी कि किसी न किसी तरह भ्रष्टाचार के रोग को रोका जाय और सार्वजनिक जीवन में यह प्रवेश कर रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम इसको रोके। मान्यवर, मलिन बस्तियों के लिए भारत सरकार ने जो नीति तय कर रखी थी उससे थोड़ा विचलन करके हमने काम कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि विचलन करके जो प्रयोग किया है भारत सरकार कि तरफ से वह माडल बनाकर भेजा गया है यही तरीका है केन्द्र सरकार की नगर विकास नीति को लागू और लाभ कारी बनाने के लिए। यहां पर ऐसी बस्तियां बन रही हैं मजबूरी में अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और मकान बनाकर रह रहा है तो उनको हटाकर 5-10 रुपये रोज पर उनको मकान देने की योजना बनाई है। गरीबों की बस्तियों में बिजली, पानी, नाली की सुविधा दी जा रही है। आज बस्तियों की एक श्रृंखला बन गई है मैंने भारत सरकार के सचिव से, देवगौड़ा जी के जमाने में कहा था कि मुझे स्लम इम्प्रूवमेन्ट शब्द से घृणा है आप इसे अपनी नीति से निकाल दें इसका मतलब है आप उनको वहीं रखेंगे। आप उनके लिए नया निर्माण करिये और यह उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया है। हम आश्रय योजना के अन्तर्गत, नगर विकास अभिकरण के अन्तर्गत आश्रय सुधार योजना में उनके मकानों को ईंट का बनाकर देंगे।

नाली बनाई जायेगी, सामुदायिक केन्द्र बनाया जाएगा, सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा, बच्चों के लिए स्थान होगा तो स्कूल भी बनाया जायेगा, स्नान घर बनाया जायेगा । उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी, उनकी चेकिंग के लिए चिकित्सकों का दल जायेगा । वहां स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त मिलेगा । इस योजना में गरीबों को एक ही स्थान पर यह सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी । इसकी सारे देश में चर्चा हो रही है, मुझे इस बात पर आत्मिक सुख प्राप्त होता है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में कीर्तिमान बनाता जा रहा है । मान्यवर, नगर विकास के लिए जितनी धनराशि इस बार भेजी गई है वह एक रिकार्ड है इससे पहले कभी इतनी धनराशि नगर विकास के लिए नहीं भेजी गयी थी । माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जिलेवार आंकड़े भी बता दूंगा ।

हमने धनराशि भी अधिक भेजी है और टैक्स भी नहीं बढ़ाया है । हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर टैक्स बढ़ाते नहीं हैं तो टैक्स की प्रक्रिया सरल करें ताकि जिन लोगों को टैक्स देना है अगर वह किसी तरह से मकानों के टैक्स से बच गये हैं उनको टैक्स के दायरे में लायें । हम टैक्स चोरी करने वाले लोगों के पक्ष में नहीं हैं । इस तरह से आज पूरे कार्यक्रम आवास और नगर विकास में हो रहे हैं चाहे वह जल सम्पूर्ति हो, चाहे नगर विकास अभिकरण हो, चाहे आवास हो या नगर विकास हो । इनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जो स्थानीय निकाय हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए । इनकी स्थिति भारत के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो यहां पर एक्ट बनाया गया था उसके ऊपर पूरी चर्चा नहीं हुई, उसमें बहुत सी कमियां रह गयी हैं, अब फिर से उस पर विचार किया जा रहा है । लेकिन मान्यवर, उसमें एक वित्त आयोग का गठन किया गया था । वित्त आयोग ने अपनी संस्तुति दी थी कि राज्य को जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका 7 प्रतिशत पैसा शहरी निकायों को दिया जायेगा । अब ह[illegible] और इस साल से शुरू हो गया है । कई बार माननीय सदस्यगण अपनी क्षेत्र की कुछ वि[illegible] अपेक्षा करते हैं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे अधिकार सीमित हो गये हैं, वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सारा का सारा पैसा सीधे वित्त विभाग से उस निकाय को भेज दिया जायेगा और उस निकाय को उसी धनराशि के अन्दर कार्य करना होगा । मान्यवर, यह अन्य राज्यों में नहीं हो पाया है लेकिन हमने कर दिया है ।

पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यहां बजाज कमेटी का गठन किया गया था, उसने अपने रिक्मेन्डेशन में स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर नहीं माना था लेकिन मैंने कहा कि जो सुविधा उन्हें मिल रही है उससे कम नहीं मिलनी चाहिये । मान्यवर, निकाय कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित कर दिया गया है । सभी निकाय ऐसी स्थिति में नहीं हैं वह बढ़ा हुआ वेतन दे सकें, मैंने यह तय किया है कि बढ़ा हुआ वेतन भार आधा राज्य सरकार वहन करेगी और आधा स्थानीय निकाय वहन करेगी । हम इन निकायों को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं । शहरों का विकास तब तक नहीं होगा जब तक यह आत्मनिर्भर नहीं बनेगीं और जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं बनेगी । मैं इस सदन के सम्मानित नेताओं और सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपने महत्वपूर्ण सुझाव व्यवस्थाओं में सुधार के लिए दें और इस मांग को पारित करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष कुमार जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(श्री अम्बरीष कुमार जी के खड़े होने पर)

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, अगर अनुमति हो तो एक सूचना देना चाहता हूं । अभी सुमनलता सिंह जी ने एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आवास या भूखण्ड प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य चाहते होंगे । मैं यह आश्वासन देता हूं कि जहां वह चाहेंगे, अपने जनपद में या लखनऊ में कोई भूखण्ड या मकान चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करेंगे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–2, आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अभी माननीय नगर विकास मंत्री जी ने आवास विभाग और नगर विकास विभाग दोनों विभागों का बजट प्रस्तुत किया । आवास और नगर विकास यह हमारी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं । आज भी हम जब पुरातत्व की बात करते हैं, तो पुरातत्व से किसी काल विशेष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, उसका अनुमान हम उस समय के जो भग्नावशेष इमारतों में मिलते हैं, उनसे अनुमान लगाया करते हैं और आज जो हम इस प्रकार की नीति निर्धारण करने जा रहे हैं, जो भवन हम बनाने जा रहे हैं, जो हम अपने नगरों का विकास करने जा रहे हैं वह केवल आज नहीं सदियों इस बात के गवाह रहेंगे कि हमारी सभ्यता कैसी थी ? हमारी सोच क्या थी ? हमारा चिन्तन क्या था ? हमारा विचार क्या था ?

अभी आवास विभाग के बजट के माध्यम से मंत्री जी ने एक बहुत आकर्षक शानदार चित्र उत्तर प्रदेश के आवास के संबंध में प्रस्तुत किया । लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह चित्र का ऐसा पहलू है जो वास्तविकता के धरातल पर कहीं खरा नहीं उतरता । अभी उन्होंने चर्चा की कि हम आश्रय योजना के अन्तर्गत ऐसे आवास बनाने जा रहे हैं जो हम पांच रुपये, दस रुपये, 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ऐसे लोगों को देंगे जो आश्रयहीन हैं और इस प्रकार उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जो शहरी आबादी है, वह लगभग दो करोड़ 80 लाख है । इस शहरी आबादी में जो सरकारी अनुमान है वह 30 प्रतिशत और जो विशेषज्ञों का अनुमान है वह 40 प्रतिशत गरीब है । यह 40 प्रतिशत आबादी ऐसे लोगों की है जो चाहे गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अथवा गरीब हैं उनके पास मकान नहीं हैं । मंत्री जी ने आश्रय योजना में बताया कि 40 हजार मकान वह देना चाहते हैं, जिसके लिए सहकारी आवास संघ की सहायता लेने की बात कही । भाऊ राव देवरस के नाम पर एक योजना चलाने की बात की गई । मंत्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने शहरी लोग हैं जिनके पास मकान नहीं हैं चाहे वह गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति हो । मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि हम इतने वर्षों में हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध करा देंगे । जिन 40 हजार आवासों की बात मंत्री जी ने कही है । तो शहरी क्षेत्रों में कुल आबादी का 40 प्रतिशत यदि हम गरीबी की रेखा से नीचे मानते हैं तो एक करोड़ से ऊपर गरीब लोग हैं । एक साल में अगर 40 हजार मकान बनाने की बात करते हैं तो आगामी 50 वर्षों में भी गरीबों को आवास उपलब्ध नहीं करा सकते । मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि गांवों से तेजी से शहरों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है । इस तरह से शहरों की आबादी बढ़ रही है । इससे आने वाले दिनों में निश्चय ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा । हम इन समस्याओं को कैसे हल करना चाहते हैं, कैसे हम शहरों में बढ़ रहे दबाव को कम करना चाहते हैं इस ओर मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहीं कोई संकेत नहीं किया । जिन एजेन्सियों से शहरों में कार्य सम्पादित होता है वह दो एजेन्सियां हैं एक आवास विकास परिषद् दूसरे विकास प्राधिकरण । यह विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के 24 शहरों में काम कर रहे हैं । मंत्री जी ने कानून का जिक्र किया कि उन्होंने ऐसा कानून पिछले वर्ष बनाया था जिससे जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसको संज्ञेय अपराध माना जाएगा और संज्ञेय अपराध के साथ-साथ ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने का काम करेंगे जिन्होंने अतिक्रमण करवाने में अपनी मदद की ।

केवल 11 शहरों में यह योजना थी । उस कानून में यह प्राविधान भी था कि जो लोग वहां से हटाये जायेंगे, हम उनको वैकल्पिक आवास देने की व्यवस्था करेगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध आपने कार्यवाही की है जिनको आपने षडयंत्र में पाया हो । मैं माननीय मंत्री जी का एक पत्र पढ़कर इस सदन में सुनाना चाहता हूं यह पत्र मंत्री जी द्वारा दिनांक 15-4-98 को सचिव, आवास को लिखा गया है । जिसमें यह लिखा गया है–हरदोई रोड पर स्थित नेपियर रोड कालोनी पर भूखण्ड संख्या 7 जिसके स्वामी पं० शिवशंकर शर्मा (उर्फ लालू शर्मा) भूतपूर्व विधायक लखनऊ पश्चिम हैं । हरदोई मुख्य मार्ग पर जो राजमार्ग की तरफ भूखण्ड है, उनके सामने फुटपाथ और सड़क चौड़ी करने के लिए जो जगह छूटी है जिसका स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का है, के सम्बन्ध में दिनांक 10-4-98 को पं० शिव शंकर शर्मा के सुपुत्र और उनके भाई यह शिकायत लेकर आये कि कोई व्यक्ति उनकी भूमि पर (विकास प्राधिकरण की भूमि पर) कुछ निर्माण कराना चाह रहे हैं । संयोग से उसी समय अधिशासी अभियन्ता (प्रवर्तन) विकास प्राधिकरण, श्री ए० पी० सिंह भी वहां आये हुए थे । मैंने उनकी शिकायत उनसे की और यह निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर कोई अवैध निर्माण न होने पावे। किन्तु मेरे स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी कुछ भू-माफियाओं से सम्पर्क बनाकर श्री ए० पी० सिंह ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण रोकने की कोई कोशिश तो नहीं की, वरन् उसमें सहयोग ही प्रदान किया ।

आगे माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही अपने विभाग की कार्यकुशलता के बारे में प्रकाश डाला है । शासन के उच्च निर्देशों के बावजूद भी इस अधिशासी अभियन्ता ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण रोकने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिये प्राधिकरण के ट्यूबवेल से पानी दिया गया और पार्क में स्थित पोल से बिजली दी गई । पूरे शहर में अवैध निर्माण इस समय इतने द्रुत गति से हो रहे हैं जितना इससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ । आगे मंत्री जी ने फिर लिखा है प्रवर्तन विभाग के प्रभारी होने के कारण श्री सिंह इसके प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं अवैध निर्माण के प्रसंग में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं । प्रशासन के दृष्टिकोण से ऐसे अधिकारी को दण्डित करना सबसे पहला कार्य है । आज ही इस संबंध में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें । इनके कहने के बावजूद भी अधिकारी ने उस भवन के निर्माण में सरकारी ट्यूबवेल से पानी दिया और सरकारी पोल से बिजली दी । माननीय मंत्री जी के आदेश कितने प्रभावी हैं, यह एक ज्वलन्त उदाहरण है । मान्यवर, आज जो प्राधिकरण हैं वह घाटे में क्यों चल रहे हैं ? यदि माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया होगा तो उन्हें इसकी जानकारी होगी । प्राधिकरण का काम भूमि अध्याप्ति करना, डेवलप कर भूखण्डों और भवनों को लाभ लेकर बेचना, नक्शा बनाकर और डेवलपमेंट चार्जेज लेकर, ये सब आय के स्रोत हैं । आपने माननीय मंत्री जी नगरपालिकाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है । जितनी बैनामे रजिस्टरियां होती थीं उसमें दो परसेन्ट का शुल्क मिलता था, उस दो परसेन्ट की छूट को आज तीन हिस्सों में क्यों बांटा जा रहा है । माननीय मंत्री जी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थित के बारे में चिन्तित हैं । .67 परसेन्ट आवास विकास परिषद् को प्राधिकरण को और .67 परसेन्ट नगर पालिका को मिल रहा है । यह विसंगति क्यों ? मैं तो कहूंगा कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये जो डेवलपमेन्ट चार्जेज विकास प्राधिकरण लेता है वह नगर पालिका को मिलना चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक प्राधिकरण की स्थिति है स्वयं मंत्री जी ने स्वीकारा कि भूमाफियाओं का अधिकार है । उनके द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है और भ्रष्टाचार के कारण ऊंचे दाम लिये जाते हैं । कोई और उस भूमि को अधिग्रहीत करने के लिये तैयार नहीं होता है । मैं प्रदेश की 16 करोड़ जनता को बताना चाहता हूं कि आज हालत क्या है ? किसी प्राधिकरण में चले जाइये नक्शा पास कराने के लिये । अभी मंत्री जी ने कहा था कि 300 मीटर का नक्शा जमा कर दीजिये किसी मान्यता प्राप्त नक्शा बनाने वाले के पास, वह स्वीकार समझा जायेगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि अगर नक्शा जमा कर दें और वह नक्शा जो बाई-लॉज बने हैं प्राधिकरण के, उसके हिसाब से न हो तो भी क्या वह पास माना जायेगा । आपने जो आदर्शवादी बात कही वह धरातल पर वास्तव में नहीं है । नक्शा जमा करने के बाद जो दिक्कतें और कठिनाइयां भुगत रहा है वही जान सकता है कि कितनी परेशानियां हैं । प्राधिकरण के मकान दो लाख रुपये की कीमत निर्धारित करके किश्त जमा की जाती है लेकिन जब तक मकान मिलेगा उसकी कीमत कई गुना बढ़ जायेगी। अगर कोई व्यक्ति जमा पैसा वापस लेना चाहे तो उसमें से काफी पैसा कट जाता है जिसको देखते हुए उसको बहुत दिक्कत होती है । आज प्राधिकरणों की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। इसका नाम विकास प्राधिकरण नहीं 'विनाश प्राधिकरण' होना चाहिए । मल्टीपिलसिटी आफ द एजेन्सी । जब आपके यहां विकास प्राधिकरण चल रहा है तो आवास विकास परिषद् क्यों चला रहे हैं ? जब दोनों के काम एक हैं, उद्देश्य एक है, तरीका एक है तो आप यह दो एजेन्सियां क्यों चला रहे हैं ? आवास विकास की गुणवत्ता की हालत यह है कि जो आवासीय कालोनी वह नगर पालिका को हस्तान्तरित करता है तो नगर पालिका उसको लेने से इन्कार करती है । कहती है कि हम आपके पाप को क्यों अपने सिर रखें ? जो इनको लेते हैं वहां पर डेवलेपमेंट का काम नहीं होता है, सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं हैं, सफाई के लिये सफाई कर्मचारी नहीं हैं । जब विकास प्राधिकरण से कहा जाता है तो वह कहता है कि आवास विकास में हम पैसा नहीं लगा सकते हैं यह हमारी कानूनी मजबूरी है । माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसका सिंहावलोकन कर लें । माननीय मंत्री जी ने बजट साहित्य में स्वीकार किया कि प्राधिकरण और आवास विकास के बहुत मकान ऐसे हैं जो खरीदे नहीं गये । आप समझ सकते हैं मकान की कमी है ऐसी स्थिति में जब बने बनाये मकान मिलते हैं तो कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं है। एक तो कारण यह है कि ऐसी जगह बने हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता, दूसरी बात यह है कि इतने खराब बने हैं कि खरीदने लायक नहीं हैं । इन दो बातों के अलावा तीसरी बात हो नहीं सकती ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का मामला सब जानते हैं 92 के मकान गिर गये हैं । दस साल पुराने मकान अपने आप ही गिर रहे हैं यह इनकी गुणवत्ता है । लखनऊ विकास प्राधिकरण हो चाहे कोई और जितने प्राधिकरण हैं इनके चर्चे हर मैगजीन हर पेपर में छपे हैं । सचिव की बात छोड़िये, इन्जीनियर और बड़े अधिकारियों की बात छोड़िये । एक्वीजिशन में जो छोटे-छोटे क्लर्क हैं इनकी हैसियत करोड़ों की है । मान्यवर, मैं और भी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था लेकिन हमारे साथी अवस्थी जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे । हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं । माननीय मंत्री जी बैठे हैं। अपने बजट साहित्य में इन्होंने लिखा है कि आपने प्राधिकरण और आवास विकास में एक अवस्थापना कोष बनाया है और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे ? सम्बन्धित संभाग के आयुक्त करेंगे । प्राधिकरण की भी एक लम्बी लिस्ट है, विकास परिषद् की भी एक लिस्ट है कि कौन इसके सदस्य होंगे कौन नहीं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी जनतांत्रिक व्यवस्था के कारण मंत्री हैं । पहले एम० एल० ए० हुए फिर मंत्री । लेकिन इस कुर्सी में मैं नहीं जानता कि क्या बात है कि इस कुर्सी पर बैठते ही लोग वह स्थिति भूल जाते हैं जब लोगों से वोट मांगकर जनतंत्र को बचाने के लिये कहते हैं । उन उद्देश्यों को भूल जाया करते हैं किसी प्राधिकरण में कोई विधायक सदस्य नहीं है अवस्थापना कोष कमेटी जो आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई है उसमें कोई एम० पी०, एम० एल० ए० नहीं है, मैं कहना चाहता हूं इस तरह से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है, जनप्रतिनिधियों को इसमें न रखने के कारण भी प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । मान्यवर, मैं इंगित नहीं करता ऐसी बात नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है और विधान सभा में हम एक दिन में बैठकर भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हैं मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं दुनिया के लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जहां बैठे हैं वहां अधिकारियों पर अंकुश रहता है लेकिन सारे कार्य अधिकारियों के हाथ में देकर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके आपने यह साबित कर दिया है कि यह सरकार अफसरशाही की सरकार है और अधिकारियों से इसकी मिलीभगत है ।

एक गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है मान्यवर, आराजी भूखण्ड नम्बर 29, 29/2/बर्रा 17 बीघा 17 वि० 7 बीघा ग्राम सभा की भूमि इसी प्राधिकरण से 7 बीघा 7 बिसवा समाहित हुई है कानपुर प्राधिकरण से सम्बन्धित है शेष 10 बीघा भूमि प्राधिकरण ने अध्याप्ति कर ली है । अवार्ड संख्या 37, 31-12-68 को अवार्ड दिया गया । 8-10-85 को कब्जा हुआ कब्जे के बाद मालिक देश राज कपूर ने उस पर कब्जा कर लिया दो बार अवैध कब्जा हटा लिया गया । उसके-बाद 30-3-91 को इस पर मूल रूप से कब्जा कर दिया गया । इसमें प्रार्थना-पत्र दिया कि 16 लाख रुपया लेकर इस कब्जे को नियमित कर दिया जाए । मान्यवर,जमीन की कीमत है सात करोड़ । जब यह प्रश्न सामने आया कि 16 लाख में सात करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जा नहीं हो सकता है नगर भूमि सीमा रोपण के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं है तो मान्यवर, 29 लोगों की लिस्ट दे दी गई कि हमारे अकेले के नाम नही तो 29 लोगों का कब्जा इस पर मान लिया जाए । 16 लाख रुपये में सात करोड़ की जमीन मलिक देश राज कपूर को दी जाए इसमें एक वी० सी० ने धन लेकर यह काम कर दिया लेकिन बहुत से जागरूक लोग हैं । प्रेमलता कटियार और बालचन्द्र मिश्र जी ने एक पत्र सचिव आवास को 21-7- 92 और 22-7-96 को लिखा । पत्र संख्या 3313/9 आ–3-97-54/97, 23-10-97 को आयुक्त को जांच हेतु पत्र लिखा आयुक्त ने जांच की । पत्र संख्या–5337/शि०/97/12-3-97 को जांच रिपोर्ट दी उसमें लिखा अनियमित है गैर कानूनी है । एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कुकृत्य किया गया है । 21 अक्टूबर, 1997 को यह मामला सामने आ गया कि कानपुर के एक मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं हो सकता है उनके सम्बन्धियों का मामला हो । उन्होंने सब आख्याओं को दबा दिया और 23-10-97 को अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने खत लिखा कि सात करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री 16 लाख में कर दी जाय । तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है । इनके विधायक लिख रहे हैं और माननीय मंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं । इससे बड़ा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाय । अगर इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है हम लोग भी चुप रहने वाले नहीं हैं । आज मैं इस सदन के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं तो यह मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं.....

*श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

इसी के साथ मैंने प्राधिकरण की बातें आपके सामने रखी हैं । हमारे दूसरे साथी पुत्तू अवस्थी जी हैं वे आवास विकास विभाग के बारे में आपके सम्मुख चर्चा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह दोनों कटौती का प्रस्ताव माननीय अम्बरीष कुमार जी की तरफ से आया है तो वही इसमें कटौती रख सकते हैं । जब चर्चा होगी तो मैं उनको थोड़ा ज्यादा समय दे दूंगा । मेरे पास समाजवादी पार्टी के 20 सदस्यों के नाम हैं.....

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, आवास पर तो हमको रखना है।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन कटौती का प्रस्ताव तो माननीय अम्बरीष कुमार जी रख चुके हैं।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, हम लोग यहां पर 11 बजे, 12 बजे तक बैठने को तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास इस समय समाजवादी पार्टी के 20 सदस्यों के नाम हैं, बसपा के 7 सदस्यों के नाम हैं, 11 नाम सत्ता पक्ष के सदस्यों के हैं तो इस तरह से कुल 38 माननीय सदस्यों के नाम हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दलों के चार पांच सदस्य होंगे तो इस तरह से 43 सदस्यों के नाम हो जायेंगे । तो यदि मैं दो-दो मिनट हर सदस्य को देता हूं तो वह अपनी बात कह नहीं पायेंगे।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सम्भावना पर तो काम चल नहीं सकता है जो वास्तविकता है जो माननीय मंत्री जी ने रखा है उसमें बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहेंगे। देर तक बैठने का लाभ यह होगा कि जो यह सरकार लाबादा ओढ़कर आती है उसका परदा फाश हो सकेगा।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप अनुमति दें या न दें यह बाध्यता नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। जो परम्परा है एक माननीय सदस्य कटौती रखते हैं और बाकी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उसमें चर्चा में भाग लेते हैं। तो वह कटौती का प्रस्ताव पुत्तू अवस्थी द्वारा रखा जाना है । मान्यवर, एक लेप्स कम्युनिकेशन का मेरे पार्ट पर था दोनों कटौतियों का प्रस्ताव माननीय अम्बरीष जी ने प्रस्तुत कर दिया। मान्यवर, अपवाद स्वरूप यह स्थिति है नगर विकास पर कटौती पर अपने विचार यथावत् माननीय अम्बरीष जी ने रख दिये आवास पर माननीय पुत्तू अवस्थी जी को कृपा कर सुन लें। अगर इस पर आपकी अनुज्ञा होगी तो। मान्यवर, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी टेक्निकली यह रखेंगे जवाब ये देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, चौधरी जी, दोनों कटौतियों पर प्रस्ताव माननीय अम्बरीष जी ने रख दिये, कटौती तो नहीं, माननीय अवस्थी जी को विचार रखने के लिये ज्यादा समय दिया जा सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन में बजट पारित होना है, यह बोलना चाहते हैं तो कृपया बोल लेने दें अवस्थी जी को।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर किसी को आपत्ति हो तो बात अलग है इसी सदन में इसी सत्र में ऐसे उदाहरण रहे हैं आपकी कृपा होगी आप यह अनुमति दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने बहुत विचार करने के बाद दो-दो मिनट समय देना उचित न समझ कर एक निर्णय लिया है। मैं चाहूंगा कि आप की सहमति उसमें मिले। समाजवादी पार्टी की जो सूची आयी है मैं प्रयत्न करूंगा कि जो सदस्य पहले नहीं बोले हैं, उनको अवसर दिया जाए। इसी प्रकार 6 माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी के, 5 माननीय सदस्य अन्य दलों के और 9 माननीय सदस्यों की सूची सत्ता पक्ष की रहे और प्रत्येक को 4-4 मिनट का समय देता हूं। लगभग पौने 2 घण्टे का समय लग जायेगा। इस पर आपकी सहमति हो।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक ऐसा उदाहरण जिसमें सीधे-सीधे अपनी भूलों को सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने मैंने स्वीकार करने का काम किया है श्रीमन्, हमारा छोटा सा निवेदन था, इसके बावजूद अगर आपका संरक्षण नहीं मिलेगा, तो हम किससे अनुरोध करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय अवस्थी जी को अवसर दे रहा हूं। अगर इस पर आपकी सहमति हो जो मैंने बात रखी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो आप वहां से फैसला लेंगे, वह मानेंगे ही, हमारी सहमति से तो सदन चलता नहीं है।

आवास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, डिस्क्रिमिनेशन एमांग दि क्लॉस नहीं होना चाहिए सभी माननीय सदस्यों को एक समान अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

यह विशेष परिस्थितियों में है।

श्री बाबू राम यादव–

आपके निर्देश पर तो सदन चल नहीं सकता मंत्री जी, माननीय अधिष्ठाता के निर्देशों से ही चलेगा सदन।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय राज्य मंत्री जी के विभाग का बजट है, अगर कोई सुझाव दिया जाय तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े सुहावने सपने दिखाये हैं, वह बहुत अनुभवी हैं। मान्यवर, चांद में दाग बहुत हैं लेकिन दूर से चांद बहुत चमकीला नजर आता है। बहुत गर्व के साथ माननीय मंत्री जी ने इतिहास की बात, वर्तमान की बात कही लेकिन शायद अतीत को भूल गये, यही सदन है, यही सभा कक्ष है और शायद मैं सौभाग्यशाली हूं कि 1992 के बाद आज नगर विकास और आवास का बजट रखा गया और उसकी कटौती पर मैं बोल रहा हूं और वह कटौती भी मैंने पेश की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे सदन की कार्यवाही के अन्त में बधाई दी थी और पीठ के माध्यम से मुझसे परिपत्र लिये थे 900 करोड़ के घोटाले के और आज वह अधिकारी बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं जो हटाये गये थे 3 दिन पहले इसी लखनऊ शहर से और आज उनके हाथ में नीति का नियंत्रण है।

माननीय मंत्री जी, तमाम बातें खंडित हो जायेंगी, और सदन में झूठ बोलने की जिम्मेदारी आप पर आयेगी। आप उस व्यवस्था के प्रहरी हैं हमारे भी पूर्वज इस व्यवस्था के प्रहरी हुआ करते थे तो जब

चौकीदार पर आरोप लगता है तो आरोप केवल इस बात पर लगता है कि चौकीदार की शह पर चोरी हुई । आप बड़े गर्व के साथ 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये में आवास बनाने की बात कर रहे हैं । (इस समय 4 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौकब हमीद पीठासीन हुए ।) अब आवास बनाने कौन जा रहा है आपने आवास निर्माण इकाई का नाम नहीं लिया, आवास निर्माण इकाई का नाम है उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, कौन सा संघ इसको बनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश सरकारी संघ का सिजरा देख लें । उत्तर प्रदेश सरकारी संघ के अध्यक्ष के ऊपर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने साढ़े आठ करोड़ के गबन की नोटिस दे रखी है नोटिस अप्रूव हो चुकी है ।

(माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी से व्यवधान)

माननीय मंत्री जी अपने विभाग के काले चेहरों को बचाने की कोशिश मत कीजिए । मैं आपको कहां तक बताऊं लखनऊ नगर पालिका की जमीन तकरोही पर बनाने जा रहे लेकिन क्या आपके संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के वर्तमान अध्यक्ष उसकी कार्यप्रणाली क्या है, वन विभाग की जमीन पर किसने कब्जा कर लिया एक सोसाइटी के नाते और उस सोसाइटी का अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का अध्यक्ष है जिसने जंगल विभाग की मात्र 32 एकड़ जमीन कब्जा की है । आपको यह जानकारी है कि आवास संघ का भवन टूटने जा रहा है और वहां एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है । एक फ्लोर पर उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, दो फ्लोर किसी और को दी जा रही है और बाकी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के दो डायरेक्टरों को आब्लाइज किया जा रहा है गबन को दबाने के लिये । आपका मास्टर प्लान टूटेगा और आप देखेंगे । आपके निर्वाचन क्षेत्र में इन्क्रोचमेंट ध्वस्त किया गया, क्या रूपानी की दुकान हटायी गयी । जनपद की दुकानें ध्वस्त की गई, जिन्होंने 300–400 फीट कब्जा कर लिया, वेसमेंट बना लिये, क्या आपका इनक्रोचमेंट दस्ता कभी गया, वहां तोड़ने के लिये । आज लखनऊ का हर समाचार-पत्र रंगा है, और आपने इस बरसात में गरीब के सिर से उसकी छत खींच ली ।

मान्यवर, इस शहर का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास आपके ही क्षेत्र में पल्लवित हुआ, आज से 18 बरस पहले 1970-72 की बात है, इसी नवल किशोर रोड पर लाला राम आसरे की मिठाई की दुकान है, एक बहुत इमानदार बाइस चेयरमैन आया है, उसने बताया था कि यह गलत है । मुरादाबाद के स्केन्डल की आप सी०बी०आई० से जांच करा लें, प्रभात कुमार के खिलाफ तमाम आरोप हैं और आप उन्हें इमानदार बता रहे हो । यह सदन न आपका है, न मेरा है । मैं इस सदन की कार्यवाही के 3 शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं । माननीय कल्याण सिंह जी उस समय मुख्य मंत्री थे । श्रीमन्, मैं सुरेन्द्र अवस्थी को बधाई देता हूं, उन्होंने कटौती के प्रस्ताव को बहुत तैयारी से रखा, भ्रष्टाचार के जो मामले उठाये, उनकी आंच कराऊंगा, उसी दिन उन्होंने मुझे टेलीफोन भी किया । अधिष्ठाता महोदय, इस पीठ से भी निर्देश हुये थे । मैंने पहले भी कहा था कि मास्टर प्लान में खेल हुआ है, यूनीटेक, साउथ सिटी, आसक्त एल्डिको, यह संस्थायें जिनको जमीन दी गई, क्या उन्होंने मानकों का पालन किया और गरीब आदमियों को कितने मकान देने का काम किया, कितनी इन्क्वायरी हो रही हैं, आप बता दें? गाजियाबाद में गंगा सागर वाटिका हिन्दुस्तान के बड़े पूंजीपति सागर सूरी बनवा रहे हैं, उनकी पैरोकारी में आपके दल के एक सांसद, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप बताइयेगा कि पाप में हम लिप्त थे कि आप थे, यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, सपा का था, बसपा का था। मान्यवर, प्रश्न इस बात का नहीं है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है लेकिन सत्ता के साथ आपका व्यक्तित्व तिरोहित हो गया है, तो उसे कहां से लायेंगे । आपने एक बात बड़े गर्व से कही, उसके लिए साधुवाद दूंगा। नक्शा पास करने की बात कही और आपने कहा कि आवासीय नक्शा जो 300 मीटर तक का होगा, पास हो जायेगा । बिल्कुल पास हो जायेगा, पास होते रहे हैं और हो जायेंगे । धन देने वालों में कौन है, निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं है, जिसको

पांच हजार गज का नक्शा पास कराना है, नक्शा पास कराना है व्यवसायी को और बड़े-बड़े कालोनाइजर्स को, वही पैसा देने वाले हैं। आपकी एक टैक्निकल कमेटी है । कई विभागों से एन०ओ०सी० लेना पड़ता है । नक्शा पास कराने का क्या रेट है । किसी व्यवसायिक भवन का नक्शा पास कराना है तो 1000 गज का रेट कहा जाता है और पांच हजार पर सेटिलमेंट होता है । किसका हिस्सा कितना है यह नहीं मालूम है ? मुझसे कहा जाता है कि टण्डन जी से बात कर लें । आपके अच्छे संबंध हैं । आप सिफारिश तो कर देंगे लेकिन दाम तो देना ही पड़ेगा । आप लाख सिफारिश करें, वह रद्दी की टोकरी में चला जायेगा । आप बंटवारे को छोड़ दें । जो लुटेरे हैं, वही डोली के सहयोगी हैं जो शिकायतें होती हैं उनका निस्तारण आयुक्त करते हैं । लखनऊ में जो आयुक्त हैं उनसे मैं 1985 में मिला था, तब वह तत्कालीन तेल मंत्री के विशेष सहायक हुआ करते थे । मैं मा० मंत्री जी को गुरूदेव कहता हूं, इनसे बहुत कुछ सीखा है ।

श्री बाबू राम यादव–

पैसे का लेन-देन मत सीखों और सब कुछ सीखो ।

(हंसी)

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी––

आपने बड़े पैमाने पर इन्क्रोचमेंट ड्राइव चला रखा है । मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । इस शहर में कितने व्यावसायिक भवन हैं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं प्रोन्नत किये गये हैं या आवास विकास द्वारा प्रोन्नत किये गये हैं, आज तक वह खाली पड़े हैं । गोमतीनगर योजना में कितने सरकारी कार्यालय आवासीय भवनों में चल रहे हैं । वह आवास किसके हैं, अधिकारियों के हैं या बड़े बड़े नेताओं के हैं हरदोई रोड पर चलने वाली छोटी सी दुकान को तोड़ने का क्या औचित्य है ? तीन चौथाई मकान वरिष्ठ अधिकारियों के हैं उनमें सरकारी कार्यालय चल रहे हैं अगर हमारी बात असत्य हो, तो मैं त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूं अन्यथा माननीय मंत्री जी उत्तर दें । लखनऊ में गोमतीनगर के आवासों में 60 प्रतिशत सरकारी अधिकारियों के भवनों में कार्यालय चल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है ?

एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी आपने आवास विकास परिषद के बारे में कहा तो यहां पर काफी चर्चा अम्बेडकर योजना और अम्बेडकर पार्क को लेकर हुई है । यहां पर एक अधिकारी थे जिन्होंने यह योजना तैयार की थी । सम्मानित एस० डी० मिश्रा बहुत योग्य अधिकारी रहे होंगे, पूरी योजना उन्हीं के द्वारा तैयार की गयी है । उनको आपने वहां से हटा दिया । मैं मा० मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी परिस्थिति थी कि जब एक व्यक्ति दागी होता है तो उसके लिये नया पद उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में सृजित कर दिया और वह टेक्निकल एडवाइजर बना दिये गये और एक तरफ गम्भीर आरोप की जांच हो रही है तो उनके लिये आवास विकास परिषद् में एक विशेष पद सृजन कर बैठा दिया तो आखिर में वह कौन से कारण थे ?

आवास विकास परिषद् के बारे में आप अच्छी बातें कह रहे हैं लेकिन आपकी जानकारी में है कि आवास विकास परिषद् का वास्तविक खर्चा और वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों के तनख्वाह पर कितना खर्च होता है ? इसमें कितना फर्क है ? आवास विकास के टोटल बजट का 60–65 प्रतिशत बजट वेतन में जा रहा है । जो कार्य पहले एक एकाउन्टेन्ट करता था आज 36 हैं । कुल आपके 40 खण्ड हैं । एक खण्ड में मासिक खर्च 4 लाख रुपये मान लें तो एक करोड़ 60 लाख रुपया आता है तो इतना अधिक प्रशासनिक व्यय है जिसमें तीन करोड़ रुपया जा रहा है । आपने उत्तर प्रदेश आवास विकास के मकानों के आंकड़े दिये बड़े गर्व से कहा कि इतने मकान बनायें । भारत सरकार और आपके आकंड़ों में बहुत फर्क है । उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी आवासों का जो लक्ष्य है उसमें उत्तर प्रदेश में 133152 और शहरी क्षेत्र मे 71741 है लेकिन यह होगा कैसे ? कोई गतिशील एजेन्सी है

नहीं। कोई व्यवस्था का आपने सृजन किया नहीं है तो यह कैसे बनेगी ? आपने अपने एक भाषण में कहा कि प्रदेश में एक लाख 23 हजार 950 ग्राम हैं यदि एक ग्राम में एक आवास भी बन जाये तो ग्रामीण क्षेत्र के लिये लक्ष्य पर पहुंचने के लिये कोई बाधा नहीं होगी लेकिन सच तो यह है कि ग्रामीण आवास हेतु अनुकूल सुविधाओं का व्यापक अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। इस लक्ष्य को पाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिकां निभाने वाले निर्मित केन्द्रों का सुव्यवस्थित नेटवर्क अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं हो सका। करोड़ों रुपये की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गयी है लेकिन उसका इस्तेमाल न करने के कारण वह केन्द्र सरकार को वापस करनी पड़ी तो इस प्रकार राष्ट्रीय आवास ऋण की सुविधा का लाभ हम नहीं ले पायें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हम उस योजना से लाभान्वित नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि इस योजना का पता भी लगाना मुश्किल है कि ग्रामीण आवास विभाग किस विभाग का नाम है। सन् 1994 मे पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन हुआ था उसमें ग्रामीण आवास का कार्यान्वयन एक मुख्य ध्येय था लेकिन आज तक कोई शासनादेश उस व्यवस्था के लिये नहीं हुआ जिसके अभाव में कौन सी कार्यवाही करनी है, नहीं मालूम है।

मान्यवर, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, 1992 में एक शासनादेश जारी हुआ था जो आपके पास होगा उसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव आवास ने सचिव ग्राम्य विकास से कहा है कि प्रचलित आवास नीति के अन्तर्गत ग्रामों आर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता बतायी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ की आबादी दुनिया के किसी शहर की तुलना में बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधायें कम हैं और लखनऊ में ज्यादा है। इसीलिये पूर्वान्चल से लेकर पश्चिम तक के लोग लखनऊ में आ गये क्योंकि वहां आज तक आवास योजनायें नहीं बन सकी हैं।

हम आज आजादी की 50 वीं साल गिरह मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी आप बजट भाषण में बताइयेगा कि हडको द्वारा कितने माडल निर्मित केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। माडल निर्मित केन्द्रों के अन्तर्गत कितने का प्रस्ताव किया गया है और कितने बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माडल निर्मित केन्द्रों की सोचनीय स्थित है इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि योजना 88 में परिचालित हुई लेकिन 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश के 83 जिलों में से केवल 46 जिलों में निर्माण की स्वीकृति हुई।

मान्यवर, यहां पर मैं पूर्वान्चल का उल्लेख करना चाहूंगा। पूर्वान्चल में आवासीय योजनायें अवरुद्ध है। उत्तर प्रदेश में पूर्वान्चल सर्वथा उपेक्षित रहा है। उत्तर प्रदेश में आवासीय दृष्टि से पूर्वान्चल की स्थिति क्या है यह मैं बताना चाहता हूं। आजमगढ़ मंडल में कोई विकास प्राधिकरण कार्यरत नहीं है। इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद में कार्यरत है अन्य जिलों में नहीं है। इसी तरह से बस्ती मण्डल मे कोई विकास प्राधिकरण नहीं है। फैजाबाद मंडल में केवल फैजाबाद में विकास प्राधिकरण कार्यरत है। अन्य जिलों में विकास प्राधिकरण नहीं है। इसी तरह से गोरखपुर मण्डल में केवल गोरखपुर में विकास प्राधिकरण कार्यरत है अन्य जिलों में नहीं है। मिर्जापुर मण्डल में केवल मिर्जापुर में कार्यरत है अन्य जिलों में नहीं है। इसके अलावा वाराणसी मण्डल में केवल वाराणसी में कार्यरत है अन्य जिलों में विकास प्राधिकरण नहीं है। मान्यवर, अब मैं आपके सामने पूर्वान्चल में आवास विकास परिषद् के गतिविधियों के बारे में बताना चाहता हूं। आजमगढ़, बलिया, मऊ में भूमि अर्जन लम्बित है। इलाहाबाद में योजना संचालित है। कौशाम्बी में योजना नहीं है। प्रतापगढ़, बस्ती में योजना हेतु भूमि अर्जित नहीं की गयी है। सिद्धार्थनगर, कबीर नगर गोण्डा में योजना संचालित है लेकिन भूमि अर्जन लम्बित है। फैजाबाद में योजना संचालित है। बलरामपुर में कोई योजना नहीं है। अम्बेडकर नगर में योजना संचालित नहीं है। बाराबंकी में योजना संचालित है। सुल्तानपुर में भूमि अर्जन लम्बित है तो मान्यवर, यह आपके आवास विकास परिषद् की पूर्वान्चल के संदर्भ में स्थित है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1985 से मई 1998 तक प्रदेश स्तर पर कुल रुपया 14067.43 लाख की लागत से 9059.96 एकड़ भूमि आवासीय कालोनी बनाने हेतु खरीदी गयी है।

यह आपका उत्तर है । इसके अगले चरण में आपने कहा कि उसमें से 4676.28 एकड़ क्षेत्रफ में कालोनी बनायी गयी उस पर निर्माण एवं विकास कार्य अभी होना सम्भव नहीं है । मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं ...।

श्री अधिष्ठाता–

अवस्थी जी अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं मानता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में एक योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है लेकिन वह तकनीकी नहीं है । आंकड़ों की जालसाजी बड़े पैमाने पर है । जब राजाजीपुरम् एवं इन्दिरानगर आधा लुट गया तब आपको होश आया । वन मंत्री जी, वन विभाग की भूमि अभी भी उसमें चली गयी । आज उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में सबसे ज्यादा घोटाला है इस को आप दिखवा लें, पूरी स्थिति आपके सामने आ जायेगी। बारह सोसाइटियां एक पार्क रोड के पते पर दर्ज हैं इनका एक ही मकान नम्बर है और वह उत्तर प्रदेश आवास संघ अध्यक्ष के नाम हैं इन बारहों सोसाईटियों को कितने जमीन का आवंटन हुआ है यह आप अपने प्रपत्रों में दिखवा लें ।

मान्यवर, मैं गाजियाबाद के दस सोसाईटियों का नाम पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं जिनको जमीनें दी गई हैं । आ० ज० जा० परिषद् सहकारी आवास समिति 6 एकड़, दि परिवहन सहकारी आवास समिति 4 एकड़, यू० एच आई० कर्मचारी आवास समिति–1 एकड़, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् कर्मचारी समिति–6 एकड़, हिमालय आवास समिति–4 एकड़, जनसत्ता आवासीय समिति–2 एकड़, सहयोग सहकारी समिति–2 एकड़, विधायक सहकारी आवास समिति–2 एकड़, पत्रकार सहकारी समिति–2 एकड़, एकलव्य सहकारी समिति–6 एकड़ । इस प्रकार 45 एकड़ जमीन इन सोसाइटियों को दी गयी । 1998 में एकलव्य सहकारी आवास समिति को 1 एकड़ जमीन और दी गई है । इनका कर्ता-धर्ता उत्तर प्रदेश का एक वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी है और इसके सदस्य कई वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी हैं । मेरा यह कटौती का प्रस्ताव मात्र सुझाव देना है कोई आरोप लगाना नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय को आप गम्भीरता पूर्वक देख लें । मैं उम्मीद करता हूं कि आप भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री गोमती यादव का नाम पुकारे जाने व उनके खड़े होने पर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री अम्बरीष जी ने एक ही विभाग पर अपने कटौती के संबंध में विचार रखे । उसके बाद श्री सुरेन्द्र नाथ जी को मौका दिया गया । और यह तय हुआ कि बाद में यह नगर विकास पर अपने विचार रख लेंगे । इसलिये श्री अम्बरीष जी को अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष जी ने कटौती का प्रस्ताव तो दोनों पर रख दिया था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री अम्बरीष जी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । अम्बरीष जी पांच मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने पहले श्री गोमती यादव को अपनी बात रखने का अवसर दिया उसके बाद पुनः किस नियम के तहत श्री अम्बरीष जी को बुला रहे हैं ? श्री अम्बरीष जी ने दोनों विभागों पर कटौती प्रस्ताव रखा था ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, अगर सत्तापक्ष वाले संख्याबल के आधार पर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनको भी बोलने नहीं दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी जब उत्तर दें तब अपनी बात रख लें ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपने निर्णय लिया था कि अम्बरीष जी अपनी बात पांच मिनट में रख लें । लेकिन अब सचिव की पर्ची पर अपने निर्णय को बदल रहे हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । आपने व्यवस्था दी कि गोमती यादव अपनी बात रखें उसके बाद फिर से अपना निर्णय बदल रहे हैं ।

एक बार कटौती प्रस्ताव रखने के बाद दुबारा कभी मौका नहीं दिया गया है । यह मैं पिछले दस वर्षों से देख रहा हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान लगातार जारी रहा)

डा० वकार अहमद–

मान्यवर, यह पीठ की अवहेलना हो रही है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

पीठ से गोमती यादव को बुलाया गया है । उसके बाद पुनः श्री अम्बरीष को बुलाना किन नियमों के अन्तर्गत आता है ? मान्यवर, नई परम्पराएं डालना ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही देख ली गई है । कार्यवाही में ऐसा है नहीं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप श्री अम्बरीष कुमार जी के भाषण की अंतिम लाइन देख लें उसमें उन्होंने कहीं यह बात नहीं कही है कि मैं अपना भाषण बाद में कर लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का विस्तार से जवाब आना है । हमेशा इधर पक्ष में बैठे माननीय सदस्य थोड़ी अपनी बात कहना चाहते हैं । परम्परा कोई खास नहीं टूटेगी । श्री अम्बरीष जी आप अपनी बात कहें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर विचार रखने के लिये आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने कहा कि मैं कटौती के प्रस्ताव पर विचार रख रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि वह कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिये आपने इन्हें अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विपक्ष किसी मंत्री की कृपा पर नहीं है । हम जनता की कृपा से यहां पर आये हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

एक मंत्री जी की कृपा से यह सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी अपनी बात तो शुरू करें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी नगर विकास विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने रखा और मैंने कटौती प्रस्ताव । मैं उसी के भाषण के आगे कह रहा हूं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह नगर विकास हमारी कोई नई परम्परा नहीं है । यह 22 सौ 23 सौ साल पहले जब चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था उस समय इतिहास में पता चलता है । उस समय नगर पालिका, नगर निगम के जो नियम बनाये गये थे, वे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं । आपके माध्यम से अधिष्ठाता जी सरकार के मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाय । उस समय नगर परिषद् के निर्वाचित तीस सदस्य होते थे और उनकी कमेटी अलग-अलग होती थी । यह नियम भी थे कि जिसके घर के सामने कूड़ा या गन्दा पानी इकट्ठा होगा उसको जुर्माना देना होगा । अगर कोई कचरा निर्धारित स्थान पर न डालकर घरों के बाहर डालता था तो उससे जुर्माना लिया जाता था ।

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि उन पुराने नियमों को बढ़ाने का काम करें, लागू करने का काम करें तो यहां पर नगर विकास की जो व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार लाये जा सकते हैं । सबसे पहले नगर विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है । जो हमारी नगर पालिका हैं, नगर परिषद् हैं, नगर निगम हैं यह जनतंत्र की मूलभूत इकाइयां हैं । मैं ज्यादा पिछले इतिहास में नहीं जाना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि पहले यह इकाइयां बहुत शक्तिशाली थीं, बेसिक एजुकेशन का, विद्युत वितरण का, अग्नि शमन सेवाओं का कार्य इसके पास था । आज प्राधिकरण जो शहर की योजनाएं बना रहा है यह काम भी उनके पास था, मकानों का नक्शा पास करने का काम इनके पास था । हम कह सकते हैं कि यह सारी व्यवस्था स्थानीय निकायों के पास थी । हमारे जनतंत्र की यह बुनियादी इकाइयां आर्थिक रूप से सुदृढ़ थीं । विकास करने की जिम्मेदारी, कुशलता और निपुणता के साथ निर्वाह करती थीं लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता गया प्राथमिक शिक्षा, विद्युत वितरण, अग्नि शमन सेवा यह सब काम इनसे छिन गये । प्राधिकरण के जरिये इनसे नक्शा पास कराने का अधिकार भी ले लिया गया । विकास शुल्क जो इनकी आय का स्रोत था वह भी इनसे ले लिया गया । आज स्थिति यह है कि स्थानीय नगरनिकायों की आर्थिक हालत बहुत जर्जर है ।

हमको यह चिन्ता करनी होगी कि इनसे अधिकार छीन कर जिन विभागों को दे दिये गये हैं क्या उनमें जो काम हो रहा है क्या वह सन्तोषजनक है ? इन स्थानीय निकायों की तुलना में क्या उनके कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आया है, उनसे लोगों को सुविधा हो रही है या असुविधा ? इन सब के बारे

में पुनः विचार करना होगा। आज 74वें संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं। उसमें यह है कि अग्नि शमन सेवा का कार्य, नक्शा स्वीकृति का काम, रोजगार की योजनाएं आदि का काम स्थानीय निकायों को दिया जायेगा। स्थानीय निकायों में जो कर्मचारी हैं उनके कौशल उन्नयन के लिये भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। 74वें संविधान संशोधन बिल के पास होने के बाद भी हमारी सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। बड़े जोर-शोर से चर्चा होती है हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं और मंत्री जी भी कहते हैं कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कीं और उसके अनुसार 7 प्रतिशत नगर परिषदों को देने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास शासनादेश इनके रखे हैं। जिसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में कहा है उसमें लिखा है वेतन पर खर्चा नहीं होगा इससे आप सालेड वेस्ट मैनेजमेंट वाटर ट्रीटमेंट का काम या सफाई के उपकरण खरीदेंगे। हरिद्वार नगरपालिका है 14 लाख दिये हैं इसमें क्या कार्य हो सकते हैं कौन से उपकरण खरीदे जा सकते हैं। इनसे कहो कि ड्राइवर या अन्य कर्मचारियों के पद सृजित कर दें तो मंत्री जी कहेंगे पद सृजित नहीं करेंगे। डेलीवेज पर रख नहीं सकते हैं अगर सारे उपकरण खरीद भी लिये जाएं तो वह उपकरण चलायेगा कौन ? यह कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य वित्त आयोग ने सिफारिशों को लागू किया तो उसमें व्यवस्था कर दी कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप जो धन देंगे उसके बारे में रोड ग्रान्ट, पथ प्रकाश के लिये धन नहीं देंगे। जो धन मिलता था कोई धन नहीं दिया गया।

मान्यवर, हरिद्वार नगरपालिका पर 72 लाख रुपया पिछले साल से इस बार कम मिला है और रोड ग्रान्ट भी नहीं मिला। यह जो व्यवस्था है इनको देखना पड़ेगा। नगरपालिका की स्थिति जर्जर है और 72 लाख रुपया कम दे दिया किसी कर्मचारी को वेतन कैसे मिलेगा इसको नहीं देखा। मंत्री जी ने वेतन आयोग की बात कही तो चौथे वेतन आयोग के समय समता समिति बनी उसी समता समिति के आधार पर किसका क्या ग्रेड होगा, उसको ग्रेड दे दिया गया फिर कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग इनको राज्य कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। बजाज कमेटी के आधार पर वेतन बढ़ाकर दे रहे हैं लेकिन जो चीज एक बार तय हो गई समता समिति द्वारा जो ग्रेड बताया गया वह दिया गया था। उस पर पुनर्विचार का क्या औचित्य ? इस संदर्भ में मैंने एक सवाल भी उठाया था। नये ट्यूबवेल नगरपालिका में बन जाते हैं। पम्प आपरेटर की व्यवस्था नहीं है पम्प आपरेटर का क्या होगा पद सृजित होंगे ? आपने कहा बनने तक व्यवस्था जल निगम की है उसके बाद नगरपालिका की व्यवस्था। पूछो उत्तर की, बता रहे हैं दक्षिण की। उन ट्यूबवेल को चलाने का काम कौन करेगा यह नहीं बता रहे हैं जो स्थानीय निकाय हैं उनकी जो पेंशन योजना है, जिला परिषद् वालों की है उनसे भी भिन्न इनकी योजना है सवाल इस बारे में उठाया तो इन्होंने जवाब दे दिया कि आर्थिक संसाधन को देखते हुए यह योजना लागू नहीं होगी। आर्थिक संसाधनों को सरकार जुटाये यह काम सरकार का है। लोगों की रिटायरमेंट के बाद चप्पल घिस जाती हैं लेकिन पेंशन के मामलों का निस्तारण नहीं होता है। मान्यवर, पेयजल के बारे में घोषणा मंत्री जी ने की झांसी क्षेत्र जो पानी की कमी के लिये जाना जाता था में पेयजल की व्यवस्था है। परन्तु 53 नगर निकाय ऐसे हैं जहां पाइप लाइन के द्वारा पानी सप्लाई नहीं होता है। क्या कोई नगर उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसा है जहां शत-प्रतिशत पानी की आपूर्ति, जो मानक है जिसकी जल निगम बात करता है, यह सरकार बात करती है माननीय मंत्री जी इस बात को बता दें। तीन हजार करोड़ की आवश्यकता मंत्री जी ने बताई थी तीन हजार करोड़ रुपया हमको इस बात के लिये चाहिए कि हम नगर निकाय की पेयजल इकाइयों को मानक के आधार पर, अब यह मानक क्या है, जो लखनऊ शहर है, 270 लीटर प्रति व्यक्ति परन्तु पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी का मानक बना दिया मानक के आधार पर आपको तीन हजार करोड़ चाहिए प्रदेश में पेयजल आपूर्ति हेतु और आपने बजट में 94 करोड़ का प्राविधान किया है। तो इस तरह से पेयजल की समस्या को कितना वर्ष में पूरा आप करना चाहते हैं। सीवर लाइन की बात कही। आपने अपने बजट में

दिखाया है कि एक लाख से कम की आबादी वाले शहर हैं उसमें हम सीवर लाइन नहीं दे रहे हैं। जो पुराने शहर हैं, जहां पर पुरानी सीवर लाइन हैं, और वह टूट गयी हैं नयी सीवर लाइन डालने के लिये वरसों से बनारस जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का नगर है उसके लिये आपने 3400 करोड़ का प्राविधान बताया तो हम 34 सौ करोड़ से एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में नयी सीवर लाइन दे सकते हैं जो पुरानी खराब लाइन हैं उसकी मरम्मत कर सकते हैं और आपने प्राविधान किया है पांच करोड़ का। तो आप ऐसी मृग मारीचिका क्यों दिखा रहे हैं ? मान्यवर, आपने सफाई के बारे में कहा। इनका मानक 10 हजार की आबादी पर 27 सफाई कर्मचारी होंगे।

मान्यवर, आप किसी नगरपालिका में इस मानक के आधार पर दिखा दें जो पूरा करती हों। आपने बताया कि बायो गैस, गोबर गैस प्लान्ट लगा रहे हैं। मान्यवर, लखनऊ में तो लग सकते हैं क्योंकि यह प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है,. मान्यवर, संविधान में लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार लेकिन समानता कहां है ? क्यों नहीं जो लखनऊ में आप दे रहे हैं वह बलिया, हरिद्वार, मुरादाबाद, बस्ती में देते हैं। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि मैं असमर्थ हूं क्योंकि दशम् वित्त आयोग के आधार पर वित्त का बंटवारा कर दिया गया है। उसके आधार पर मैं किसी को ज्यादा धन आवंटित नहीं कर सकता हूं। तो फिर कौन सा आधार था कि आपने सौ करोड़ लखनऊ को दे दिया ? 10 करोड़ रुपया आपने अलीगढ़ को दे दिया ? तो इस तरह से भेदभाव तो न किया जाय। समान रूप से धन आवंटित किया जाय। मान्यवर, प्रदूषण की बात कही गयी। गंगा और यमुना को हम प्रदूषण रहित कर रहे हैं। मान्यवर, आज उन नदियों में इतना प्रदूषण है कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। आपने कहा कि हम द्वितीय चरण को ले रहे हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यदि वास्तव में इस जीवनदायिनी गंगा और जमुना को प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं, इन प्रदेश की नदियों का गौरव वापस लाना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम सरकारी अफसरों या सरकारी मशीनरी पर नहीं हो सकता है। इसके लिये आपको गांव-गांव में स्वयं सेवक तैयार करने होंगे गैर सरकारी संस्थाएं तैयार करनी होंगी, जो मानव जीवन को बचाने के लिए अपना बलिदान करने को तैयार हो जाय और जो शहर गंगा और यमुना के किनारे हैं केवल उनमें काम करने से काम नहीं चलेगा जितने गांव-गांव और जमुना के किनारे हैं वहां पर उन गांव वालों के मन में जाग्रति पैदा करनी होगी तभी यह काम सम्भव हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

आपने रोजगार के बारे में योजना रखी है, हमारे शहरों में जितने व्यावसायिक काम्पलेक्स बनें उनमें यह शर्त जरूर हो कि 10 परसेंट, 5 परसेंट या कुछ परसेंट ऐसी नियत हो जिनके आवंटन का अधिकार उस स्थानीय निकाय को हो जो नो प्राफिट नो लास बेसिस पर ऐसे बेरोजगारों को दे जो उसमें रोजगार करके अपनी आजीविका चला सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें, बाद में बोल लीजियेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर फिर बल देता हूं।

* श्री गोमती यादव–

मान्यवर, मैं माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस विकासोन्मुखी बजट में हर वर्ग की बात रखी गयी है, चाहे वह निम्न वर्ग या उच्च वर्ग का हो, सबके सर्वांगीण विकास की बात इसमें रख गयी है। जहां एक ओर निर्बल वर्ग के लोगों को सबको आवास उपलब्ध कराने की बात कही गयी है वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग जो वास्तव में झुग्गी-झोपड़ी, नदी, नालों और रेल की पटरियों के किनारे रहता था, उसके निमित्त एक "आश्रम योजना" चलायी गयी है,जो अपना मकान लेने की कल्पना नहीं कर सकता था उसको भी एक छत देने का प्रयास किया गया है, इस निमित्त 5 रु०, 10 रु० 15 रु० रोज पर योजना चलाई गयी है। इस निमित्त इसी वित्तीय वर्ष 1997-98 में 6,733 लोगों को मकान दिये गये। यह सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है। इसके पहले किसी भी सरकार ने ऐसी योजना नहीं रखी। दूसरी ओर जो अत्यधिक गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्ति हैं, मकान बनाने की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के निमित्त मकान आवंटित किये गये और उनकी जो एक श्रेणी बहुत ही गरीब श्रेणी होती है, बहुत ही कम पैसा देकर, मकान आवंटित करा सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में आवास एवं विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण जो विभिन्न नगरों में हैं, उनके द्वारा 19,506 मकानों का निर्माण किया गया जो एक ऐतिहासिक कदम है।

मान्यवर, जहां एक ओर उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है वहीं दूसरी ओर जो कीमती जमीनों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, हमारी सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसा और इस निमित्त 1997-98 में लगभग 488 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित किया और 680 जो अतिक्रमणकर्ता थे, पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करवायी गयी। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था, हमारी सरकार ने इस कार्य को करके दिखाया है। विभिन्न नगरों में लगभग 141 हेक्टेयर भूमि इन भूमाफियाओं से मुक्त करायी गयी जिसका बाजारू मूल्य 202 करोड़ था और इस धनराशि से यह तय किया गया कि इससे उन शहरों का सर्वांगीण विकास किया जायेगा यह एक ऐतिहासिक कदम था। हमारी सरकार ने एक असम्भव कार्य को सम्भव करके दिखाया है, इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वह भवनों के मानचित्र का है चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, मेरठ विकास प्राधिकरण हो या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो वहां वर्षों से यह मानचित्र का कार्य लम्बित पड़ा रहता था। यह विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये थे अनाप शनाप तरीके से अवैध वसूली की जाती थी। आम व्यक्ति परेशान था। उस ओर इस सरकार का ध्यान गया और उसने 100 वर्ग मीटर तक की जमीन पर चाहे पुनर्निर्माण हो या निर्माण हो, उसके लिये मानचित्र निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, यह सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरलीकरण किया है।

मान्यवर, हम एक किसान हैं, जो प्रतिकर का मुद्दा था, जमीन एक्वायर की जाती थी 5-5 साल का मामला लम्बित पड़ा रहता था। प्रतिकर का भुगतान नहीं हो पाता था और वहां भी दलाल टाइप के लोग थे मान्यवर, एक तो जो जमीन अधिग्रहण की जाती थी उसका भुगतान किश्तों में होता था जिससे मामला लम्बित रहता था। यही नहीं गोमती नगर योजना में 10-10 साल तक मामले लम्बित रहे और जो भुगतान हुआ उसमें 40-40 प्रतिशत तक दलाल लोग पैसा खा गये लेकिन अब जो माननीय मंत्री जी ने नियम बनाया है वह एक ऐतिहासिक कदम है कि जो भी जमीन एक्वायर की जायेगी तो उसका अग्रिम भुगतान कर दिया जायेगा। मान्यवर, यह किया गया है कि 10 प्रतिशत भुगतान के बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा और इसके साथ ही यह भी कि किसानों के प्रतिकर का भुगतान

किसी कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि घर पर आयेंगे और कैम्प लगाकर उसका वितरण करेंगे । इससे किसानों को लाभ मिलेगा और दलाली रुकेगी । मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया कि 1997-98 में प्राधिकरण में जो आवासीय और व्यवसायिक मानचित्र के लिये जो आवेदन प्रस्तुत हुए थे वह थे 9454 और उसमें से 8,577 मानचित्रों का निस्तारण हुआ । इसके अतिरिक्त पट्टे की जमीन को फ्रीहोल्ड करने का सराहनीय काम किया गया है 1997-98 में प्राधिकरण एवं आवास विकास में 32000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उसमें से 29400 आवेदन पत्र का निस्तारण हुआ जो 92 प्रतिशत है और इससे प्राप्त धनराशि से विकास का कार्य कराया जा रहा है । जो आवासीय कालोनियां बनायी जाती हैं, उसके लिये जो भूमि का अधिग्रहण होता है, वह कृषि योग्य भूमि होती है, मेरा सुझाव है कि अब आवासीय कालोनियां कृषि भूमि पर न बनायी जायें, बल्कि उससे हटकर ऐसी भूमि पर बनायी जायें जो कृषि योग्य न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

गोमती जी, समाप्त करें, अब आपका नहीं लिखा जायेगा ।

श्री गोमती यादव–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, अब आपका लिखा नहीं जायेगा ।

* श्री महेन्द्र पाल निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखा है, उसके कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आवास नगर विकास नीति के बारे में, बांदा जनपद के संबंध में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं । मान्यवर, बांदा विकास प्राधिकरण की स्थापना 24-11-81 को हुई थी और 24-11-81 से विकास प्राधिकरण द्वारा जो आवास योजनायें बनाई गई, उनमें कुछ प्लाट तैयार किये गये, कुछ मकान तैयार किये गये लेकिन इन मकानों में से मुश्किल से असली आवंटियों को 5 से 10 फीसदी मकान ही मिले, बाकी 90 से 95 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कब्जा है, ऐसे पदाधिकारियों, जिन्होंने न तो रजिस्ट्रेशन ही कराया, न उनके नाम एलाटमेंट है, उन लोगों ने जबरिया कब्जा कर रखा है । कई बार उनके निष्कासन की मांग की गई, लेकिन सरकार का संरक्षण होने के कारण, वह मकान खाली नहीं हो पा रहे हैं । मान्यवर, इसके अलावा विकास प्राधिकरण में जो स्थिति है वह यह है कि सचिव का एक पद है वह 31-1-1980 से रिक्त है सहायक अभियन्ता का जो पद है वह तीन वर्षों से रिक्त है और अवर अभियन्ता के तीन पद हैं, जिनमें दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक पद पांच वर्ष से रिक्त है । मान्यवर, पूरे विकास प्राधिकरण को एक या दो बाबू चला रहे हैं । ऐसी स्थिति में कोई कितनी जिम्मेदारी से काम करेगा । यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में अवर अभियन्ता की जिम्मेदारी में केवल एक काम रह गया है कि जिस किसी का मकान बन रहा हो, भले ही वह क्राइटेरिया में आता हो, उसके मकान में रोड़े अटकाते हैं और कमीशन खोरी करते हैं ।

मान्यवर, मैं नगर पंचायतों के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगर पंचायतें हैं एक तिंदवारी और दूसरी मतौन्ध । यहां पर गत वर्षों से न तो मार्ग के प्रकाश की कोई व्यवस्था हुई है और न मार्गों पर खड़ंजा ही लगाया गया है । उसके लिये कोई पैसा नहीं मिला है ।

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मतौन्ध ऐसी नगर पंचायत है जहां पर पानी खारा है और पानी की तह पर पत्थर है इस कारण कुएं न तो सफल हो पाते हैं और अगर सफल होते हैं तो वहां पर खारा पानी निकलता है इस तरह से वहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है। यह ऐसी जगह है जहां पर हैण्ड पम्प भी सफल नहीं हैं। एकमात्र विकल्प पीने के पानी का जो है वह भूरा पेयजल योजना है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना से इस ग्राम पंचायत को पानी पहुंचाया जाये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तिंदवारी नगर पंचायत में पानी पहुंचाने के लिये एक राजकीय नलकूप का निर्माण किया गया था। निर्माण हो गया, भवन बन गया, लेकिन आज तक नलकूप को चालू नहीं किया गया है। पीने के पानी के लिये केवल एक नलकूप चल रहा है वह पर्याप्त नहीं है। दूसरा बना-बनाया नलकूप खड़ा है और चालू नहीं किया जा रहा है अगर वह चालू नहीं किया गया तो वह भी बेकार हो जायेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों नगर पंचायतों को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री अफरोज अली खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने नगर विकास के संबंध में बड़ी-बड़ी कल्पनाएं की हैं, लेकिन उन कल्पनाओं के अमल में इतनी बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि इनके अधिकारी जो हैं उसके विरोध में रहते हैं कि किस तरीके से इनको रोका जाये। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जो पैसे का वितरण हुआ है, उसमें अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी सदस्य होते हैं। मगर आपकी सरकार आने के बाद अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष को भी सदस्यता से हटा दिया गया। जब जिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता और जल निगम रहेंगे तो उनको जो पैसा जायेगा, जिस चेक पर साइन करने हैं [illegible] पर अध्यक्ष के बदले अधिशासी अभियन्ता करेगा। यह मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि जो चुन कर आया है उसके साथ घोर अन्याय है।

अभी आपने कहा कि हमारे यहां पूरे शहरों में सीवर सिस्टम नहीं हो पाया है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो जगह-जगह नालियां चोक हो जाती हैं उसके लिये प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा देना चाहिए, इसे संज्ञेय अपराध माना जाय। हमारे शहरों में इतनी आबादी बढ़ गयी है कि जगह-जगह नयी-नयी कालोनीज अनप्लांड तरीके से बन रही हैं इनको प्लांड वे में बनाना होगा।

आज तेजी से शहरों का विस्तार हो रहा है उसमें नये-नये गांव शामिल किये गये हैं लेकिन उनकी सम्पत्तियों का स्थानान्तरण अभी तक नगर पालिकाओं को नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि जो भी आपकी सोच हो, जो भी सुविधा आप देना चाहते हैं वह जनता तक नहीं पहुंच रही हैं क्योंकि आपकी शासन, प्रशासन पर पकड़ नहीं है।

दूसरी बात मैं अपने शहर रामपुर के बारे में कहना चाहता हूं। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है वहां एक भी ओवर हेड टैंक नहीं लगा है उसमें काफी व्यय होता है अगर आप वह न कर सकें तो कम से कम तीन चार ट्यूबवेल लगा दें क्योंकि वहां की आबादी 6 लाख है। ताकि ट्यूबवेल से डायरेक्ट फीडिंग हो सके।

मैंने अखबारों में पढ़ा था कि जो नगर पालिकायें और नगर निगम हैं जिन पर विद्युत बोर्ड का बकाया था उनकी स्ट्रीट लाइट के तार उतार लिये हैं। तो अब जब उनको पैसा मिल गया है तो उन तारों को जल्दी से लगा दिया जाय ताकि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो सके। मैं समझता हूं कि इस बात पर जरूर ध्यान देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करने का अवसर दिया मैं आभारी हूं। मान्यवर, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बिन्दुवार सुझाव रखना चाहता हूं। विकास प्राधिकरणों द्वारा जो आवास योजनायें महानगरों और नगर पालिकाओं द्वारा संचालित की जाती हैं उसमें वहां के माननीय सभासद उस बोर्ड के सदस्य होते हैं जो नगर निगमों से निर्वाचित होकर आते हैं। लेकिन विडम्बना है कि उस क्षेत्र के सांसद और विधायक उस बोर्ड के सदस्य नामित नहीं होते हैं, वह पदेन सदस्य भी नहीं होते हैं। मेरा सुझाव है ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो विकास कार्यों से सम्बन्धित हैं जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है जितने भी विकास कार्य हैं उनमें वहां के सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को उसे देखने का अधिकार होगा ताकि जो खर्च हो रहा है वह ठीक हो रहा है या नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधिों को पदेन सदस्य बना दें इसकी घोषणा आप अवश्य करें।

दूसरा विषय विकास प्राधिकरणों के सम्पत्ति विभाग तो हैं लेकिन उनकी सम्पति का कोई भी स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है। मैंने प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही थी कि वर्षवार कानपुर विकास प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों में कितनी वृद्धि हुई है उसका उत्तर आया है कि परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई है यह कितना हास्यास्पद उत्तर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे विशेष विषय मानकर इसकी व्यवस्था करायें कि विकास प्राधिकरणों में वर्षवार कितनी परिसम्पत्तियां बढ़ी हैं। इसी अभाव में विकास प्राधिकरणों में अरबों खरबों रुपये के गोल माल और घपले होते हैं और इसका नियंत्रण नहीं रहता। अब तो कम्प्यूटर में फीडिंग हो रही है इसलिये वर्षवार परिसम्पत्तियों का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। मान्यवर, अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है यह आपकी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरणों में इस बात का कोई लेखा जोखा नहीं है कि विकास प्राधिकरण के कितने भूखंडों पर अवैध कब्जा है और कितने वर्षों से है। आपने संज्ञेय अपराध घोषित करके प्राथमिकी दर्ज करने की व्यवस्था की है लेकिन इसका कोई संदेश नहीं जा रहा है और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है है मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश में विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों का लेखा जोखा बनाया जाय जिससे यह पता चल सके अमुक विकास प्राधिकारण में कितने अरबों खरबों रुपये की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे जोनल पम्पिंग स्टेशन हैं। यह 10-20 लाख रुपये की लागत से बने हैं इसकी कोई मानीटरिंग नहीं होती है। प्रश्न किया जाये तो उत्तर नहीं मिलेगा कि कितने जोनल पम्पिंग स्टेशन हैं। उदाहरण के लिये कानपुर में कितने हैं किस योजना में बने हैं, चल रहे हैं या नहीं, उनका लेखा जोखा नहीं है। मेरे ही क्षेत्र में जोनल पम्पिंग स्टेशन बेकार हो रहे हैं करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हो रही है। यह गम्भीर विषय है। इसी तरह से ओवर हेड टैंक बनकर खड़े हैं लेकिन उनका रिकार्ड नहीं है किस योजना में बने और कब बने हैं ? कितने लागत में बने इनकी उपयोगिता नहीं है। नलकूपों से इनको भरा नहीं जा रहा है इससे एक तरफ सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है दूसरी तरफ पेयजल का संकट बना हुआ है। मान्यवर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। मकानों के निर्माण एवं नगरों के विस्तार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनायें बन रही हैं। लेकिन यह बहुत ही विध्वंशकारी और बड़ी अटपटी दिशा में चल रही है। मेरा निवेदन है कि नगरों के असीम विस्तार पर नियंत्रण किया जाये क्योंकि कोई योजना और मास्टर प्लान नहीं है, आखिर कितने मकान बनेंगे, महानगर कितना विस्तार लेगा, उसका अन्त कहां होगा ? मैं जानता हूं कि हमारी कल्याणकारी सरकार में ऐसा कोई आदेश नहीं हो सकता कि गांव का कोई व्यक्ति शहर में नहीं आ सकता। एक सरकार में ऐसा आदेश हुआ था कि गांव का कोई परिन्दा शहरों में पर नहीं मार सकता। जिन योजनाओं के कारण शहरों में लोग आ रहे हैं उससे मलिन

बस्तियों का निर्माण हो रहा है जिससे नगरों का स्वरूप बिगड़ रहा है इसलिये नगरों के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मिश्रा जी अब आप समाप्त करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं बहुत विस्तार से इस पर अपनी बात रखना चाह रहा था । मान्यवर, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । विन्दुवार कुछ बातें रख रहा हूं । श्रीमनू, माननीय मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं जो 5-10-15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आश्रयहीन लोगों के लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गयी है । इससे अत्यन्त निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा । आज अगर आप सर्वे करायें तो पायेंगे कि अनके स्टेशनों पर 10-15 एकड़ में मलिन बस्तियों का विस्तार है । जमीन की एक सीमा है लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं इसलिये आप मल्टीस्टोरी के भवन बनायें और लोगों को आवंटित करें इससे आपकी काफी जमीन बच जायेगी । इसमें आप शैक्षिक संस्थान, वाणिज्यक संस्थान आदि बना सकते हैं इससे एक अच्छा स्वरूप नगरों का होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी अब आप समाप्त करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । आज महानगरों में नलकूप इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगते जा रहे हैं लेकिन इनकी कोई प्लानिगं नहीं है जिससे भू-जल का असीम दोहन हो रहा है । अगर 10-15 साल बाद नलकूप फेल हो जायेंगे और पानी की भयावह समस्या उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं गंगा–बैराज बन रहा है उसके लिये धन आवंटित हुआ है । यह 4-5 साल में बन कर तैयार हो जायेगा और गंगा घाटों पर आ जायेगी । कानपुर दक्षिण में जो नई आबादी बसी है उसमें माननीय मंत्री जी अनुकम्पा कर दें और वहां नये जल संस्थान शुरू करा दें तो जब तक बैराज का निर्माण होगा, वाटर सप्लाई की भी व्यवस्था हो जायेगी । अब मैं भ्रष्टाचार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । कानपुर विकास प्राधिकरण में वित्तीय अनियमितता के 49 प्राथमिकी अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज हो चुके हैं लेकिन प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिससे एक संदेश लोगों में जाता कि यह सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बहुत गम्भीर है । माननीय मंत्री जी के नगरों के कूड़ों के निस्तारण पर जो ध्यान दिया है कि केमिकल्स डाल कर उससे बिजली बनायेंगे महत्वपूर्ण विषय है । सभी महानगरों में चाहे लखनऊ, कानपुर या आगरा हो हजारों टन कूड़ा निकलता है यदि उसके डिस्पोजल की योजना नहीं बनेगी तो भयंकर स्थिति बनती चली जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि विकसित क्षेत्रों का नगर निगमों को स्थानान्तरण होने का कोई उचित अभिलेख नहीं है ।

उसे अवश्य बनवाएं इसका भी कोई रिकार्ड नहीं है । इसलिये इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें । मान्यवर, सीवरेज और ड्रेनेज अलग-अलग होने चाहिये । हमारे कानपुर नगर में इसे एक ही में कर दिया गया है । इससे स्थिति बहुत खराब हो रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सीवरेज और ड्रेनेज के लिये महायोजना, सैटेलाइट से सर्वेक्षण कराकर इसकी व्यवस्था करें । आज कानपुर महानगर की आबादी 35 लाख के करीब है । इसमें 10 ऊपरी सेतु निर्माण हेतु प्रस्ताव किये गये थे, इसलिये मंत्री जी उस पर गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें । नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत में जो गांव आते हैं, अलग से उनके विकास हेतु कोई योजना नहीं है, इसलिये इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने की जरुरत है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सौलत अली–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने एक खूबसूरत भाषण यहां पर प्रस्तुत किया । चांद चमका परन्तु उसमें कितने दाग हैं, वह तो श्री पुन्नू अवस्थी जी ने गिना दिये हैं और श्री अम्बरीष कुमार जी ने उसे मृग मरीचिका का नाम दिया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 300 वर्ग मीटर के नक्शे अब हमने फ्री कर दिये हैं । आप नक्शा जमा कर दीजिये और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दीजिये । नक्शा पास करने की पावर आपने प्राधिकरण को दी है और विकास की जिम्मेदारी नगर निगम की है । शुल्क प्राधिकरण लेता है और विकास की जिम्मेदारी प्राधिकरण पर होती नहीं है ।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि नक्शा पास करने का अधिकार भी आप नगर निगम को देने की कृपा करें । मान्यवर, नगर निगम की सीमा अलग होती है और प्राधिकरण की सीमा अलग होती है । जो क्षेत्र नगर निगम के अन्तर्गत आते हैं वहां पर विकास शुल्क तथा नक्शा पास करने का अधिकार आप नगर निगम को दें और जहां पर नगर निगम की सीमा से बाहर का क्षेत्र है तो वहां पर विकास के लिये आप प्राधिकरण को अधिकार दें । मान्यवर, मैं मुरादाबाद से प्रतिनिधित्व करता हूं । नया नगर निगम बनाया, जिसमें आसपास के 19 गांव आपने शामिल किये हैं । 8 गांव मेरे क्षेत्र के भी हैं । बाकी गांव हमारे मेजर साहब के क्षेत्र में आते हैं । आपने कोई ऐसी योजना अपने बजट में नहीं रखी है जिससे कि वह 19 गांवों को विशेष राहत मिलती और वह गांव भी विकास की दौड़ में उसमें शामिल हो सकते । उन गांवों की ग्राम्य विकास की सुविधा खत्म कर दी गई है और नगर सीमा में मान लिये गये हैं उसके बावजूद भी उनका कोई विकास नहीं हो पा रहा है । उन गांवों में आज भी सड़कें नहीं हैं, नगर में सोडियम या मरकरी जल रहा है लेकिन वहां पर एक बल्ब भी नहीं है । अभी माननीय अम्बरीष जी ने कहा था कि आपकी योजना में पक्षपात होता है दलगत राजनीति से प्रेरित होकर काम हो रहे हैं । हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पर जो पैसा जाता है वह हमें मिल ही नहीं पाता है । हमारे मेजर साहब ले जाते हैं । आपकी पार्टी के लोग हैं उनके इलाकों में विकास कार्य हो रहा है । मैं एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी चले गये हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस आरोप को अपने ऊपर से नहीं मिटा सकते हैं कि आप पक्षपात नहीं करते हैं, दलगत राजनीति नहीं करते हैं । अभी 9 तारीख को आपने मेयरों, डिप्टी मेयरों की एक मीटिंग बुलाई । दुर्भाग्य से हमारे जिले का मेयर आपकी पार्टी का नहीं है । उस मीटिंग में हमारे यहां की डिप्टी मेयर शरीक हुई पहले ही दिन आपके कान में कह दिया कि हमारे यहां के अधिशासी अभियन्ता बहुजन समाज पार्टी के हैं क्यों कि वह अनुसूचित

जाति के हैं और मेयर एस० पी० के हैं क्यों कि वह मुसलमान हैं । आपने 24 घंटे के अन्दर उनके स्थानान्तरण कर दिये । कहीं दूसरी जगह भेजा नहीं । सजा के तौर पर प्रदेश मुख्यालय पर अटैच कर दिया । इस तरह से निर्णय लेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट है कि आप दलगत राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं । कैसे विकास की बात करेंगे ? आपने इस बजट में मंत्री जी ने जनहित में सोचा होता । मुरादाबाद से कभी बाई कार से निकलने का मौका आपको मिला होगा । वहां पर सम्भल डबल फाटक का चौराहा है, नेशनल हाई वे है । तीन विधान सभा क्षेत्र का ज्वाइन्ट क्षेत्र है । संदीप अग्रवाल जी का, मेजर साहब का और मेरे क्षेत्र का है । वहां पर 24 घंटे में 18 घंटे जाम रहता है । बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीमार अस्पताल नहीं जा पाते हैं और विकास का काम रुक जाता है । नेशनल हाई वे पर सम्भल रोड पर ओवर हैड ब्रिज बना है अगर उसको नेशनल हाईवे के ऊपर से 50 फीट और बढ़ा दिया होता तो वहां पर जनजीवन सुधर सकता था । वहां पर जो आवास विकास की नगर कालोनी है उसके सामने से एक पुल का निर्माण का प्राविधान किया होता तो जो भूमि राम गंगा नदी पार वहां पर कटान होने से बेकार पड़ी है तो पुल बन जाने से हजारों एकड़ भूमि वहां नगर सीमा में आ जायेगी और विकास के लिये रास्ता खुल जायेगा । जैसे गोमती नदी पर बांध बनाया गया है वैसे ही वहां पर बना दें तो जो आधा शहर डूब जाता है वह डूबना खत्म हो जायेगा विकास के रास्ते खुल जायेंगे ।

(व्यवधान)

हमारा दुर्भाग्य यह है कि मंत्री जी के निर्णय आप कर रहे हैं वहां बैठकर, मेजर साहब इसीलिये हमारे शहर का विकास नहीं हो रहा है । मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं । जिस तरह से नये गांव और नगरों की आबादी को जोड़ा गया है, आबादी बढ़ी है । मेरे मुरादाबाद में 19 गांव हैं और तीन लाख की आबादी उन गांवों में है । वहां कालोनियां जो बनी हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है । वह सड़क, विद्युत पानी, सीवर लाइन चाहती हैं और उनको आप रेगुलराइज नहीं करना चाहते हैं । मैं सुझाव देना चाहता हूं इन कालोनीज को रेगुलर करने का कार्य करें इससे आपको विकास शुल्क मिलेगा, इससे नगर निगम की इन्कम बढ़ेगी उससे जो पैसा मिलेगा वह फिर इनके विकास में खर्चा हो सकता है तो इन कालोनीज को रेगुलर करायें ।

यह शहर के बाहर गरीब लोगों की कालोनियां हैं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कहना चाहता हूं भोजपुरा धर्मपुरा एक अकेली नगर पंचायत है । नगर पंचायत का दर्जा इसे 22 साल पहले दिया गया था । छोटी आबादी है पहले गांव था बाद में नगर पंचायत को दर्जा मिला । गांव में उस समय बिजली की लाइन खींची गई आज भी वही बिजली की लाइन खिची है लेकिन 22 साल के बाद आज भी एक पैसा उसमें खर्चा नहीं किया गया है । तार टूट गये हैं जिसको बांस लगाकर बिजली वाले जोड़ देते हैं बराबर पैसा मांगा जाता है लेकिन कोई इन्तजाम नहीं किया गया । आपने छोटी नगर पंचायतों के लिये प्रस्तावित बजट में कोई कार्य नहीं किया है । मेरा आपसे अनुरोध है छोटी नगर पंचायत पर भी दयादृष्टि रखें इनके लिये अलग से प्राविधान करें । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय अम्बरीष जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय अम्बरीष जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुरबटाव लिया है इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

पूरनपुर अन्न के क्षेत्र में प्रदेश में सबसे ज्यादा अग्रणी रहा है लेकिन विकास के नाम पर यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मैं अपने यहां की कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूं । मैंने प्रश्न भी लगाया था कि पूरनपुर नगरपालिका में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नाले पर अतिक्रमण कर घर बनाये हैं । दुकान बनाएं हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा उन दुकानों को हटाया गया । लेकिन बगैर नगरपालिका की परमीशन के वगैर नगरपालिका के नक्शे के नगर के मुख्य नाले पर निर्माण हो रहा है । जबकि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नाले पर अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा चलाया जायेगा । लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वह भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने अल्पसंख्यकों की दुकानों को बेरहमी से उजाड़ दिया है हाई कोर्ट से स्थगन आदेश भी हैं । मंत्री जी आप सुन रहे हैं । सहादत प्रधान, मकसूद आदि दुकानदारों के पास मा० न्यायालय के स्थगन आदेश भी मौजूद हैं इसके बावजूद मा० न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गयी ।

श्री लालजी टण्डन–

आपकी बात नोट कर रहा हूं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, वहां पर शापिंग सेन्टर बनाया जा रहा है । नगरपालिका की जमीन का कोई अतिक्रमण करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें । आप कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूरननगर में अतिक्रमण किया जा रहा है । मैं आपसे मांग करता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो अतिक्रमण करके दुकानें बनाई जा रही हैं और इसकी वजह से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है यह सही नहीं है उन गरीबों को दुकानें दी जाए । ... मान्यवर मेरा अनुरोध है ।

मेरे यहां पूरनपुर नगरपालिका में एक क्षेत्र है जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं । उनको शुद्ध पेयजल का अभाव है । कई प्रस्ताव पानी की टंकी के जा चुके हैं और यह मामला विचाराधीन है अतः मैं मांग करता हूं कि वहां पर पानी की टंकी बनायी जांय और जनरेटर की भी व्यवस्था की जाय । टाउन एरिया करीनगर में और नगर पंचायत पूरनपुर में दोनों जगहों पर मेरा अनुरोध है कि इसमें बजट में प्राविधान किया जाय और इसमें अधिक धन दिया जाय । इसके अतिरिक्त पूरनपुर क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र पूरनपुर देहात क्षेत्र है । जो सुविधाएं पूरनपुर के लोगों को मिली है वह इनको नहीं मिल पा रही है । मैं मांग करता हूं कि जो सुविधाएं पूरनपुर नगर पालिकाओं को उपलब्ध हैं वही सुविधाएं पूरनपुर देहात को भी उपलब्ध करायी जायें । मान्यवर, पूरनपुर लाइन पार्क में दो पानी की टंकी की व्यवस्था तथा जनरेटर उपलब्ध कराया जाय क्योंकि यहां पर विद्युत चली जाती है तो जनता पानी से महरूम रह जाती है । सीवर लाइन और उपकरण जो सफाई के होते हैं वह यहां पर नहीं है तो उसके लिए धन की व्यवस्था करायी जाय । मान्यवर, नगर पालिका पूरनपुर और टाऊन एरिया करीनगर में जो दैनिक वेतन भोगी और स्थायी सफाई कर्मचारी है उन्हें पोशाक दी जाय । यह समाज की गन्दगी को ढोने का काम करते हैं और इसी प्रकार से यह सेवा भाव से कार्य करते हैं । नालियों के लिए पैसे की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, नगर विकास के बजट में पूरनपुर के लिए, उसके विकास के लिए अधिक धन दिया जाय । मान्यवर, मेरा क्षेत्र नैपाल बार्डर पर पड़ता है और वह क्षेत्र आतंकवादी क्षेत्र है । यहां पर विद्युत के लिए धन उपलब्ध कराया जाय । आपके बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । आवास विकास विभाग से सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइन तथा मुख्य नाले हैं, जो जिला पंचायतों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है । इस पर ध्यान दिया जाय और इसे अविलम्ब हटाया जाय ।

मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह मांग करता हूं कि बीरपुर को टाउन ऐरिया का दर्जा दिया जाय और पूरनपुर नगर पालिका में जो कसाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके पास काला जानवर काटने के लिए कोई स्थान नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था की जाय और जो लाइसेन्स इनको नहीं दिये गये हैं उसे दिलाया जाय ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से बजट से 5 रु०, 10 रु०, 15 रु० रोज पर समाज के कमजोर वर्ग को आश्रय उपलब्ध कराने का उन्होंने प्राविधान किया है वह सराहनीय है जो वर्ग अपने आवास की कभी कल्पना नहीं कर सकता था, आज उसे अपना आवास उपलब्ध हो सकता है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नगरों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए, जो दुग्ध नगरियों की घोषणा की है, वह बधाई के योग्य है । इसी प्रकार से अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए, ऐसे समाज विरोधी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने, अतिक्रमणों पर प्रतिबन्ध लगाकर के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करके जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वास्तव में सराहनीय कार्य है । प्राधिकरणों के माध्यम से जो नक्शा पास करने की प्रक्रिया है, जो भ्रष्टाचार से युक्त थी, जो नक्शा पास करने की आसान प्रक्रिया घोषित की है साथ ही साथ दशम् वित्त आयोग के माध्यम से नगर निकायों को सुदृढ़ करने की जो बात कही है इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, पूर्व शासनों की गलत नीतियों के कारण आज जो प्राधिकरणों की स्थिति है, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, उन्हें विनाश प्राधिकरणों की संज्ञा दी जाती है । अधिकारियों का जो वर्चस्व है जो भी अधिकारी वहां पर तैनात किये जाते हैं उन पर कोई अंकुश नहीं है, जो भी अधिकारी आता है वह मनमर्जी के कर्मचारी नियुक्त करता है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उन्हें विकास की कोई रुचि नहीं है । प्राधिकरण को लोकतांत्रिक बनाने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा । समस्त प्राधिकरणों के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों को भी प्राधिकरण में स्थान दिया जाय जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके । नगरों के सुनियोजित विकास के लिए विकास प्राधिकरण में उपलब्ध संसाधनों के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर–विकास निधि का गठन किया गया है, वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य किया गया है । वर्तमान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि के जो सदस्य हैं, उसके आयुक्त अध्यक्ष है और सदस्य जितने भी हैं, सरकारी अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारी हैं जिनका इतिहास और क्रियाकलाप किसी से छिपा नहीं है । मेरी मांग है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि में वहां के जनप्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाय ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को बताना चाहता हूं । मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज मुहल्ले मलीन बस्तियों में तब्दील हो रहे हैं । इन मलिन बस्तियों के लिए जब तक सुनियोजित नीति नहीं बनाई जायेगी तब तक नगर का विकास संभव नहीं है । आज देहरादून शहर के चारों ओर लगभग 75 मलिन बस्तियां हैं । इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मानव जीवन से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि सूडा के माध्यम से मलिन बस्ती सुधार के लिए कार्यक्रम किये गये हैं ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उन सबमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हो जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके । मान्यवर, मैं देहरादून पेयजल आपूर्ति के बारे में बताना चाहता हूं । वर्तमान में पेयजल आपूर्ति ट्यूबवेलों से की जा रही है नगर क्षेत्र में बढ़ती हुई आबादी के दबाव के कारण अब ट्यूबवेल लगाने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं हो पाती और इसके साथ-साथ जो भूगर्भ जल स्तर हैं वह निरन्तर गिरता जा रहा है जिसके कारण पेयजल की तंगी महसूस होने लगी है । मान्यवर, नगर के दोनों ओर से दो नदियां हैं एक ओर गंगा नदी है और दूसरी ओर जमुना नदी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, इन नदियों पर आधारित पेयजल आपूर्ति की योजना बनायी जाये जिससे पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। इसके साथ ही बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राजा रामपाल–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कानपुर जनपद के घाटमपुर क्षेत्र से चुनकर आता हूं। कानपुर के बारे में हमारे विधायक माननीय बालचन्द्र मिश्र जी ने काफी प्रकाश डाला है, भ्रष्टाचार पर यद्यपि उन्होंने केवल अधिकारियों को दण्डित करने के लिए माननीय विकास मंत्री जी मांग की है। जबकि सही बात यह है कि माननीय मिश्र जी भी और हमारे नगर विकास मंत्री भी अधिकारियों को दण्डित करने के बजाय वहां की मेयर को दण्डित करने की बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां कानपुर महानगर में जो बाढ़ की समस्या है, जो नगर को नरक बनाने के लिये मेयर ने काम किया है, उसके लिये मेयर ही दोषी है, इसलिये उनको दण्डित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें काफी लंबी-चौड़ी बातें की हैं। एक बात तो उन्होंने यही की है कि जो लोग झुग्गी-झोपड़ी बनाकर, नालों के किनारे बसने वाले थे, उनकी बस्ती को उजाड़कर उन्हें बेदखल करने का काम किया है, इस पर हमारे सत्ता पक्ष के लोग तालियां बजा रहे थे। यह सरकार गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। यह सरकार व्यापारियों के लिये काम कर रही है, दलालों के लिये काम कर रही है, भू–माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। प्रत्येक नगर में हजारों एकड़ जमीन, जिस पर भू–माफिया कब्जा किये हुये हैं, उसको खाली कराने के बजाय, गरीबों को झुग्गी–झोपड़ियों से उजाड़ा जा रहा है, यह उजाड़ने का काम पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस नगर विकास के लिये, किसानों की हजारों एकड़ जमीन प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जाती है वह कौड़ियों के दाम पर ली जाती है, वह दाम भी उनको नहीं दिये जाते हैं और जब वही जमीन किसानों से लेने के बाद आम जनता को बेची जाती है तो वह लाखों के भाव बेची जाती है तथा जिन गांवों को उजाड़कर उनकी भूमि अर्जित कर वहां पर नगर विकास किया जाता है, उन गांवों के विकास के लिये कोई योजना इस बजट में माननीय मंत्री जी ने नहीं रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि उन्हें दूसरे प्रदेशों में बुलवाया जा रहा है, उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, शायद उन्हें मालूम नहीं है कि कानपुर महानगर में विश्व बैंक के सहयोग से विश्व बैंक परियोजना बनी थी, हमारे माननीय बालचन्द्र मिश्र जी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हजारों–लाखों लोग उस योजना में रहते हैं, उसके विकास के लिये विश्व बैंक से जो पैसा मिला था, वह भ्रष्टाचार के माध्यम से वहां न लगकर अन्यत्र चला गया। आज वहां नालों की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उस पैसे का पूरा दुरुपयोग किया गया है, इसलिये विश्व बैंक ने वह सहयोग देना भी बन्द कर दिया है, हडको ने भी बन्द कर दिया है। माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिन आवासीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, जिन्हें लाखों की लागत का दिखाया जाता है, उसमें मकानों में सीमेन्ट, मोरंग के स्थान पर गारे का इस्तेमाल किया जाता है और एलाटी का कब्जा देने से पहले ही वह मकान गिर जाते हैं, जबकि एलाटी से जबरन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लिखवा लिया जाता है कि आवास से संबंधित सभी चीजें उसने प्राप्त कर ली हैं, वह केवल कागजों पर ही दी जाती है, मौके पर नहीं दी जाती हैं ।

श्री राजाराम पाल–

मैं कहना चाहता हूं कि मा० मंत्री जी कानपुर की जो समस्या है, वह जलभराव की समस्या है । जो मौजूदा मेयर के भ्रष्टाचार के कारण है इसकी आप जांच करा दें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री वसीम अहमद–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं । माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में ज्यादा न जाकर जो इतना कहूंगा कि वह एक झूठ का पुलिन्दा पेश किया है उसके बारे में कहना चाहता हूं । आजमगढ़ नगर पंचायत की अध्यक्षा मा० मंत्री जी के साले की बीबी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का रिकार्ड तोड़ दिया है ।

(इस समय 7.00 बजे अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ के इतिहास में इतना भ्रष्टाचारी अध्यक्ष कभी हुआ नहीं होगा । एक बार नहीं दसियों बार वहां के जो मेम्बरान वहां कर्मचारियों ने सफाई मजदूरों ने उन्होंने उनके खिलाफ धरना दिया और प्रदर्शन किया लेकिन सरकारी दबाव के कारण आज तक उस भ्रष्टाचारी महिला के ऊपर कोई अंकुश लगाया नहीं जा सका । इसलिए स्थिति आज की ऐसी है कि मंत्री जी का दबाव होते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है चाहे वहां की सड़क हो, चाहे नालियां हो, वह मिट्टी और गारे से बनती है और दूसरे दिन टूट जाती है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है । जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो 1997-98 की बुकलेट दी है उसमें जो बजट का प्राविधान किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि आजमगढ़ के साथ भेदभाव किया गया है । वहां पर दो नगर पालिका परिषदें और 10 नगर पंचायतें हैं । कुल मिलाकर 12 निकाय हैं 7 मऊ में बलिया में 9 निकाय हैं । ऐसा क्यों होता है ? आजमगढ़ को पैसा कम क्यों दिया जाता है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है ? आजमगढ़ मण्डल हो जाने के बाद आज भी वहां पैसे के कम प्राविधान से सारी व्यवस्था बेकार है । आजमगढ़ में सीवर लाइन के लिए छः करोड़ रुपये के पाइप वगैरह डाले गये, लेकिन वह सब धंसे पड़े हैं और आज तक सीवर लाइन चालू नहीं हुई है, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है, जिससे पानी की निकासी की व्यवस्था हो सके । आजमगढ़ में बिजली की व्यवस्था खराब है, तार जर्जर हो गये हैं ट्रान्सफार्मर जर्जर हो गये हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बिलरियागंज में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर नगर पंचायत भवन नहीं है, किसी के मकान में उसका आफिस चल रहा है, इसी तरह से जर्जर व्यवस्था महराजगंज की है । जहां पर भी बिजली के तार पुराने हो गये हैं, जो आज टूट रहे हैं, इसके कारण घटनाएं होती है और लोग मर चुके हैं । इन नगर पंचायतों की सड़कें टूटी पड़ी हैं महराजगंज में बिजली की खराब हालत की बजट से पानी की टंकी होने के बाद भी टंकी नहीं चल पा रही है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए एक और बात में निवेदन करना चाहता हूं अभी सत्ता पक्ष से कानपुर के विधायक जी बोल रहे थे । नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से विकास कार्यों में वहां के सांसदों और विधायकों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है । विधान सभा के हमारे क्षेत्र में होने के बावजूद कोई सुविधा हमें नहीं मिलती है । हम कोई कार्य विकास प्राधिकरण के कार्यों का नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं इन सुझावों को देते हुए इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि दशम् वित्त आयोग की रिपोर्ट को यहां लागू किया गया । 74वें संविधान संशोधन के अनुसार वित्त आयोग का गठन हुआ था इसकी सिफारिशें लागू करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है जिसने यह योजना लागू की है । मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी का जो मौलिक चिन्तन है निराश्रित लोगों को पांच रुपये, दस रुपये और पन्द्रह रुपये प्रतिदिन के आधार पर जो आवास देने की योजना 11 नगर निगमों में चलायी गयी है जिसका और भी विस्तार होना है । इसके बारे में और प्रदेशों के लोग जानना चाहते हैं और ताज्जुब करते हैं कि यह योजना आखिर कार किस प्रकार चलायी गयी है ? यह एक प्रसंशनीय कार्य हुआ है ।

विकास प्राधिकरणों द्वारा मानचित्र स्वीकार करने में जो पहले से कठिनाई होती थी उसको सरल कर दिया गया है । 100 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र में कोई मानचित्र स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । 300 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र में यदि अर्ह आर्किटेक्ट द्वारा बनाये मानचित्र या जो स्वीकृत मानचित्र है उसके अनुसार भवन निर्माण होते हैं तो उसकी स्वीकृत के लिए कोई आवश्यकता नहीं है । 300 वर्ग मीटर से अधिक के लिए 30 दिन और समूह योजना के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है । जिसके अन्दर उन्हें स्वीकृत मिल जायेगी उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि के जो पट्टे लीज पर दिये गये हैं उनको फ्रीहोल्ड करने की सुविधा प्रदान की गयी है । यह भी एक प्रशंसनीय कार्य किया है । विकास प्राधिकरणों का गठन यू० पी० अरबन डेवलपमेन्ट एक्ट 1973 के अन्तर्गत किया गया । गढ़न की भूमिका डेवलपमेन्ट कहां गया है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं नगर महापालिकायें अपने उद्देश्यों को पाने में विफल रही है जिसके कारण स्लम्स बढ़ गये है । प्राधिकरणों के गठन के बाद स्लम्स भरे पड़े हैं । यह एक चिन्ता की बात है इसके लिए कौन दोषी है उसे दण्ड मिलना चाहिए । जो सरकारी भूमि में अतिक्रमण हुआ है उसको संघेय अपराध माना गया है और विकास प्राधिकरणों की भूमि को वापस लिया गया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

सूझ और बूझ जिसको पहले कोई जानता नहीं था उसने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है और जो उनके द्वारा योजनाएं बनाई गयी है और जो कार्य किये उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं उसके लिए उनको जितनी भी बधाई दी जाये कम है । स्थानीय निकायों और निगमों में जो अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में केन्द्रीय सेवा की व्यवस्था लागू की गयी है । उसे अकेन्द्रीकृत किया जाय । वर्तमान में जो सेनेटरी इंस्पेक्टर, अवर अभियन्ता आदि का स्थानान्तरण और उनकी चरित्र पंजिका में इन्ट्री इन्हीं सरकार द्वारा किये जाते हैं । अकेन्द्रीयकृत होने पर वह स्थानीय निकायों के जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ में होगा । उनकी चरित्र पंजिका में टिप्पणी आदि करने का अधिकार अकेन्द्रीकृत करने से यह अधिकार निगमों के अध्यक्षों की मिल जायेगा तो स्वाभाविक रूप से वह कर्मचारी अगर वहां पर रहना चाहेंगे तो लगन से कार्य करेंगे ।

आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी की संख्या वर्ष 1996-97 में 1925 थी वह अब काफी कम है । इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर जो रिक्त स्थान है उनको भरा जायें ताकि सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके ।

मान्यवर, आगरा में पेयजल की समस्या बड़ी गंभीर है । आगरा एतिहासिक पर्यटन नगरी है । वहां पर बैराज बनाये जाने की आवश्यकता है । मान्यवर, आगरे के संबंध में एक विशेष बात पर बल देना चाहता हूं । जहां तक गृह कर का सवाल है व्यक्तिगत और किरायेदारी दो प्रकार की पद्धतियां हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आगरा नगर निगम का करोड़ों रुपया गृह कर का बाकी है । । अप्रैल, 97 को वहां

8 करोड़ का बकाया था और 90 में 4 करोड़ का हो गया । इस तरह से कुल 12 करोड़ हो गया । इसमें से केवल 2 करोड़ की वसूली हुयी है । गृहकर वसूल न होने का कारण यह है कि बकाया पर ब्याज देय नहीं होता है । मेरा निवेदन है कि बकाया पर ब्याज लगाने की व्यवस्था की जाय इसके लिये चाहे अध्यादेश लायें या नियमों में संशोधन करें लेकिन ब्याज की व्यवस्था करें नहीं तो यह रहतिया होता जायेगा ।

बहुत सारे वाणिज्यिक भवन है जो किराये पर दिये गये हैं जो 5-10 हजार रुपये किराये हैं लेकिन वहां टैक्स की चोरी होती है । आखिर मैं कहना चाहता हूं कि कोलतार की जो सड़कें बनायी जाती हैं वह सड़कें बनाने में पानी निकासी की व्यवस्था ध्यान में रखी जाय । जब भी कोई सड़क कोलतार की बनायी जाय वहां पर जल निकासी की व्यवस्था पहले कर ली जाये । इसके लिये अवर अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता को संज्ञेय अपराधी बनाया जाय ताकि सड़कों का निर्माण ठीक से हो सके । जल निकासी की व्यवस्था न होने से कोलतार की सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । हमारे तमाम साथियों ने अभी अपनी-अपनी बातें कहीं । मैं भी संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी बाते हमारे मंत्री जी ने कही है अगर आज के परिवेश में उनको देखा जाय तो वह कपोल कल्पित भाषण के अलावा और कुछ नहीं होगा क्योंकि नगर पालिकाओं और टाउन एरियाज की जो स्थिति है वह आज किसी से छिपी नहीं है । हमारे विपक्ष के साथी हों या सत्ता पक्ष के साथी हों जब वह नगर पालिका से टाउन एरिया से गुजरते हैं तो बरसात के सीजन में बदबू, कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिखायी देता है । जल जमाव के कारण ऐसा लगता है कि गाड़ी गुजरते समय टूट जायेगी । कहीं भी जायं आपको गाड़ियां पानी की छीटों से भर देंगी । मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो टाउन एरिया हैं । मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो सफाई का काम करते हैं ।

मैंने कई त्योहारों पर देखा है चाहे ईद हो या होली, तनख्वाह न मिलने के कारण वह त्योहार नहीं मना पाते हैं । उनका 6-6, 8-8 महीने की तनख्वाहें बाकी थी लोग हमारे पास आये और कहने लगे आप हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं हम अपना त्योहार कैसे मनायें ? उनके त्योहार के लिए पैसों की व्यवस्था की गई, उधार पैसा दिया गया तब किसी तरह से उनके घर में सिवईयां बन सकी । जिस सरकार में कर्मचारियों के खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके साल भर की तनख्वाह बाकी हो उनकी कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं बना सकी तो इस बजट का भविष्य और परिणाम क्या हो सकता है वह अपने आप में छिपा नहीं है । मान्यवर, जो छोटे-छोटे उपनगर हैं उनमें शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है उनमें शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये । आज जिस भैसा गाड़ी से सड़कों का कूड़ा करकट उठाया जाता है हमारे यहां दोनों टाउन एरिया में नहीं है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो इस तरह के उपनगर हैं कूड़ा, करकट की सफाई के लिए एक ट्रैक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । आज किसी भी टाउन एरिया में आप देखें जल निगम की टंकियां जो बनी हुई हैं उन पर विद्युत विभाग का बकाया लाखों में है और प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में विद्युत विभाग के लोग कनेक्शन काट देते हैं जिससे गर्मी के मौसम में टाउन एरिया में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता । चूंकि जल निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था रहती है इसलिए लोगों के घरों के हैण्डपम्प खराब अथवा बन्द पड़े रहते हैं क्योंकि जब आठ महीने बाद उन्हें चलाया जायेगा तो लाल पानी निकलता है इसलिए इस तरह की जो समस्याएं हैं उनकी पूरे प्रदेश लेबिल पर जांच कराकर व्यवस्था करनी चाहिए इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्री भगवती प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आवास एवं नगर विकास विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, जैसा कि सर्वविदित है कि कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के दूसरे प्रान्तों के लोग रोजी-रोटी के लिए कानपुर में आकर बसे हैं । यह सर्वविदित है कि जब किसी को कहीं से उजाड़ा जाता है और शरणार्थी के रूप में बसाया जाता है तो सरकार अरबों रुपया खर्च करती है । लेकिन कानपुर महानगर में प्रदेश के कोने-कोने से सामंती लोगों के अन्याय अत्याचार से त्रस्त होकर जनता शहरों में आती है और नाले के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे या फुटपाथ पर जीवन यापन करने के लिए झुग्गी-झोपड़ी बनाती है तो उनको उजाड़ दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत सारी बातें रखी हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई समस्या ही नहीं रहेगी । जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे कानपुर के नगर विकास राज्य मंत्री सतीश महाना जी यहां पर बैठे हुए हैं ।

आप भी कानपुर के रहने वाले हैं । आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, अंग्रेजों ने जो जुल्म ज्यादती की थी उससे भी ज्यादा जुल्म-ज्यादती इस सरकार द्वारा की गई । कानपुर में झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ने के नाम पर रैदास बिहार और आपके विधान सभा क्षेत्र नौबस्ता में लोगों को उजाड़ा गया । यहां नहीं जे० के० मन्दिर के पास एक परिवार में उसके लड़के का तिलक चढ़ाया जा रहा था जो अतिथि लोग आए थे उनका भी सामान दब गया । जबकि उसके पास उच्च न्यायालय का आदेश था । नौबस्ता के पास जब झुग्गी-झोपड़ी उजाड़ी जा रही थी तो लोग भयंकर लू में पड़े रहे । एक महिला जो विकास प्राधिकरण के लोग मलवा उठाने गए थे उस मलवे में दब गई और उसकी मृत्यु हो गई । रैदास बिहार जो हमारे एक राज्य मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है वहां हजारों लोगों के घर उजाड़े गये । लोगों का सामान नहीं निकलने दिया गया । कई लोगों के पैर टूट गये इतनी बेरहमी से लोगों को उजाड़ा गया । जो 10 गज, 20 गज, 50 वर्ग मी० या उससे कम में झुग्गी झोपड़ी थी तथा जो पचास साल, चालीस साल से बनी हुई है उनको उजाड़ने का कानपुर में बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है । कानपुर में भयंकर बरसात हो रही है, त्राहि-त्राहि मची हुई है । दूसरी तरफ लोगों को उजाड़ा जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भगवती प्रसाद–

कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में जो अधिष्ठाता महोदय आपका भी निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर सड़कों में गड्ढे हैं, आदमी का चलना दूभर है। विकास के नाम पर नगर निगम में करोड़ों रुपया बजट जाता है उसको खर्च नहीं किया जाता है। वह पूरा का पूरा हजम कर लेते हैं। कानपुर के दक्षिणी क्षेत्र में जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 10-10, 20-20 गज की जमीन पर पिछले कई वर्षों से कब्जा किए हुए हैं और झोपड़ी बनाए हैं। तो जो सरकार की स्कीम है कि उनको बसाया जाए तो उन्हीं से पैसा लेकर सस्ते रेट पर जो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपये प्रतिदिन की स्कीम हैं उनकी इस स्कीम के तहत छत डाल दी जाए। उसी जगह का डेवलप किया जाय ताकि उनको दूसरी जगह न जाना पड़े क्योंकि उनके छोटे-मोटे धन्धे वहीं चल रहे हैं। कानपुर में बड़े-बड़े भू–माफिया हैं। जो अरबों रुपए की जमीन विकास प्राधिकरण की हड़प किए हुए हैं। उनसे जमीन मुक्त नहीं कराई जा रही है। क्योंकि यह सामन्तवादी सरकार है, यह गरीबों की विरोधी है, संवेदनहीन है, यह गरीबों पर बराबर जुल्म-ज्यादतियां कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री नीरज चतुर्वेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। इस प्रदेश में पहली बार गरीबों को 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए प्रतिदिन जमा करने पर आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यह एक नजीर उपस्थित की गई है। यह स्वागत योग्य कदम है। 300 वर्ग मी० तक के भूखण्ड मालिकों की विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसी सुविधा बना दी गई हैं जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तथा आम जनता को राहत मिलेगी।

अवैधी कब्जों को हटाने में सार्थक कदम उठाया है हमारी सरकार ने। गाजियाबाद, लखनऊ तथा कानपुर नगर में जो भू–माफिया वर्षों से जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए थे, वहीं लोग सरकार के खिलाफ कुप्रचार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ऐसे भू–माफियों के साथ समझौता नहीं किया बल्कि उनको उन जमीनों से हटाने का काम किया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर महानगर में के० डी० ए० द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से जो निम्नस्तरीय निर्माण कार्य कराया है और जो फर्जी भुगतान किया है, इस पर समयबद्ध तरीके से जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही कराई जाय तथा इसमें दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाय ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय। क्योंकि ये अधिकारी अपनी सीट पर बैठकर अपने पापों को धोना चाहते हैं। जैन पैलेस व्यावसायिक काम्पलेक्स पर करोड़ों रुपए बकाया है, इससे ब्याज सहित एरियर की रिकवरी की जाय। राज्य वित्त आयोग द्वारा जो करोड़ों रुपए निकायों को दिया जा रहा है, उसका कम से कम 25 प्रतिशत विकास के कार्यों में खर्च किया जाय। राज्य वित्त आयोग द्वारा जो 520 करोड़ रुपए दिया जाना सुनिश्चित हुआ है उसका 10 प्रतिशत पैसा स्थानीय निकायों के माध्यम से खर्च किया जाय। शासन द्वारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड बनाया गया है, उसका उपयोग विकास के कार्यों में विधायकों के माध्यम से कराया जाय।

मान्यवर, नगर विकास के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जल संस्थान का विलय नगर निगम में कर दिया जाय। आज सफाई की बड़ी असुविधा है। जल संस्थान के अधिकारियों से काम नहीं लिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है, इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति भी सुनिश्चित की जाय । हो यह रहा है कि एक-एक साल या दो-दो साल बाद वह अधिकारी वहीं पहुंच जाते हैं । इसलिये यह सुनिश्चित हो जाय कि कम से कम 5 साल तक कोई भी अधिकारी स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा और न ही उस जिले में आयेगा । नगर निगम की करोड़ों रुपए की भूमि अवैध कब्जेदारों के पास है । बकर मंडी से लकड़ मंडी तक तथा मुर्गा मारकेट की जमीन करोड़ों रुपए की है, इसे मुक्त कराया जाय, उससे निकायों को बहुत फायदा होगा ।

मान्यवर, हैण्ड पम्पस घोटाले की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । इसमें लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित किया जाय । विज्ञापन पट के माध्यम से आय का एक बहुत बड़ा श्रोत है, इसमें करोड़ों रुपए की चोरी कराई जा रही है, इसकी जांच कराई जाय और इसका लाभ निकायों को मिले । होर्डिंग्स, ट्रीगार्ड्स, चौराहे के स्टैण्ड तथा घरों और अस्पतालों तथा धर्मशालाओं पर लगने वाले विज्ञापन पटों से भी वही दर ली जाय । गृह कर के लिये एक माडल नीति बनाई जाय, मलिन बस्तियों का विकास किया जाय ।

मान्यवर, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । इकाइयों के द्वारा जो अपव्यय धन का किया जा रहा है एक-एक अधिकारी के पास 4-4 गाड़ियां हैं, लाखों रुपये का टेलीफोन बिल वकाया है, उसकी उनसे रिकवरी की जाय और उनके साधन सीमित करके इन इकाइयों को लाभ पहुंचाने का कार्य करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इस बजट के लिये आधा दिन की चर्चा स्वीकृत थी और आधा दिन वन विभाग के लिये था । यह 4 बजे प्रारम्भ हुआ था । यह सही है कि सभी माननीय सदस्य इस विभाग के बजट पर बोलना चाहेंगे किन्तु इस सदन के कार्यक्रम को भी ध्यान में रखें । अभी वन विभाग का भी बजट आगे आना है । अगर इसी तरह से चलेगा तो रात के 11.00 बजे जायेंगे । मेरा आग्रह है कि समय को देखते हुए कार्य किया जाय ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । एक निवेदन है माननीय सदस्यों से कि अभी दूसरा बजट भी आना है । इस पर माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनकी भावनाएं आयें उनके क्षेत्र की कुछ बातें होंगी तो मेरा निवेदन है कि अपने को एक-एक मिनट में सीमित करके केवल सुझाव देकर अपनी बात कहें तो इससे सहयोग मिलेगा । आपकी बात भी आ जायेगी और यह बजट पास होकर फिर अगला वन का बजट भी आ जायेगा ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगर विकास विभाग का जो बजट आया है और उस पर जो अम्बरीष कुमार जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, अभी जब माननीय मंत्री जी अपना बजट भाषण दे रहे थे तो उन्होंने तमाम घोषणाएं की हैं । मैं कुछ बिन्दुओं पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिये एक योजना बनाई है जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये प्रतिदिन की दर से पैसा लेकर उनको आवास की सुविधा दी जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह योजना पिछले एक वर्ष से लखनऊ में चल रही थी और लखनऊ शहर में बंगला बाजार के पास यह योजना है वहां पर कुछ मकान बने हैं ।

मेरी निश्चित जानकारी में है कि उस योजना के अन्तर्गत किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान उपलब्ध नहीं कराया गया है बल्कि ऐसे लोगों को आवंटित किये गये हैं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में नौकरी करते हैं। उन लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों के नाम पर मकान आवंटित कराने का काम किया है।

इसी के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद और विशेष कर कि आमने जो पेयजल के बारे में बताया कि यह व्यवस्था करा दी गई है। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि उन्नाव शहर में नगर निगम द्वारा जो नलकूप लगाये गये हैं वे खराब हैं मौरावां पुरवा में जो स्थिति हैं।

हैण्डपम्प खराब पड़े हैं रास्तों की हालत यह है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, इनके विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अम्बरीष जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। शहर में ज्यादातर लोग जो गरीब हैं उनको आये दिन सरकार उजाड़ने का काम करती है और यह घोषणा करती है कि उनको आवास प्रदान करायेंगे। आवास के नाम पर जिले के बाहर दो-तीन किलोमीटर में बस्तियां बसा देते हैं जंगल में उनको भेज देते हैं जहां कोई व्यवस्था नहीं होती है। मान्यवर, इन्होंने बड़े जोर-शोर से "अतिक्रमण हटाओ" अभियान चला रखा है मैं कहना चाहता हूं इलाहाबाद जनपद में सलेमसराय मोहल्ला है वहां जी० टी० रोड में भयंकर जाम रहता है रास्ता इतना खराब है कि ट्रक बिगड़ जाते हैं। जिससे जनता को काफी असुविधा होती है, यहां पर सीवर व नाली जाम है जिससे सड़क पर काफी पानी इक्ट्ठा हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

यहां पर नाली व सीवर सफाई की कोई व्यवस्था कराये हैं। कौशाम्बी जनपद मुख्यालय में मंत्री जी ने भाषण में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की कि पानी की टंकी लग सके, और पानी की सुविधा हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

मान्यवर, जो ऐतिहासिक बजट सदन में रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, साढ़े चार लाख आवासों का बजट में प्राविधान किया गया है। मैं पर्वतीय क्षेत्र के आवासीय भवनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, नैनीताल हल्द्वानी, देहरादून तराई में कुछ आवासीय भवन बना रहे हैं जो नहीं के बराबर हैं। नैनीताल झील प्राधिकरण है जैसा माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात कही है नैनीताल झील प्राधिकरण में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। नैनीताल से नौकुचिया ताल भीम ताल 25 किलोमीटर की दूरी तक प्राधिकरण में लिया गया है वहां 14 साल से कुछ नहीं हुआ है। इतने सालों बाद भी नौकुचिया ताल भीमताल में कुछ नहीं हुआ है।

दिल्ली बम्बई से बड़े-बड़े बिल्डर्स आ गए हैं। रामगढ़ ब्लाक नैनीताल नौकुचिया ताल, भीमताल में गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

मान्यवर, जो नगर पंचायतें में अधिकारी नक्शा पास करते हैं वह भीमताल की नगर पंचायत को दिया जाए पूर्व में हाउसिंग सोसायटी बोर्ड मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में था इसमें गड़बड़ी होने के बाद अधिकारी कम कर दिए गए..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसिंग सोसायटी को मदद दी जाए। रजिस्ट्रर्ड फीस उनकी पहले नहीं रखी जाती थी उसमें मंत्री जी से आग्रह करूंगा उसको हटाया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

मान्यवर, आबादी को देखते हुए नौकुचिया ताल, भीमताल और दबियागांव में पानी की एक योजना बनायी जाय और ओवर हेड टैंक बनाया जाय...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। मैं दूसरे वक्ता का नाम पुकार रहा हूं।

श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

मान्यवर, नैनीताल प्राधिकरण से व्यवसायिक नक्शा पास करने हेतु समयबद्ध सीमा दी जाय ताकि वह समय से हो सके।

(दो माननीय सदस्य के एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आर्य जी बैठ जायें। अब आपकी बात नहीं लिखी जायेगी। मैंने डा० कौशल किशोर जी को पुकार लिया है।

(व्यवधान)

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुदान संख्या–2 व अनुदान संख्या–37 पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, आवास की समस्या के कुछ कारण और निवारण भी है।

मान्यवर, अन्तरायण से आवास की समस्या पैदा (इनफिलट्रेशन) हो रही है। मान्यवर, यदि वहां पर गांवों में चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाय तो यह अन्तरायण दूर हो सकता है और जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं वह नहीं होगा। मान्यवर, जो सरकार शुद्ध पेयजल नहीं दे सकती है वह सरकार संवेदनशील सरकार नहीं हो सकती है। मान्यवर, हमारे लखीमपुर में 10 ट्यूबवेल लगे हैं जिसमें से तीन तो बिल्कुल खराब हैं और तीन ऐसे हैं जो ठोक पीट कर चलते हैं और चार से डेढ़ लाख की आबादी को पानी की सप्लाई होती है। मान्यवर, यह 200 मीटर की रेडियस पर लगे हुए हैं जिससे परेशानी हो रही है। मान्यवर, खीरी कस्बा, बैल कस्बा में पानी की दिक्कत है वहां पर इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइप लगा दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, यहां पर शहरों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की हालत बहुत जर्जर हो गयी है, नगर की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गयी हैं। मान्यवर, नगरपालिका में सांसद और विधायक उसके पदेन सदस्य होते हैं और उनकी कोई भूमिका नहीं होती है अगर वह मुख्य भूमिका में हों तो और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उनकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। मान्यवर, यह कहा जाता है कि शासन पारदर्शी है तो जो भी योजना बनायी जाय उसकी सूचना अखबारों में दी जाय। चाहे सफाई की व्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मान्यवर, जिलाधिकारी और एस० डी० एम० नगर पालिका और टाउन एरिया में अनधिकृत हस्तक्षेप करते हैं तो यह हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मान्यवर, शहरों में आने के लिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसको रोकने के लिये शहरों के चारों ओर एक रिंग रोड बना दी जाय जिससे भीड़-भाड़ न हो। इसके अतिरिक्त एक बात और कहूंगा कि इसके पहले भाजपा के लोग यह कहकर वोट मांग कर आये थे कि सबको परखा बार-बार हमको परखो एक बार तो अब यह जनता कह रही है सबको परखा बार-बार आपको परखा आखिरी बार। भाजपा की सरकार प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है नगर परिषद् लखीमपुर में भी है इनकी सरकार सभी जगह है लेकिन कोई काम जनता के हित का नहीं हो रहा है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा न कहकर माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह केवल महानगरों के लिए किया गया है। नगर पंचायतें जहां पर छोटे-छोटे लोग रहते हैं उनके विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत नही की गयी है। जहां नगर पंचायतें नगर पालिकायें छोटी-छोटी हैं उन नगर पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब है, एक टंकी बनी हुई है वह भी लगभग खत्म हो गयी है, वहां पानी पीने की किल्लत है। हमारे यहां बांगरमऊ नगर पंचायत, गंगाघाट नगर पंचायत है एक-एक टंकी बनी हुई है, जो खराब हो गयी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो छोटी नगर पंचायत टाउन एरियाज हैं यहां न जे०ई० है और न विकास की कोई योजना है। किसी-किसी नगर पंचायत में तो कर्मचारियों को 2-2 साल से वेतन नहीं मिला है। इन छोटी नगर पालिकाओं–नगर पंचायतों को धन देकर उनको भी नगर का एक दर्जा दिया जाय। छोटे-छोटे नगर हैं उसमें मास्टर प्लान योजना है जो मास्टर प्लान में चिन्हित हो गये हैं पार्क या टनल।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी।

श्री राम शंकर पाल–

उसमें किसानों को पहले मुआवजा दिया जाय, उसको एक्वायर करने से पहले । मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास एवं आवास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, कल्याणकारी सरकार में उ० प्र० सरकार के कुशल, अनुभवी पुरुषार्थी नगर विकास मंत्री ने अपने इस बजट में दलित, शोषित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया जोर से बोलें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ का प्रतिनिधि हूं मेरे क्षेत्र में तीन मुख्य समस्याएं हैं–जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार, सीवर की व्यवस्था, जल भराव की समस्या । लखनऊ नगर की जलापूर्ति व्यवस्था 1892 में प्रारम्भ हुई थी उस समय यहां की आबादी 2 लाख थी तथा ऐशबाग वाटर वर्क्स का निर्माण किया गया था, वर्तमान में आबादी 23 लाख के लगभग है दो वाटर वर्क्स, सैकड़ों नलकूप कार्य कर रहे हैं, किन्तु फिर भी पानी का उत्पादन कम हो रहा है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेढ़ इंच से लेकर 3 इंच तक की पुरानी पाइप लाइन पड़ी है जो क्षतिग्रस्त हो गयी है, आवश्यकता है कि इसमें सुधार करते हुए तथा इनमें पानी का दबाव नहीं बन पाता इनको 5 इंच की पाईप लाइन में परिवर्तित किया जाय और उसके लिए धन की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, सीवर व्यवस्था बहुत ही खराब हालत में है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

सीवर लाइनों के निस्तारण की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश सीवर लाइन स्थानीय नालों में मिली हुई हैं तथा नाले पूर्ण रूप भरे हुए हैं । नगर के सीवर के डिस्पोजल हेतु पूर्व में गोमती नगर में सलेज फार्म स्थिति था परन्तु सन् 1982 में गोमती नगर आवासीय योजना के निर्माण के फलस्वरूप सलेज फार्म का अस्तित्व समाप्त हो गया ।

मैं मांग करता हूं कि लखनऊ नगर में सीवर व्यवस्था सुधार तथा सीवेजन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अविलम्ब विचार किया जाय ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक राम नगर कालोनी है आज के दैनिक अखबार दैनिक जागरण में राम नगर का जिक्र आया है वहां पर सोफा और बेड पानी में तैर रहे हैं । मैंने इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था । वहां पर जल भराव को समाप्त करने के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाय । मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मांग करता हूं कि जिस प्रकार से पत्रकारों के लिए पत्रकार पुरम बनाया गया है उसी तरह से अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्तापुरम बनाया जाय ।

*श्री मोती लाल पैलवी–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मैलानी में अध्यक्ष भाजपा का है उसने 5 लाख का घपला किया जो सड़क और नाली के विकास के लिए दिया गया था उसमें घपला किया है । मान्यवर, धीरा ग्राम पंचायत है जो टाउन एरिया से ज्यादा डेवलप है । मेरी मांग है कि उसको नगर परिसीमन में लाकर नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय ।

श्री मुरली धर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया ।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय मुरलीधर जी को बुलाया है, सोनकर जी आप स्थान ग्रहण करें । आपका नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मुरलीधर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारा जनपद फतेहपुर पिछड़ा क्षेत्र है । जनपद फतेहपुर में टाउन एरिया किशनपुर अति पिछड़ा है, वहां पर अनुसूचित जाति बस्तियों में खड़न्जा नहीं है, न नालियों की व्यवस्था है, पेयजल के लिये भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है और न वहां सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था है । यहां के कर्मचारियों को एक साल से वेतन नहीं मिला है । इस टाउन एरिया में ई०ओ० भी दो साल से नहीं है, उसका पद रिक्त है । इस टाउन एरिया की अपनी बिल्डिंग भी नहीं है । इस टाउन एरिया में एक पानी की टंकी है, लेकिन इस टंकी पर जेनरेटर की कोई व्यवस्था नही है, इसलिये बिजली चली जाने पर पानी की आपूर्ति में बड़ी दिक्कत होती है ।

हमारे यहां खागा टाउन एरिया में रोड लाइट नहीं है, यहां के जमादार दूसरे लोगों के घरों में सफाई का काम करते हैं लेकिन इनके घर की महिलायें व बच्चे शौच क्रिया के लिये जंगल में जाते हैं, इस हेतु सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाय । हमारे यहां एक अम्बेदकर पार्क है, उसका विकास अभी तक धन न होने के कारण नहीं हो पायी है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसके लिये धन उपलब्ध कराया जाय इसी प्रकार एक अम्बेदकर वाचनालय है, लेकिन वहां पुस्तकों की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यहां ग्राम पंचायत बहादुरपुर खागा तथा ग्राम पंचायत शहजादपुर खागा है, इसको सम्मिलित करके इसका एरिया बढ़ाया जाय और इसे नगर पालिका घोषित किया जाय, इसका प्रस्ताव शासन के विचाराधीन भी है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको स्वीकृत करके नगरपालिका घोषित किया जाय । हमारे क्षेत्र में सड़कों की दशा बड़ी दयनीय है. हमारे यहां जो जी० टी० रोड है, उसमें चारों तरफ लोगों ने अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण क

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

लिया है, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि इसको मुक्त कराया जाय और सड़क साफ कराई जाय, इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गंगा सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत करता हूं, जो कटौती का प्रस्ताव विपक्ष की ओर से पेश किया गया, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि विपक्ष का काम केवल विरोध के लिये विरोध करना भर रह गया है। दो-दो मिलकर चार होते हैं, यह इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो बजट रखा गया है, आज के पूर्व किसी भी सरकार के द्वारा ऐसा अभूतपूर्व बजट नहीं आया है। इस बजट में बहुत ही साहसी कदम उठाये गये हैं, बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं। पूरे प्रदेश में 60 हजार ग्राम निकाय और 863 शहरी निकायों की जो जर्जर हालत थी, जो आये दिन वहां हड़तालें हुआ करती थीं, कर्मचारियों के लिये कुर्सी-मेंजें तक नहीं थी, माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से सम्पूर्ण राज्य की आय का 11 प्रतिशत इनके लिये प्राविधान करके इन निकायों को सक्षम बनाने का काम किया गया है, इससे जनता में विश्वास जागृत होगा। मान्यवर, मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे यहां नगरपालिका सांडी है वहां पर पेय नल की समस्या है। एक ट्यूबवेल की अति आवश्यकता है जिसका बजट में समावेश होना चाहिए तथा इण्डिया मार्का–II हैण्ड पाइप भी स्वीकृत किय जाये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठात महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यव , हमारा आजमगढ़ जिला जो इस समय मण्डल घोषित हो चुका है उस शहर की हालत बहुत बुरी है। सौन्दर्यीकरण के नाम पर आज आजमगढ़ में आज जो गुमटी और मड़ई हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन शहर के अन्दर बन्धे पर बड़े-बड़े मकान बन गये हैं, उनको नहीं तुड़वाया जा रहा है। आजमगढ़ में जो सीवर लाइन है वह अधूरी है उसको पूरा किया जाये। आजमगढ़ शहर के अन्दर जो नलकूप लगे हैं उनके मोटर बहुत पुराने हो चुके हैं जो पानी खींचने में असमर्थ है हर्रा की चुंगी पर जो नलकूप लगा है वहां पर पानी की टंकी नहीं बनी है इसलिये मेरी मांग है वहां पर पानी की टंकी की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, शहर के अन्दर नलकूप बाजबहादुर मोहल्ला, कोट मोहल्ला और सिंहारी मोहल्ला में नहीं है वहां पर नलकूप की व्यवस्था कराई जाये।

मान्यवर, इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप जो लगाये जाते हैं वह विधायकों के सुझाव पर लगाये जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ में उनके लगाते समय विधायकों से कोई सुझाव नहीं लिए जाते हैं बल्कि जिलाधिकारी के सुझाव पर लगा दिये जाते हैं। एलवल, चुन्नी का पूरा मड़वा, सरफुद्दीनपुर, मूसेपुर, हर्रा की चुंगी, लोधी का पूरा में इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप लगाने की बड़ी आवश्यकता है मेरी मांग है वहां पर इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप वहां पर तत्काल लगाने की व्यवस्था की जाय। रोड पर जो लाइट के राड है पर नहीं हैं शहर अंधेरे में डूबा रहता है गलियों में बल्ब नहीं रहते हैं इससे चोरी और डकैती बढ़ रही हैं मेरा सुझाव है कि रोड और गलियों में बिजली के बल्ब और राड लगाने की व्यवस्था की जाय। बिजली के जो पुरानी खम्भे और तार हैं वह टूटकर गिर जाते हैं जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि पुराने खम्भों को तत्काल हटाया जाय और नये खम्भे लगाये जाय, जिससे दुर्घटना न हो। शहर के अन्दर गन्दगी फैली हुई है, नालियों की सफाई नहीं होती है। उनकी सफाई की तत्काल

व्यवस्था की जाये और नगर को बीमारियों से बचाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। अगर नहीं समाप्त करेंगे तो आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन से लीडर रोड शाहगंज तक सीवर लाइन जाम रहती है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन के आस-पास गलियों में पानी भर जाता है। इलाहाबाद में हिम्मतगंज में तमाम मेनहोल टूटे पड़े हैं, सीवर लाइन टूटी पड़ी हैं। उनके ढक्कन खुले हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं आये दिन होती हैं आये दिन गाड़ियां उनमें घुस जाती हैं। इलाहाबाद से कानपुर जी० टी० रोड पर मुंडेरा–सुलेम सरायं में अतिक्रमण होने से वहां पर मलबा पड़ा है। सीवर लाइन जाम हो गयी है, नालियां जाम होने की वजह से पूरी सड़क में पानी फैल जाता है और एक-एक फिट सड़क पर गड्ढा हो गया है। इस पर कार्यवाही हो जाय।

मान्यवर, सिराथू विधान सभा क्षेत्र में दो टाउन एरिया हैं (1) सिराथू (2) अधुवा। सिराथू नगर में बाजार में नालियों की व्यवस्था नहीं है और पूरे नगरवालों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पाता है। अधुवा नगर इलाहाबाद मण्डल में सबसे बड़ी गल्ला मण्डी है। वहां पर मेन रास्ते में पानी भर जाता है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि पक्का नाला बनवाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं मा० मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो बजट मा० मंत्री जी ने रखा है वह हर दृष्टिकोण से उपयुक्त है, चाहे आवासीय व्यवस्था हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे सीवर की व्यवस्था हो या प्रदूषण की बात हो या पेयजल की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, हर दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। मैं मात्र दो तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, जनपद भदोही जो कि कालीन उद्योग का केन्द्र है और जहां से करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है उस नगर में न तो सीवर की व्यवस्था है और नहीं पेयजल की व्यवस्था है। मैं कहना चाहूंगा कि भदोही और गोपीगंज में सीवर की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था की जाये। गोपीगंज में पानी की टंकी नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प विधायकों के माध्यम से लग रहे हैं वह अतिशीघ्र लगा दिये जाएं। उसके लिये हम कहते हैं तो स्थानीय अधिशासी अभियन्ता कहते हैं उनके पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह समस्या सारे प्रदेश की है। इन शब्दों के साथ आवास एवं नगर विकास मंत्री की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री टी० एन० सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने टी० एन० सिंह को बुलाया है।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए नगर विकास मंत्री जी को और सदन को बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों में लगे हुए कर्मचारियों को 10, 15 और बीस महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करिये,मैंने टी० एन० सिंह जी को बुलाया है।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

आजादी के बाद से सदन में बराबर यह बात उठी है सबसे कमजोर तबके के लोग पूरे प्रदेश में है तो वह सफाई कर्मचारी हैं। (व्यवधान) जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको महीनों से वेतन नहीं मिला है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों में लगे हुए सफाई कर्मचारी हैं उनका प्राविडेन्ट फण्ड भी नहीं मिल रहा है और न पेंशन मिल रही है न बीमे का पैसा मिल रहा है। इस महंगाई में यह भुखमरी के कगार पर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने टी० एन० सिंह को बुलाया था और आप बोलते चले गये। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

प्रदेश में सबसे कमजोर तबके के लोग यह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है उनको वेतन नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें। अब जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी आप अपने सदस्य को नियंत्रित कीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चूंकि नगर विकास विभाग पर चर्चा हो रही है। इस विभाग की सबसे बड़ी समस्या है सफाई और सफाई कर्मचारियों की और चूंकि माननीय सदस्य उनके प्रतिनिधि हैं इस नाते मेरी प्रार्थना है कि इनको सुना जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य को पीठ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य ने मनुवादी कहा है।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

पीठ का सम्मान सर्वोच्च है। पीठ पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है, आपके प्रति ऐसी कोई बात नहीं है । जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो सफाई व्यवस्था का काम करते हैं उनके वोट जो लेकर आये हैं आज उनमें उनके प्रति दर्द नहीं है। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वहीं ज्यादातर नगरों में रहते हैं। मान्यवर, चिलचिलाती धूप में, कटकटाती सर्दी में, वर्षा में यह सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं आप सरकार को निर्देश दें कि कम से कम जो कमजोर तबके के लोग हैं गरीब लोग हैं। जिनके बच्चे पैसे के अभाव में, वेतन के अभाव में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनको वेतन वितरण कराने का काम यह सरकार करे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का और मेरा जनपद एक ही था। मान्यवर, हाथरस को महामाया नगर बना दिया गया है। वहां की जनता के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। सभी माननीय सदस्य मेरी बात पांच मिनट धैर्य पूर्वक सुनें मैं कोई अवमानना या किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता चूंकि अलीगढ़ और हाथरस में तीन कि०मी० का फर्क है। अलीगढ़ को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है और हाथरस नगरपालिका को पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं टण्डन जी का बहुत सम्मान करता हूं उनकी प्रशंसा करता हूं हाथरस में न तो सीवर लाइन है न नाले और नालियां हैं। जबकि वहां के लोग हाउस टैक्स, जलकर, लगान दे रहे हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, एक ब्राह्मण पीठ पर बैठा हुआ है ब्राह्मण की बात तो सुन लें। कोई नहीं सुन रहा है मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं थोड़ा रहम तो खाइये मान्यवर, हाथरस में ब्राह्मणों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। वहां पर सड़कों पर एक-एक फुट पानी भरा है। जितनी सहायता अलीगढ़ को दी जाती है कम से कम उसका आधा हिस्सा हाथरस को दे दें। आवास मंत्री जी मैरिस रोड पर जो कोठी है उसका हाउस टैक्स नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी डरे नहीं टैक्स लगायें।

एक सदस्य–

इसका बजट से क्या मतलब ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय नगर विकास मंत्री जी, आप बहुत इमानदार व्यक्ति हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उस मकान पर टैक्स अवश्य लगायेंगे । [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

उपाध्याय जी आ आप बैठ जायं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, [x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उपाध्याय जी अब आप बैठ जायं मैंने सुमनलता सिंह जी को बुला लिया है ।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं और इस बजट की सराहना करते हुए अपने जनपद की कुछ बात कहना चाहती हूं । कुछ अवैध एवं अनधिकृत निर्माण हुए हैं उसके विषय में कहना चाहती हूं एक तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, दूसरे वह निर्माण हैं जो बिना नक्शा पास कराये मकान बनाये गये हैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सरकार की क्या नीति है । इसमें मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि एक कम्पाउण्डिंग फीस ले ली जाये और कट आफ डेट निश्चित करके इसका समाधान किया जाये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया है अपने सभी विधायक साथियों की तरफ से । उसमें मैंने यह आग्रह किया है कि जिस प्रकार 1986 में स्व० वीर बहादुर सिंह के समय में एक योजना विधायकों को आवास/भूखण्ड आवंटन के बारे में बनी थी उसी प्रकार की योजना बनायी जाये और माननीय विधायकों को आसान किश्तों पर भवन व भूखण्ड उपलब्ध करायी जायें क्योंकि सबके लिये मकान की महती आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी आप इस बात की घोषणा करें । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि बरेली जनपद में एक लम्बे अरसे से बी० डी० ए० और आवास विकास परिषद् की कोई योजना नहीं चल रही है । आवास विकास परिषद् के द्वारा मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह बरेली जनपद के लिये इस तरह की योजना चालू करें जिससे वहां के मध्यम वर्ग के लिये भवन या भूखण्ड उपलब्ध हो सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बिसारतगंज टाउन एरिया हैं यहां पर न पानी की सुविधा है, न सड़क बनी है, न विद्युतीकरण हुआ है । मैं चाहती हूं कि इस बजट में इसके लिये धन की व्यवस्था की जाये । हमारे विधान सभा क्षेत्र में चार वार्ड भी हैं वह चारों वार्ड मलिन बस्तियों में हैं उनकी हालत

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दयनीय है नालें की व्यवस्था न होने के कारण, सड़क खराब होने के कारण वहां पानी भर जाता है इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। सी० डी० एस० योजना के अन्तर्गत महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं उनके लिये सुदृढ़ीकरण के लिए जो योजना लागू की गयी है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष जी, अपने कटौती प्रस्ताव का उत्तर भाषण प्रस्तुत करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने आवास विभाग एवं नगर विकास विभाग के बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया, महत्वपूर्ण सुझाव दिये तथा मेरे कटौती प्रस्ताव पर नैतिक रूप से बल प्रदान किया। अधिष्ठाता महोदय, कुछ सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जिन भू-माफियाओं की बात मंत्री जी ने कही है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह भू उपयोग उन माफियाओं के हित में बदल दिये जाते हैं। इसलिए मंत्री जी किसी विकास प्राधिकरण में एक सैम्पुल निरीक्षण करायें जो भी भू उपयोग बदले गये हैं उनके पीछे कोई युक्ति-युक्त आधार नहीं है। इससे प्राधिकरणों का असली चेहरा सामने आ जायेगा। आप तो कुम्भ के प्रभारी थे। आप हरिद्वार गये थे आप जांच करवा लें कौन भूमि ऐसी है जो कुम्भ के उपयोग की थी लेकिन वहां दुकानें, आवासीय भवन, व्यावसायिक इमारतें बनाई गई। इसके लिये कौन दोषी हैं, उनको दण्डित करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता की बड़ी सेवा होगी। इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि नगर पालिका के जो बाइलाज बने हैं उन उपनियमों का उल्लंघन कर सुभाष घाट पर दुकानें खड़ी की गयीं जिनका प्राविधान नहीं है। कौन अधिकारी थे जिन्होंने मना किया फिर भी बनीं। इन विकास प्राधिकरणों से मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इनक्रोचमेंट हटाने की बात की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से इन्क्रोचमेंट हुआ, उन्होंने रिश्वत ली, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि एक मुकदमा गंगोत्री होटल बनाम हरिद्वार विकास प्राधिकरण का है। हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि समाधान का अधिकार गलत है क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माण कराते हैं फिर समाधान के माध्यम से उस अवैध निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाती है और उसको वैध किया जाता है। हाईकोर्ट ने इसलिये यह अधिकार नहीं माना। आप चाहें तो मैं पूरा जजमेंट दे सकता हूं। मेरे पास है। हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण के विरुद्ध टिप्पणी की है। आपने उल्लेख किया है कि आप माफी देने जा रहे हैं। कोई कोर्ट के निर्णय के प्रकाश में इसे देख लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब संक्षेप करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अम्बेडकर नगर उद्यान की बात आई। उस क्षेत्र में गोमती यादव जी सदस्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपकी सरकार भी कहती है और उसकी जांच भी हुई है। सी०एस०जी और जोजफ की जांच रिपोर्ट उसको सदन में रखवा दें। सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। इसी प्रकार से सुभाष चन्द्र बोस महिला विद्यालय अलीगंज में बनना है। उसके प्रथम चरण के लिए 60 लाख कास्ट थी। दिल्ली की फर्म (प्राइवेट) से उसका नक्शा बनवाया गया और दिल्ली के रेट पर आंकलन बना। उसकी कास्ट प्रथम चरण में एक करोड़ साठ लाख हो गई। इसके बारे में जांच करवाई जानी चाहिये। इनक्रोंचमेंट की बात है। अधिष्ठाता जी हमारे बाल चन्द्र मिश्र जी ने इसकी बात उठाई थी, श्रीमती सुमन लता जी ने इस विषय में बात उठायी, हरवंश कपूर जी ने इस विषय में बात उठाई। मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस बात पर बल दिया जो एक्ट इनक्रोचमेंट हटाने का है। इनक्रोचमेंट को संज्ञेय अपराध घोषित करने का है। उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो। मिश्रा जी ने 41–49 आफिसर के बारे में

बताया कि उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज है लेकिन कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है । अगर इस तरह से कार्यवाही हो कि पूरे प्रदेश के लिये एक सन्देश जा सकता है कि सरकारी भूमि पर इनक्रोचमेंट न हो । सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य इस बात पर एक मत हैं कि चाहे कूड़ा हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम उसमें जन प्रतिनिधि को सदस्य मनोनीत करने की बात होनी चाहिये । अभी आप उत्तर भाषण देंगे तो उसमें इस बिन्दु का भी समावेश करने का कष्ट करेंगे कि इसमें जन प्रतिनिधियों की सदस्यता घोषित कर दें । दूसरी बात हमारे अफरोज अली साहब जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने कहा । मैं अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उन्होंने कहा कि पोलीथीन सीवर लाइन चोक करती है ।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया था कि कूड़े को खाद के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं । मान्यवर, यह पोलीथीन गलाने के लिये चाहे जितने केंचुए डाल दीजिए यह ज्यों की त्यों रहती है गलने वाली नहीं है । सारा कूड़ा गल जायेगा परन्तु इनका कुछ नहीं होने वाला । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को बहुत सी चीजों के लिये केन्द्र सरकार से प्रशंसा मिली है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने उत्तर भाषण में इस बात की घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो पोलीथीन के प्रयोग पर पाबन्दी लगाकर पर्यावरण को भी साफ रखेगा जो पोलीथीन से सीवर लाइन को बन्द होने की बात आ रही है उससे भी मुक्त रखेगा । इसके लिये हम आपको साधुवाद देंगे । क्या मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे ?

हमारे जो बस स्टेशन हैं और रेलवे स्टेशन हैं, उन पर एक रिसेप्सन काउन्टर हमारे नगर निगमों/नगर पालिकाओं पर पंचायत का खुलना चाहिये । दिल्ली में जो प्रि-पेड सिस्टम है, उसी तरह से रिक्शा थ्री ह्वीलर आदि पर भी प्रि-पेड सिस्टम लागू किया जाना चाहिये ताकि यात्रियों को कठिनाई न होने पाये । हमारे जो नगर हैं, तीर्थ हैं, यदि उनके बारे में कोई जानकारी करना चाहता है तो रिसेप्सन काउन्टरों से उन्हें उसकी जानकारी मिलने में सुविधा रहेगी और साथ ही जो लोग वहां पर यात्रियों को ठगते हैं, उनसे मुक्ति भी मिलेगी । और साथ ही उत्तर प्रदेश की बाहर जो बदनामी होती है, उससे भी बचा जा सकेगा ।

मान्यवर, संसाधनों को बढ़ाने के बारे में कहना चाहता हूं कि पानी की जो दरें हैं उन्हें सुसंगत बनाया जाय । पानी का जो मूल्य लेते हैं उसमें काफी कठिनाई होती है इसलिये जितने टैप्स (टौंटियां) हैं, उसके हिसाब से दरों को फिक्स कर दिया जाय, इससे मीटर आदि का चक्कर भी नहीं पड़ेगा । साथ ही विभाग के राजस्व में भी बहुत वृद्धि होगी ।

दूसरा सफाई पर भी आप कर लगा सकते हैं । बहुत कम लगायें जिससे लोगों को महसूस न हो सके, इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और निकायों की स्थिति भी अच्छी होगी । तीसरा जो बारात घर है आज इनमें कई उत्सव होते हैं । शादी-ब्याह होते हैं । नगर पालिका परिषद् अपने फंड्स इकट्ठा करके जहां आवश्यकता हो, इसे चरणबद्ध तरीके से बनाये । बिना टैक्स लगाये एक अच्छे आय का श्रोत ढूंढ़ा जा सकता है । चौथा आज हम दिल्ली में देखते हैं कि जो वहां पर बस स्टेशन है इनकी मील के डेवलपमेंट एथोरिटीज या नगर पालिका है । इसी प्रकार आप वहां पर कर दीजिए प्रति बस शुल्क लगाकर । इससे नगर पालिका की आय भी बढ़ सगती है । पांचवा जो खाली जमीन है, जिसका कोई उपयोग नहीं है और न ही नगरपालिका की उस पर कोई योजना है, जिसका कोई उपयोग नहीं है और न ही नगरपालिका की उस पर कोई योजना है, उनका विक्रय कर आप एक संचित निधि बना दीजिये उसके ब्याज से आप विकास के कार्य करवा सकते हैं और इससे आय भी बढ़ेगी । पार्क व पार्किंग की कोई बात यहां पर नहीं हुई, इस पर विचार होना चाहिये । हमारी जो सड़क निधि बनी । अभी डीजल पेट्रोल पर शुल्क बढ़ा । उस सड़क निधि से जहां लोक निर्माण विभाग को पैसा मिला, उसी प्रकार उस सड़क

निधि से कुछ पैसा नगर विकास विभाग को भी मिले जिससे सड़कों का निर्माण व निकायों को सुदृढ़ीकरण कर सकें।

मान्यवर, आज जल भराव की एक गम्भीर समस्या है। अभी कानपुर में जल भराव की समस्या इस सदन में आई इसलिये जल भराव की समस्या से छुटकारा पाने के लिये कोई नई योजना शासन की तरफ से दी जानी चाहिये ताकि जल भराव के कारण जो सड़कें खराब हो जाती हैं उससे मुक्ति मिल सके।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम चेयरमैंनों के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के मामले हैं क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किन-किन नगर पालिकाओं के चेयरमैंनों के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं और वह किस-किस पार्टी से संबंधित हैं, माननीय मंत्री जी इसे बताने की कृपा करेंगे ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये मान्यवर, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन–

मैं माननीय अम्बरीष जी का आभारी हूं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अवस्थी जी चले गये हैं सम्भवतः उनमें धैर्य नहीं था मेरी बात सुनने का इसलिये एक पत्र वह आदर के साथ लिखकर दे गये हैं। मान्यवर, मैं अम्बरीष जी की जगह होता तो उन्होंने शुरू में पत्र का हवाला दिया था तो मैं तो उन्हें बधाई देता कि जो आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं कथनी और करनी में अन्तर नहीं समझते हैं लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने यह शिष्टाचार नहीं निभाया और उसको दूसरे रूप में लेने की कोशिश की। लोकतंत्रीय व्यवस्था है कि एक दूसरे के विरुद्ध कितने ही कटु शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाय लेकिन उसके बाद भी मित्रवत व्यवहार रहता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिये हैं जिससे मुझे कार्य की दिशा में सुधार करने के अवसर मिलेंगे। मैंने इस रूप में नहीं देखा है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह सत्तापक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं शासन को यह देखना भी नहीं चाहिये कहां से उन्हें अच्छे सुझाव मिल सकते हैं कहां से अच्छी बात ग्रहण कर सकते हैं इसको देखना चाहिये इसमें कोई छोटापन नहीं है। मैं जिस लोकतंत्रीय संस्कार में पला हूं उसके अनुसार जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करना चाहिये। मान्यवर, हरिद्वार का जिक्र आया हरिद्वार से यह हैं भी अगर यह हृदय के ऊपर हाथ रखकर कहेंगे तो आज हरिद्वार सारे भारत में एक नया रूप लेकर सामने आया है। पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है इसको अम्बरीष जी कहेंगे, 61 करोड़ की स्थायी सम्पत्ति बनी है पहले पुल बनते थे वह टूट जाते थे लेकिन आज सभी चीजें स्थायी हैं। बिजली के लिये चार-चार सब स्टेशन बनाए गये हैं। ट्यूबबेल बनाए गये हैं जिन्हें खत्म नहीं होने देंगे वह सब रहेंगे। वहां के लोगों के यह काम आएंगे। छः वर्ष के अन्दर अर्द्धकुम्भ होगा। पर्यटन क्षेत्र के रूप में यह प्रसिद्ध होगा। अब दिल्ली के लोग शनिवार और रविवार की छुट्टी में आते हैं। अब हरिद्वार रमणीक स्थान बन गया है।

सरकार की उपलब्धियों में यह एक बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, कई अच्छे सुझाव आये हैं एक बात शुरू में अम्बरीष जी ने कही ग्रामीण आवास के बारे में। उत्तर प्रदेश में आवासीय गतिविधियां कितनी तेजी से चल रही हैं उसमें ग्रामों को शामिल किया है जब ग्राम्य विकास का बजट होगा तो ग्रामीण आवास की विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। मैं मानता हूं कि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले नेता और उसका सिम्बलाइज करते हैं। बहुत सी सम्पत्तियां पड़ी हैं उसको आमदनी बढ़ाने के श्रोत के रूप में इस्तेमाल किये जायें। यह निर्देश दिये जा रहे हैं। प्रत्येक नगरपालिका या निगम या पंचायत के पास अनिस्तारित सम्पत्ति है जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसको सबका निस्तारण करके एक विकास खंड बनाया जाए। विकास प्राधिकरण में हमने यह शुरु कर दिया है। अभी तक विकास प्राधिकरण के तमाम शुल्क, कर अपने कार्यों में लगते थे शहर के विकास में पैसा खर्चा नहीं होता था। अब एक नगर

विकास खण्ड बनाया जा रहा है जिसमें सारे शुल्क लिये जाते हैं उसमें से जो हिस्सा लेते हैं वह निस्तारित सम्पत्तियां हैं । शहर विकास खण्ड बना रहे हैं शहरी विकास के लिये आवास नगर विकास में कोई संशोधन नहीं है ।

शायद कुछ माननीय सदस्यों को दशम् वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों में भ्रम हो गया है यह कहा गया कि दशम् वित्त आयोग में यह उल्लेख है कि इसका पैसा इस काम में इस्तेमाल किया जायेगा । इसमें नहीं करेंगे तो मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि दशम् वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया धन है जो केवल नाले, नालियों और सीवर डालने अथवा सफाई उपकरण को खरीदने के लिये मिलता है और जो राज्य वित्त आयोग का है जो पैसा मिलेगा वह सबके लिये सुनिश्चित हो गया है इतनी अनुदान की राशि पहुंच जायेगी और उसके अन्तर्गत छूट होगी कि किसको दें । अपनी तनख्वाह आदि से लेकर अन्य कार्य की जिम्मेदारी इन निकायों पर होगी । हमारी कोशिश यह है कि इन्हें आत्मनिर्भर बनायें । मैं उनमें से नहीं हूं कि सरकार की कन्टीन्यूटी से बच निकलने की कोशिश करते हैं ।

मान्यवर, 1974 में संशोधन के बारे में एक्ट बन रहा था उस समय यहां पर चर्चा नहीं हो पायी थी । विधान परिषद् में अपने दल का मैं नेता था जब वहां पर यह चर्चा आयी तो उस समय जो खामियां आज गिना रहे हैं वह खामियां गिनायी गयीं तब उस समय वहां यह आश्वासन दिया गया था कि सब नेताओं से मिलकर इसमें बात हो जायेगी, फिलहाल अरजेन्सी है और इसको पास कर दिया जाय । अगर हम लोग इसको पास नहीं करते हैं तो ग्रान्ट रुक जायेगी इसलिये इसको पास कर दिया गया । अब वह सरकार नहीं रही है और वह एक्ट वैसा ही पड़ा है । जो त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था है उस पर एक कानून बना । क्योंकि आज जो म्यूनिस्पैल्टीज हैं कल वह कारपोरेशन हो सकती है और कारपोरेशन के बाद दूसरा एक्ट लागू हो जायेगा क्योंकि शहरों के विकास का जो इंडीकेशन मिल रहा है, 9वीं पंचयवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरों की आबादी 40 प्रतिशत हो जायेगी, इस रफ्तार से जो शहरों की आबादी बढ़ रही है उसके अन्तर्गत हमको मिलकर काम करना होगा । मान्यवर, इन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 1997-98 में नगर निगम को 221.77 करोड़ रुपया दिया गया था, 1998-99 में 247.49 करोड़ दिया गया है तो यह बढ़ा है । नगर पालिका परिषद् में यह कुल योग 206.87 करोड़ था, 1998-99 में बढ़कर 247.49 करोड़ हो गया ।

मान्यवर, नगर पंचायत को इसमें 47.42 करोड़ रुपया दिया गया था इस बार 60.31 करोड़ रुपया दिया गया है । यानि शासन की ओर से राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर दे रहे हैं और हर में बढ़ाकर दे रहे हैं । इसमें वह रकम शामिल नहीं हैं जो बजाज कमेटी की ओर से दी जायेगी वह अलग है । इसमें राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि वह आधा व्यय भार बरदास्त करेगी । मान्यवर, हाउस टैक्स के बारे में सुझाव आया । मान्यवर, इसमें हम स्वतः कर निर्धारण प्रक्रिया लागू करने जा रहे हैं उसमें हम यह बता देंगे कि क्या रेट हैं और किस रेट से हाउस टैक्स देना होगा । हम स्वयं कैलकुलेशन करके यह दे देंगे इससे इंस्पेक्टर राज्य समाप्त हो जायेगा और जो झूठी इन्फारमेशन देंगे वह सजा के पात्र होंगे...

तो अब अगर व्यवस्था का सरलीकरण हो जाय कोई आपके घर झांकने न जाय आपकी बात पर विश्वास मान लिया जाय और जो गलत तथ्य देंगे उनके खिलाफ अलग से प्राविधान होगा । पेयजल के बारे में हैण्ड पम्प लगाने का जो लक्ष्य था, मुझे खुशी है, जो रिपोर्ट आयी हैं, जो सारा लक्ष्य रखा गया था, उससे अधिक हैण्ड पम्प रिबोर और नये बोर हुए । आवास के क्षेत्र में कहा गया–यह विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद्–इनकी व्यवस्थायें बड़ी गड़बड़ रही है, लेकिन क्या उसके लिये हम जिम्मेवार हैं । हम गुनाहगार होते अगर उनको सुधारने के लिए कुछ न किया होता । नक्शे के बारे में

कहा गया, जो नीति के खिलाफ प्रयास कर रहे हैं वह निश्चित रूप से दण्डित होंगे । 97-98 में 9654 नक्शे प्राप्त हुए 8577 पास होकर चले गये, 89 प्रतिशत उपलब्धि हुई । 3 माह से अधिक का जिनमें विलम्ब हुआ है पूरे प्रदेश में मात्र 57 नक्शे हैं । इस पालिसी में यदि कोई कहीं कमी है तो आप अपने मूल्यवान सुझाव से अवगत करायें मुझे खुशी होगी । कहा गया कि सार्वजनिक भूमि के बारे में ऐक्ट बनाया गया उससे क्या मिला । ठीक है जो अपेक्षा करते थे नहीं हुआ । लेकिन 488.23 हेक्टेयर भूमि खाली करायी गयी पिछले वर्ष उसका मूल्य था 202 करोड़ रु० 22 करोड़ की भूमि बेच दी गयी है । 88-99 में 200 हेक्टेयर और खाली करायेंगे सारी भूमि बेचकर 500 करोड़ रु० उस विकास फण्ड में जोड़ेंगे ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी आपके विचार आये हैं, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं । यह कहा गया कि लखनऊ में कुछ विशेष हो रहा है क्योंकि वहां के प्रधान मंत्री हैं । लखनऊ के लिए अब तक केवल 10 करोड़ रुपये रिवाविंग फण्ड जरूर बटा है कि अगर कहीं पर कुछ करना है तो 10 करोड़ से कर दें । योजनाएं तो हजारों करोड़ की होंगी ।

मान्यवर, सैफई में जाकर देखिये कि पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ तो अगर उससे तुलना करेंगे तो यह अन्याय होगा, लखनऊ राजधानी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सैफई में दुरुपयोग हुआ कि उसके विकास के लिए अगर वहां के प्रतिनिधि ने कुछ करने का प्रयास किया तो उसमें आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकार करने का साहस हो, आप स्वीकार करें, आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ का किया गया है । मैं तो स्वीकार करता हूं कि मिट्टी से पैदा व्यक्ति ने कुछ किया है ।

श्री लाल जी टण्डन–

यह देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है और उसे राजधानी की शक्ल देने के लिए जो कुछ भी खर्च करना पड़ेगा वह हम करेंगे मैं आपकी बहस को पाजिटिव लेना चाहता हूं । आप बड़े मुद्दे को अगर छोटी बात की तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे तो स्तर गिरेगा । यह सदन पार्लियामेन्ट के बाद सबसे बड़ा सदन है इसकी गरिमा के अनुसार इस पर बहस हो और शायद इसीलिये मैंने बार-बार आप लोगों को बधाई दी कि पाजिटिव बहस हुई, व्यक्तिगत या कोई लांछन इस प्रकार की बात नहीं हुई । मैंने उसके लिए आप लोगों को बधाई भी दी है और जहां-जहां जिसका जवाब है उसको कहा भी है । मान्यवर, वैसे तो बहुत से बिन्दु हैं जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत इसमें वक्त लग जायेगा । अब मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सहयोग दें । यह नागरिक सुविधाओं से संबंधित है, यह राजनीति का विषय नहीं है इसमें उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी मेरी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी, कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

माननीय टण्डन जी अगर माननीय संसदीय कार्यमंत्री के इधर आ जाते तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लेता ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2– आवास विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,02,56,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,39,79,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ।

संसदीय कार्य मंत्री–(श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 5,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 5,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 60–वन विभाग

* वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,31,43,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपके सामने तथा इस माननीय सदन के समक्ष इस महत्वपूर्ण विभाग से संबंधित कुछ बिन्दु तथा महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं । वनों का बहुत बड़ा महत्व है और हमारी वन संस्कृति भगवान शिव से शुरू होती है । भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसके लिये भी उन्हें वन जाना पड़ा था और भगवान श्रीकृष्ण को भी गीता पाठ के लिये वन में जाना पड़ा और गीता वहीं लिखी गई । वन इस बात के साक्षी हैं कि वेद पुराण से लेकर हर धर्म की धार्मिक पुस्तकों पर यदि विश्वास किया जाय, तो उन सभी की रचना वन में ही हुई है । जो हमारे 4 आश्रम बताये गये हैं, उसके अनुसार मनुष्य को आखिरी के दिनों में वन जाने के लिये कहा गया है ।

(इस समय 9.00 बजे अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करता हूं । मा० टण्डन जी ने कहा सभी लोग वन में चलें । मैं कहना चाहता हूं कि वनों से बहुत बड़ी राहत है मानव जीवन को । मान्यवर, आज जिस तरह से विज्ञान बढ़ रहा है और जिस तरह से तकनीकियां बढ़ रही है उसी तरह से प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है इस प्रदूषण के कन्ट्रोल के वनों की बड़ी आवश्यकता है । प्रदूषण ओजोन तक पहुंचता है और वहां पर हानि पहुंचाता है इससे हमारे वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिए बहुत जरूरी है कि वनों का रख-रखाव हो और जो वनों से सेवन मिलता है उसका सबसे बड़ा महत्व है । विद्वान प्रोफेसर टी० एन० दास ने कहा है कि एक वृक्ष अगर 50 वर्ष तक जीवित रहता है तो कितना लाभ देता है । 50 वर्ष में एक पेड़ आक्सीजन, जल संचन, भूगर्भ जल में वृद्धि, प्रदूषण, पर्यावरण और मनोरंजन देता है उन्होंने बताया है कि एक वृक्ष 50 साल में 15.7 लाख रुपये का लाभ मनुष्य को पहुंचाता है । 2.5 लाख आक्सीजन, वायु शुद्धिकरण 5.0 लाख रुपये, जल संरक्षण, 3 लाख, भूमि संरक्षण 2.5 लाख, वन्य जीव संरक्षण, 2.5 लाख रुपया । प्रोटीन उपलब्धि 0.2 लाख इस प्रकार से 15.7 लाख रुपये का लाभ एक पेड़ से हमको 50 वर्षों में होता है ।

इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा प्रोफेसर दास ने कहा, वनों का महत्व बहुत है, हमको इस महत्व को बनाये रखने के लिये वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है । मैं आक्षेप नहीं करता हूं, वनों का जिस तरह से विकास हुआ है उसी तरह से वन माफिया बड़ी तेजी से बढ़े हैं और जिसके कारण वनों का कटान शुरू हो गया । इस कटान को रोकने के लिए फारेस्ट गार्ड एक डण्डा लिए खड़ा रहता है उसके पास कोई हथियार नहीं है और माफियाओं के पास बहुत बड़ी ताकत होती है । अगर वन माफियाओं से लड़ने के लिए सिपाही के पास बन्दूक और राइफल नहीं होती, तब तक वन, वनों की सुरक्षा नहीं कर पायगा, इसीलिए मान्यवर, 600 बन्दूकें उनको दी गयी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अब तक 127 लोगों ने अपने गांव की आहुति दे दी है । उनकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया है । अब तक की व्यवस्था में ये था कि अगर एक कर्मचारी मर जाता था तो मुख्य मंत्री के फण्ड की ओर देखते थे । अब पहली बार श्री कल्याण सिंह जी की सरकार में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई वन कर्मी मारा जाता है तो उसे पुलिस वालों की तरह एक लाख रुपया दिया जायेगा । जो पहले व्यवस्था नहीं थी । जिस तरह से पुलिस विभाग को उसकी विधवा को मिलता है उसी तरह से मैंने फारेस्ट गार्ड के लिए की है । हमारे पास संसाधन नहीं है कि सभी लोगों को हथियार दिये जा सके । इसके लिए बजट नहीं है, इसको देखते हुए हमने व्यवस्था की है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपना लाइसेन्स ले लेता है तो बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था की जायेगी ।

उस पर कोई ब्याज नहीं है । बीस साल की आसान किश्तों में वह वसूल करेंगे । उसके बाद वह राइफल उसकी हो जायेगी । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार चाहे वह किसी की रही हो, इतना जरूरी काम किसी न नहीं किया वन विभाग का दोहन किया लेकिन पेड़ लगाने के

लिए कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया और इस विभाग को कलंकित किया । केवल दोहन मात्र करते रहें तो उन वृक्षों को बचाने के लिए हमने बहुत बड़े कदम उठाये हैं । हमारी जो सीमाओं से लगे वन हैं उनमें जो पूर्व सैनिक है उनको हमने यह काम दिया है, वहां पर वायरलेस की चौकिया बनायी हैं, पानी की व्यवस्था की है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है ।

वायरलेस से अगर कहीं वन कट रहा है तो उसकी एक मिनट में सूचना मिल जायेगी । एक व्यवस्थित ढंग से साइन्सफिक्ट तरीके से कम्प्यूटराइज तरीके से वनों की सुरक्षा करने की व्यवस्था की है क्योंकि वनों को हमारे जीवन से सीधा संबंध है । यह प्रदूषण को रोकते हैं और प्राण वायु मनुष्य को प्रदान करते हैं । आपके जमाने में तो यूकीलिफ्टस और बबूल के पेड़ लगाने का काम हुआ । हमारी सरकार ने माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हमने व्यवस्था की है कि बीस प्रतिशत फलदार वृक्ष लगायेंगे उससे किसान को लाभान्वित करेंगे । सड़क की हर पट्टी में एक-एक किलोमीटर पर जिस किसी किसान की जमीन सड़क के लिए ली गयी है उस काश्तकार की मेड में फलदार पेड़ हम लगायेंगे । उसमें कटहल, महुआ, बेल, शहतूत, आम आदि के पेड़ होंगे । उनकी उपज किसान की होगी । वन विभाग केवल मालिक रहेगा । फसल किसान लेगा । जिसकी जमीन गई थी उसको उसका लाभ मिलेगा ।

रेल की पटरियों में या दूसरे कार्यों में जो जमीन गई है उसके लिए किसान को हम लाभान्वित करेंगे । यह कार्य माननीय कल्याण सिंह जी हुकूमत में हुआ । इससे पहले कभी नहीं हुआ था । 20 प्रतिशत में एक प्रतिशत आम के पेड़ लगाना आवश्यक होगा और उस आम के पेड़ से किसान को लाभान्वित करेंगे । इस अभियान को तेज करने के लिए हमने शहरी क्षेत्र में हम दो और हमारे दस वृक्ष का नारा दिया है । यह विद्यार्थियों को हम सिखायेंगे मैं नगर विकास मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि शहरों में हमारे इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें और स्कूलों में बच्चों को यह बताएं कि हमारे दो और हमारे दस वृक्ष लगायेंगे। और शहरों को हरा-भरा बनायेंगे । हर विद्यार्थी को घर-घर भेंजेगे ताकि वह लोगों को बतावें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् इस चौथे पन में इतना हौसला मा० मंत्री जी रखते हैं इसके लिये इनको बधाई देता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह पीछे हटने वाले नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मानीनय चौधरी साहब क्या आपको मा० मंत्री जी के पौरुष में कोई शंका है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा साथ हुआ है जब साथ नया होता है तो पौरुष कम भी होता है तो हरकत ज्यादा होती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

अभी शायद आपको पाठशाला जाना पड़ेगा आपको फिर मास्टर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी । श्री धनीराम जी को अध्यापक बना देंगे तो अच्छी ट्रेनिंग मिल जायेगी । मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि हम जैसे दो बच्चे पालते हैं उसी तरह से आठ पेड़ लगाकर नन्हें मुन्ने बच्चे की तरह उन पेड़ों को पालने का काम करें । तो हमारी जो ओजोन परत है वह ठीक रहेगी और प्राण वायु भी बढ़ेगी । पेड़ों को बच्चों की तरह पालें इस भावना से हमको जुड़ना पड़ेगा । हम स्कूल के बच्चों को घर भेजेंगे जो वहां जाकर पूछेगे कि कौन सा पेड़ चाहिये सूची आ जाएगी तो वन विभाग के लोग उस घर में पेड़ लगायेंगे । और इससे जो धन आयेगा उसका 20% उस कालेज के बच्चों को देंगे जो सबसे अच्छा पेड़ लगाने का काम करेगा । उसको इसके अतिरिक्ति सहायता देकर लाभान्वित करने की हमारी योजनाँ है । जब आपकी सरकार थी तो आपने एक काम किया, पेड़ लगाने का लक्ष्य रख दिया और गड्ढें खुदवा दिये अगस्त में

पेड़ लगा दिये दीवाली में पानी की व्यवस्था नहीं की, निराई की व्यवस्था नहीं की जिससे वह पेड़ सूख गये और आंकड़ा आपने यहां पढ़ दिया कि हमने इतने पेड़ लगा दिये । लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी ।

हम एक पेड़ लगायेंगे तो उसका वित्त पोषण करेंगे । नन्हें मुन्ने बच्चों की तरह उसको पालेंगे ताकि झूठे आंकड़े देने की जरुरत न पड़े । यदि कोई पेड़ लगाने के बाद उसकी परवाह नहीं करेगा तो उसने कर्मचारी खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, इसी तरह से जो वन माफिया हैं उनके बारे में हमने अधिकारियों की बैठक में कहा कि वन माफियाओं के नाम खुले आप मुझे बतायें । हमारे यहां खनन होता है, बालू उठाते हैं, ऐसे माफियाओं के नाम बतायें तो उस तरह से 327 वन माफियाओं को चिन्हित किया गया है । मान्यवर, पहली बार ऐसे वन माफियाओं में से 178 को जेल भेजा है । 18 को एन० एस० ए० में बन्द किया है, गैंगेस्टर ऐक्ट में 39, गुण्डा ऐक्ट में 68, अन्य धाराओं में 46, खनन माफियाओं में 6, बालू माफियाओं में 1 को बन्द किया है । इस तरह से 178 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई । वन माफियाओं पर काबू पाना मामूली काम नहीं था यह पहली बार पूरे प्रदेश में इस सरकार ने काम किया है । वन कटान को रोकने के लिये जो बड़े-बड़े वन माफिया थे उनको जेल के भीतर भेजा है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जरा धीरज के साथ सुनिये । वन माफियाओं के खिलाफ जब हमने कार्यवाही शुरू की तो बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों ने जो उस पक्ष के नेता हैं मुझसे सिफारिश की कि आप क्या कर रहे हैं, श्रीमन्, मैंने अपने कलम को नहीं रोका और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कल्याण सिंह जी को जब मैंने फाइल भेजी तो मानसरोवर आवास समिति के जिस व्यक्ति ने कुकरैल में 100 बीघे पर कब्जा कर रखा था, किसी मुख्य मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिनके जमाने में कब्जा हुआ था वह कब्जा नहीं ले पाये । मैंने उसकी कई लाख की पानी की टंकियां तुड़वा दी और उस जमीन का कब्जा लेकर वहां पर पेड़ लगवा दिया और उसकी चाहरदीवारी बनवा दी । अभी कुछ देर पहले अवस्थी जी ने यह बात उठायी थी अब शायद वह चले गये हैं ।

मान्यवर, जो परिस्थितियां थी, उसमें अगर इस सरकार की यह हिम्मत न होती तो कब्जा नहीं हो पाता ; जिन परिस्थितियों में हमने कब्जा लिया है उसके लिये आपको बधाई देना चाहिए । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकारी वन माफियाओं से मिले हुये थे उनमें हम 22 लोगों को निलम्बित किया है और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, हमारे विभाग में एक रिजर्व लाइन की आवश्यकता है, शासन ने रिजर्व लाइन बनाने का निर्णय लिया है ; वनकर्मी जो वनों में रह रहे हैं, रेंजर वगैरह हैं उनके बच्चों के पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, उनके बच्चे दूसरे स्थानों पर रह रहे हैं हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां उनके बच्चे निवास करते हैं वहां पर प्राथमिक एवं हाईस्कूल विद्यालय बनायेंगे, पानी की सुविधा मुहैया करायेंगे, यह हमने वन-कर्मियों की सुविधा के लिये किया है । एक दिक्कत हमारे सामने आयी है । पिछली बार भारत सरकार के वन मंत्री जी यहां आये थे तो हमने एक सुझाव भारत सरकार के वन मंत्री को दिया था कि उत्तर भारत के सभी राज्य सरकारों के वनमंत्रियों को बुलाकर उनकी बात सुन लें, हम आपके सामने अपनी समस्या रखना चाहते हैं ।

हमने अपने कर्मियों को बन्दूक भी दे दी, रायफल भी दे दी लेकिन जब हमारे वन कर्मियों पर माफिया हमला करते हैं तो हमारे वन कर्मियों को बन्दूक चलाने का अधिकार नहीं है, वह बन्दूक नहीं चला सकते हैं जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में उन्हें वही अधिकार है जो पुलिस को हैं । हमने कहा कि उत्तर प्रदेश को भी यह अधिकार प्रदान करें, इनको वन मंत्री ने स्वीकार कर लिया है । श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में वन माफियाओं से लड़ते हुए कई वन कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा हुई । जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने पहला काम किया कि जो हमारे कर्मी वन रक्षा में लगे थे और वन माफियाओं से लड़ते हुये, उन्हें सजा हुई, वह निजी तौर

पर अपना मुकदमा लड़ रहे थे, उन्हें हमने सहायता दी है कि वह अपनी पैरवी करें हमने सी० आर०-पी० सी० में संशोधन के लिये भी मांग की है कि बिना हमारी अनुमति के हमारे वन कर्मियों पर मुकदमा न चले । अन्वेषण शालाएं चाहे कृषि विभाग की हों, चाहे वनस्पति विज्ञान की हों यह सब की सब अन्वेषणशालाएं किताबों में कैद है । जनता से सीधा रिस्ता नहीं है ।

यह सब जनता से सीधे जुड़े उद्योगपतियों से सीधे जुड़े और उसका लाभ मिले इसके लिए कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में मैं गया था वहां भी हमने कहा था कि आपके शोध किताबों तक ही न सीमित रहकर आज जनता को भी उसका लाभ मिले । पापुलर ट्री की 20 प्रजातियों को हमारे वैज्ञानिकों ने रोम भेजा है कि इनका पेटेन्ट करो और दुनियां में सबसे बढ़िया वैरायटी है । इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहिए । पापुलर की वैरायटी को हमारे यहां से विमको कम्पनी ने कह दिया कि विमको पापुलर । उसका क्लोन हमारे यहां का है । "पापुलर विमको" यह एक छल है । इसलिए हमने सारी बातों को विचार करके तय किया कि आगे क्या रणनीति बनानी है । जब हमारी रणनीति बन जायेगी तो वनों का दोहन हो रहा है उसको रोक सकेंगे । हमारे यहां जो प्रजातियां हैं उनके बारे में अन्वेषण हो रहा है वनस्पति सम्पदा में जितना उत्तर प्रदेश धनी है उतना विश्व में कोई देश धनी नहीं है । मैंने पहले दिन से ही यह कहा कि जिन प्रजातियों की पहचान न की गई हो उनकी पहचान जल्दी की जाए । अभी वासमती को पेटेन्ट करा लिया गया और प्रजातियों, नीम, हल्दी, अदरख, लहसुन का पेटेन्ट किया जा रहा था । हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेटेन्टीकरण से जो हमारी धरोहर है उसको दोहन हो तो हमें क्या करना चाहिए । हमारी सरकार ने फैसला लिया है पेटेन्टीकरण से बचाने के लिए हम भी पेटेन्टीकरण के लिए काम करेंगे । उसमें जो डेंक्सास जो कैंसर रोग की अचूक दवा है, अडूस जो डिसेंट्री की दवा है जिसको गाय, भैंस, बन्दर को जब डिसेंट्री हो जाती है तो वह दो पत्ती खाकर ठीक हो जाते हैं, तुलसी पर चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के डा० खान ने तुलसी के ऊपर परीक्षण किया अपने ऊपर परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि इससे बकरी का इलाज हो सकता है ।

इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि तुलसी चालीस बीमारियों को रोकने का काम करती है । इन सबके पेटेन्टीकरण की योजना है । मान्यवर, आज तक वन विभाग किसी रोजगारपरक योजना से नहीं जुड़ा था परन्तु पहली बार डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से योजना को चलाया गया है । आप तो कहते थे कि यह सरकार डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से चिढ़ती है परन्तु आपको इस सरकार को बधाई देनी चाहिये । हो सकता है कि लोहिया जी के नाम से भले ही आपने व्यक्तिगत रूप से कुछ कर लिया हो परन्तु सार्वरूप से किसी सरकारी योजना में आपने उनका नाम नही जोड़ा । डाक्टर राम मनोहर लोहिया पौंधशाला योजना के नाम से योजना चलाई है । ट्राइसम योजना के तहत जो बच्चे सेलैक्ट होते हैं, जिसमें बी० डी० ओ०/ग्राम प्रधान किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, इन बच्चों को हम दो महीने की ट्रेनिंग अपनी पौधशालाओं में देंगे जहां पर उन्हें कलम लगाना आदि विभिन्न विधियों के बारे में बताया जायेगा । जब वह लड़का ट्रेनिंग प्राप्त कर लेगा तो उसके एक एकड़ खेत में पौधे लगाये जायेंगे, जिसके पास एक एकड़ जमीन नहीं होगी, उसे जिलाधिकारी से दिलवाकर एक एकड़ भूमि पर एक लाख पौध लगाये जायेंगे वह भी जो एस० आर० वाई० को जो पैसा होता है उससे । इसमें उसको न तो कर्ज लेना है और न किसी बैंक में जाना है । जब उसकी पौध तैयार हो जायेगी तो उसे वन विभाग खरीद लेगा ।

इस प्रकार मान्यवर, हम सीधे उसे रोजगार से जोड़ेंगे और इससे न तो उसे किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा और न कहीं जाना पड़ेगा । क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी उद्यम के लिए लोन लेता है और जब उसके उत्पाद की सही मारकेटिंग नहीं होती है तो वह आदमी तबाह हो जाता है परन्तु इस योजना के अन्दर उसे ऐसा कुछ नहीं करना है । डाक्टर लोहिया स्कीम के अन्दर हमने 100 ग्राम सभायें सेलेक्ट की हैं जहां पर हम क्रीड़ा स्थल व पार्क बनायेंगे । तीसरी योजना है जहां वनवासी रहते हैं उनके कल्याण

के लिये पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत तेंदू पत्ता आदि में कार्य कर रहे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं, उनको इस योजना के अन्तर्गत लाभ देने का कार्य किया गया है। इसे आपको स्वीकार करना चाहिये। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बना दिया कि 3 हजार की फिट की ऊंचाई पर न कोई पेड़ कटेगा और न ही कोई पेड़ उठेगा। सूखी लकड़ी भी नहीं उठेगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी।

इस प्रकार हमारे जो नेशनल पार्क व क्षेत्रीय पार्क हैं, उनमें सूखी लकड़ी उठनी बन्द हो गई। इसका नतीजा यह हो गया कि विदेशी लकड़ी बड़े पैमाने पर हमारे यहां चली आ रही थी। चाहे वह चूल्हे के लिये हों या अन्य किसी और चीज के लिये। वर्ष 1981 से लेकर आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। विदेशी लकड़ी का हस्तक्षेप बढ़ गया। आज अरबों रुपए की सूखी लकड़ी हमारी पड़ी व खड़ी है। पिछली सरकारों की गलती की वजह से जो गलत कानून बना दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

पिछली सरकार की गलतियों को सुधारने के लिये आपने क्या किया है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हमने यह किया है कि दस साल चक्र की जो योजना थी उसको हटाकर जहां सूखे पेड़ हैं वह पांच साल में हटा दिये जायेंगे और हमने प्रकाश की उपलब्धता बढ़ाकर विदेशी लकड़ी के आयात को रोकने के लिये कदम उठाया है। हमारे पहाड़ के भाई उत्तरांचल के नाम पर हमसे अलग न हो जायं। हमारे वन का हिस्सा बहुत कम रह जायेगा। आज हमारा वन का हिस्सा 17.54 प्रतिशत है अगर यह अलग हो जायेंगे तो 6 परसेन्ट रह जायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमको यह बजट अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। अगर चार परसेन्ट टोटल बजट का आप लोग सहयोग करें तो हम वनों को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

एक बात यहां पर अधिकतर आती है कि आप लोग वन रोज को नील गाय कहते हैं। हमने आपको एक पर्चा दिया है जिसमें दोनों की तस्वीर बनी है। आपको यह अन्तर बताने के लिये यह चित्र छापकर दिया गया है। आप लोगों को कहना है कि जिस तरह से हमने डी०एम० को आदेश दिये हैं कि काश्तकारों को वह उनके प्रार्थना-पत्र पर इन वनरोजों का सफाया करने के लिये लाइसेंस दे। आपका कहना है कि प्रधानों को भी यह अधिकार दे दिया जाय। आप सबका सहयोग हो तो खेतों को हानि से बचाने के लिये यह कदम उठाया जा सकता है। पहाड़ के बारे में कहना चाहता हूं कि नाप और बेनाम के बारे में माननीय मुन्ना चौहान जी अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय करेंगे। हमारे रावत जी भी कहेंगे। जो कानून बने जो स्थितियां बनी लेकिन जो संकल्प रावत जी ने पेश किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जिसकी 9 तारीख को बैठक हुई और उस बैठक में लिया गया निर्णय न्याय विभाग को भेजा गया है। हम सब चाहते हैं कि जो फैसला होगा वह आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए किया जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव देकर वन विभाग से प्राण वायु और हम सबके कल्याण के लिये अपना सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना जी घड़ी की सुइयों को ध्यान में रखकर अपनी बात कहें।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला)–

मान्यवर, शेर की दहाड़ के आगे आपने मुन्ना खड़ा कर दिया है।

(हंसी)

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्तावं करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् माननीय वन मंत्री जी ने अभी जो वन विभाग का बजट प्रस्ताव पेश किया उसको मैंने बहुत गौर से सुना। माननीय वन मंत्री जी चूंकि आपके सानिध्य में काफी समय तक हम लोगों को भी बैठने का अवसर मिला है, मैं यह समझ रहा था कि आपकी योग्यता आपके तजुर्बे और जीवन के जो अनुभव हैं इसमें निश्चित रूप से इस बजट प्रस्ताव में आयेंगे। आपने वन विभाग से संबंधित ऐसी योजनाओं का एलान करेंगे जिससे आने वाले दिनों में, दुनिया का सबसे संवेदनशील विषय वन पर्यावरण को कहा गया है, दुनिया के अन्दर आज की तारीख में, दुनिया के पैमाने पर विश्व के सभी देशों में एकरूपता है तो वह वन और पर्यावरण ऐसा विषय है जिसमें दुनिया में एक रूपता है, लेकिन मान्यवर, वन मंत्री जी के सामने कुछ मजबूरी रही होंगी मैं समझता हूं क्रियेटिव इन्टैलीजेन्स की जो इनकी क्षमता है, सोचने की क्षमता है इनको यह अवसर इस सरकार में नहीं मिल पाए। इस बात को वह महसूस कर रहे होंगे उन्होंने कहीं न कहीं अपने पर लगाम लगाई होगी। मान्यवर, जहां तक मानव और वन का सवाल है वन का संबंध मानव सभ्यता से है मानव सभ्यता की उत्पत्ति का संबंध वन से है।

मैं इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं रखता। मानव की शुरुवाती सभ्यता, वन से मानव ने शुरू की। दुनिया में सबसे पहले आई एकवेटिक लाइफ। सबसे पहले जल से संबंधित जीवन आया। वेदों और पुराणों में कहीं न कहीं इसका वर्णन मिलता है परन्तु मानव सभ्यता की शुरुआत इसका अरण्य सभ्यता कहा गया है जिसको हम फारेस्ट कल्चर से पुकार सकते हैं। यहां से मानव विकास के दिनों के संबंध का अनवरत इतिहास है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं मानव जीवन का संबंध धीरे-धीरे अपने आप में चलता गया। वनों के सम्पर्क में मानव की सभ्यता विकास का रास्ता तय करती गई और उसने उच्च से उच्चतर स्थान स्थापित किया और तथा कथित प्रकृति की राह पर जाने का काम किया। श्रीमन्, विशेष रूप से अब आधुनिक युग में प्रवेश किया जिसे कभी-कभी भौतिक युग, कभी कभार विज्ञान युग, कभी कभार मशीनी युग, कभी-कभी इण्डस्ट्रियल एज कहते हैं तो जब इस एज में प्रवेश किया तो दो राह नजर आई एक रास्ता नजर आया। 100 प्रतिशत वनों के संरक्षण का, वायो–डायवरसिटी का। संरक्षण की बात करें तो एक तरफ तो भौतिक तरीके से रास्ते पर जाकर मानव समाज की तरक्की की बात है।

दूसरा हिस्सों में बराबरी पर रोजाना के कार्य करें। दो विकल्प में कहीं न कहीं नीतियों का निर्धारण करने वाले लोगों में मैं समझता हूं कहीं न कहीं खामी है। एक असन्तुलन की कमी आई हम धीरे-धीरे भौतिकवाद, की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, भौतिकवाद की तरफ जाने का प्रयास किया। वन संरक्षण और पर्यावरण के लिए जो हमारा परिवेश है, मैं कहना चाहूंगा मुझे शब्द नहीं मिल रहा है इसको अंग्रेजी में हम वायो स्पीयर कह सकते हैं; को ओवरलुक किया है। धीरे-धीरे यह जिम्मेदारी सरकारों के सामने यह विषय आया तो हमारी जिम्मेदारी बनी कि किस तरह से अपने भौतिक, औद्योगिक और जो मशीनरी क्रान्ति है उसके और प्रकृति के बीच में एक ऐसा रास्ता अख्तियार करें कि जो छेड-छाड़ का काम है वह बन्द हो जाय। श्रीमन् यदि हिन्दुस्तान की बात करें तो इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं आज दुनिया की आबादी की 15 प्रतिशत आबादी हमारी है लेकिन जो फारेस्ट कवर है उसको देखें तो विश्व के जियाग्राफिक एरिया का 2.4 प्रतिशत हमारा जियाग्राफिक एरिया है। तो 15 प्रतिशत की आबादी के विपरीत केवल दो प्रतिशत वन हमारे पास हैं इससे यह मालूम होता है कि जो वनों के सापेक्ष स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है और भारत वर्ष के अन्दर जो वनों की स्थिति

है वह 11 से 12 प्रतिशत क्षेत्र में घने वन हैं बाकी यह है तो डीग्रेडेड, फारेस्ट कहे जाते हैं और जो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर हैं।

मान्यवर, जंगलों को विधिक स्तर देने के लिये जो कानूनी रूप से कार्यवाही हुई तो वह 1800 के करीब प्रारम्भ हुई। मान्यवर, मैं खुद ऐसे जनपद से आता हूं जहां पर भारत में एक संबंध कानून का प्रारम्भ हुआ तो मान्यवर, वन संरक्षण की जो तरक्की हुई या जिस तरह से क्षति हुई है उसके बारे में बता दूं। मान्यवर, जिस तरह से 1927 में फारेस्ट एक्ट तब्दील करने की कोशिश की गयी, फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 में लाया गया जो विधिक स्तर है वह जंगल से जुड़ा है, जो वन भाग हैं उसके बारे में कानूनी स्थिति है वह इस प्रकार से रही। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम कानून बनाते चले गये उसको बनाने में जो आबादी थी, मानव था उसकी सोच को केन्द्र में रखने का काम नहीं किया गया। यह सोचने की कोशिश नहीं की गई कि उसके बारे में कोई कानून बनाया जा रहा है उससे जो पड़ोस में जो आबादी निवास करती है उसके पारटीशिपेशन में उस वन सम्पदा संरक्षण में कैसे होगा इसको सोचने का काम नहीं किया गया। जिसका नतीजा यह निकला कि कानून एक रास्ते पर जाता हुआ नजर आया और जो स्थानीय व्यक्ति था, जो जनमानस था वह दूसरे रास्ते पर चलता हुआ दिखायी दिया क्योंकि उनमें कोई तालमेल नहीं था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम आध्यात्मिक रूप से सोचें तो मत्स्य पुराण में लिखा गया है एक पेड़ 10 पुत्र समान। उस कंसेप्ट को सेन्टर थीम बनाकर काम किया। सारे कानून काउन्टर प्रोडेक्टिव साबित हो गये। वन क्षेत्रों की सम्पदा की रक्षा की जो बात है–चाहे बुन्देलखंड का हिस्सा हो, पहाड़ का भाग हो, मैदान का भाग हो, वह आपको लगेगा कानून की बात करने वाला व्यक्ति एक तरफ खड़ा होगा, विरोध करने वाला कोई दूसरी तरफ खड़ा होगा। बड़ी भारी कमी है। हम मानते हैं कि जंगल बनाने वाली यह प्रकृति है। आपके पास रिजर्व फारेस्ट एरियाज हैं बेहतरीन तरीके से वह मेन्टेन नहीं होगा। हमारे यहां जो प्राइवेट फारेस्ट हैं, जिन्हें हमारे यहां खटबन कहते हैं, मैंटेन मिलेंगे। केवल लाठी के बल पर कानून के नाम पर, हम वन सम्पदा का संरक्षण नहीं कर सकते हैं जब तक कि आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का सहयोग उसमें न मिले।

राष्ट्रीय स्तर पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं एक चन्दन तस्कर के लिये व्यक्ति नहीं सरकारें कह रही हैं कि वीरप्पन को पकड़ो बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ० की टुकड़ियां लगी हैं कर्नाटक तमिलनाडु की सरकारें लगी हुई हैं, वीरप्पन को आज तक नहीं पकड़ पाये। अगर आबादी का कुछ प्रतिशत तस्कर बनने का काम करने लगे तो हिन्दुस्तान की सरकार वन सम्पदा को नहीं तोड़ सकती है। अंग्रेजी हुकूमत के लिये यहां कुछ कहना उपयुक्त नहीं है लेकिन मैंने एक लोकल डाक्युमेंट देखा– सेटलमेंट ऐक्ट पन्नालाल फारेस्ट सेटलमेंट ऐक्ट उसमें कितना बढ़ियां रेखांकित किया गया है कि जब तक स्थानीय आदमी का इन्वालवमेंट लेकर नहीं चलेंगे, हम इसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। फारेस्ट गार्ड आपके जंगल की रक्षा नहीं कर पायेंगे अकेले, आपको लोगों को इसमें इन्वाल्व करना पड़ेगा जो जंगल क्षेत्र हैं, आप अच्छे लोगों को छोड़ दीजिये जो बुरे लोग हैं जो माइनर आपेन्स करते हैं, अपने बाल बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिये जंगल की लकड़ी चुराकर बाजार में बेंचते हैं, उनको इन्वाल्व कीजिये। आप रिवर्स कीजिये प्रोसेस को। जंगल में काटने वाले लोगों को आप इन्वाल्व कीजिये वह आपके प्लान्टेशन का काम करेगा। हमारे यहां एक सूझबूझ का अधिकारी 2-4 साल पहले आ गये, मैंने उनको एक लिस्ट दी, उन्होंने उन लोगों को जंगल की हिफाजत में इन्वाल्व किया जो पहले जगंल काटने का काम करते थे और आज वह जंगल के रक्षक बन गये। उसी बात की जरूरत है आज की तारीख में।

मान्यवर, यह फारेस्ट जिसको हम कहीं कहते हैं कि प्रोडक्टिव फारेस्ट है, कहीं विलेज फारेस्ट कहते हैं लेकिन कुदरत ने ऐसी चीज दी है जिस पर किसी योजना को लादकर संवर्धन संरक्षण नहीं कर

सकते हैं। एक अप्रोच आया है आज की तारीख में हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को यह बात लग रही हो कि अनावश्यक मैं कह रहा हूं। इस अप्रोच को लैंडस्केप एप्रोच कहा गया है डी पोरे व जे० पोरे ने लैंड स्केप को डिफाइन किया है। मान्यवर, यह अंग्रेजी में है इसका मैं हिन्दी अनुवाद कर दूंगा।

"दि जाग्राफिकल स्ट्रक्चर आफ लैण्ड इट्स स्वायल एनीमल एण्ड इट्स वेजीटेशन दि पैटर्न आफ ह्यूमन एक्टीविटी फील्डस फारेस्ट्स सेटलमेंट्स एण्ड लोकल इण्डस्ट्रीज बोथ पास्ट एण्ड प्रजेन्ट इट इज ए मैटर नाट ओनली आफ ब्यूटी आफ एस्थेटिक एप्रोपिएशन आफ नेचर एण्ड आरकीटेक्चर बट आफ होल इकोलाजी आफ ऐन एरिया एण्ड हिस्ट्री आफ इट्स आकूपेशन एण्ड यूज बाई पिपुल।"

मैं कहना चाहता हूं कि उनका कहना है लैंड स्केप का अपने आप में एक ऐसी चीज है जो उस जगह की जमीन की उतार चढ़ाव मृदा वहां के जीव और मानव की गतिविधि है इन सारी चीजों से मिलकर बना है। उनका कहना है कि यह केवल एक सौन्दर्य की बात नहीं है बल्कि हमारी अध्यात्मिक भावना है, उसका एप्रोशियेट करते हैं। इकोलोजी कहती है कि इस जमीन पर पहले लोग रहते थे आज भी रह रहे हैं क्या आज करते हैं पहले क्या करते थे इन सब चीजों को लेकर चलेंगे तभी लैंस की थ्योरी के अनमोल धरोहर को ला सकते हैं।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में देखें कि एग्रीकल्चर के बाद यदि कोई दूसरा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा मैनपावर है चाहे वह किसी न किसी रूप में लगा हो तो वह वन है जिसमें सबसे ज्यादा मैनपावर लगा हुआ है।

मान्यवर, आज हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें वहां की ढाल ऐसी है जिससे आप सभी परिचित होंगे। मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक डाटा रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर केवल वर्षाकाल में जो बाढ़ आती है उससे 6 हजार मिलियन टन मृदा सोयल वर्षा के पानी के साथ बह जाती है उसके साथ जो माइक्रोन्यूटेंट जाती है वह 6 हजार मिलियन टन है। आज हिन्दुस्तान में जितनी कीमत की हम फर्टिलाइजर आयात करते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमत की माइक्रोन्यूटेंट बह जाती है। इसको कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है। अभी आपने कहा कि आपके जंगलात विभाग में बड़ी बड़ी जानकारी वाले लोग हैं। मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि वन सम्पदा एक ऐसी सम्पदा है जो अमूल्य धरोहर है लेकिन उसका संरक्षण करना इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर वन विभाग ने संरक्षण किया है तो उसके लिये वह बधाई की पात्र है। यहां का वन विभाग तथा इससे जुड़े लोग बधाई के पात्र हैं कि दुनिया के अन्दर उन्होंने अपना एक स्तर मेंटेन रखने का काम किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अभी तक ब्रैडस्केप की परिभाषा बताई, ज्ञान उसका एक हिस्सा है बहुत सी ऐसी जानकारी है जिसे चश्में से नहीं देखा जा सकता।

मैं बताना चाहता हूं कि 18 वीं सदी के अन्त में और 19 वीं सदी के अन्दर अंग्रेज ने वन सम्बन्धी कानून बनाने का काम देहरादून से शुरू किया था, यह शुरुआत वहां से क्यों कि वह इसलिये की क्योंकि साल के जंगल घटते चले जा रहे थे। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज भी डेढ़ सौ साल बाद भी आपका जंगल विभाग साल की नर्सरी लगाने में नाकामयाब रहा है ऐसा क्यों ? यह मेरा दावा है कि साल की नर्सरी एक झाड़ी के, पत्ते के नीचे होगा, तब उसका सीडलिंग तैयार होगा। जिस तरह आपके जंगल विभाग के लोग काम कर रहे हैं, उससे साल का जंगल कभी नहीं बन सकता। आप सहारनपुर जिले में चले जायेंगे, वहां तमाम सारे लोग जंगल के क्षेत्र में थे, तमाम टांगियां काश्तकार थे, वह क्या किया करते थे, वह जंगल के बीच की भूमि पर काश्तकारी करते थे और लाइनों में पौधे लगाते थे और

बाद में जब वहां जंगल तैयार हो जाता था तब टांगियां दूसरे हिस्से में सिफ्ट हो जाते थे। उनको आपने जंगल से बाहर कर दिया, एक्ट बनाकर जंगल से बेदखल कर दिया, जो काम वह लोग कर रहे थे। आप वह काम नहीं कर पाये और आपका विभाग नहीं कर पाया, आपके विभाग को उसकी जानकारी नहीं हैं। जितनी जानकारी वहां के स्थानीय लोगों को है उनकी जानकारी के सामने आपके विभाग की जानकारी बौनी है। मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी नाराज हो रहे हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजाजी नेशनल पार्क है। मैं सुन रहा हूं कि वहां पर गूजरों के पुनर्वास की योजना चल रही है। वहां पर जो भावड़ घास होती थी उसको वहां के स्थानीय लोग बड़ी चतुराई से काटते थे लेकिन आपने निर्णय लिया है कि उस घास को उत्तर प्रदेश का वन निगम काटेगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि जिस भावड़ घास को वहां के मजदूर काटते थे उस तरह से आपका वन विभाग नहीं काट सकता। वन विभाग दिहाड़ी के मजदूरों को लगाकर वहां पर घास को काट रहा है और वहां पर तबाही मचाये हुये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जंगलों के अन्दर स्थानीय लोगों के हक हकूक को रेस्टोर करें। उत्तर काशी का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं वहा पर देवदार के तमाम पेड़ काट लिये और वह सारे पेड़ वन विभाग के अधिकारियों ने कटवाये थे आज जो जंगल के अन्दर वन विभाग के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बातें आपने कही है आप जब इधर बैठते हैं तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन मैं नहीं समझता था उधर जाकर आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जायेगा। आपने कहा कि सुधार लाने का काम किया गया है। मैं हरसिल (उत्तरकाशी) का एक उदाहरण देना चाहता हूं वहां पर देवदार के पेड़ों को काटने का काम किया गया। उस अवैध काम में लिप्त अधिकारियों को पूर्ववर्ती सरकार ने निलम्बित करने का काम किया था लेकिन आपने फिर उनको सेन्सटिव पदों पर तैनात कर दिया है।

मान्यवर, इसी तरह से कटान कुमायूं मण्डल में दक्षिणी जौलासी रेंज में हुई जिसमें 427 पेड़ काटे गये। जिस वन सुरक्षा वन के प्रभारी अधिकारी ने उसकी रिपोर्ट किया और तमाम सारी बातें कन्जरवेटर और शासन के संज्ञान में लायी ऐसे वनाधिकारी को पुरष्कृत करने का काम करते तो ठीक था लेकिन उनको चार्जसीट की बात कर रहे हैं। जो इनक्वायरी हुई, जिन लोगों को उसमें दोषी पाया गया उनको दण्ड नहीं दिया गया। यह मैंने दो उदाहरण दिये हैं हो सकता है कुछ लोगों ने आपके संज्ञान में लाने से रोक दिया हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह बड़ी संवेदनशील सरकार है।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है जब मा० संसदीय कार्य मंत्री को आपत्ति है तो एक दिन में दो बजट लाने की क्या जरूरत थी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं नहीं लाया हूं, मा० रामतेज जी विद्वान सदस्य हैं। यह कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा लाया गया है, सारे सदन ने कार्यक्रम तय किया है और उसे सदन ने अनुमोदित किया है।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव होता है आपके समक्ष प्रस्तुत होता है।

श्री मुन्ना चौहान–

जितना समय व्यवस्था के प्रश्न में जा रहा है उतने में मैं अपनी बात कह देता।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्वयं में एक होनहार व्यक्ति है, आने वाले दिनों में आपसे बड़ी अपेक्षायें हैं । मंत्री जी ने जितना समय लिया उतना ही आपने ले लिया ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैंने पहले ही कहा कि जंगलों का हमारे जन-जीवन से सीधा संबंध है । यह सरकार रोज कहती है कि हम संवेदनशील हैं इनकी संवेदनशीलता का उदाहरण देना चाहता हूं । सोनभद्र और मिर्जापुर में गर्मियों के दिनों में जिस तरीके से दर्जनों श्रमिकों को जो तेंदूपत्ते के कलेक्शन का काम करते हैं, वह पानी के अभाव में तरस गये । यह सुविधा वन विभाग को मुहैया करनी होती है । मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने कहा इस तरह की घटना लापरवाही से हुई है और विधान सभा की पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी ने भी सिफारिश की है कि उन्हें राहत दी जानी चाहिये । लेकिन कोई कार्य वन विभाग ने श्रमिकों के लिये नहीं किया । मंत्री जी आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति उधर जाने पर कैसे संवेदन शून्य हो गये ?

आज जंगल विभाग में मैं घूमता रहता हूं कर्मचारी कहते हैं कि गडढे खोदना और गड्ढे गिनवाने में क्या दिक्कत है ? जैसे सिर के बाल गिनाने में होता है उसी तरह गड्ढे खुदवा दिये और दूसरे ने कह दिया कि इसमें मिट्टी गिरवा दो और फिर गड्ढा गिनवा दो । आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वनीकरण के नाम पर हो रहा है । (व्यवधान) आप धैर्य रखिये । मेरा सुझाव है इस चर्चा का मतलब होता है कि कुछ सुझाव आयेंगे । वन विभाग में जहां प्लांटेशन होता है वहां गड्ढा खुदवाने से वृक्षारोपण तक पांच साल का पीरियड होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि पांच साल में मेचोरिटी आयेगी । क्योंकि एक पेड़ के लिये ग्रेरेजिंग लेबिल से ऊपर आने के लिये पांच साल का समय माना जाता है । तो होता क्या है वन विभाग में एक आदमी गड्ढा खुदवाकर चला जाता है दूसरा आदमी पेड़ लगवा कर चला जाता है तो तीसरा आदमी कहता है कि दो साल का हो गया है उसके बाद वह चला जाता है तो इस प्रकार पांच साल के पीरियड होते होते पेड़ों का सरवाइवल दो प्रतिशत ही रह जाता है ।

मान्यवर, जहां का वनीकरण करना है वहां 5 साल का टेन्योर सिस्टम लागू करें । जो प्लांटेशन के लिये क्षेत्र इयरमार्क करें उसमें जो फारेस्ट गार्ड, रेंजर आदि लगायें उनको 5 साल वहां पर तैनात करें उसके बाद उसका ट्रांसफर करें जिससे पता चले कि जो पेड़ लगाये गये थे उनका सरवाइवल कितना हुआ है । मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि सदन में अक्सर यह बात आती है कि नरभक्षी जानवर ने इतने लोगों को मार दिया । अभी पिछले साल रोज यह बात आती थी कि नरभक्षी भेड़ियों ने इतने बच्चों को मार दिया । पहाड़ पर बाघ जानवर, आदमियों और बच्चों को मार देते हैं । ऐसा नहीं हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ से बचाव का कोई फुलप्रूफ तरीका निकल सके । लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कभी नरभक्षी किसी मवेशी आदमी को मार देता है तो 5 हजार रुपये मुआबजा दिया जाता है । इससे एक हीन भावना उत्पन्न होती है ।

(एक सदस्य द्वारा सदन में चित्र दिखाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

सदन में किसी प्रकार का चित्र इंगित नहीं किया जाता है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि वनों का क्षरण होने से कार्बनडाई आक्साइड बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो हाई एल्टीयूड वाले एरियाज पहाड़ में हैं वहां का टेम्प्रेचर बढ़ रहा है। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टेम्प्रेचर बढ़ रहा है। टेम्प्रेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो स्नो लाइन है वह पीछे जा रही है और एक नई स्थिति सामने आ रही है।

आप स्वयं विद्वान हैं, जानते हैं कि माननीय भारत सिंह रावत जी को मालूम होगा। अभी 8-10 दिन पहले सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने एक वार्निंग देहरादून, हरिद्वार और गंगा से लगे हुये जितने इलाके हैं उनके लिये दी और यह कहाकि नदी के किनारे के क्षेत्र खाली कर दें। आपको अधिष्ठाता जी, आश्चर्य होगा, कारण कोई बाढ़ नहीं थी बल्कि टेम्प्रेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर टूट करके नदियों में गिरने लगे और अप्रत्याशित बाढ़ की सम्भावना पैदा हो गयी और गंगा के किनारे के क्षेत्रों में रेड अलर्ट करना पड़ा। मान्यवर, आपका जो परफारमेंस बजट था उसमें देहरादून के लिये लिखा हुआ था कि निजी परिसरों में, सड़कों के किनारे वनीकरण की एक योजना थी, मैं देख रहा हूं कि बजट में कोई प्राविजन नहीं है, जो पहले प्राविजन था उसको काटने का काम आपने किया.....।

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी अब कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्यगण के मूड को देखिये सभी अधीर हो रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन् आप मेरी वेदना को समझिये। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। वनों के बारे में शायद 90 प्रतिशत लोगों को जानकारी नहीं है इसको भारत सिंह रावत जी, अजय भट्ट जी महसूस कर सकते हैं। आज जिस जमीन पर हमारा स्वामित्व है, स्थानीय लोगों का टायटिल है उस जमीन के अन्दर भी हमें अपना काम करने से मना कर दिया गया क्यों कि वह गैर कृषि भूमि है, ग्राम समूह की जमीन है, खेत की जमीन है उसके लिये कह रहे हैं कि परमीशन लिया जाये। अगर इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यगण हाथ उठाकर कह दें कि अपने निजी खेत में काम करने के लिये वह परमीशन लेंगे तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। मान्यवर, पहाड़ के लोगों का वनों से बहुत लगाव है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने हमारी हक-हुकूकों पर कुठाराघात किया जिस प्रकार से हमारे पेराइल्स को कन्ट्रोल करने का काम किया उससे अब स्थानीय आबादी वन विभाग के विरुद्ध है। माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी आपसे आग्रह है कि आप हमें इस बात से निजात दिलाने के लिये जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण करें तो मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का जरूर उत्तर दिलायें इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्वान सदस्य श्री मुन्ना चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं श्री चौहान के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूं कि जो जंगल हैं वह ब्रिटिश पीरियड में वनवासियों से अधिग्रहीत करके उसमें वन विभाग बैठा दिया। इसके पहले जो जंगल में रहते थे आदिवासी थे जंगल पर मालिकाना हक उनका था। उसी से वह जीवन यापन करते थे। उनसे जंगल छुड़ा लिया गया। बदले में ब्रिटिश सरकार या बाद की सरकारों ने उनको मुआवजे के रूप में कुछ नहीं दिया। जो लघु वन उपज है वह आदिवासियों को निःशुल्क की जाये। आंवला, गोंद, शहद की नीलामी व्यापारियों को दे दीं जाती है और आदिवासी भूखा रह जाता है। अगर यह उसको निःशुल्क दे दी जाए तो वह जंगल की सुरक्षा के लिये उद्यत होगा। हमारे जिले छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में रानीपुर वन विभाग की माकुण्डी रेंज

है वहा पर वन विभाग के लचर प्रबन्धन के कारण वन का विनाश हो गया है। सागौन का जंगल था वह सारा का सारा नष्ट हो गया। यह पिछले पांच सालों में हुआ है। जो सामाजिक वानिकी है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है इसके बारे में निर्देश दिये जाए। यह छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में हो रहा है। 9 तारीख को डी०एफ०ओ० बांदा ने त्रिवेणी कोयला का फर्जी भट्ठा पकड़ा लेकिन उसको 23 हजार रुपये लेकर छोड़ दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार बांदा और छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में हो रहा है। उसको रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करें। मैं इन शब्दों के साथ आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैंने मंत्री जी का उद्‌बोधन सुना उन्होंने वनों की उपयोगिता और उसकी उपादेयता के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे। मैं मानता हूं कि मानव जाति की सभ्यता और उसका विकास वनों से हुआ है। भारतीय संस्कृति का जो भी विकास हुआ है, हमारे मनुष्यों द्वारा वनों में ही हुआ है। उसकी उपयोगिता को किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रदूषण हो रहा है, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होगा। जिससे पर्यावरण ठीक नहीं होगा, जिससे ओजोन की पर्त में ब्लैक होल हो जायेगा जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जायेगा। हमारे लिये वनों की वृहत अहमियत है।

श्री मुन्ना चौहान जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह केवल औपचारिकता है, परोक्षरूप से उन्होंने बजट का समर्थन ही किया है। श्री चौहान जी ने वनों के विकास और संवर्द्धन की बात कही है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहाड़ के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में लागू हुआ, हम भी इसके विरोधी नहीं हैं परन्तु आज इस अधिनियम के कारण वहां पर विकास कार्य रुक गये हैं और सड़कें अधूरी पड़ी हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी इसमें संशोधन कर इसे शिथिल करें ताकि पहाड़ ने जो वनों के संरक्षण में सबसे ज्यादा योगदान दिया, चिपको आन्दोलन की जन्मदात्री श्री गौरी देवी जी रही हैं, भले ही दूसरे लोगों को मैगसे से अवार्ड मिल गये हों, परन्तु आज इस अधिनियम के कारण काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी प्रकार मान्यवर, वन्य जन्तु अधिनियम है, इसका भी हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन आज वहां पर ऐसे जन्तु बहुत ज्यादा हो गये हैं जो आदमखोर हो गये हैं जिन्होंने 5-5 व 6-6 आदमी मार दिये हैं, उनको मारने का प्राविधान होना चाहिये।

मैं मुआवजे के बारे में कहना चाहता हूं कि जो प्राविधान आपने किया है, वह बहुत कम है। जब कोई व्यक्ति लूट व डकैती में मारा जाता है तो आप उसे एक लाख रुपये देते हैं और कोई चोरी में मारा जाता है तो उसे आप एक लाख रुपये देते हैं परन्तु कोई व्यक्ति बाघ आदि जानवर से मारा जाता है तो उसे आप 50 हजार रुपये देते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी इस सदन में घोषणा करें कि उन्हें भी एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। आज वहां पर वनों में आग लगी हुई है इसलिये इसकी रोकथाम के लिये अधिक से अधिक धन दिया जाय। मान्यवर, वन माफिया व भू-माफिया भी हैं। तराई क्षेत्र में बड़े-बड़े वन माफिया हैं जिनकी जमीन की यदि नपाई की जाय तो हजारों एकड़ उनके पास वन भूमि निकलेगी इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन वन भूमि के भू-माफियाओं का सफाया करेंगे और वनों का सीमांकन सुनिश्चित करेंगे। 1973 में एक कानून बना था कि जो छोटे-छोटे लोग वर्षों से रह रहे हैं, वह जमीन उन्हीं को दे दी जाय परन्तु बहुत से छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनको भूमि नहीं दी गई है। कोनोद, मोटाढांग, चतूरबाज व कौढ़िया में ऐसे लोगों के मकान बने हुये हैं, सड़कें बनी हुई हैं परन्तु वन विभाग कहता है कि यह भूमि हमारी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री भारत सिंह रावत–

जो वन रक्षक हैं उनके पास डंडा होता है। माननीय मंत्री जी ने उन्हें हथियार देने का विचार किया है इस बात के लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिये।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अस्थाई हैं, टम्परेरी है उनको स्थाई करने पर विचार करें। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय मुन्ना चौहान जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है। मै समझता हूं कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि बजट में कटौती हो। उनसे निवेदन करूंगा कि इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, वन विभाग के बजट पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर माननीय मुन्ना चौहान जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, अपने को उससे सम्बद्ध करते हुए मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा भाषण दिया लेकिन मैं खास तौर से उनका ध्यान बहराइच के जंगलों के बारे में कहना चाहता हूं ताकि वहां पर वाइल्ड लाइफ और वन सम्पदा की हिफाजत हो सके। वहां पर बन्दूकें दे दी गई थी 4 साल पहले लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको बन्दूक चलाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कोई हमला करें तो इस्तेमाल करेंगे। यह तो आम व्यक्ति का अधिकार है कि यदि कोई उस पर हमला करेगा तो वह उसे मारेगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वन की सुरक्षा करनी चाहिये। वन विभाग के गजेटेड आफिसर को मैजिस्टीरियल पावर दे दीजिये। वहां के पुलिस अधिकारियों और थाने में कार्यरत दरोगा की जब कैरेक्टर रोल इन्टरी हो तो उसमें इस बात का उल्लेख किया जाय कि वन सम्पदा को बचाने का प्रयास किया है बहराइच जिले में वन का नुकसान वहां के क्षेत्रीय दरोगा ने पहुंचाया है। छोटे छोटे कर्मचारियों को वन माफिया के नाम पर पकड़ कर बन्द कर देते हैं हमने स्वयं एक ट्रक सागौन की लकड़ी पकड़वाई और उस समय के वन सचिव को भी इसकी जानकारी दी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लकड़ी के साथ मुजरिम भी पकड़ा गया जो कि पुलिस का अधिकारी था लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर खास तौर से आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वन में जो भी रेस्ट गृह हैं आप रजिस्टर मंगवा कर देख लीजिये कितनी जगह बिजली नहीं है, जनरेटर नहीं हैं कोई बड़ा अधिकारी वहां जाकर नहीं रहता है। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि वन की गरिमा खत्म हो रही है। पहले अधिकारी वहां रहते थे तो चहल-पहल रहती थी।

वन निगम की स्थापना अवैध कटान रोकने के लिये की गई थी लेकिन आज स्थिति यह है कि लकड़ी नीलाम होकर दिल्ली बाम्बे जा रही है और जनता को नहीं मिल पा रही है। बहराइच में जो आर०एम० महोदय हैं वह लखीमपुर में रहते हैं। बहराइच जाते हैं तो 10–20 हजार का सामान नैपाल से लेकर चले जाते हैं। वर्ल्ड लाइफ के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन आज से पांच साल पहले की जो जानकारी है उसके हिसाब से वहां पर जीप नहीं है। आर्म गार्ड के पास मोटर साइकिल के लिये पैसे नहीं हैं। आप पेड़ लगाने की बात करते हैं चाहे जितने पेड़ लगा लें जब तक वनों की देख भाल नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान में वनों की खूबसूरती कायम रहे इसके लिये प्रयास

करना चाहिए। पर्यावरण की जो स्थिति है इससे कई गुना वन खत्म हो जायेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक नया रोग वन के अधिकारियों के लग गया है कि डी०आर०डी०ए० से पैसा लेकर वन का काम करते हैं। यह 5 परसेन्ट डी०आर०डी०ए० में देते हैं फर्जी काम करते हैं जो विकास के काम करते हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से कराएं। और जिन अधिकारी और सी०डी०ओ० की खुशामद न करें वाइल्ड लाइफ और फारेस्ट की बात है इसमें 35–40 साल के जो लोग हैं उनको गार्ड बनावें उनको ऐसे प्रलोभन दें, प्रमोशन आदि की नीति रखें कि वह लोग नौजवान और अच्छे लोग इसमें आवें। फारेस्ट गार्ड में ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है जो बन्दूक पकड़ नहीं सकते हैं और टी०बी० के मरीज हैं वन विभाग को मजिस्ट्रीरियल अधिकार देना बहुत ही आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, जो अवैध कटान होता है उसको रोका जाना चाहिए जो पुलिस का दरोगा चार-चार ट्रक सागौन लकड़ी एक साल में कटवा ले जाते हैं कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चुड़ीयान मंत्री हैं फिरोजाबाद में रहते हैं। इनके यहां चूड़ियां बनती हैं। और इनको वन मंत्री बना दिया गया है इनको वन के बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें। मैंने राजधारी जी को बुला लिया है। राजधारी जी तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्टाता महोदय, आपने मुझे वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वनों और वृक्षों का संबंध वनों से है। वनों और वृक्षों के नीचे ऋषि-मुनियों का अभ्युदय हुआ है। हमारे पूर्वजों ने वनों के महत्व को समझा है। आप देखें 50 प्रतिशत वनों से आच्छादित आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। वांछित लाभ के लिए कितनी भूमि वनों से आच्छादित होनी चाहिए 80 प्रतिशत। मौजूदा स्थिति में 17.5 प्रतिशत ही वनों से जमीन आच्छादित है। हमें प्रसन्नता है कि 15-20 साल पहले वन विभाग सामाजिक वानिकी के माध्यम से निरर्थक पौधे लगाता था उन पौधों का कोई उपयोग नहीं था इस बजट के माध्यम से यह संकल्प लिया गया है कि जो परम्परागत पेड़ हैं गांव में, तो गांव में 20 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया है हर जनपद में 100 नौजवानों को रोजगार सुलभ कराने के लिये पौधशालाओं के माध्यम से अवसर दिए जाएंगे। नर्सरी के माध्यम से रोजगार देंगे। वहीं दूसरी ओर औषधीय पौधे लगाने पर विचार किया है माननीय मंत्री जी ने जो औषधीय पौधों के संवर्धन के लिये विचार प्रकट किया है वह सराहनीय है। औषधीय पौधे लगने से जो समाज को लाभ मिलेगा यह एक उपयोगी कदम होगा। आज तक यह परम्परा रही है कि जो सामाजिक वानिकी के माध्यम से पौधशालायें तैयार की जाती थीं उनकी संवर्धन और संरक्षण वह केवल एक वित्तीय वर्ष के लिये होती थीं जिससे उनका संवर्धन नहीं हो पाता था अब हमारे माननीय वन मंत्री जी ने उसे चार साल के लिये कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

इससे उनका संवर्धन और संरक्षण हो सकेगा । मान्यवर, वनों में आग लगने की जो घटनाएं होती हैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बहुत गम्भीरता से रोकने की आवश्यकता है और इसके लिये एक विशेष कार्यक्रम चलाना होगा । क्योंकि इससे हमारे वनों की सम्पदा नष्ट होती है । इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण लोगों के हक और हकूक थे वह तमाम कानून बन जाने से खत्म हो गये थे लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसके संबंध में यह प्रस्ताव रखा है कि वे ग्रामीण लोगों को हक और हकूक दिखलायेंगे । यह एक निश्चित रूप मे सराहनीय कदम है । मान्यवर, मैं पूर्वी जिले से आता हूं । वहां पर शीशम के पेड़ को लगाने की परम्परा है । माननीय मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि इधर 10 सालों में शीशम के पेड़ सूख रहे हैं । तो इसमें जो सूखावट हो रही है इसको रोकने के लिये अनुसंधान करके अच्छी दवायें का इस्तेमाल करायें । इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट रखा और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपया पीठ की तरफ पीठ करके मत बैठें और इधर मुखातिब होकर बैठें । यदि उनको कोई आवश्यक कार्य हो तो वह लाबी में जाकर बैठ सकते हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, घने जंगलों का मामला है । इसमें आगे पीछे थोड़ा संभल कर चलना होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इतना जीवन्त विषय चल रहा है । आप लोग कृपया इसकी जीवन्तता को बनाये रखिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राम औतार शाक्य जी ने घने जंगलों का जिक्र किया था । तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा –

"बड़ी मुश्किल है बियावां से तेरे मजून का निकलना,
तेरी जुल्फों पैंचों में दम खम नहीं है ।"

तो घने जंगल का मामला है थोड़ा सावधानी बरतिये ।

* श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मनुष्य और वनों का आपस में बहुत लगाव रहा है पीपल का वृक्ष और तुलसी के पेड़ की पूजा होती है और मनुष्य उसे पूजता है । पीपल का वृक्ष दिन और रात में आक्सीजन देता है इसीलिये आम जनता के लिये यह लाभदायी है । लेकिन पिछले सरकारों के कारनामों की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनों की स्थिति पैदा हो गयी है वह अच्छी नहीं थी । मान्यवर, 80 से पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोग वनों की रक्षा किया करते थे लेकिन तत्कालीन सरकार ने जो 80 के बाद जो कानून बनाया उससे वनों का काटना शुरू हो गया । 1980 में जब आग लगती थी और अवैध कटान हुआ करता था तो अगल-बगल के लोग पहुंच जाया करते थे । अब जब आग लगती है तो वे लोग नहीं पहुंचते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि 1980 से पहले इन गांवों के लोगों को इमारती लकड़ी चारे की घास-यह सारी चीजें उपलब्ध हो जाती थी । उसके बाद क्या हुआ अवैध वनों का कटान होने लगा । उसका परिणाम यह हुआ कि भू-स्खलन बढ़ने लगे बाढ़ आने लगी । मान्यवर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में वनों का तालमेल और सहमति आवश्यक है । चाहे पर्वतीय क्षेत्र के वन अधिक कटने लगे तो बाढ़ अधिक आयेगी और उसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण किया ।

नुकसान मैदानी क्षेत्र के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। वनों के संरक्षण के लिये आम जनता के बीच में एक ऐसी भावना पैदा करें कि आप पेड़ लगायें हम आपको पेड़ देंगे।

मान्यवर, जो वेन लगाया हुआ है, आज बहुत सी प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं। बारह हजार फीट की उचाई पर टैक्सस वकारा उपलब्ध है यह केंसर की दवाई में काम आता है। उस पर उ० प्र० में तो वेन है लेकिन हिमांचल प्रदेश में वह खुला हुआ है। वहां वैज्ञानिक तकनीक से काटकर वह मार्केट में आता है। यहां उन पत्तियों की छाल को कलेक्ट करके काट दिया जाता है। जो प्रजातियां लुप्त होने जा रही है उस पर रोक लगाने के लिये वहां के किसानों को उगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय और जो उगायें उनको उसके विकास की सुविधा भी दी जाय। मैं दो चीजों के लिये माननीय वन मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा–वन पार्कों की स्थापना और खूबसूरत वनों से आच्छादित क्षेत्रों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। जो पहाड़ से नदी बहकर आती है जो रेता आता है एक समय वहां के लोग नदी के किनारे से कलेक्ट कर लिया करते हैं, आज क्या स्थिति है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आपसमाप्त करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, नाप बेनाप के बारे में माननीय भारत सिंह रावत जी और हमने पिछले दिनों सदन में बात रखी थी मैं अनुरोध करूंगा कि व्यवस्था इस ढ़ंग से बनायें कि लोगों की वनों के प्रति जागृति पैदा हो। अगर अवैध कटान होगा तो जंगलों में आग लगेगी, हम उनको नहीं रोक पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन की कटौती पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा का अधिकांश भाग जंगलों से आच्छादित है विशेषकर हमारा विधान सभा क्षेत्र 75 प्रतिशत जंगल से घिरा हुआ है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि मैंने वन कटान के लिये ये ये व्यवस्था कर दी है कि अब जंगल नहीं कट सकते हैं लेकिन मान्यवर, हमारे यहां जब जगंल कट रहा था तो उस समय कोई देखने वाला नहीं था।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 93–94 में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री हुये तो उन्होंने राज्य में जंगल की कटान को रोकने के लिये वन दरोगा को और रेंजर को रायफल उपलब्ध कराई जब जाकर वन का कटान रुका है आपके प्रयास से नहीं रुका है। मान्यवर, मैं वन टांगिया मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं कि वन टांगिया मजदूर आज खानाबदोश की जिन्दगी जी रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मनिपुर, गनेशपुर, बकधरवा, में जो बनटांगिया मजदूर हैं वह पेड़ लगाने के लिये रखें जाते हैं और जैसे पेड़ तैयार हो जाते हैं उनको दूसरी जगह भेज देते हैं इस तरह से अधिकारी लोग उनका शोषण कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि वन टांगिया मजदूरों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। आज उनको वोट देने का अधिकार विधान सभा और लोकसभा में है लेकिन वह ग्राम सभा में वोट देने के लिये अधिकृत नहीं है न उनके पास राशनकार्ड है और न हीं सरकार की किसी योजना का लाभ उनको दिया जा रहा है तो इसको माननीय मंत्री जी ध्यान दें!

● मान्यवर, जितने पुराने प्रजाति के वृक्ष हैं उनको सड़कों के किनारे लगाने की कोई योजना इस सरकार ने नहीं बनाई है जैसे नीम हैं, पीपल हैं, बरगद हैं, पुराना आम है। तो इस तरह से पुराने वृक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

को न लगाकर उसकी प्रजाति को विलुप्त किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी एक ऐसी योजना चलायें जिसमें पुराने प्रजाति के वृक्ष का वृक्षारोपड़ कराया जाय ।

मान्यवर, आप कहते हैं कि हम फारेस्ट के कर्मचारियों के लिये सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे । मान्यवर, इनके फारेस्ट के अन्दर थिनिंग दी जाती है इसका मतलब यह होता है कि जो पेड़ बड़े होते हैं उसको कटवा देते हैं लेकिन जो पेड़ कटवाने चाहिये उनको नहीं कटवाते हैं । इनका सबसे छोटा कर्मचारी वाचर है उसको तनख्वाह नहीं मिलती है उसको कहा जाता है कि सागौन का जो सबसे मोटा वृक्ष है आप उसको काट लो वही तुम्हारी तनख्वाह है तो महीने में वह एक की जगह 4 पेड़ काटता है तो मेरी मांग है कि उसको नियमित रूप से तनख्वाह दी जाय ।

मान्यवर, सामाजिक वानिकी के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला हमारे जनपद गोण्डा में पकड़ा गया । रेहरा और टिकैत रामगढ़ रेंज में एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है और फर्जी पेड़ लगे दिखाये गये हैं और आप कहते हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं आप इसका सत्यापन करा लीजिये । आंकड़ों से काम नहीं चलता है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मौका दिया । मान्यवर, मानव सभ्यता और वनों का आपस में प्राचीन समय से सामंजस्य रखा है । माननीय मंत्री जी ने 30 प्रतिशत फलदार वृक्ष सड़कों के किनारे लगाने का इस बजट में प्राविधान किया है, वह बहुत कम है क्योंकि इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह बबूल का पेड़ लगा देते हैं । वह बरगद, पीपल का शीशम आदि का पेड़ नहीं लगाते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कीमती वृक्ष, फलदार वृक्ष लगवाये जायें जिससे मनुष्य की अधिक सेवा हो सके । साथ ही प्रकृति को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके ।

मान्यवर, मेरे यहां कौशाम्बी पर्यटक क्षेत्र हैं, वहां पर 12 लाख रुपया खर्च करके वेतन केन्द्र बनाया गया, जब वहां दूसरे डी०एफ०ओ० आये तो वहां पाया गया कि एक भी पेड़ नहीं है । जैसा भाई मुन्ना चौहान जी ने कहा कि अधिकारी की, जो भी पो पोस्टिंग की जाय, वह कम से कम 5 वर्ष के लिये अवश्य होनी चाहिये ताकि वह इतने समय में कुछ करके अवश्य दिखायें जो पैसा दिया जाता है, इसका सदुपयोग हो सके । इनके जो अधिकारी-कर्मचारी हैं, वह स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर, वन माफियाओं के साथ मिलकर रात में दारू-मुर्गा के बाद अश्लील हरकतें करते हैं और यह लोग 100–100 साल पुराने शीशम के पेड़ कटवा देते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और शासन के लोग इस ओर ध्यान दें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में बिना लाइसेंस की आरा मशीनें बन्द हैं, लेकिन इनके अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के साथ मिलकर वनों की लकड़ी कटवाकर बेचने का काम करते हैं और आप मशीनें चलवाने का काम करते हैं आपका विभाग उन पर रोक नहीं लगा पा रहा है । माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण देंगे तो मुझे इस बात के लिये जरूर आश्वस्त करेंगे कि गांव में किसी आदमी के घर में महुवा या नीम का पेड़ आ जाता है या वह उसका स्वयं पोषित हैं तो वह आवश्यकता के हिसाब से उसका सदुपयोग कर सकें, क्या इसके लिये उन्होंने कोई नियम बनाये हैं । इसी के साथ मान्यवर, मैं मुन्ना चौहान जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने के लिये आमंत्रित किया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं । मैं अपनी बात पद्य के रूप में चन्द बातें कहकर समाप्त करुंगा –

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन कविता में करता हूं –

"वृक्षों वनों का करेगा विस्तार यह बजट,
सड़कें बनायेगा खासा छायादार यह बजट,
जो लुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजातियां,
उनसे वनों को फिर करेगा गुलजार यह बजट,
वृक्ष और वन जीवन के मूलाधार हैं,
पर्यावरण का पेड़ ही करते सुधार हैं,
जीवन तो जीव और वन मिश्रण समझिये,
जीने के लिये वायु आक्सीजन आधार है।
मानव जीवन में वन का बड़ा योगदान है,
ईधन-दवा-चारा-हवा पाता किसान है,
कागज-फर्नीचर-कत्था बड़े उद्योग बहुत से,
चलते हैं वनों से ही वन बड़ा लाभवान है।
हम दो हमारे देश का एलान किया है,
वनों की सुरक्षा का प्रभावी ध्यान दिया है,
वृक्ष से जल और जल से अन्न व्यवस्था,
अन्न से जीवन का प्राविधान किया है,
पेड़ों से कितने निर्धन हैं गुजारा कर रहे,
झोपड़ी मकान में भी ये निहारा कर रहे,
पहले तो पौधे आपका सहारा कर रहे,
वन विकास का बजट में अधिक ख्याल है,
सुरक्षित बजट में वन्य जीवों का जानमाल है
खूब पेड़ लगे गांव गली शहर नगर में,
इसके प्रयास में लगे रघुवर दयाल हैं।
वन मंत्री जी ने जंगल में मंगल रखा दिया,
लखनऊ प्राणि उद्यान में उत्सव रचा दिया,
इतने उदार मंत्री जी संवेदनशीलता देखो
राधा और श्याम बन्दरों की शादी रचा दिया।"

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी हमारे पिता जी के बहुत पुराने साथी हैं, इसलिये उनके बजट पर कोई टिप्पणी करना अपने लिये बहुत मुश्किल काम समझता हूं। लेकिन जो आंकड़े दिये हैं उनकी बात नहीं करुंगा क्योंकि समय नहीं है। आपने वन निगम लागू किया है और एक नियम बना दिया है कि कटान का काम वन निगम करेगा और जो जगह खाली होगी, वन निगम उस में पेड़ लगवायेगा। जो जंगल काटे जाते हैं, उनमें वन निगम पेड़ लगवायेगा और कुछ स्थान वहां के स्थानीय लोगों को पट्टा करके दे दिया है जो वहां पर वन लगायेंगे। मैं एक उदाहरण देना

चाहता हूं कि जिला रामपुर आपके दो रिजर्व फारेस्ट हैं। मंत्री जी स्वयं जाकर देख सकते हैं, आज की तारीख में हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वह जमीन 20-20 और 22-22 सालों से खाली पड़ी है जहां पर वन निगम ने कोई वृक्षारोपण नहीं किया है। वर्ड बैंक का सारा पैसा आता है और वह वन निगम को दिया जाता है, लेकिन वन निगम पेड़ नहीं लगाता है। आज साक्षरता का युग है। वहां के मजदूरों से दोपहर तक काम किया जाता है और दोपहर के बाद कहा जाता है कि पेड़ काट लो और एक नया पैसा उसको मजदूरी नहीं मिलती है, तो यह प्रथा चली आ रही है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इतनी बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रहा है उसके लिये आपके बजट में कोई प्राविधान नही है जिससे उस पर रोक लगा सकें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। जो खैर के पेड़ हैं जिनसे कत्था बनता है ज्यादातर तस्कर उसकी ही तस्करी करते हैं, हजारों टन के हिसाब से खैर की लकड़ी जंगलों में पड़ी हुई है। जिसको आपने तस्करों से पकड़ा है उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। उसको आपके वन विभाग वाले या तो जला रहे हैं या चोरी छिपे बेच रहे हैं, जो आपने सी०आर०पी० सी० में एमेंडमेंट करने की बात कही है उसमें यह भी कर दें कि इस प्रकार की लकड़ी के जो केसेज में इनवाल्व हैं, जिनकी तारीख लगते हुए सालों हो गये हैं उनका निस्तारण जल्दी हो जाय, जिसकी पैरवी आपके वन विभाग के लोग नहीं कर पाते हैं वह लकड़ी सड़ रही है उसको उपयोग में लाया जाय क्योंकि यह करोड़ों की लकड़ी है।

आपने पिछले दिनों 3 हार्सपावर की आरा मशीनों को छूट दी है इससे जनता को कोई राहत नहीं मिली है आप 20-25 हार्स पावर पर पाबन्दी लगायें लेकिन तीन हार्स पावर से कोई फायदा नहीं है कम से कम 10 हार्सपावर तक की मशीनों को छूट दें। 3 हार्सपावर की मशीन तो घरों में लगती है जो छोटे-मोटे काम करते हैं। अपने भाषण में आपने एक शब्द गिनाया है कि पिछली सरकारों ने 127 वन कर्मियों को मरवा दिया। मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों ने निर्देश दिये थे कि हौसला रखो वन माफियायों का मुकाबला करो उनसे लड़ो। आपने कहा होगा कि उनको रोकने की जरूरत नहीं है इसलिये उनके मारे जाने का भय नहीं है। यह कार्य आपकी सरकार खुद करवा रही है।

मैं अपनी बात खत्म करते हुये कहना चाहता हूं कि आपने बन्दूक देने की व्यवस्था की है उसके साथ कारतूत देने की भी व्यवस्था करें वरना बन्दूकें बेकार हो जायेंगी।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने विचारों में बहुत कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिनके बारे में हमारे साथियों ने उसकी तरफ इशारा किया है। हमारे एक दोस्त कह रहे थे 3 हार्सपावर की चिराई की मशीनों की इजाजत दे दी है। इससे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने अपनी ताकत महसूस कर ली है कि जैसी उनकी कम ताकत है वैसे ही आरा मशीनें भी कम ताकत की हों मैं चाहता हूं कि उनको इतनी ताकत दें जिससे आरा मशीन भी चल सके।

मान्यवर, जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री जी की पावर कम हो गयी है उसी तरीके से इन्होंने कम शक्ति के आरा मशीनों को चलाने की अनुमति दी है उससे कोई जनता का भला होने वाला नहीं है। अभी हमारे सत्ता पक्ष के दोस्त विवाह शादी की बात कर रहे थे, तो अब माननीय मंत्री जी को पोता-पोती खिलाने का समय है अब इनके अलावा इनके पास काम ही क्या रखा है ? धर्म शास्त्र के अनुसार मान्यवर, माननीय मंत्री जी की उम्र ही ऐसी है और माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी ने ऐसा विभाग सौंप दिया है वन विभाग। आदमी चौथेपन जंगल में चला ही जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अधिकारियों ने झूठें आंकड़े देकर बजट तैयार किया है उसे माननीय मंत्री जी ने पेश करने चले आये। जो लकड़ियां अरबों रुपये की प्रदेश में बेकार पड़ी हुई हैं, मुकदमों के कारण पड़ी-पड़ी सड़ रही है उनका किसी तरह से डिस्पोजल होना चाहिये क्योंकि वह पैसा आपका है देश का है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नानपारा, रुपईडीहा, मुझिया वैरियर पर लाखों रुपये के सागौन की और शीशम की लकड़ी पड़ी हुई है और उसी में से डी०एफ०ओ० साहब वगैरह अगर उसी रास्ते में जा रहे हैं तो वह भी उसमें से दो वोटा लेते जा रहे हैं कि चलो किसी दोस्त की लड़की की शादी है, उसमें सोफा सेट बना देंगे । माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको लगाया जाना चाहिये अगर आपके विवेक में बैठता है तो उसको आप कर लीजिये । यह जैसे ही सरकार है वैसे ही मंत्रि-मण्डल है । अधिकारी कुछ करना चाहेंगे लेकिन आप लोग तो कुछ करोगे नहीं । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं तो उनके लिये क्या कह सकता हूं ? वह भी कहीं कड़ी व्यवस्था में होंगे । मुख्य मंत्री जी का "क" से नाम और एक और जिनका नाम "क" से है, कहीं, जोड़-घटाव हो रहा होगा । माननीय मंत्री जी वन विभाग को बढ़ावा देने के लिये और प्रदेश की ताकत और आमदनी का श्रोत बढ़ाने के लिये आपके पास जो ताकत है आपकी जो ऊर्जा है, उसे लगाये, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश जो सदन द्वारा स्वीकृत की गई थी, उसमें वन विभाग का बजट 13 तारीख के लिये है और मान्यवर, वही जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस तरीके से सदन चल रहा है उससे लगता है कि बजट 14 तारीख में पास हो पायेगा । और उसके लिये कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलानी पड़ेगी । संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव से काम नहीं हो पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आज का जो एजेण्डा है वह आज ही खत्म होगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस गति से सदन चल रहा है अभी मुन्ना चौहान जी का भाषण होना है, उसके बाद माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे इसलिये इसको जल्दी करें और 13 तारीख के लिये जो एजेण्डा निर्धारित है और आपके मार्गदर्शन में 14 तारीख आने वाला है ।

श्री राम औतार शाक्य–

श्रीमन् पी०डब्लू०डी० के बजट पर सदन पिछली बार साढ़े 12 बजे तक चला है ।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जब वन मंत्री जी ने बजट रखा तो यह उम्मीद थी कि पुराने आदमी हैं वह भ्रष्टाचार को दूर करेंगे । यह पूरा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है । मान्यवर, वन जो है तो भारतीय सभ्यता का विकास ही वनों से हुआ है । वन पर्यावरण से जुड़े हैं । लेकिन आज यह स्थिति देखने को मिल रही है कि हरे पेड़ कटते चले जा रहे हैं एक तरफ आरा मशीनें बन्द हैं दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस कर्मी और विभाग के लोग मिलकर हरे पेड़ कटवा रहे हैं और आरा मशीनें चल रही हैं । सारे सदस्य जानते हैं कि कोई सदस्य हाथ उठाकर नहीं कह सकता है कि उसके इलाके में हरे पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है इनके विभाग की मान्यता है कि लोग वहां ट्रांसफर कराकर जाते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा कटाई होती है और उसकी जगह को यह इनकम की जगह मानते हैं ।

मंत्री जी चौथेपन की बात करते हैं और हम दो हमारे 10 का नारा देते हैं लेकिन सारा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है । इसलिये मंत्री जी का यह नारा खोखला है । वन विभाग के अधिकारियों और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पुलिस कर्मियों और वन माफियाओं की मिलीभगत से वनों की कटाई हो रही है। आपने वन माफियाओं से मुकाबला करने के लिये बन्दूकें दिलाने की बात कही है। आपने यह भी कहा है कि जो बन्दूकें दी गई हैं वह चलाई नहीं जायेंगी। मैं समझता हूं कि वन कर्मियों जिनकों बन्दूकें दी गई हैं या तो उनके पास कारतूस नहीं हैं या कारतूस हैं तो जब वह बन्दूक चलाना भी चाहते हैं तो वन माफिया कोई मंत्री नजर आता है या भाजपा का कोई कार्यकर्ता नजर आता है। इसलिये अपनी मंत्रि परिषद् पर नजर डालें और इस तरह से वन माफियाओं पर रोक लगायें। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं माननीय मुन्ना चौहान को बुला रहा हूं। पौने 12 बजे बजट खत्म हो पायेगा। अभी नियम 51 की सूचनायें भी हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

अधिष्ठाता महोदय, आपने उत्तर भाषण देने का अवसर दिया उसके लिये आपका आभारी हूं। मैं मंत्री जी को इस बात के लिये साधुवाद देना चाहूंगा कि प्रमोशन के अनेक प्रकरण काफी समय से लम्बित थे उनको सिलसिलेवार क्लियर करने का काम किया है। लेकिन एक शासनादेश का संदर्भ दे रहा हूं शासनादेश संख्या 1005/41-97–30(7)/97, दिनांक 25–5–97 इसमें 17 सहायक वन संरक्षकों का प्रमोशन किया डिप्टी डायरेक्टर और डी०एफ०ओ० के पदों पर नियुक्तियां की। काफी विसंगति उसके अन्दर है वरिष्ठ लोगों का तो पहले होना चाहिये परन्तु जो जूनियर थे उनका भी हो गया केवल बीच के कुछ को छोड़ दिया गया जबकि उनका कार्य भी अच्छा है। इस पर ध्यान देंगे ऐसी उम्मीद करूंगा। एक बात जंगल माफियाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जब जंगलों की कटान होती है तो माफिया लोग स्थानीय मजदूरों से उसकी कटान करवाते हैं और वन विभाग के अधिकारी मजदूरों का चालान करके खानापूर्ति कर लेते हैं जबकि जंगल माफिया बच जाते हैं। देहरादून और सहारनपुर की सीमा पर जंगल विभाग के अधिकारियों से हमने इस बात को कहा। वहां दो हजार गांव के लोगों का चालान हो चुका था। इस संबंध में जब छापा मारा गया तो कत्था फैक्ट्री में चार ट्रक खैर की लकडी पकडी गई। इस संबंध में आप स्पष्ट निर्देश दें कि मजदूरी करने वाले लोग बुक न हों जंगल के लोग खोज करके वन माफियाओं को बुक करें। देहरादून में एक महत्वाकांक्षी परियोजना दून वैली वाहर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ई०ई०सी० की सहायता से चल रही है। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वन विभाग का है उसका भ्रष्ट एरिया होना चाहिये। यह सोयल और वाटर कंजर्वेशन पर होना चाहिये लेकिन उस प्रोजेक्ट के अन्दर हम प्रेसर कुकर बांटने का काम, फावड़ा बांटने का काम, कुट्टी बांटने का काम कर रहे हैं इसमें परिवर्तन होना चाहिये। जो सोयल वॉटर कंजर्वेशन का काम वह नहीं हो रहा है। देहरादून सभी लोग जाते हैं वहां के नदी नालों में जो डेजर्ट इफेक्ट है वह इस कदर बढ़ रहा है उसको स्पष्ट निर्देश दीजिये कि सोयल रिक्लेमेशन का काम होना चाहिये वाटर कंजर्वेशन, वनीकरण भूमि संरक्षण जल संरक्षण के नाम पर जो काम हो सकता है वह करें।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि यद्यपि वन विभाग उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी एलाइड एक्टिविटी है। गेट पर साईन किया गया, पैटेंटीकरण की बात यहां पर की गई। इन्टीलेक्चुअल प्रोपर्टीज राइट का जमाना आ गया, जो उसका पेटेंटीकरण करा लेगा, उसका एकाधिकार हो जायेगा। जो हमारी रीच वायो डाईवर्सिटी है खासकर जो मेडीशिनल प्लान्ट हैं, उनका अकूत भंडार है, इनका जिक्र तो माननीय मंत्री जी ने किया परन्तु मैं मंत्री जी का आभारी रहूंगा यदि वह अपने उत्तर में इसके एप्रोगेशन के लिये किसी कार्यक्रम की घोषणा करें। इससे क्षेत्रीय लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ऐक्ट, 1991 की बात कही गई। उसमें मैंने एक बात पढ़ी है कि प्रदेश सरकार से इस

बात की अपेक्षा की जाती है कि वह आनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति करेंगे जन जागृति के लिये । इसलिये आप इस वार्डन की नियुक्ति करें ।

मैदानी जिलों के सोशल फारेस्टरी की बात यहां पर आई । मैं पहाड़ का जिक्र करना चाहता हूं । हमारे यहां जो सिविल भूमि का पंजीकरण का काम हो रहा है, हम बार-बार कह रहे हैं कि स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जाय । पता नहीं कहां से फारेन स्पेसीज को ले आ रहे हैं, इससे उनका नेचुरल जनरेशन भी नहीं हो पायेगा । आपका कोई वर्किंग प्लान हो सकता है आइडेन्टिफाइड भी होगा । हमारा यह कहना है कि आप स्थानीय प्रजातियों का रोपड़ करें इससे जंगल पर दबाव भी कम पड़ेगा । आज आंप जो पौधे लगा रहे हैं, वह चारा पत्ती के लिये नहीं है । यदि स्थानीय प्रजाति को लगायेंगे तो इससे जंगल का संवर्धन भी होगा और प्रोपोगेशन भी होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव पर बहुमूल्य सुझाव रखें । ज्यादातर सभी लोगों ने वन सम्पदा के बारे में हमारी बात का समर्थन किया । एक बात कहना चाहता हूं कि वनों के पास रहने वाले जो लोग हैं और जो अन्दर रहने वाले लोग हैं, जब तक उनके उत्थान के लिये कोई योजना नहीं बनेगी तब तक वनों की रक्षा नहीं हो सकती । तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में इस सरकार ने ईको डेवलेपमेंट के जरिये जो हमारे जंगल के पास के गांव हैं और जो जंगल के अन्दर के गांव हैं के उत्थान के लिये योजना बनाकर उनकी तरक्की के लिये पूरी तरह से तैयार हैं । इस योजना को शुरू कर दिया है । वन गूजरों के 166 परिवारों को पथरी गांव में बसा दिया है । और बाकी बचे हुये परिवारों को बसाने के लिए 517 करोड़ की योजना भारत सरकार को भेजी है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी उनको बसाने का काम कर दिया जायेगा । जिन-जिन बातों की तरफ आपने ध्यान दिलाया है उनकी तरफ हम प्रयास करेंगे । किसी का हक नहीं मारना चाहते हैं । हमारी कोशिश होगी कि उससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें । हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुये माननीय मुन्ना चौहान जी से निवेदन करुंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं क्या ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिये थे यदि उसकी घोषणा माननीय मंत्री जी ने की होती तो मैं प्रस्ताव वापस ले लेता लेकिन इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है लिहाजा मुझे मजबूर होकर इस पर बल देना पड़ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगी गई राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,43,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

1–डा० सरजीत सिंह डंग	की	प्रदेश में वर्ष 1990 तथा 1992 में नियत वेतन पर नियुक्त एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन तथा नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।
2–श्री राम औतार शाक्य	की	जनपद मैनपुरी स्थित भोगांव से संकिसा बुद्धिस्त पर्यटक स्थल (जनपद फर्रुखाबद) को सीधे जोड़ने हेतु सड़क मार्ग के प्रारम्भिक आगणन एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान कर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
3–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	की	केन्द्र की भांति प्रदेश में भी शहरी भूमि हदबन्दी कानून को तत्काल स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :

श्री सरवर अली	राज्य सड़क परिवहन निगम के फैजाबाद व बहराइच डिपो में परिचालकों द्वारा टिकटों पर रसायन का प्रयोग कर धांधली करके परिवहन निगम को लाखों रुपये की हानि कराये जाने के सम्बन्ध में।
डा० धर्मज्ञ मिश्र	जनपद हरदोई के बिलग्राम एवं मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नदियों के कटान से बचाव किये जाने तथा सर्वेक्षण कराकर आगणन के आधार पर बांध निर्माण हेतु धन का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	प्रदेश के पावन तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में समुचित स्वास्थ्य सेवाओं हेतु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री सौलत अली एडवोकेट श्री इकबल महमूद तथा श्री रिफाकत हुसैन	बाबू शिवनाथ अग्रवाल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, मथुरा में विकास एवं संस्था शुल्क के नाम पर छात्रों से अनुचित धनराशि वसूले जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

मध्य गंगा नहर में दिनांक 29 जून, 1998 को बिना पूर्व सूचना के 4000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जनपद मेरठ व गाजियाबाद के गांवों में हुई भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[वर्षाकाल में गंगा नदी में उपलब्ध अतिरिक्त जल के उपयोग के उद्देश्य से मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण वर्ष 1977–78 में प्रारम्भ किया गया था । मध्य गंगा नहर के किलोमीटर 56.824 पर साइफन के करीब दिनांक 28 व 29 जून, 1998 की मध्य रात्रि के बाद पटरी टूट गई थी ।

घटनाक्रम के अनुसार मध्य गंगा नहर को बिजनौर बैराज से दिनांक 22–6–98 को पानी को 500 क्यूसेक से प्रारम्भ करके दिनांक 28–6–98 की प्रातः तक 3800 क्यूसेक किया गया । दिनांक 24–6–98 को यह पानी कि०मी० 58.700 पर रात्रि 9.30 बजे पहुंचा कि०मी० 50.553, 53.083, 56.824 एवं कि०मी० 58.00 पर स्थित साइफनों का दिनांक 25–6–98 एवं 27–6–98 को निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय किसी साइफन में रिसाव नहीं पाया गया दिनांक 28–6–98 को सायं 5.15 बजे तक साइफन से कोई रिसाव नहीं हुआ था ।

(2) इसी क्रम में दिनांक 28 व जून, 1998 को रात्रि में 12 व 12.30 बजे के बीच एक ट्रक साइफन स्थल से पास हुआ तथा रात्रि में लगभग 2.45 बजे पुनः इसी स्थल से लौट रहा था परन्तु एक स्थल पार नहीं कर सका । ट्रक वापस लौटकर क्रास रेगुलेटर पर पहुंचकर वहां के स्टाफ को अवगत कराया कि नहर का पानी कट कर साइफन की ओर बह रहा है । तत्काल नहर बन्द कराने की कार्यवाही की गई तथा नहर का शीर्ष प्रातः 5.00 बजे से 7.00 बजे तक बन्द कर दिया गया । सभी सम्बन्धित अधिकारी प्रातः 7.30 बजे घटना स्थल पर पहुंच गये थे ।

(3) विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नहर का समस्त पानी साइफन स्थल से होकर बह रहा है एवं नहर के ऊपर की ओर के हिस्सों से नहर को क्षति पहुंची है । नहर का पानी बूंढ़ी गंगा से होता हुआ गंगा नदी में चला गया कुछ पानी इधर-उधर के क्षेत्र में फैल गया एवं यह पानी किसी बस्ती में नहीं घुसा तथा इससे जानमाल की कोई हानि नहीं हुई यद्यपि इस पानी में कुछ जमीन का कटाव हुआ तथा कुछ खड़ी फसल, पेड़ इत्यादि भी बह गये । बन्दी से प्रभावित क्षेत्र :–

(1) प्रभावित गांव–	पांच । 1–असीलपुर 2–फिरोजपुर 3–सारंगपुर 4–सरबियतपुर जमुनी 5–शाहीपुर
(2) प्रभावित क्षेत्रफल–	172.544 हेक्टे०
(3) प्रभावित कृषकों की संख्या	493

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(4) प्रभावित मकानों की संख्या शून्य

(5) प्रभावित जन हानि शून्य

खान्दी बन्द कराने की कार्यवाही दिनांक 29-6-98 से ही प्रारम्भ कर दी गई थी तथा नहर की खान्दी बन्द कराकर नहर को शीर्ष से दिनांक 8-7-98 को सायं 8 बजे चला दिया गया है। खादी स्थल पर बैंक को मजदूत करने का कार्य प्रगति पर है।

नहर टूटने की प्रारम्भिक जांच एक मुख्य व दो अधीक्षण अभियन्ता की कमेटी द्वारा की गई है। कमेटी का यह निष्कर्ष है कि नहर की यह खादी एवं उससे हुई साइफन की क्षति किसी अप्रत्याशित बड़े रिसाव के कारण हुई है। इनके कारणों की जानकारी हेतु शोध, परिकल्पन एवं स्थलीय अभियन्ताओं की एक समिति बनाने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं।

कमेटी दुर्घटना के कारण, दुर्घटना हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति तथा इस प्रकार की दुर्घटना भविष्य में न हो, के लिये आवश्यक सुझाव देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन माह में देगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी।]

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा कतिपय वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाये जाने से संबंधित श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिजवी)-

[उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना मई, 1965 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत की गई थी। वर्तमान में निगम द्वारा 296 डिपो/विस्तार पटल संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें 1214 कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम द्वारा डिपोज के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार तथा मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवारों को व्यापार कर मुक्त दैनिक उपयोग की वस्तुएं बाजार से सस्ती दरों पर उपलब्ध करायी जा रही है।

2-संस्थागत वित्त विभाग के वर्ष 1979 की विज्ञप्ति एवं तदनुक्रम जारी विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 1985 द्वारा राज्य कर्मचारियों को कल्याण निगम के माध्यम से बिक्री होने वाली कतिपय वस्तुओं पर व्यापार कर की छूट प्रदान की गयी थी। इन वस्तुओं में स्कूटर, मोटर साइकिल व मोपेड भी शामिल थे। व्यापार कर रहित दुपहिया वाहन के क्रय हेतु संस्थागत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31-3-94 द्वारा राज्य कर्मचारियों को सेवाकाल में अधिक से अधिक 3 तथा मांगलिक कार्य हेतु कार्यालयाध्यक्ष की अनुमति से दो अतिरिक्त दुपहिया वाहन क्रय करने की सुविधा प्राप्त थी। निगम के माध्यम से दुपहिया वाहनों की बिक्री होने पर निगम को क्रेता से रजिस्ट्रेशन फीस एवं डीलर से ओवर राईडिंग कमीशन प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त वाहन विक्रेताओं को निगम में पंजीकरण कराने पर भी निगम को आय होती थी। निगम ने वर्ष 1997-98 में अनुमानित रूप से कुल 54700 दुपहिया वाहनों की बिक्री की थी जिसकी अनुमानित कीमत रु० 149 करोड़ है। तद्नुसार उक्त वर्ष में निगम को रजिस्ट्रेशन फीस एवं ओवर राईडिंग कमीशन आदि से कुल रुपये 360.84 लाख अनुमानित आय हुई थी।

3–विज्ञप्ति दिनांक 27 अप्रैल 1998 द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी, 1985 को संशेधित कर कल्याण निगम के माध्यम से बिक्रय किये जाने वाले दुपहिया वाहनों पर देय व्यापार कर की छूट की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है । ऐसा प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिकोण से किया गया है । राज्य कर्मचारियों के हित में तथा निगम की कठिनाइयों को देखते हुये निगम के माध्यम से दुपहिया वाहनों के क्रय पर से व्यापार कर की छूट संबंधी सुविधा बहाल करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । निगम के डिपो बन्द नहीं किये जा रहे हैं न ही किसी कर्मचारी की छटनी की जा रही है ।

4–निगम के डिपोज द्वारा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बिक्री कर मुक्त दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं एवं अन्य वस्तुओं पर यह सुविधा अब भी विद्यमान हैं ।

5–निगम की व्यापक नीति के परिणाम स्वरूप पिछले दो वित्तीय वर्षों में निगम ने लाभ अर्जित किया है । अतः डिपोज में कार्यरत कर्मचारियों के भुखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।]

श्री केदार नाथ जी के मंदिर से चोरी गये स्वर्ण कलश तथा त्रिकोण की बरामदगी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री राजेश अग्रवाल आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री केदारनाथ मंदिर नवसृजित जनपद रुद्र प्रयाग के थाना उखीमठ में स्थित है जो माह नवम्बर से माह अप्रैल तक लगभग 6 माह बन्द रहता है क्योंकि मंदिर जाने के रास्ते में लगभग 6 फीट से 10 फीट तक बर्फ जम जाती है । पूरा मंदिर व केदारनाथ धाम बर्फ से ढका रहता है । 1996 में मंदिर के कपाट खोलने के लिए अग्रिम पार्टी श्री गिरीश देवली, अवर अभियन्ता श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ समिति के नेतृत्व में दिनांक 13-4-96 को गई थी जिसने श्री केदारनाथ मंदिर के कलश का छोटा हिस्सा गायब पाया । बर्फ में ढुढ़वाने पर भी यह नहीं मिला । श्री देवली ने मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ को यह आख्या प्रेषित की कि संभवतः तेज आंधी के कारण क्लश का ऊपरी भाग कहीं चला गया है । उस दिन भी 5-6 फीट बर्फ जमी थी ।

श्री देवली ने अपनी आख्या में त्रिकोण के बारे में भी चर्चा नहीं की थी । मंदिर अधिकारियों ने भी इस संबंध में कोई सूचना थाना उखीमठ, जिसके क्षेत्र में मंदिर स्थित है, को नहीं दी और न ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई । किसी व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं की ।

माननीय विधायक श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अधीन सूचना मांगने पर इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक श्री चण्डी प्रसाद थपलियाल से जांच कराई गई । इस संबंध में मुख्य कार्याधिकारी श्री जगत सिंह बिष्ट ने श्री 1008 जगदगुरू सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी "रावल" जी द्वारा महामहिम राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी को प्रेषित पत्र दिनांक 17-11-97 की प्रति भी श्री थपलियाल को प्रस्तुत की । इस पत्र में अंकित है कि श्री केदारनाथ मंदिर के स्वर्ण कलश श्री केदारनाथ कपाट खुलने से पहले से लापता है तथा तत्कालीन अधिकारियों ने खोजने का प्रयास किया किन्तु प्रयास अधूरा रहा । प्रार्थना-पत्र में कलश को खोजने के लिए उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था । मंदिर समिति के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि श्री केदारनाथ मंदिर का ऊपरी कलश जिस पर सोने की पालिश बताई जाती है, का ऊपरी हिस्सा बर्फ से टूट कर गिर गया जो मंदिर के अधिकारियों के ढूढने पर भी नहीं मिला । इस कलश को हवा, पानी में स्थिर रखने के लिए लकड़ी का एक त्रिकोण रखा हुआ था जिस पर मिश्रित धातु की चद्दर चढ़ी थी एवं इनके ऊपर सुनहरी पालिश लगी थी । यह त्रिकोण भी बर्फ से टूट गया था जिसकी एक भुजा व दूसरी भुजा के कुछ टुकड़े मंदिर परिसर में मिले थे । मुख्य कार्याधिकारी तदर्थ श्री जगत सिंह विष्ट का कथन है कि यह त्रिकोण भी केदारनाथ के भण्डार गृह में सुरक्षित रखा है । ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

13 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं० 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के संलग्नक

क्र०सं०	जनपद का नाम	सुरक्षा प्रदत्त महानुभावों का नाम	पद नाम
1	2	3	4
1	सुल्तानपुर	1–श्री ओ०पी० सिंह	भा०ज०पा० युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ।
2	अम्बेडकर नगर	1–श्री गिरीश वर्मा	सदस्य, किसान मोर्चा
		2–श्री हृदय मणि मिश्र	जिला कार्यकारिणी सदस्य भा० ज० पा० ।
3	फैजाबाद	1–डा० वृजभूषण मणि	पूर्व विधायक एवं सदस्य प्रांतीय परिषद ।
		2–श्री शंकर दास उर्फ लल्लू दास	अध्यक्ष भा०ज०पा० युवा मोर्चा
		3–श्री चन्द्रशेखर जायसवाल	सदस्य जिला कार्य समिति
4	जौनपुर	1–श्री अशोक कुमार सिंह	जिलाध्यक्ष भा०ज०पा०
5	गौतमबुद्ध नगर	1–श्री हरीश चन्द्र भाटी	अध्यक्ष, महानगर भा०ज०पा०
6	सहारनपुर	1–श्री सुरेन्द्र शर्मा	जिलाध्यक्ष, भा०ज०पा०
7	देहरादून	1–डा० बालेश्वर पाल	जिलाध्यक्ष, भा०ज०पा०
8	इटावा	1–श्री जनमेजय सिंह भदौरिया	जिला महामंत्री भा०ज०पा०
9	फतेहगढ़	1–श्री प्रभुदत्त द्विवेदी	भा०ज०पा० युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष
10	औरैया	1–श्री गोपीचरन वर्मा	जिलाध्यक्ष भा०ज०पा०
11	आगरा	1–श्री महेश बघेल	जिलाध्यक्ष भा०ज०पा०
12	मथुरा	1–श्री बांके बिहारी माहेश्वरी	अध्यक्ष ब्रज प्रांत भा०ज०पा०
		2–श्री नरायनदास सेठ	सदस्य प्रदेश कार्य समिति
13	एटा	1–श्री राम स्वरूप वर्मा	महामंत्री भा०ज०पा०
14	गोण्डा	1–श्री सत्यदेव सिंह	प्रदेश उपाध्यक्ष
15	प्रतापगढ़	1–श्री गणेश नारायण मिश्र	पूर्व अध्यक्ष भा०ज०पा०
		2–श्री कृष्ण कुमार सिंह	जिला उपाध्यक्ष
16	बदायूं	1–श्री महेश चन्द्र गुप्ता	जिला उपाध्यक्ष भा०ज०पा०
17	मुरादाबाद	1–श्री भूपेन्द्र सिंह	जिला अध्यक्ष भा०ज०पा०
18	सीतापुर	1–श्रीमती उर्मिला राठौर	सभासद नगरपालिका परिषद

1	2	3	4
19	उन्नाव	1–श्री विनोद लोधी	जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा
20	रायबरेली	1–श्री योगेन्द्र मोहन बाजपेयी	पूर्व जिलाध्यक्ष भा०ज०युवा मोर्चा
21	लखनऊ	1–श्री ओम प्रकाश सिंह	महामंत्री भा०ज०पा०
		2–श्री दया शंकर सिंह	महामंत्री छात्र संघ भा०ज०पा०
		3–श्री नरेन्द्र सिंह राना	प्रदेश पदाधिकारी भा०ज०पा०
		4–डा० दिनेश शर्मा	पूर्व अध्यक्ष भा०ज०पा०
		5–श्री श्याम नन्दन सिंह	प्रवक्ता, भा०ज०पा०
		6–श्री संजय गुप्ता	युवा मोर्चा, भा०ज०पा०
		7–श्री संतोष सिंह	अध्यक्ष छात्र संघ भा०ज०पा०
22	खीरी	1–श्री बाला प्रसाद	पूर्व विधायक/जिलाध्यक्ष भा०ज०पा०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 334 विधान सभा ( )–1998–817 (डी०टी०पी०) ।